भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.	5]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 17, 2017/श्रावण 26, 1939	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 218
No.	5]	DELHI, THURSDAY, AUGUST 17, 2017/SRAVANA 26, 1939	[N.C.T.D. No. 218

भाग—III PART—III

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

fnYyh fo | r fofu; ked vk; kx

अधिसूचना

दिल्ली, 17 अगस्त, 2017

fnYyh folgr fofu; e vk; kx ½vki fr2 dkM rFkk fu"i knu ekud½ fofu; e 2017

la , Q- 17165160 bath-@Mhb2114 h@15&16@5109@999.—दिल्ली विद्युत अधिनियम, 2003(2003 के अधिनियम 36 की धारा 57 धारा 181 के साथ पठित धारा 46, 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इसकी ओर से समर्थित सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पिछले प्रकाशनों के उपरान्त दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम, नामतः— दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग(आपूर्ति कोड तथा निष्पादन मानक) विनियम, 2017 बनाता है।

v/; k; & **I**

I kekU;

1- y?kdkh"kid] foLrkj rFkk i kjalku%&

- (1) इन विनियमों को दिल्ली विद्युत विनियम आयोग (आपूर्ति कोड तथा निष्पादन मानक) विनियम 2017 कहा जाएगा।
- (2) ये विनियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मानक लाइसेंसधारियों तथा सभी उपभोक्ताओं सहित सभी वितरण लाइसेंसधारियों पर लागू होंगे।
- (3) ये विनियम तिथि 1.9.2017 से लागू होंगे।

5024 DG/2017 (1)

2- i f j Hkk"kk%&

इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो :-

- (1) [^]√f/kfu; e^{**} से अभिप्राय समय—समय पर यथासंशोधित विद्युत अधिनियम 2003 से है;
- (2) ^i R; kf; r i t; kx'kkyk** से अभिप्राय राष्ट्रीय प्रत्ययान बोर्ड द्वारा जांच और कैलिब्रेशन प्रयोगशालाओं (एनएबीएल) के लिए प्रत्यायित प्रयोगशाला से है;
- (3) "Vup1k" से अभिप्राय विद्युत की आपूर्ति के लिए किसी वाणिज्यिक प्रबन्ध सहित किसी लाइसेंसधारी तथा / अथवा इसके पूर्ववर्ती तथा उपभोक्ता द्वारा प्रविष्ट इसके व्याकरणीय चरों तथा सजातीय अभिव्यक्तियों वाले करार से है;
- (4) "mi dj .k" से अभिप्राय विद्युत उपकरण तथा विद्युत संवितरण प्रणाली से जुड़ी सभी मशीनें फिटिंग्स सहायक सामग्रियां तथा उपकरणों से है;
- (5) **^vihyh**; **i kf/kdkj h**** से अभिप्राय इस अधिनियम की धारा 127 की उप—धारा(1) के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकार से है;
- (6) "Vkond** से अभिप्राय किन्हीं परिवारों के उन स्वामियों या पदाधिकारियों से है जो इस प्रकार के प्रयोजनों के लिए अधिनियम, के प्रावधानों नियमों विनियमों तथा इसके तहत दिए गए आदेशों के अनुसरण में लाइसेंस के साथ आवेदन करता है:
 - (i) अस्थाई कनेक्शन सहित विद्युत की आपूर्ति;
 - (ii) संस्वीकृत भार अथवा संविदा मांग में बढोतरी अथवा कनेक्शन से संबंधित ब्योरों का परिवर्तन;
 - (iii) श्रेणी का परिवर्तन;
 - (iv) बिलिंग से संबंधित मुद्दे अथवा कनेक्शन से संबंधित बयोरों का परिवर्तन;
 - (v) आपूर्ति डिस्कनेक्ट कराना अथवा फिर से कनेक्शन जुड़वाना;
 - (vi) करार अथवा अन्य सेवाओं की समाप्ति आदि;
- (7) **"Vkonu**** से अभिप्राय सभी अपेक्षित दस्तावेज सहित उचित फार्मेट में सर्व संबंधों में पूर्ण आवेदन से है:
- (8) [™]Vki∎r dk {k़=** से अभिप्राय, वह भौगोलिक क्षेत्र जिसके भीतर लाइसेंसधारी, को कुछ समय के लिए विद्युत उर्जा आपूर्ति करने हेतु लाईसेंस से प्राधिकृत किया जाता है;
- (9) **"fu/kklj .k vf/kdkj h**** से अभिप्राय किसी राज्य सरकार अथवा बोर्ड के अधिकारी अथवा लाइसेंसधारी जैसा भी मामला हो जिसे इस अधिनियम की धारा 126 के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा पदनामित किया गया हो;
- (10) "Vf/k—r Vf/kdkjh"* से अभिप्राय लाइसेंसधारी अथवा आपूर्तिकारी अधिकारी, जैसा भी मामला हो, अधिनियम की धारा 135 की उप—धारा (2) के अंतगर्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया हो;
- (11) ^i kf/kdj . k** से अभिप्राय अधिनियम की धारा 70 की उप—धारा (1) में यथासंदर्भित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण(सीईए);
- (12) *Vk¶ r fo | r xq kd* से अभिप्राय किसी विशिष्ट अवधि के दौरान पंजीकृत (किलोवाट घंटे) से (किलोवाट एम्पीयर घण्टे) का अनुपात;
- (13) **^^cfd nj** ^{**} से अभिप्राय आधार दर अथवा फण्ड आधारित लैंडिंग दर की सीमान्त लागत (एमसीएलआर) अथवा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया; द्वारा यथा अधिसूचित कोई अन्य बैंचमार्क दर;
- (14) "fcy frfFk" से अभिप्राय वह तिथि जिस पर वितरण लाइसेंसधारी द्वारा बिल तैयार किया जाता है:
- (15) ^fclyx pØ** अथवा ^fclyx vof/k** से अभिप्राय आयोग द्वारा यथा अनुमोदित अवधि जिसके लिए नियमित विद्युत बिल विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के लिए लाइसेंसधारी द्वारा तैयार किए जाने होते हैं:
- (16) ^fC(yx ekax** से अभिप्राय निम्नलिखित में सबसे अधिक:—
 - (i) संविदा मांग अथवा संस्वीकृत मांग जहां कहीं संविदा मांग आपूर्ति करार में उपलब्ध न कराई गई हो
 - (ii) बिलिंग चक्र के दौरान मीटर द्वारा संकेतित अधिकतम मांग।

- (17) ^d\$y\$Mj 0"\[\textstyle \text{t} ' से अभिप्राय ग्रेगोरियन कैलेंडर वर्ष में जनवरी के प्रथम दिन की अवधि से उसी वर्ष के दिसम्बर; की 31 तारीख तक की अवधि;
- (18) M hbl, M j {kk rFkk fo | r vki llr l s l lc/kh mi k; ½ fofu; e] 2010** से अभिप्राय समय—समय पर यथासंशोधित (सीईए)सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय, विनियम, 2010 तथा इस अधिनियम द्वारा सुरक्षित विस्तार भारतीय विद्युत नियम, 1956 अथवा इसके अन्तगर्त कराए गए कोई अन्य प्रासंगिक विनियम / नियम से है;
- (19) ^Vk; kx** से अभिप्राय अधिनियम की धारा 82 की उपधारा (1) में यथा संदर्भित दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग:
- (20) ^mi Hkkäk* से अभिप्राय अधिनियम में इस प्रकार से पारिभाषित कोई व्यक्तिः
- (21) "I fonk ekax** से अभिप्राय करार में यथा उपलब्ध (किलोवाट अथवा किलोवाट एम्पीयर) में मांग जो संस्वीकृत भार का 60 प्रतिशत से कम नहीं होगी तथा जिसके लिए लाइसेंसधारी सारी शर्ते व निबन्धन के अध्यधीन आपूर्ति करने के लिए विशेष वचनबद्धता करता है;
- (22) ^Ml gli eliVj** से अभिप्राय जिससे समय—समय पर यथासंशोधित सीईए (मीटर के अधिष्ठापन एवं प्रचालन) विनियम 2006 के अनुसार कम से कम परिशुद्धता वर्ग मानक और विशिष्टताएं हों;
- (23) **fnol ¼ k¾** की विनिर्दिष्ट किसी अवधि के लिए से अभिप्राय कार्य दिवस, जब तक कि अन्यथा कोई अधिसूचित न हो;
- (24) "fodkl drk@fodkl d" से अभिप्राय, ऐसा व्यक्ति जो सार्वजनिक भावी विकास एजेंसियों (दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, दिल्ली राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड., दिल्ली शहरी आवास सुधार बोर्ड, वक्फ बोर्ड आदि निजी विकासकर्ता निजी कालोनाइजर्स, बिल्डर्स, सहकारी समूह आवास सोसाइटियां समूह आवास सोसाइटियां, सहकारी, संघ आदि सिहत क्षेत्र (लाइसेंसधारी के माध्यम से अथवा स्वयं के द्वारा विद्युतकरण सिहत) का विकास करता है। एक उचित प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किसी आवासीय वाणिज्यिक परिसर सिहत वितरण लाइसेंसधारी की आपूर्ति के क्षेत्र के भीतर;
- (25) ^eq[; forj.k** से अभिप्राय किसी मुख्य के भाग के संदर्भ में है जिसके पास कोई सर्विस लाइन के जोड़ने अथवा तुरन्त जोड़ने के लिए अभिप्रेत है;
- (26) ^forj.k ilklyh** से अभिप्राय ट्रांसिमशन लाइनों पर प्रदायगी प्वाइंट अथवा जनरेटिंग स्टेशन कनेक्शन तथा आपूर्ति प्वाइंट के बीच विद्युत का वितरण/आपूर्ति हेतु प्रयुक्त तारों तथा सम्बद्ध सुविधाओं की प्रणाली;
- (27) ^fo | fr fujh{kd** से अभिप्राय इस अधिनियम की धारा 162 की उप—धारा (1) के अन्तगर्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति जिसमें मुख्य विद्युत निरीक्षक भी शामिल हैं:
- (28) "mtkl i lkkj*" से अभिप्राय उपभोक्ता द्वारा (किलोवाट आवर अथवा किलोवाल्ट एमपेयर आवर) में, जैसा भी मामला हो, किसी बिलिंग चक्र अथवा बिलिंग अवधि; में उपभोग की गई उर्जा के लिए समय–समय पर आयोग द्वारा जारी शुल्क आदेश के प्रावधानों के अनुसार उगाहे गए प्रभार;
- (29) [^]fo|**r**h−r {k⊨** से अभिप्राय विद्युतीकृत क्षेत्रों से रहित विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के अलावा सभी क्षेत्र;
- (30) ^foŸkh; O"kZ* से अभिप्राय ग्रेगोरियन कैलेंडर वर्ष में अप्रैल के प्रथम दिन से प्रारंभ होकर अगले वर्ष; के मार्च की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि;
- (31) ^fu/kkfjr i lkkj'' से अभिप्राय ''बिलिंग चक्र'' या बिलिंग अवधि के लिए समय—समय; पर आयोग द्वारा जारी शुल्क आदेश के प्रावधानों के अनुसार उगाहा गया प्रभार;
- (32) "Vi k; kf' kr ?kVuk, ** से अभिप्राय किसी ऐसी घटना / परिस्थिति का उत्पन्न होना जो लाइसेंस धारी के नियंत्रण से परे हो जिसे लाइसेंसधारी द्वारा पर्याप्त रूप से नहीं दिखाया जा सका हो तथा जिससे लाइसेंसधारी; द्वारा किसी दायित्व के क्षेत्र निष्पादन को रोकने / विलम्ब;
- (33) ''Okxम'' से अभिप्राय, अधिनियम की धारा 42 की उपधारा(5) के अंतगर्त संस्थापित उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच:
- (34) [™]Y¥pk; t¥** से अभिप्राय वितरण लाइसेंसधारी द्वारा आपूर्ति के उसके क्षेत्र के भीतर किसी विशेष क्षेत्र में उसकी ओर से विद्युत वितरण करने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति;

- (35) "gkekfuDl ** से अभिप्राय बारम्बार वाली आवधिक वेव का कोई घटक जो 50 हर्टज की मौलिक पावर लाइन बारम्बारता का अभिन्न गुणज है, जिसके कारण वाल्टेज अथवा करन्ट की शुद्ध व्यावक्रीय वेवफोर्म में विकृति होती है।
- (36) [^]Vkbbbbl ekud** इलेक्ट्रिक्ल तथा इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियर के संस्थान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा समय–समय पर जारी तकनीकी मानकों से संबंधित है।
- (37) "foyEc Is fd, x, lkkrrku ij vf/klkkj ¼, yih, II h½" से अभिप्राय किसी उपभोक्ता पर उसके बिलों के भुगतान को देय तारीख पर न देकर विलम्ब की अवधि के लिए शुल्क आदेशों के प्रावधानों के अनुसार वसूला गया मौद्रिक प्रभार
- (38) "ykbl s ; Þ fo | f l sonkdkj ¼, ybl l½" से अभिप्राय, समय—समय पर यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति से संबंधी उपाय), विनियम, 2010 के प्रावधानों के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त संविदाकार
- (39) "Ykbl d ∨Fkok forj.k ykbl d /kkjh** से अभिप्राय ऐसा कोई व्यक्ति जिसे इस अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत आपूर्ति के उसके क्षेत्र में अपने उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति करने के लिए एक वितरण प्रणाली का परिचालन करने तथा उसका रखरखाव करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है, इसके मानक लाइसेंसधारी भी शामिल है;
- (40) "Vf/kdre ekax ¼, eMh½" से अभिप्राय किसी बिलिंग चक्र के दौरान 30 मिनट की सतत अवधि अथवा ऐसी अन्य सतत अवधि आयोग द्वारा जैसा अधिसूचित किया जाए के दौरान किसी उपभोक्ता की आपूर्ति के प्वाइन्ट पर किलोवाट एम्पीयर अथवा किलोवाट में आंका गया उच्चतम औसत भार;
- (41) "ehVj ** से अभिप्राय विद्युत का मापन, संकेतन तथा उपभोग की रिकार्डिंग, अधिकतम मांग, विद्युत प्रणाली से संबंधित अन्य कोई मानदंड अथवा अन्य कोई सूचना के लिए उपयुक्त एक सही मीटर, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो या आयोग द्वारा अधिसूचित किया गया हो तथा जहां कहीं भी लागू हो इसमें ऐसे प्रयोजनों हेतु आवश्यक करन्ट ट्रांसफार्मर(सीटी), वाल्टेज ट्रांसफार्मर(सीटी) अथवा संधारित्र वाल्टेज ट्रांसफार्मर(सीसीटी) शामिल होगा तथा नेट मीटर शामिल रहेगा;
 - Li "Vhdj .k:—इसमें विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए तथा विद्युत की चोरी / अनाधिकृत उपयोग रोकने के लिए लाइसेंसधारी द्वारा प्रदत्त कोई चीज अथवा सीलबंदी प्रबंधन तथा अन्य उपाय / विशेषता भी शामिल होगा
- (42) ^{^^}k(**n**) eliV**j** ^{**} से अभिप्राय विद्युत के आयात और निर्यात दोनों की रिकार्डिंग में समर्थ उपयुक्त मीटर अथवा एक जोड़ा मीटर जिसमें एक नेट इम्पोर्ट की रिकार्डिंग के लिए तथा दूसरा विद्युत के नेट एक्सपोर्ट की रिकार्डिंग के लिए हो, जैसा भी मामला हो;
- (43) **"ykdiky**** से अभिप्राय इस अधिनियम की धारा 42 की उपधारा(6) के अंतर्गत नियुक्त विद्युत लोकायुक्त;
- (44) ^{^^}ifjlj^{**} से अभिप्राय भूमि भवन अथवा संरचना अथवा तत्संबंधी भाग या संयोजन जिसमें अचल सम्पत्तियां शामिल हों, इस सम्बंध में जिसमें विद्युत की आपूर्ति हेतु लाइसेंसधारी द्वारा पृथक मीटर लगाया गया हो
- (45) [^]Vki **l** dk fcUn([†] से अभिप्राय उपभोक्ता के परिसरों मे लगाया गया लाइसेंसधारी के मीटर ∕ कट आउट तक ∕ स्वीच गीयर के बाह्य ट्रमिनलों पर प्वाइन्टः
 - बशर्ते कि उपभोक्ताओं की उच्च टेंशन तथा अतिरिक्त उच्च टेंशन के मामले में, प्वाइंट आफ सप्लाई से अभिप्राय ऐसे उपभोक्ताओं के उपकरण के समक्ष रखा गया लाइसेंसधारी मीटरिंग क्यूबिकल के आउटगोइंग टर्मिनल पर प्वाइंट;
- (46) "Xkeh.k {ks=** से अभिप्राय ग्राम पंचायतों द्वारा सम्मिलित किया गया क्षेत्र जिसमें बडी तथा छोटी पंचायतें अथवा गांव और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र अधिसूचित न किए गए क्षेत्र शामिल हैं;
- (47) "Loh—r Hkkj" से अभिप्राय (किलोवाट या किलोवाट एम्पीयर) में वह भार जिस पर लाइसेंसधारी ने शासी नियम और शर्तें के अनुसार समय—समय पर आपूर्ति देने पर सहमति दी है तथा जो समय—समय पर जारी किए गए आयोग के प्रासंगिक आदेशों के अध्ययीन होगा,
- (48) "I kol ykbu** से अभिप्राय ऐसी कोई विद्युत आपूर्ति लाइन जिसके माध्यम से विद्युत की आपूर्ति की जाती है या आपूर्ति किए जाने के लिए अभिप्रेत है:—

- (i) वितरणकर्ता मेन से या त्रन्त लाइसेंसधारी के परिसरों से किसी एकल उपभोक्ता को
- (ii) वितरणकर्ता मेन से इसी प्रकार से परिसरों में उपभोक्ताओं के समूह को या वितरणकर्ता मेन के इसी प्वाइन्ट से संसक्त परिसरों पर की गई आपूर्ति
- (49) "'kl\d ∨kn\s'k** से अभिप्राय प्रासंगिक अवधि के लिए लागू आयोग द्वारा जारी शुल्क आदेश;
- (50) m fo | ${}_{l}$ r m dh l p l j l t से अभिप्राय, इस अधिनियम की धारा 135 के अनुसार विद्युत की चोरी;
- (51) ^{^^} kgjh {k⊨** से अभिप्राय ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा समस्त क्षेत्र;
- (52) ''fo | r ds vukf/k—r mi ; kx** से अभिप्राय इस अधिनियम की धारा 126 के अनुसार विद्युत का उपयोग;
- (53) "Vfo | rhdir {k=** से अभिप्राय तत्संबंधी कोई क्षेत्र या भाग जिसमें उस क्षेत्र के लिए विद्युत की मांग की पूर्ति करने हेत् कोई वितरण प्रणाली न हो;

3- 0; k[; k, a-

- (1) इन विनियमों की व्याख्या की जाएगी तथा ऐसे ढंग से कार्यान्वित किया जाएगा ताकि अधिनियम के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के असंगत न हो
- (2) जब तक सन्दर्भ की अन्यथा अपेक्षा न हो, इन विनियमों में रखे गए शब्द या अभिव्यक्तियां इसमें पिरभाषित नहीं किए जाएंगे परन्तु इस अधिनियम अथवा सीईए(मीटरों के अधिष्ठापन एवं प्रचालन, विनियम, 2006 अथवा सीईए(सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय विनियम, 2010 अथवा शुल्क आदेश में पिरभाषित का वही अर्थ होगा जो इसमें निर्धारित किया गया है तथा तत्सम्बंधी की अनुपस्थिति में, विद्युत आपूर्ति उद्योग में सामान्यतया समझा गया अर्थ, उसका अर्थ होगा।
- (3) इन विनियमों की अपेक्षा के अनुसार भरे जाने वाले प्रपत्र तथा प्रारूप आयोग के आदेशों में यथा अधिसूचित किए जाएंगे।

$\ensuremath{\nabla/; k; \& \mathbf{II}} \ensuremath{\nabla/ki \, \text{kfr} \, \text{ch i.z.} \, \text{kkyh} \, | \, i_j \, \{ kk \} \, \text{ekud rFkk oxhl} \, \text{dj.k}}$

4- vkiver dhizkkyh%&

- (1) अल्टर्नेटिंग करन्ट(एसी) की उद्घोषित आवृति 50 हर्टज रहेगी। लाइसेंसधारी प्राधिकरण द्वारा समय—समय पर जैसा अधिसूचित किया गया हो, आवृति बैंड के भीतर आवृति का रखरखाव रखा जाए
- (2) आपूर्ति के वाल्टेज स्तर निम्नानुसार होंगे:--
 - (i) लो टेंशन(एलटी)
 - क. एकल फेसः फेस और न्यूट्रल के बीच 230 वोल्टस
 - ख. थ्री फेसः फेसों के बीच 400 वोल्टस
 - (ii) हाई टेंशन(एचटी) थ्री फेसः फेसों के बीच 11 केवी
 - (iii) एक्सट्रा हाई टेंशन(इेएचटी) थ्री फेस फेसों के बीच 33 किलोवाल्टस अथवा 66 किलोवाल्टस
- (3) लाइसेंसधारी ट्रांसिमशन प्रणाली से जुडी वितरण प्रणाली का डिजाइन, संस्थापना, रखरखाव तथा परिचालन करेगा,
- (4) आपूर्ति के प्वाइन्ट पर वोल्टेज निम्नलिखित यथा विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर रहेगी:--
 - (i) लो टेंशन के मामले में, +/- 6 %
 - (ii) हाई टेंशन के मामले में, +6 % से -9 %
 - (iii) एक्सट्रा हाई टेंशन के मामले में, +10 % से -12.5 %

5- fo | gr | 1 1 EFkki ukvks oh | gi {kk:-

- (1) लाइसेंसधारी और उपभोक्ता प्रत्येक मामले में, समय—समय पर यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति से संबंधी उपाय), विनियम, 2010 के प्रावधानों का अनुपालन करेगा।
- (2) संस्थापना की टेस्टिंग के समय, यदि लाइसेंसधारी का प्रतिनिधि पाता है कि उपभोक्ता के तारों में कोई कमी है तो लाइसेंसधारी उपभोक्ता को ऐसे संसोधन करने के लिए जो संस्थापना को सुरक्षा प्रदान कराने के लिए जरूरी हों, एक लिखित पत्र लिखेगा।
- (3) कनेक्शन किमयों के हटने पर ही क्रियाशील होगा

6- vki Nar dk oxhildj.k r Fkk Jskhdj.k %

- (1) आपूर्ति का वर्गीकरण आयोग के आदेशों में यथासूचित किया जाएगा,
- (2) विभिन्न उपभोक्ताओं को आपूर्ति का श्रेणीकरण उस अवधि के लिए आयोग के प्रयोजन शुल्क आदेश के अनुसार होगा, बशर्ते कि आयोग द्वारा अनुमोदित के अलावा कोई अतिरिक्त श्रेणी लाइसेंसधारी द्वारा सृजित नहीं की जाएगी।

7- milkksäk dsifjljknieniok; (jx %2

- (1) उपभोक्ता के परिसरों पर वायरिंग का कार्य केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति से संबंधी उपाय), विनियम, 2010 तथा तत्संबंधी संशोधनों में अधिसूचित मानकों की पुष्टि करेगा।
- (2) भू—स्तर से 15 से अधिक मीटर की उंचाई की समस्त बहुमंजिला इमारतें केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय), विनियम, 2010 के खंड 36 तथा तत्संबंधी संशोधनों का भी अनुपालन करेगी
- वायरिंग की केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति से संबंधी उपाय), विनियम, 2010 के खंड 31 के प्रावधानों तथा तत्संबंधी संशोधनों के उनुसार जांच की जाएगी,
- (4) वायरिंग के लिए प्रयुक्त सामग्री भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अथवा उससे अधिक लगाने का अनुपालन किया जाएगा। उपभोक्ता प्रासंगिक नियमों / विनियमों के अनुसार अपने परिसरों के भीतर विद्युत की वायरिंग की संस्थापना के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।
- (5) सभी उपभोक्ता संस्वीकृत भार का ध्यान रखे बिना, जैसा कि आयोग द्वारा अधिसूचित किया जाए उस समय अविध के भीतर अर्थ— लिकेज संरक्षण हेत् उपयुक्त उपकरण लगाएंगे
 - बशर्ते जब तक कोई उपयुक्त अर्थ लिकेज, संरक्षण उपकरण नहीं लगाया गया हो, कोई नया कनेक्शन क्रियाशील नहीं रहेगा।

8- gkekfud MÇEix%&

- (1) सभी उपभोक्ताओं के लिए बाध्यकारी होगा कि प्राधिकरण द्वारा यथा अधिसूचित स्तरों को उनके द्वारा उम्प किए गए विश्लेषणों से निषिद्ध करे, बशर्ते कि आइईईई मानक(एसटीडी—519—1992) जब तक प्राधिकरण द्वारा मानक अधिसूचित नहीं किए जाते तब तक ही लागू रहेंगे।
- (2) यदि लाइसेंसधारी पता लगाता है कि उपभोक्ता की विद्युत प्रणाली अनुमानित सीमा से अधिक हार्मोनिक जनरेट कर रही है तो लाइसेंस धारी को उपभोक्ता से 6 माह के भीतर, उक्त, उप–विनियम(1) के अनुसार अपने संस्थापना के हार्मोनिक नियन्त्रण करने के लिए उपयुक्त उपाय करने की अपेक्षा रहेगी।
- (3) उपभोक्ता हार्मोनिक के नियन्त्रण के लिए किए गए उपायों के बारे में लाइसेंसधारी को सूचित करेगा तथा लाइसेंसधारी सूचना मिलने के दो दिनों के भीतर जांच करेगा, जांच न करने पर यह माना जाएगा कि उपभोक्ता ने कारगर उपाय किए है तथा इस विनियम के प्रावधानों का अनुपालन किया है।
- (4) लाइसेंसधारी स्पॉट पर निरीक्षण के परिणामों के बारे में उपभोक्ता को सूचित करेगा तथा यदि हार्मोनिक अनुमेय सीमा के भीतर है, तो कोई आगामी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(5) उक्त उप—विनियमन(3) निरीक्षण के उपरान्त हार्मोनिक की अनुमेय सीमाओं का अनुपालन न होने पर आयोग द्वारा समय—समय पर यथा अधिसूचित दण्ड की कार्रवाई हो सकती है:

बशर्ते कि, लाइसेंसधारी के काम में, उप—विनियम(3) में निरीक्षण के उपरान्त, किसी उपभोक्ता द्वारा डिम्पिंग हाई हार्मोनिक्स अन्य उपभोक्ताओं को अथवा वितरण प्रणाली के हानिकारक हैं, लाइसेंसधारी आयोग को अवगत कराते हुए, विनियम 51(1) के अंतर्गत नोटिस देकर ऐसे उपभोक्ता की आपूर्ति काट सकता है जब सभी उपभोक्ता हार्मोनिक्स का नियंत्रण करने के लिए उठाए गए अन्य किन्हीं उपाय के बारे में लाइसेंसधारी को सूचित करता है, तो लाइसेंसधारी 2(दो) दिनों के भीतर फिर से निरीक्षण करेगा तथा यदि ऐसे पुनः निरीक्षण के दौरान हार्मोनिक के परिणाम अनुमेय सीमाओं में पाए जाते हैं तो आपूर्ति ऐसे पुनः निरीक्षण के समय से 24 घण्टे के भीतर फिर से जोड़ दी जाएगी।

9- Ýslpk; the ds ek/; e Is fo | r dk forj.k

(1) कोई लाइसेंसधारी इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी फ्रेन्चायज़ी के माध्यम से आपूर्ति के अपने क्षेत्र के भीतर किसी निर्धारित क्षेत्र में विद्युत का वितरण कर सकता है:—

वितरण लाइसेंसधारी द्वारा नियुक्त कोई फ्रेन्चायज़ी विद्युत का वितरण करने के लिए किसी फ्रेन्चायज़ी / उप फ्रेन्चायज़ी को आगे उपनियुक्त नहीं कर सकता है।

- (2) उक्त के होते हुए भी वितरण लाइसेंसधारी ऐसे फ्रेन्चायज़ी के जरिए विद्युत के वितरण से संबंधित सभी मामलों के लिए उपभोक्ता के प्रति एकमात्र जिम्मेदार होगा;
- (3) फ्रेन्चायज़ी, लाइसेंसधारी की ओर से उन कर्त्तव्यों तथा कार्यों का निष्पादन करेगा जो उसे निर्धारित क्षेत्र में विद्युत के वितरण के बारे में लाइसेंसधारी द्वारा सौंपी गई है।

∨/; k; & **III**

u, vk§ ek\$twnk du®'ku

10- u, vk§ ek\$t ink duD'ku: &

1/41½ I k/kkj.k

- (i) लाइसेंसधारी अपनी वेबसाइट पर इन विनियमों के तहत निर्धारित सभी प्रपत्र और प्रारूप अपलोड करेगा।
- (ii) लाइसेंसधारी आवेदक द्वारा कागजी प्रति में और साथ ही ऑनलाइन आवेदन को दाखिल करने और स्वीकार करने के लिए उचित व्यवस्था करेगा।
- (iii) आवेदक आवेदन ऑनलाइन या कागजी प्रति में कर सकते हैं:

बशर्ते जहां आवेदन की हार्ड कॉपी हाथ से जमा की जाती है, लाइसेंसधारी मौके पर आवेदन को सत्यापित करेगा और यदि यह नियमानुसार पाया जाता है, तो दिनांकित रसीद के माध्यम से स्वीकार करेगा, और यदि कमी पाई जाती है, तो आवेदन में कमी के बारे में एक लिखित नोट जारी करेगाः

बशर्ते यह भी कि जहां आवेदन सही डाक पते पर पंजीकृत पोस्ट या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जाता है, यदि कोई भी कमी हो, तो आवेदन पत्र प्राप्त होने के 2 (दो) दिनों के भीतर पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से सही डाक पते पर या पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से इसे सुचित करेगाः

बशर्ते यह भी कि जहां आवेदन ऑनलाइन जमा किया गया हो, एक कम्प्यूटर सिस्टम द्वारा तैयार की गई पावती तुरंत जारी की जाएगी और किसी भी कमी के मामले में आवेदक को आवेदन की प्राप्ति के 2 (दो) दिनों के भीतर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से या पंजीकृत ई—मेल पते पर, जैसा मामला हो, कमी को सुचित किया जाएगा।

- (iv) लाइसेंसधारी अपनी वेबसाइट और इसके सभी कार्यालयों में उपभोक्ता संबंधित जानकारी को प्रमुख रूप से प्रदर्शित करेगाः
 - बशर्ते यह कि अन्य कोई दस्तावेज या शुल्क, जो सूचीबद्ध नहीं किया गया है, आवेदक से अपेक्षित नहीं होगा।
- (v) आवेदक के अनुरोध पर, परिसर के प्रत्येक मंजिल पर मालिक / विधिसम्मत उपभोक्ता को एक स्वतंत्र विद्युत कनेक्शन दिया जाएगा।

- (vi) जहां भी, एक आवास इकाई उप—विभाजित है और अलग—अलग रसोईघरों के साथ—साथ अलग—अलग प्रविष्टि के रूप में उपलब्ध है, विधिसम्मत उपभोक्ता को दूसरा विद्युत कनेक्शन दिया जा सकता है।
- (vii) विद्युत का बिल केवल उपभोक्ता के कब्जे वाले परिसर में विद्युत की आपूर्ति के लिए होगा और इसे परिसर के ऊपर अधिकार या हकदारी के रूप में नहीं माना जाएगा।

1/2½ ∨kond dhigpku dk çek.k% &

निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा:--

- (i) चुनावी पहचान पत्र;
- (ii) पासपोर्ट;
- (iii) ड्राइविंग लाइसेंस;
- (iv) फोटो वाले राशन कार्ड
- (v) आधार कार्ड;
- (vi) पैन कार्ड;
- (vii) किसी भी सरकारी संस्था द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र;
- (viii) यदि आवेदक एक संगठन है, रजिस्ट्रार द्वारा जारी निगमन/पंजीकरण का प्रमाण पत्र और व्यक्ति को प्राधिकृत करने के लिए बोर्ड के प्राधिकार/संकल्प का प्रमाण।

1/3½ ifjlj ds LokfeRo; k vf/kHkkx dk l c#r% &

निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी परिसर के स्वामित्व या कब्जे के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगाः –

- (i) शीर्षक विलेख की प्रमाणित प्रति;
- (ii) पंजीकृत हस्तांतरण विलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि;
- (iii) सामान्य वकालतनामा (जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी / जीपीए);
- (iv) आवंटन पत्र / कब्जा पत्र:
- (v) वैध पट्टा समझौता इस वचन—पत्र के साथ कि पट्टा समझौते पर मालिक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किया गया है;
- (vi) किराया रसीद जो 3 (तीन) महीनों से पहले की नहीं हो, इस वचन-पत्र के साथ कि किराया रसीद पर मालिक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किया गया है;
- (vii) सरकारी निकाय जैसे स्थानीय राजस्व प्राधिकरणों या नगर निगम या डीडीए/एल एंड डी ओ जैसे भू–स्वामित्व वाले अभिकरणों द्वारा जारी नामान्तरण प्रमाणपत्र;
- (viii) उप-विभाजन समझौते;
- (ix) जेजे क्लस्टर्स में या किसी अन्य विशिष्ट नगरपालिका के पते वाले अन्य इलाकों में रहने वाले वास्तविक उपभोक्ताओं के लिए, लाइसेंसधारी या तो ऐसा राशन कार्ड या चुनावी पहचान पत्र स्वीकार कर सकता है जिसमें परिसर के अधिभोग के प्रमाण के रूप में अनिवार्य रूप से एक ही पते की जानकारी हो।

1/4½ mi &foHkkftr l ai fÙk% &

- (i) जहां संपत्ति / परिसर वैध रूप से उप–विभाजित किया गया है, ऐसे उप–विभाजित संपत्ति के संबंधित हिस्से के मालिक / धारक अपने नाम पर स्वतंत्र कनेक्शन प्राप्त करने का हकदार होंगे।
- (ii) लाइसेंसधारी, ऐसे उप—विभाजन के क्षेत्र के आधार पर, या उप—विभाजन समझौते में किए गए उल्लेख के अनुसार वैध रूप से उप—विभाजित संपत्ति के संबंधित हिस्से के लिए अनुपात आधार पर बकाया राशि के भुगतान पर, उस हिस्से के आवेदक को कनेक्शन प्रदान करेगा और लाइसेंसधारी इस तरह के आवेदक के लिए इस आधार पर कनेक्शन से इनकार नहीं करेगा कि इस तरह के परिसर के दूसरे हिस्से (सों) पर बकाया भुगतान नहीं किया गया है और न ही लाइसेंसधारी आवेदक (कों) से दूसरे भाग (गों) के अंतिम भुगतान किए गए बिलों के रिकॉर्ड की मांग करेगा।

1/5½ ekStunk laifÜk dkiqufuækZk%&

परिसर या इमारत के पूर्ण विध्वंस और पुनर्निर्माण के मामले में निम्नलिखित लागू होंगेः

- (i) मौजूदा कनेक्शन से विद्युत की आपूर्ति के उपयोग की अनुमित नहीं दी जाएगी और इसका परिसर के मालिक / अधिभोगी / विकासकर्त्ता द्वारा अनिवार्य रूप से समर्पण किया जाना होगा।
- (ii) मीटर और सर्विस लाइन को निकाल दिया जाएगा, और समझौता केवल लाइसेंसधारी को देय सभी देय राशि को प्राप्त करने के बाद समाप्त होगा और उसके बाद उपभोक्ता की सुरक्षा जमाराशि विधिवत नियमों के अनुसार लाइसेंसधारी द्वारा वापस की जाएगी।
- (iii) परिसर के मालिक, अधिभोगी, विकासकर्त्ता, जैसा मामला हो, अस्थायी कनेक्शन के लिए आवेदन करेगा और लाइसेंसधारी ऐसा अस्थायी कनेक्शन विनियमन 16 के अधीन प्रदान करेगाः

बशर्ते ऐसे सभी मामलों में अस्थायी कनेक्शन इस तरह के परिसर के लिए बकाया राशि, यदि कोई हो, का पूरी तरह से भुगतान किए जाने के बाद प्रदान किया जाएगा।

- (iv) ऐसे पुनर्निर्मित परिसर या भवन को नए परिसर के रूप में माना जाएगा और उपभोक्ता को इन विनियमों के अनुसार नए कनेक्शन के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा।
- (v) इस तरह के पुनर्निर्मित परिसर के लिए कोई नया कनेक्शन, आवेदक द्वारा परिसर के प्रति बकाया देय राशि के विधिवत भुगतान किए जाने के बाद ही दिया जाएगाः

बशर्ते यह कि इस तरह के पुनर्निर्मित भवन का कई मालिकों द्वारा अधिभोग किया जाता है, तो पुनर्निर्मित भवन में ऐसे कई मालिकों के लिए नए कनेक्शन (कनेक्शनों) को इस रूप में माना जाएगा जैसे कि संपत्ति को विनियमन 10 (4) के रूप में उप–विभाजित किया गया है।

1/6½ ekstink laifùk dk uohuhdj.k% &

विनियमन 10 (5) के अधीन, घरेलू उपभोक्ता द्वारा अपने इस्तेमाल के लिए उपयोग की जा रही मौजूदा संपत्ति का नवीकरण निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने की शर्त के अध्यधीन घरेलू श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगाः

- (i) उपभोक्ता लाइसेंसधारी को अग्रिम नोटिस देगा;
- (ii) उपभोक्ता द्वारा इस आशय का एक वचन—पत्र दिया जाएगा कि परिवर्तन / परिवर्धन मौजूदा बिल्डिंग उप—नियमों के अनुसार है;

11- u; k fo | r duD' ku% &

लाइसेंसधारी इन विनियमों में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर, नए कनेक्शन के लिए आवेदन को संसाधित करेगा

1 Hkh nLrkostka ds I kFk vkonu tek djuk% &

(i) आवेदक आयोग के आदेशों में अधिसूचित रूप में नए कनेक्शन के लिए लाइसेंसधारी के पास आवेदन करेगाः

बशर्ते यह कि अतिरिक्त उच्च तनाव या उच्च तनाव वोल्टेज स्तर पर कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले आवेदक पर आयोग के आदेशों में अधिसूचित एक अप्रतिदेय पंजीकरण—सह—प्रसंस्करण शुल्क लगाया जाएगा।

- (ii) आवेदक लाइसेंसधारी की वेबसाइट पर ऑनलाइन नए कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकता है:
- बशर्ते यह कि 50 केवीए और उससे अधिक के लिए नए कनेक्शन के लिए आवेदन, जब तक कि ऐसा कोई अन्य निम्नतर मान नहीं हो जैसा समय—समय पर आयोग द्वारा अधिसूचित किया जाए, केवल ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।
- (iii) यदि आवेदक अनुमोदित विनिर्देशों का अपने खुद का मीटर प्रदान करना चाहता है, तो वह आवेदन करने के समय स्पष्ट रूप से लाइसेंसधारी को सूचित करेगा।
- (iv) लाइसेंसधारी आवेदक को आवेदन पत्र में सभी किमयों को केवल एक बार में बताएगा और बाद में कोई नई कमी नहीं उठाएगा।
- (v) यदि लाइसेंसधारी आवेदक को मौके पर उसके आवेदन में किसी भी कमी के बारे में या ऑनलाइन आवेदन के मामले में निर्धारित 2 (दो) दिनों के भीतर, जैसा भी मामला हो, सूचित करने में विफल रहता है, तो यह आवेदन लाइसेंसधारी द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तारीख पर स्वीकार किया गया समझा जाएगा ।
- (vi) यदि आवेदक इस तरह की त्रुटियों को हटाने में विफल रहता है या किमयों की सूचना मिलने की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर किमयां हटाने के बारे में लाइसेंसधारी को सूचित करने में विफल रहता है, तो आवेदन रद्द हो जाएगा और आवेदक को नए सिरे से आवेदन करना होगा ।

(vii) इस विनियम के तहत सूचित किमयों को दूर करने पर ही आवेदन स्वीकार किया गया माना जाएगा।

1/2½ {k = fujh{k.k% &

- (i) यदि आवेदन प्रपत्र पूरा हो गया है, तो लाइसेंसधारी, आवेदन प्रपत्र प्राप्त होने के समय, लिखित पावती प्रदान करते हुए आवेदक के साथ आपसी परामर्श से आवेदक के परिसर के निरीक्षण के लिए एक तारीख और समय निर्धारित करेगा ।
- (ii) निरीक्षण की तिथि आवेदन स्वीकार करने की तिथि से 2 (दो) दिनों के भीतर निर्धारित की जाएगी:

बशर्ते यह कि अगर आवेदक क्षेत्र निरीक्षण के लिए एक अलग तिथि और समय चाहता है, जो निर्धारित तिथि और समय से परे है, तो आवेदक द्वारा लिया गया अतिरिक्त समय न तो कनेक्शन जारी करने के लिए लिए गए कुल समय की गणना के लिए और न ही क्षतिपूर्ति के प्रयोजनार्थ विचार हेत् लिया जाएगाः

बशर्ते यह कि यदि आवेदक चाहता है, तो वह आयोग के आदेशों में यथा अधिसूचित निरीक्षण शुल्क के भूगतान पर, लाइसेंसधारी के लिए किसी छुट्टी के दिन निरीक्षण निर्धारित करवा सकता है।

- (iii) लाइसेंसधारी नियत तारीख और समय पर आवेदक या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में परिसर के क्षेत्र निरीक्षण करेगा।
- (iv) लाइसेंसधारी को, अगर निरीक्षण पर, निम्नलिखित का पता चलता है तो वह लोड की स्वीकृति नहीं देगाः
 - (क) आवेदन में प्रस्तुत की गई जानकारी वास्तविक स्थिति से भिन्न है, या
 - (ख) स्थापना दोषपूर्ण है या
 - (ग) यदि ऊर्जाकरण किसी भी आयोग या प्राधिकरण द्वारा उनके किसी भी विनियमन या आदेश के तहत यथा निर्दिष्ट या निर्धारित अधिनियम, विद्युत नियमों, विनियमों के उपबंध या किसी अन्य अपेक्षा के उल्लंघन में हो।
- (v) लाइसेंसधारी क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान पाए गए दोषों / किमयों, यदि कोई हो, के बारे में आवेदक को मौके पर लिखित सूचना देगा।
- (vi) आवेदक यह सुनिश्चित करेगा कि दोष / किमयों की सूचना प्राप्त होने से 30 (तीस) दिनों के भीतर सभी दोष / किमयों को दूर कर लिया जाए।
- (vii) आवेदक से दोष / किमयों को दूर करने के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर, लाइसेंसधारी आवेदक के पिरसर के पुनर्निरीक्षण के लिए आवेदक को तिथि के बारे में सूचित करेगा, जो आवेदक से दोष / किमयों को दूर कर लिए जाने के बारे में सूचना प्राप्त होने के 2 (दो) दिनों से अधिक बाद की नहीं होगी।
- (viii) यदि आवेदक ऐसे दोष / किमयों को दूर करने में विफल रहता है या दोष / किमयों की सूचना मिलने की तारीख से 30 दिनों के भीतर दोषों को हटाने के बारे में लाइसेंसधारी को सूचित करने में विफल रहता है, तो आवेदन रह हो जाएगा और आवेदक को नए सिरे से आवेदन करना होगाः
 - बशर्ते यह कि लाइसेंसधारी कार्य के पूरा होने के लिए आवेदक को अतिरिक्त समय दे सकता है, यदि आवेदक दोषों / किमयों की सूचना मिलने की तारीख से 30 (तीस) दिन के अंदर ही लिखित अनुरोध प्रस्तुत करता है।
- (ix) यदि लाइसेंसधारी आवेदन की स्वीकृति की तिथि या स्थल संबंधी दोषोंकिमयों को हटाने की सूचना मिलने की तारीख से 2 (दो) दिनों के भीतर क्षेत्र निरीक्षण / पुनः निरीक्षण करने में विफल रहता है, तो कनेक्शन के लिए आवेदन किया गया लोड आवेदन की स्वीकृति की तारीख से या दोष / किमयों को हटाने की सूचना प्राप्त होने की तिथि से 2(दो) दिन बाद, जैसा भी मामला हो स्वीकृत किया गया माना जाएगा ।

1/3½ ykM Loh—fr ∨k¶ ekax ukM% &

- (i) इस अधिनियम या इन विनियमों में अन्यथा किए गए उपबंधों के सिवाय, लाइसेंसधारी आवेदक द्वारा अनुरोध किए गए लोड को मंजूरी देगा।
- (ii) लाइसेंसधारी क्षेत्र निरीक्षण के 2 (दो) दिनों के भीतर, दोषों / किमयों को सुधार लिए जाने की शर्त के अध्यधीन, लागू शुल्क के लिए आवेदक को मांग नोट देगा जिसमें आवेदन जमा करने के समय, जमा किए गए पंजीकरण सह प्रोसेसिंग शुल्क, यदि कोई हो, के लिए समायोजन करने के बाद, सेवा लाइन सह विकास (एसएलडी) प्रभार, जमानत जमा, पूर्व भुगतान मीटर के लिए जमानत, सड़क पुनर्स्थापना प्रभार, रीकनेक्शन प्रभार आदि जैसे शीर्षों के अंतर्गत इसका विवरण दिया जाएगाः

बशर्ते यह कि ऐसे मामलों में जहां नेटवर्क के संवर्धन के लिए उपभोक्ता का योगदान जरूरी है, क्षेत्रीय निरीक्षण के 10 (दस) दिनों के अंदर लाइसेंसधारी द्वारा मांग नोट जारी किया जाएगा।

- (iii) आवेदक मांग नोट प्राप्त होने के 2 (दो) दिनों के भीतर भ्गतान करेगा।
- (iv) यदि आवेदक को 2 (दो) दिनों के भीतर भुगतान करने में किठनाई आती है, तो आवेदक अधिकतम 15 (पंद्रह) दिनों के समय विस्तार के लिए लाइसेंसधारी से अनुरोध कर सकता है।
- (v) लाइसेंसधारी, इस शर्त के अधीन कि ऊपर उप—विनियमन (iv) के तहत बढ़ाए गए समय को लाइसेंसधारी द्वारा कनेक्शन के ऊर्जाकरण हेतु लिए गए कुल समय की गणना में गिना नहीं जाएगा और न ही उपभोक्ता ऐसे विस्तारित अविध के लिए किसी भी मुआवजे की मांग करने का हकदार होगा, मांग नोट पर पूर्ण भुगतान प्राप्त होने पर कनेक्शन का ऊर्जाकृत करने के लिए बाध्य होगा ।

1/4½ duD'ku dk ÅtkIdj.k%&

¼i½ tgkafo|qrh—r {ks=kaeafo|eku forj.k ç.kkyh lsduD'ku fn;k tkuk g‱k

- (क) ऐसे मामलों में जहां सड़क काटने की अनुमित या रास्ते के अधिकार की आवश्यकता नहीं है, लाइसेंसधारी पूर्ण भूगतान प्राप्त होने की तारीख से 1 (एक) दिन के अंदर कनेक्शन को सक्रिय करेगा।
- (ख) ऐसे मामलों में जहां सड़क काटने की अनुमित या रास्ते के अधिकार की आवश्यकता है, लाइसेंसधारी पूरा भुगतान प्राप्त होने की तारीख से 9 (नौ) दिनों के अंदर कनेक्शन को सिक्रय कर देगाः
 - बशर्ते यह कि यदि सड़क काटने की अनुमित या रास्ते के अधिकार में विलंब वितरण लाइसेंसधारी द्वारा अनुरोध प्रस्तुत करने की तारीख से 2 (दो) दिन से अधिक है, ऐसी देरी को लाइसेंसधारी द्वारा कनेक्शन के लिए सिक्रय करने के लिए लिए गए कुल समय की गणना करते समय नहीं गिना जाएगा और न ही उपभोक्ता ऐसी अविध के लिए किसी भी मुआवजे की मांग करने का हकदार होगा।
- (ग) मौजूदा वितरण प्रणाली से कनेक्शन प्रदान करने के लिए कुल समय इन विनियमों के तहत निर्दिष्ट समय अनुसूची से अधिक नहीं होगा।
- (घ) उदाहरण के लिए, वर्तमान वितरण प्रणाली से ऐसे विद्युतीकृत क्षेत्र में कनेक्शन चालू करने के लिए लिया गया कुल समय है, जहां आवेदन में या क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान कोई कमी नहीं है, इस प्रकार से होगाः

Øe la	fooj .k	I e; kof/k
(i)	आवेदन की स्वीकृति	शून्य तिथि
(ii)	फील्ड निरीक्षण	आवेदन स्वीकृति के 2 दिनों के भीतर
(iii)	लोड स्वीकृति और मांग नोट	क्षेत्र निरीक्षण के 2 दिनों के भीतर
(iv)	मांग नोट का भुगतान	मांग नोट देने के 2 दिनों के भीतर
(v)	कनेक्शन चालू करना, जहां कोई मार्गाधिकार या सड़क काटने की अनुमति आवश्यक नहीं है	भुगतान प्राप्त होने के 1 दिन के भीतर
	कनेक्शन चालू करना, जहां मार्गाधिकार या सड़क काटने की अनुमति आवश्यक है	भुगतान प्राप्त होने के 9 दिनों के भीतर
(vi)	कनेक्शन चालू करने के लिए कुल समय जहां कोई मार्गाधिकार या सड़क काटने की अनुमति आवश्यक नहीं है	आवेदन स्वीकृति के 7 दिनों के भीतर
	कनेक्शन चालू करने के लिए कुल समय जहां मार्गाधिकार या सड़क काटने की अनुमति आवश्यक है	आवेदन स्वीकृति के 15 दिनों के भीतर

¼ii½ duD'ku tgkafo|qrh—r {ks=kareafl LVe vko/klu dh vko'; drk g%

- (क) जब तक मौजूदा वितरण ट्रांसफार्मर पर नए कनेक्शन की लोड क्षमता सहित चरम लोड ट्रांसफार्मर की रेटेड क्षमता के 90% के भीतर और 90% तक आता है, तब तक लाइसेंसधारी नए कनेक्शन से इनकार नहीं करेगा।
- (ख) जैसे ही विद्यमान लागू वितरण ट्रांसफार्मर (रों) पर चरम लोड लगभग इसकी रेटेड क्षमता के 70% तक पहुंचती है, लाइसेंसधारी क्षमता के संवर्धन के लिए उचित कार्रवाई करेगा।
- (ग) उप-खंड (क) के अधीन उपरोक्त, अगर नया कनेक्शन देने के लिए वितरण प्रणाली के आवर्धन की आवश्यकता होती है, तो लाइसेंसधारी आवेदक को उस अनुमानित समय सीमा के बारे में सूचित करेगा जब लागू लोड सक्रिय हो सकता है। इस तरह की समय सीमा निम्नानुसार निर्धारित समय से अधिक नहीं होगी:

(i)	विद्युतीकृत क्षेत्र (जहां पांच खंभों तक लाइन का विस्तार अपेक्षित है)	मांग नोट पर पूर्ण भुगतान प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर
(ii)	विद्युतीकृत क्षेत्रों (जहां लाइनों के विस्तार या वितरण पारेषण क्षमता का आवर्धन, जहां ट्रांसफार्मर का चरम लोड अपनी रेटेड क्षमता के 90% तक पहुंच गया है)	मांग नोट पर पूर्ण भुगतान प्राप्त होने की तारीख से 2 महीने के भीतर।
(iii)	विद्युतीकृत क्षेत्र (जहां नए वितरण ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है)	मांग नोट पर भुगतान प्राप्त होने की तारीख से 4 महीने के भीतर
(iv)	विद्युतीकृत क्षेत्र (जहां मौजूदा 11 केवी नेटवर्क को आवर्धित करने की आवश्यकता है)	मांग नोट पर भुगतान प्राप्त होने की तारीख से 6 माह के भीतर
(v)	विद्युतीकृत क्षेत्र (जहां वर्तमान 66/33 केवी ग्रिड उप—स्टेशन को आवर्धित करने की आवश्यकता है)	

बशर्ते यह कि लाइसेंसधारी समय विस्तार के लिए अनुरोध के समर्थन में विधिवत विवरण प्रस्तुत करते हुए ऐसे विशिष्ट मामलों में निर्दिष्ट समय के विस्तार के लिए आयोग से संपर्क कर सकता है, जहां विद्युतीकरण कार्यों की परिमाण ऐसी है कि उसे अधिक समय की आवश्यकता है।

Viii vfo | rh-r {ks=ks es duD'ku% &

(क) लाइसेंसधारी, प्रत्येक वर्ष की अप्रैल के अंत तक आपूर्ति के अपने लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत अविद्युतीकृत क्षेत्रों की सीमाओं को स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए हर साल 31 मार्च की स्थिति के अनुसार ऐसे क्षेत्रों के अद्यतन विवरण को भौगोलिक नक्शे के साथ अपलोड करेगा :

बशर्ते यह कि लाइसेंसधारी आपूर्ति के अपने लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत अविद्युतीकृत क्षेत्रों की सीमाओं को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए पहली बार 31.07.2017 की स्थिति के अनुसार ऐसे क्षेत्रों के विवरण को भौगोलिक नक्शे के साथ अपलोड करेगाः

बशर्ते यह भी कि 31.07.2017 की स्थिति के अनुसार अविद्युतीकृत क्षेत्रों का विवरण लाइसेंसधारी द्वारा 31.08. 2017 को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और ये आयोग द्वारा इसकी समीक्षा किए जाने तक इसकी वेबसाइट पर बने रहेंगे।

- (ख) लाइसेंसधारी, व्यापार योजना में, अपने आपूर्ति के क्षेत्र के अन्तर्गत अविद्युतीकृत क्षेत्रों का विवरण और नियंत्रण अवधि के दौरान इसके विद्युतीकरण के प्रस्ताव को प्रस्तुत करेगा।
- (ग) लाइसेंसधारी, प्रशुल्क याचिका दाखिल करने के साथ, सेवा कनेक्शन के लिए लंबित आवेदनों की संख्या, भार वृद्धि आदि की संभावना आदि को उपयुक्त रूप से ध्यान में लेते हुए इन क्षेत्रों के विद्युतीकरण की विस्तृत योजना प्रस्तुत करेगा।
- (घ) लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि उस स्थान पर लागू सभी प्रासंगिक कानूनों का अनुपालन किया जाए।
- (ड.) लाइसेंसधारी अविद्युतीकृत क्षेत्रों के विद्युतीकरण को पूरा करेगा और निम्नलिखित के अनुसार निर्दिष्ट समय के भीतर कनेक्शन जारी करेगाः

(i)	जहां समीपस्थ मौजूदा नेटवर्क से कनेक्शन संभव है	आयोग से अनुमोदन प्राप्त होने की तारीख से 4 माह के भीतर, जहां भी आवश्यक हो, जो निम्नलिखित शर्त के अधीन होगाः
		(i) यथास्थिति, डेवलपर या आवेदक से विनियमन 21 के तहत सेवा लाइन सह विकास शुल्क की प्राप्ति हो; और
		(ii) जहां भी आवश्यक हो, मार्गाधिकार और जमीन की उपलब्धता हो।
(ii)	जहां नया नेटवर्क बिछाया जाना है या ग्रिड स्टेशन की	आयोग से अनुमोदन प्राप्त होने की तारीख से 12 माह के भीतर, जहां भी आवश्यक हो, जो निम्नलिखित शर्त के अधीन होगाः
	स्थापना की जरूरत है	(i) यथास्थिति, डेवलपर या आवेदक से विनियमन 21 के तहत सर्विस लाइन सह विकास शुल्क प्राप्त हो; और
		(ii) जहां भी आवश्यक हो, मार्गाधिकार और जमीन की उपलब्धता हो।

बशर्ते यह कि लाइसेंसधारी के अनुरोध पर, आयोग औचित्य और लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत विवरण के आधार पर विशिष्ट मामलों में विद्युतीकरण कार्य के लिए समय के विस्तार की अनुमति दे सकता है:

बशर्ते यह भी कि इस तरह के क्षेत्र का एक बार विद्युतीकरण पूरा हो जाने पर, कनेक्शन के सक्रियन की समयसीमा विद्युतीकृत क्षेत्रों में कनेक्शन के सक्रियन के लिए इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार होगी।

¼iv½ cl&ckj dk mi; kx djdslHkh duD'ku lfØ; fd, tk, xx% &

- (क) अगर किसी एक सेवा लाइन या केबल का उपयोग करके किसी परिसर / परिसर में एक से अधिक कनेक्शन सक्रिय किए जाते हैं, तो ऐसे सभी कनेक्शन अन्य मीटरों से लूप किए बिना केवल बस—बार का उपयोग करके सक्रिय हो जाएंगे।
- (ख) लूप कनेक्शनों के माध्यम से उपलब्ध कराए गए, 18 अप्रैल, 2007 (दिल्ली विद्युत प्रदाय संहिता और अनुपालन मानक विनियम, 2007 की अधिसूचना की तारीख) से पहले सक्रिय किए गए किसी भी विद्यमान कनेक्शन को इन विनियमों के प्रयोज्यता की तारीख से 6 (छः) महीनों के भीतर बस—बार का उपयोग करके सुधारा और पुनः सक्रिय किया जाएगा।
- (ग) उपभोक्ता को यह जांचने का अधिकार होगा कि इसकी मीटर का न्यूट्रल सीधे बस बार से जुड़ा हुआ है और किसी अन्य तरीके से नहीं।
- (घ) उपरोक्त उप—खंड (ख) के अध्यधीन, यदि यह पाया जाता है कि उपभोक्ता के मीटर को बस बार से सीधे नहीं बल्कि न्यूट्रल लूपन के जिरए सक्रिय किया गया है, तो लाइसेंसधारी विनियम के अनुसूची—I में निर्दिष्ट मुआवजे का भुगतान करने के लिए दायी होगा।

WW duD'ku I fØ; djus ea najh ds fy, eavkotk% &

- (क) यदि लाइसेंसधारी निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदक को कनेक्शन प्रदान करने में विफल रहता है, तो लाइसेंसधारी आवेदक को विनियम के अनुसूची-I में निर्दिष्ट मुआवजे का भुगतान करने के लिए दायी होगा।
- (ख) मुआवजे के निर्धारण के लिए, कनेक्शन जारी करने में लिया गया समय निम्नलिखित कारणों से विचाराधीन नहीं लिया जाएगा:—
- (i) यदि किसी भी स्तर पर, आवेदक द्वारा लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से अतिरिक्त समय अवधि की मांग की जाती है; या
- (ii) यदि यह इस तरह के कारणों से है जैसे कि मार्गाधिकार, भूमि का अधिग्रहण, सड़क काटने आदि की अनुमित में देरी, या किसी भी प्रकार की अप्रत्याशित घटना के घटित होने के कारण है, जिस पर लाइसेंसधारी का कोई नियंत्रण नहीं है और देरी के कारण सिक्रयन के लिए निर्दिष्ट अविध के भीतर आवेदक को सुचित किए जाते है; या
- (iii) यदि कार्य पूरा करने के लिए आयोग द्वारा अतिरिक्त समय की अनुमति है।

(ग) यदि लाइसेंसधारी मांग नोट पर भुगतान प्राप्त करने के बाद किसी आवेदक को कनेक्शन प्रदान करने में विफल रहता है, तो लाइसेंसधारी आवेदक को नियमों के अनुसूची—I के अनुसार मुआवजे का भुगतान करेगाः

बशर्ते यह कि लाइसेंसधारी, आवेदक द्वारा मांग नोट पर जमा की गई राशि, लोड स्वीकृत नहीं किए जाने की तारीख से 30 (तीस) दिन के अंदर ब्याज के साथ उसी प्रकार वापस कर देगा जैसाकि जमानत राशि के मामले में लागू होता है।

बशर्ते यह भी कि यदि मांग नोट जारी करने के बाद आवेदक के अपने कारणों से कनेक्शन प्रदान नहीं किया जा सका, तो कोई मुआवजा भुगतान नहीं किया जाएगा और लाइसेंसधारी मांग नोट पर आवेदक द्वारा जमा राशि वापस करेगा।

//wi// fofu; e 10 1/31/2 //w v/ks/ vi// ds vul/ kj vf/kHkks/ ij vk/kkfjr fo/gr duD'ku% &

(क) लाइसेंसधारी इस तरह के आवेदक को पूर्व भुगतान मीटर के लिए आयोग के आदेशों में अधिसूचित रूप में एक प्रतिदेय जमानत राशि प्रभारित करके केवल पूर्व भुगतान मीटर के जरिए विद्युत कनेक्शन प्रदान करेगाः

बशर्ते यह कि अगर आवेदक द्वारा मांग की गई लोड 45 किलोवाट से अधिक है, तो लाइसेंसधारी पोस्ट—पेड मीटर के माध्यम से कनेक्शन प्रदान कर सकता है:

- (ख) विद्युत कनेक्शन उक्त पट्टा समझौते को लागू रहने की अवधि के दौरान अथवा अधिभोगी और मालिक द्वारा पट्टे की पारस्परिक रूप से विस्तारित अवधि के दौरान वैध होगा।
- (ग) लाइसेंसधारी, पट्टा समझौते की समाप्ति पर विद्युत कनेक्शन को काट देगा, यदि इसे विस्तारित न किया गया हो।
- (घ) अगर अधिमोग का सबूत किराए की रसीद है, इस वचनपत्र के साथ कि मालिक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किराए के रसीद पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो विद्युत कनेक्शन मालिक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के अनुरोध पर काट दिया जाएगाः

बशर्ते यह कि स्वामी या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कम से कम एक महीने की अवधि की नोटिस लाइसेंसधारी और अधिभोगी को दी जाएगी।

(ड) डिस्कनेक्शन के समय, यदि प्री—पेमेंट मीटर दोषपूर्ण /क्षतिग्रस्त नहीं है, तो लाइसेंसधारी डिमांड ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सिस्टम के माध्यम डिस्कनेक्शन से 7 (सात) दिनों के भीतर पूर्व भुगतान मीटर के लिए ली गई जमानत शेष राशि के साथ वापस करेगा।

12- , dy fangij vki fr‰

- (1) लाइसेंसधारी, यदि अनुरोध किया जाता है, तो कई उपभोक्ताओं / लाभार्थियों वाले परिसर में एकल बिंदु आपूर्ति प्रदान करेगा, जैसेः
 - (i) बह्मंजिला भवन।
 - (ii) किसी भी डेवलपर द्वारा विकसित आवासीय परिसर।
 - (iii) किसी डेवलपर द्वारा विकसित और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित आवासीय सह वाणिज्यिक परिसर
 - (iv) ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज
 - (v) वाणिज्यिक या औद्योगिक परिसर
 - (vi) अपने कर्मचारियों के लिए किसी भी नियोक्ता द्वारा बनाए गए आवासीय परिसरः

बशर्ते इस विनियमन के प्रावधान डेवलपर द्वारा बेचे या पट्टे पर रखे गए ऐसे परिसर के किसी भी हिस्से के रहने वाले / किसी भी भाग / यूनिट के अधिभोगी व्यक्ति के उस क्षेत्र के लाइसेंसधारी से सीधे विद्युत की आपूर्ति मांगने के अधिकार को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा ।

- (2) डेवलपर या पंजीकृत एसोसिएशन द्वारा अलग—अलग मीटर स्थापित करके व्यक्तिगत लाभार्थियों को और सामान्य सेवा के लिए आपूर्ति प्रदान की जाएगी।
- (3) डेवलपर या पंजीकृत एसोसिएशन लागू शुल्क दर और ऊर्जा की लागत के अनुसार प्रभार व्यक्तिगत लाभार्थियों से एकत्र करेगा और ऐसे समय के भीतर जो बिल में इंगित किया जाए, बिल के अनुसार आपूर्ति के ऐसे एकल बिंदू पर उपयोग की गई पूरी विद्युत के प्रभार का भृगतान करेगा।
- (4) व्यक्तिगत लाभार्थियों से प्रभारित प्रशुल्क संगत श्रेणी के लिए प्रशुल्क आदेश में अधिसूचित लागू प्रशुल्क के अनुसार होंगे।

- (5) विभिन्न उपभोक्ताओं वाले ऐसे परिसर में व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए कनेक्शन प्रदान करना और उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार विद्युत की खपत का बंटवारा, ऊर्जा की आपूर्ति का अनिधकृत विस्तार या पुनर्विक्रय नहीं माना जाएगा।
- (6) आंतरिक वितरण नेटवर्क के रखरखाव और व्यक्तिगत लाभार्थियों को सेवाएं प्रदान करना, डेवलपर या पंजीकृत एसोसिएशन, जैसा मामला हो, की जिम्मेदारी होगी ।

(Li "Vhdj.k% —पंजीकृत एसोसिएशन का मतलब रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, दिल्ली / सोसायटी अधिनियम, 1860 के पास पंजीकृत निवासी कल्याण संघ या कोई भी अन्य समान संस्था है जो कॉम्प्लेक्स के भीतर विभिन्न सामान्य स्विधाओं / सेवाओं के प्रबंधन से संबंधित है।)

13- 0; fäxr duD'ku ds fy, , dy fcnq duD'ku dk : i krj.k% &

- (1) व्यक्तिगत कनेक्शन के लिए एकल बिंदु कनेक्शन के रूपांतरण चाहने वाला संबंधित डेवलपर या पंजीकृत एसोसिएशन, मौजूदा सिंगल पॉइंट डिलिवरी कनेक्शन के समर्पण के संबंध में संकल्प की एक प्रमाणित प्रतिलिपि, लाइसेंसधारी को प्रस्तुत करेगा। ऐसे मामलों में, विनियमन 14 के अनुसार पूर्ण रूपांतरण के लिए निर्दिष्ट प्रक्रिया लागू होगी।
- (2) यदि व्यक्तिगत उपमोक्ताओं से विद्युत की प्रत्यक्ष आपूर्ति के लिए लाइसेंसधारी द्वारा आवेदन प्राप्त होते हैं, लाइसेंसधारी संबंधित डेवलपर या पंजीकृत एसोसिएशन के साथ प्रत्यक्ष आपूर्ति के पहले आवेदन की प्राप्ति की तारीख के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर एक संयुक्त सर्वेक्षण करेगा। सर्वेक्षण के दौरान, लाइसेंसधारी उचित योजना बनाने और आपूर्ति प्रदान करने के लिए, लिखित सहमित के माध्यम से ऐसे अतिरिक्त आवेदकों की संभावना का पता लगाएगा जो प्रत्यक्ष आपूर्ति का विकल्प चुनना चाहते हैं।
- (3) यदि संयुक्त सर्वेक्षण आयोजित करने के बाद, यह पाया जाता है कि लाइसेंसधारी से प्रत्यक्ष आपूर्ति चाहने वाले सोसायटी के सदस्यों की संख्या, सोसायटी के कुल सदस्यों की संख्या का 2/3 या अधिक है, तो पूर्ण सोसायटी को प्रत्यक्ष आपूर्ति लेने के लिए परिवर्तित किया जाएगा, और विनियमन 14 के अनुसार पूर्ण रूपांतरण के लिए निर्दिष्ट प्रक्रिया लागू होगी।
- (4) यदि संयुक्त सर्वेक्षण आयोजित करने के बाद, यह पाया जाता है कि लाइसेंसधारी से प्रत्यक्ष आपूर्ति चाहने वाले सोसायटी के सदस्यों की संख्या, सोसायटी के कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 से कम है, तो विनियमन 15 के अनुसार आंशिक रूपांतरण के लिए निर्दिष्ट प्रक्रिया लागू होगी।
- (5) उपरोक्त के बावजूद, उपरोक्त संयुक्त सर्वेक्षण के दौरान प्रत्यक्ष आपूर्ति का विकल्प नहीं लेने वाले सदस्यों से विद्युत की प्रत्यक्ष आपूर्ति के लिए कोई और आवेदन अन्य आवेदकों के विद्युत सिक्रयन की तारीख से अगले 5 (पांच) वर्ष तक स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस शर्त को स्पष्ट रूप से सर्वेक्षण प्रपत्र में उल्लिखित किया जाएगा।
- (6) लाइसेंसधारी एकल बिंदु कनेक्शन के सभी लाभार्थी सदस्यों की सूची की मांग करेगा और डेवलपर या पंजीकृत एसोसिएशन, जैसा भी मामला हो, इसे प्रदान करेंगे।
- (7) डेवलपर या पंजीकृत एसोसिएशन लाइसेंसधारी या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों को एकल बिंदु कनेक्शन के व्यक्तिगत कनेक्शन में रूपांतरण और अन्य सेवाओं जैसे नेटवर्क के रखरखाव, निरीक्षण, मीटर आदि का पठन से संबंधित किसी गतिविधि के लिए परिसर में पहुंच प्रदान करेंगे ।

14- , dy fcnq duD'ku ds 0; fäxr duD'ku en i wkl: ikrj.k dh çfØ; k% &

- (1) संबंधित डेवलपर या पंजीकृत एसोसिएशन मौजूदा एकल बिंदु (सिंगल पॉइंट) डिलिवरी कनेक्शन के समर्पण के संबंध में संकल्प की प्रमाणित प्रतिलिपि लाइसेंसधारी को प्रस्तुत करेंगे:
 - बशर्ते यह कि, विनियमन 13 (3) के तहत संयुक्त सर्वेक्षण के परिणाम के आधार पर पूर्ण रूपांतरण के मामले में, मौजदा सिंगल पॉइंट डिलिवरी कनेक्शन के समर्पण के संबंध में इसे ही संकल्प समझा जाएगा।
- (2) ऐसा कोई भी कनेक्शन जो एकल बिंदु वितरण से व्यक्तिगत कनेक्शन में परिवर्तित किया गया है, इसके बाद एकल बिंद् कनेक्शन पर वापस लौटने का हकदार नहीं होगा।
- (3) प्रत्यक्ष आपूर्ति चुनने वाले सोसायटी के सभी सदस्य इन विनियमों में विनिर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार लाइसेंसधारी से व्यक्तिगत रूप से विद्युत की प्रत्यक्ष आपूर्ति के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करेंगे। यदि सोसायटी के किसी सदस्य से आवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो उस सदस्य की आपूर्ति कटी रहेगी।
- (4) संबंधित डेवलपर या पंजीकृत एसोसिएशन आम सेवाओं के लिए अलग कनेक्शन के लिए आवेदन करेंगे। अगर संबंधित डेवलपर या पंजीकृत एसोसिएशन ने पहले ही आम सेवाओं के लिए कनेक्शन अलग से लिया है, तो वहीं कनेक्शन जारी रखा जा सकता है।
- (5) लाइसेंसधारी को डीजल जेनरेटर (डीजी) सेट जैसी अतिरिक्त व्यवस्था के लिए व्यवस्था प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होगी। डेवलपर या पंजीकृत एसोसिएशन, यदि आवश्यक हो, स्टैंडबाय आपूर्ति जैसे डीजी

- सेट के लिए अलग नेटवर्क की व्यवस्था करेंगे। स्टैंडबाय आपूर्ति के किसी भी स्रोत को प्रत्येक आवेदक के मीटर / एमसीबी से बाहर चेंजओवर स्विच की उपयुक्त व्यवस्था के साथ प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी।
- (6) लाइसेंसधारी सोसायटी के मौजूदा वितरण प्रणाली जैसे कि ट्रांसफार्मर, संबद्ध उपकरण, और मीटर आदि का निरीक्षण करेगा ।
- (7) डेवलपर या पंजीकृत एसोसिएशन लाइसेंसधारी को बिना किसी कीमत पर ट्रांसफार्मर, आवश्यक उपकरणों, जैसाकि अपेक्षित हो, स्थापित करने के लिए एक सुविधाजनक स्थान पर पर्याप्त जगह उपलब्ध कराएंगे।
- (8) लाइसेंसधारी किसी भी मौद्रिक मुआवजे के बिना मौजूदा वितरण परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए डेवलपर या पंजीकृत एसोसिएशन के साथ एक समझौता करेगा।
- (9) वितरण प्रणाली के दोहराव से बचने के लिए और जहां तक संभव हो, लाइसेंसधारी, डेवलपर या पंजीकृत एसोसिएशन को कोई मौद्रिक मुआवजा दिए बिना संबंधित डेवलपर या पंजीकृत एसोसिएशन से मौजूदा वितरण प्रणाली को मौजूदा एकल बिंदु वितरण कनेक्शन के समर्पण के संबंध में यथास्थिति संकल्प या संयुक्त सर्वेक्षण पूरा होने की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर अधिग्रहित कर लेगा और वितरण प्रणाली, उसके बाद, लाइसेंसधारी के स्वामित्व में होगी और उसके द्वारा संचालित और रखरखाव की जाएगी। उपकरणों के लेन—देन को ठीक से प्रलेखित किया जाएगा।
- (10) लाइसेंसधारी द्वारा अधिग्रहित मौजूदा वितरण प्रणाली की लागत को नियमन 21 (1) के तहत डेवलपर या पंजीकृत एसोसिएशन से अपेक्षित सांकेतिक वित्तपोषण माना जाएगाः
 - बशर्ते यह कि यदि लाइसेंसधारी द्वारा अधिगृहीत परिसंपत्ति का मूल्य संबंधित डेवलपर या पंजीकृत एसोसिएशन की बैलेंस शीट में उपलब्ध है, तो आयोग द्वारा निर्धारित पद्धति के आधार पर अतिरिक्त मरम्मत और रखरखाव की गणना के लिए ऐसी परिसंपत्तियों का मूल्य लिया जा सकता है:
 - बशर्ते आगे यह कि यदि ऐसा कोई डेटा उपलब्ध नहीं है, तो लाइसेंसधारी आयोग द्वारा जारी की गई लागत डेटा पूंजी के आधार पर संबंधित डेवलपर या पंजीकृत एसोसिएशन से अधिगृहीत परिसंपत्तियों के सांकेतिक मूल्य की गणना कर सकता है।
- (11) लाइसेंसधारी अपने मीटर स्थापित करना शुरू कर देगा जो मौजूदा एकल बिंदु वितरण कनेक्शन के समर्पण के संबंध में, यथास्थिति संकल्प या संयुक्त सर्वेक्षण के पूरा होने की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने के दो महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।
- (12) लाइसेंसधारी द्वारा मीटर की स्थापना के समय, संबंधित डेवलपर या पंजीकृत एसोसिएशन तथा साथ ही व्यक्तिगत उपभोक्ता पुराने मीटर की रीडिंग के साथ—साथ नए मीटर की प्रारंभिक रीडिंग को नोट करेंगे।
- (13) लाइसेंसधारी वितरण नेटवर्क को अधिगृहीत करने से दो महीने की अविध समाप्त होने के बाद महीने के पहले दिन से अपनी बिलिंग शुरू कर देंगे। महीने के पहले दिन से दो महीने पहले के इस अविध के दौरान, संबंधित डेवलपर या पंजीकृत एसोसिएशन अपने मीटरों के संबंधित रीडिंग और लाइसेंसधारी द्वारा स्थापित मीटर की रीडिंग, जैसा कि मामला हो, के आधार पर बिल प्रस्तुत करेंगे।
- (14) अपने बिलिंग की शुरुआत के दिन लाइसेंसधारी, संबंधित डेवलपर या पंजीकृत एसोसिएशन और उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि के साथ मिलकर आरंभिक रीडिंग रिकॉर्ड करेगा।
- (15) लाइसेंसधारी मौजूदा सिंगल पॉइंट डिलीवरी कनेक्शन के समर्पण के संबंध में संकल्प की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति के चार महीने के अंदर, यदि आवश्यकता हो, तो सिस्टम का आवर्धन करेगा और सोसायटी के भीतर सड़क भरने / पुनरूद्धार की लागत, मलबा हटाने, नए उप—स्टेशन का निर्माण आदि सहित ऐसे अतिरिक्त व्यय को इस प्रकार संभाला जाएगा जैसािक किसी अन्य आवर्धन योजना में होता है:
 - बशर्ते यह कि लाइसेंसधारी समय विस्तार के अनुरोध के समर्थन में औचित्य को उचित तरीके से प्रस्तुत करते हुए ऐसे विशिष्ट मामलों में निर्दिष्ट समय के विस्तार के लिए आयोग से संपर्क कर सकता है, जहां आवर्धन कार्यों का परिमाण इतना है कि उसे अधिक समय की आवश्यकता होती है।
- (16) लाइसेंसधारी प्रणाली के अधिग्रहण की तारीख से तीन महीने के भीतर समर्पण किए गए एकल बिंदु वितरण कनेक्शन की जमानत राशि वापस करेगा।
- (17) रूपांतरण के समय सोसायटी का प्रत्येक सदस्य लाइसेंसधारी को जरूरी जमानत राशि का भृगतान करेगा।
- 15- 0; fäxr dub'ku en, dy fcnqdub'ku ds vkf'kd : i krj.k dh çfØ; k%
 - यदि संयुक्त सर्वेक्षण करने के बाद लाइसेंसधारी से प्रत्यक्ष आपूर्ति चाहने वाले सोसायटी के सदस्यों की संख्या सोसायटी के कुल सदस्यों की 2/3 से कम हो, तो निम्नलिखित लागू होगा:-
 - (1) प्रत्यक्ष आपूर्ति चुनने वाला सदस्य लाइसेंसधारी से प्रत्यक्ष आपूर्ति करने के लिए डेवलपर या पंजीकृत एसोसिएशन से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा।

- (2) ऐसे सदस्य ट्रांस्फॉर्मरों, संबद्ध उपकरणों और मीटरों, यदि अपेक्षित हो, को स्थापित करने के लिए, जिसकी कोई भी लागत लाइसेंसधारी द्वारा वहन नहीं की जाएगी, सुविधाजनक जगह पर पर्याप्त जगह उपलब्ध कराने हेतु संबंधित डेवलपर या पंजीकृत एसोसिएशन की सहमति प्रदान करेगा/करेंगे।
- (3) कनेक्शन प्रदान करने के लिए अपेक्षित लागत की 50% लागत आवेदकों हेतु स्वीकृत लोड के अनुपात में ऐसे आवेदकों द्वारा वहन की जाएगी।
- (4) रूपांतरण के समय में जमानत राशि आवेदक (ओं) द्वारा देय होगी।

16- ∨LFkk; h duÐ'ku%−

(1) लाइसेंसधारियों को ऐसी जगहों पर विवाह, धार्मिक कार्य, निर्माण गतिविधियों, प्रदर्शनियों, सांस्कृतिक कार्यों आदि जैसे अल्पकालिक आवश्यकताओं के लिए अस्थायी कनेक्शन देना होगा जहां लाइसेंसधारी के डिस्ट्रिब्युशेन मेन अस्तित्व में हैं:

बशर्ते यह कि जहां डिस्ट्रिब्यूशेन मेन उपलब्ध नहीं है, अस्थायी आपूर्ति को नियमन 11 (4) (ii) और 11 (4) (iii) के तहत क्षेत्र के विद्युतीकरण की शर्त के अधीन दिया जाएगाः

बशर्ते यह भी कि अस्थायी कनेक्शन केवल कम तनाव (लो टेन्शन) और उच्च तनाव (हाई टेन्शन) श्रेणियों के मामले में दिया जाएगा।

- (2) आवेदक आयोग के आदेशों में निर्धारित प्रारूप में अस्थायी कनेक्शन के लिए अनुरोध करेगा।
- (3) लाइसेंसधारी अस्थायी कनेक्शन प्रदान करने हेतु, यदि अपेक्षित हो, आवेदक को संबंधित अधिकारियों जैसे कि विद्युत निरीक्षक या स्थानीय प्राधिकारी आदि से अनापत्ति प्रमाण पत्र या अनुमित प्राप्त करने के लिए सूचित करेगा।
- (4) आवेदक एक घोषणा देगा कि अपेक्षित अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) या परिमट, यदि उस गतिविधि के लिए जरूरी है जिसके लिए कनेक्शन हेत् आवेदन किया गया है, उपलब्ध है:
 - बशर्ते यह कि यदि लाइसेंसधारी को यह पता चल जाता है कि कनेक्शन के सक्रियन के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई परिमट या एनओसी वापस ले लिया गया है, तो आपूर्ति तुरंत उपभोक्ता को सूचना देते हुए काट दी जाएगी और परिमट या एनओसी बहाल होने के बाद ही इसे फिर से जोड़ा जाएगा।
- (5) लाइसेंसधारी आवेदन प्राप्त होने के 2 (दो) दिनों के भीतर निरीक्षण कार्य करेगा और अपने डिस्ट्रिब्यूशेन मेन और आवेदक की स्थापित प्रणाली से आवेदन किया गया कनेक्शन दिए जाने की तकनीकी व्यवहार्यता की जांच करेगा।
- (6) यदि कनेक्शन तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं पाया जाता है, तो लाइसेंसधारी आवेदन पत्र प्राप्त होने के 3 (तीन) दिनों के भीतर आवेदक को इसके लिए कारण बताते हुए लिखित रूप में सूचित करेगाः
 - बशर्ते यह कि 20 किलोवाट तक का कोई कनेक्शन वहां केवल तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा, जहां थ्री फेज नेटवर्क उपलब्ध है और 10 किलोवाट तक का कोई कनेक्शन वहां केवल तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा, जहां केवल एकल फेज वितरण नेटवर्क उपलब्ध है।
- (7) यदि यह लाइसेंसधारी द्वारा निरीक्षण में पाया जाता है कि आवेदक की अधिष्ठापन में दोष या किमयां हैं, तो लाइसेंसधारी आवेदक को मौके पर हस्ताक्षर सहित लिखित में, अधिष्ठापन में दोष या किमयों के बारे में सूचित करेगा।
- (8) आवेदक, दोष या किमयों को सुधारने के बाद, इस तथ्य को लिखित में लाइसेंसधारी को सूचित करेगा और लाइसेंसधारी दोषों के सुधार की सूचना मिलने के 2 (दो) दिनों के भीतर फिर से जांच करेगा।
- (9) यदि कनेक्शन संभव पाया जाता है, तो लाइसेंसधारी निरीक्षण या पुनः निरीक्षण, जैसा भी मामला हो, के 3 (तीन) दिन के भीतर लोड को मंजूरी देगा और आयोग के आदेशों में अधिसूचित दर पर निम्नलिखित शुल्क के लिए एक मांग नोट जारी करेगाः
 - (i) उपभोग्य सामग्रियों, वापस नहीं किए जा सकने वाले उपकरणों आदि के लिए एक बार गैर-वापसीयोग्य शुल्क ।
 - (ii) प्री-पेमेंट मीटर के लिए अप्रतिदेय जमानत राशि
 - (iii) जहां कनेक्शन पोस्ट—पेड मीटर के माध्यम से प्रदान किया गया है, विद्युत की आपूर्ति के लिए जमानत राशिः

बशर्ते यह कि ऐसे मामलों में जमानत राशि का आकलन एक दिन में 18 घंटे तक लोड के उपयोग पर विचार करते हुए, अस्थायी कनेक्शन के लिए आवेदित दिन से दोगुनी अवधि या दो महीने की अवधि के लिए, जो भी कम हो, लागू प्रशुल्क दरों पर किया जाएगा।

- (10) आवेदक मांग नोट की प्राप्ति के 2 (दो) दिनों के भीतर भुगतान करेगा और ऐसा न करने पर मंजूरी रद्द हो जाएगी।
- (11) लागू शुल्क के भुगतान की प्राप्ति के बाद, लाइसेंसधारी आवेदन में दी गई तारीख के अनुसार कनेक्शन को सक्रिय करेगा।
- (12) अस्थायी कनेक्शन एक समय में अधिकतम 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा जो, यदि आवश्यक हो, तो आगे बढाया जा सकता है।
- (13) अस्थायी कनेक्शन केवल पूर्व भुगतान मीटर का उपयोग करके प्रदान किया जाएगा; परंतु यह कि यदि आवेदक द्वारा मांग की गई लोड 45 किलोवाट से अधिक है, तो लाइसेंसधारी पोस्ट-पेड मीटर के माध्यम से अस्थायी कनेक्शन प्रदान कर सकता है।
- (14) अस्थायी कनेक्शन की अवधि के विस्तार के लिए, उपभोक्ता अस्थायी कनेक्शन की समाप्ति की तारीख से कम से कम 1 (एक) दिन पहले लिखित में लाइसेंसधारी को आवेदन करेगा।
- (15) लिखित अनुरोध प्राप्त होने और लागू विद्युत शुल्क के भुगतान पर यदि संभव हो तो लाइसेंसधारी विस्तार दे सकता है।
- (16) आवेदक आपूर्ति शुरू करने की मूल रूप से स्वीकृत तिथि से कम से कम 5 (पांच) दिन पहले लाइसेंसधारी के पास आवेदन करके, मूल मंजूरी की तारीख से अधिकतम एक महीने बाद की तारीख तक अस्थायी कनेक्शन का उपयोग करने की तिथि को आस्थिगित करवा सकता है । हालांकि, एक माह से आगे कोई और स्थगन अनुमेय नहीं होगा। अगर ऐसी आस्थिगित अविध के भीतर अस्थायी कनेक्शन का लाभ नहीं लिया जाता है, तो आवेदन रद्द कर दिया जाएगा और वापस न किए जाने वाले शुल्क से संबंधित कोई भी भुगतान जब्त कर लिया जाएगा।
- (17) अस्थायी कनेक्शन को प्रदान किए जाने से स्थायी कनेक्शन का दावा करने के लिए आवेदक का कोई अधिकार नहीं बनेगा।
- (18) अस्थायी कनेक्शन की अवधि या विस्तारित अवधि पूरी होने पर समाप्त हो जाएगा और लाइसेंसधारी ऊर्जा खपत के आधार पर बिल को अंतिम रूप दे देगा और जमानत राशि सहित शेष राशि, यदि कोई हो, और यदि पूर्व भुगतान मीटर दोषपूर्ण / क्षतिग्रस्त नहीं है, तो पूर्व भुगतान मीटर की जमानत राशि डिमांड ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम के माध्यम से 7 (सात) दिनों के भीतर वापस करेगा ।

17- ekstink du® ku% &

1/11/2 duD'ku dk gLrkrj.k

- (i) यदि किसी भी आवेदक को किसी कारण से कनेक्शन के हस्तांतरण की आवश्यकता होती है जैसे संपत्ति के स्वामित्व या अधिभोग में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन, कानूनी उत्तराधिकारी को हस्तांतरण आदि, तो वह आयोग के आदेशों में अधिसूचित निर्धारित प्रारूप में लाइसेंसधारी के पास आवेदन करेगा।
- (ii) आवेदन में किसी भी कमी को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा। आवेदन केवल ऐसे किमयों को हटाने पर ही स्वीकार किया जाएगा।
- (iii) कनेक्शन के हस्तांतरण के लिए अनुरोध तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक संबंधित कनेक्शन के संबंध में सभी वसूली योग्य बकाया का पूरी तरह से भूगतान नहीं किया जाताः
 - बशर्ते यह कि एक बार कनेक्शन हस्तांतरित हो जाने के बाद, नए उपभोक्ता से कोई बकाया देय / बकाया वसूल नहीं किया जाएगा।
- (iv) आवेदन की स्वीकृति या बकाए के समाशोधन, जो भी बाद में हो, के बाद आवेदक के नाम का परिवर्तन दो बिलिंग चक्रों के भीतर कर लिया जाएगा।
- (v) यदि आवेदक के नाम का परिवर्तन दो बिलिंग चक्रों के भीतर नहीं होता है, तो उपभोक्ता मुआवजे की मांग का हकदार होगा और लाइसेंसधारी विनियम के अनुसूची—I में निर्दिष्ट किए गए अनुसार मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

½½ miHkksäk ds vugik√k ij ykM l no/kLu% &

- (i) आवेदक आयोग के आदेशों में अधिसूचित प्रारूप में लोड वृद्धि के लिए आवेदन करेगा।
- (ii) विद्युत कनेक्शन जारी करने के लिए विनियमन 11 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

(iii) अगर लोड बढ़ाने की प्रभावी तिथि बिलिंग चक्र के बीच होती है, तो लाइसेंसधारी उस बिलिंग चक्र के दौरान यथानुपात आधार पर बिल प्रस्तुत करेगा।

M3½ miHkksäk ds vugik√k ij ykM ¼Hkkj½ dVk5⁻h% &

- (i) लोड कटौती के लिए आवेदन 100 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए मूल सक्रियन से केवल छह माह के बाद, और 100 किलोवाट से अधिक कनेक्शन के लिए मूल सक्रियन से केवल 1 (एक) वर्ष बाद स्वीकार किया जाएगा। इसके बाद लोड कम करने के लिए आवेदन विनियमन 17 (4) (vii) के अनुसार अगले छह महीनों में एक बार या 6 (छह) महीने के लॉक—इन अविध के बाद, जैसा भी मामला हो, स्वीकार किया जाएगा।
- (ii) आवेदक आयोग के आदेशों में निर्धारित प्रारूप में लाइसेंसधारी को लोड में कमी के लिए आवेदन करेगा।
- (iii) लाइसेंसधारी, सत्यापन के बाद, इस तरह के आवेदन की स्वीकृति की तिथि से 10 (दस) दिनों के भीतर घटे हुए लोड को मंजूरी देगा।
- (iv) लोड की कमी अगले बिलिंग चक्र से दिखाई देगी।
- (v) अगर लोड में कमी की प्रभावी तारीख बिलिंग चक्रों के बीच में पड़ती है, तो लाइसेंसधारी उस बिलिंग चक्र के दौरान यथानुपात आधार पर बिल प्रस्तुत करेगा।
- (vi) लोड की कमी पिछले 12 (बारह) महीनों के किसी भी 4 (चार) लगातार महीनों की अधिकतम मांग रीडिंग के उच्चतम औसत तक सीमित होगी।
- (vii) अगर उक्त अवधि के भीतर लोड में कमी को मंजूरी नहीं दी जाती है, तो उपभोक्ता को मुआवजे की मांग करने का हक होगा और लाइसेंसधारी विनियमन के अनुसूची—I में निर्दिष्ट किए गए अनुसार मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) ykbl sl/kkjh }kjk Loh-r yksM@l sfonk ekax dh l eh{kk% &

(i) स्वीकृत लोड या संविदा मांग, जैसा भी मामला हो, के संशोधन के मामले में, लाइसेंसधारी पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात 1 अप्रैल से 31 मार्च, में किसी भी लगातार चार कैलेंडर महीने को सिम्मिलित करने वाले बिलिंग चक्र के अनुसार दर्ज उच्चतम डिमांड रीडिंग के औसत का उच्चतम मान लेगा, जो जैसाकि नीचे उदाहरण में दर्शाया गया है, निचले पूर्णांक में परिवर्तित किया जाएगाः

बशर्ते यह कि बिलिंग चक्र की अवधि इन विनियमों में निर्दिष्ट अवधि से अधिक नहीं होगी:

बशर्ते यह भी कि न्यूनतम स्वीकृत लोड 1 किलोवाट होगा।

mnkgj.k %d/% &

- पिछले वित्तीय वर्ष में स्वीकृत लोडः 4 किलोवाट
- एमडी रीडिंग की उच्चतम औसतः> 4 किलोवाट और <5 किलोवाट
- संशोधित स्वीकृत लोड के लिए पूर्णांकः 4 किलोवाट

mnkgj.k ¼[k//////// &

- पूर्व वित्तीय वर्ष में स्वीकृत भारः 4 किलोवाट
- एमडी रीडिंग की उच्चतम औसतः> 6 किमी और <7 किलोवाट
- संशोधित स्वीकृत लोड के लिए पूर्णांकः 6 किलोवाट

mnkgj.k 1/2x1/1/2 &

पूर्व वित्तीय वर्ष में स्वीकृत लोडः 4 किलोवाट

- एमडी रीडिंग की उच्चतम औसत :> 3 किलोवाट और < 4 किलोवाट
- संशोधित स्वीकृत लोड के लिए पूर्णांकः 3 किलोवाट
- (ii) उपरोक्त उपखंड (i) के अनुसरण में, परिकलित संशोधित लोड यदि स्वीकृत लोड या संविदा मांग, जैसा भी मामला हो, से अधिक हो, तो लाइसेंसधारी को स्वीकृत लोड या संविदा मांग में प्रस्तावित वृद्धि के बारे में उपभोक्ता को एक अलग सूचना जारी करनी होगी। नोटिस में बढ़ायी गई जमानत राशि तथा स्वीकृत भार या संविदा मांग में इस तरह की वृद्धि के लिए, जैसा कि मामला हो, सेवा लाइन में बदलाव, यदि कोई हो, की स्थिति में अंतर सेवा लाइन कम विकास (एसएलडी) शुल्क के ब्योरे के साथ

विचाराधीन लिए गए लगातार बिलिंग चक्र (चक्रों) में सटीक रीडिंग का ब्योरा अधिनियम के अनुसार दिया जाएगा और यह शुल्क उपभोक्ता द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर जमा कराया जा सकता है।

- (iii) घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के मामले में, यदि ऊपर उपखंड (i) के अनुसार ग्राहक के संबंध में गणना की गई लोड स्वीकृत लोड या संविदा मांग, जैसा भी मामला हो, से कम है, तो लाइसेंसधारी उपभोक्ता को यह विवरण और जानकारी देते हुए कि उसकी अधिकतम मांग मंजूर लोड या संविदा मांग से कम है, एक अलग नोटिस के माध्यम से लोड कम करने के लिए उपभोक्ता की सहमति मांगेगाः
 - बशर्ते यह कि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के आखिरी बिलिंग चक्र में 5 किलोवाट तक स्वीकृत लोड रखने वाले घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के मामले में, यदि नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 30 (तीस) दिनों की समाप्ति के भीतर उनसे कोई सूचना प्राप्त न हो, तो लोड स्वतः कम कर दिया जाएगा और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के आखिरी बिलिंग चक्र में 5 किलोवाट से अधिक लोड रखने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के मामले में, केवल उपभोक्ता से सहमति प्राप्त होने पर ही लोड घटाया जाएगा।
- (iv) स्वीकृत लोड या संविदा मांग, जैसा भी मामला हो, को बढ़ाने या घटाने के लिए अलग नोटिस वित्तीय वर्ष के 31 मई तक जारी की जाएगी। इसके बाद वर्ष के दौरान इसे बढ़ाने के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा।
- (v) यदि उपखंड (iv) के तहत घटाए जाने संबंधी कोई नोटिस 31 मई तक जारी नहीं किया गया हो, तो लाइसेंसधारी लोड को कम करने के लिए उपभोक्ता के अधिकार के प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना उपभोक्ता को विनियमन की अनुसूची -1 में निर्दिष्ट प्रभावित मुआवजे का भुगतान करेगा जो नीचे उप खंड (vi) के अनुसार प्रभावी होगा।
- (vi) स्वीकृत लोड या संविदा मांग, जैसा भी मामला हो, को बढ़ाने या घटाने का कार्य वित्तीय वर्ष में एक बार किया जाएगा और यह वित्तीय वर्ष के 1 जुलाई से प्रभावी होगा।
- (vii) यदि उप—खंड (ii) के अनुसार लाइसेंसधारी द्वारा लोड बढ़ाया जाता है, तो लोड की वृद्धि की तारीख से 6 (छह) महीनों की समाप्ति के बाद ही किसी भी लोड कटौती का अन्रोध स्वीकार किया जाएगा।

1/5½ miłkka ds vujkyk ij Jskh escnyko% &

- (i) आवेदक आयोग के आदेशों में निर्धारित प्रारूप में श्रेणी के परिवर्तन के लिए आवेदन करेगा।
- (ii) लाइसेंसधारी आवेदन की प्राप्ति से 7 (सात) दिनों के भीतर सत्यापित करने के लिए स्थल निरीक्षण करेगा और निरीक्षण के समय मीटर रीडिंग रिकॉर्ड करेगा।
- (iii) यदि निरीक्षण पर, श्रेणी में बदलाव के लिए उपभोक्ता का अनुरोध वास्तविक पाया जाता है, तो उस श्रेणी का परिवर्तन निरीक्षण की तिथि से प्रभावी होगा और वह अगले बिलिंग चक्र में भी दिखाया जाएगा।
- (iv) बकाया या अतिरिक्त शुल्क लाइसेंसधारी द्वारा या उपभोक्ता, जैसा भी मामला हो, द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित पहले के वर्गीकरण की वास्तविक अविध के आधार पर निर्धारित किया जाएगा जो 12 (बारह) महीनों तक की अविध तक सीमित होगी और उपभोक्ता का खाता उपयुक्त रूप से समायोजित किया जाएगा।
- (v) यदि किसी भी लागू कानून के तहत ऐसी श्रेणी में परिवर्तन की अनुमित नहीं है, तो लाइसेंसधारी आवेदन की तारीख से 7 (सात) दिनों के भीतर उपभोक्ता को सूचित करेगा।
- (vi) यदि उक्त अविध के दौरान श्रेणी में बदलाव नहीं किया जाता है, तो उपभोक्ता मुआवजे की मांग का हकदार होगा और लाइसेंसधारी विनियम के अनुसूची— I में निर्दिष्ट किए गए अनुसार मुआवजे का भुगतान करने के लिए दायी होगा।

1/6/2 ykbl sl/kkjh }kjk miHkkäk Jskh dh Lo&çji.kk lsiqu%oxhdj.k%&

- (i) यदि यह पाया जाता है कि किसी उपभोक्ता को किसी विशेष श्रेणी में गलत रूप से वर्गीकृत किया गया है या समझौते में उल्लिखित आपूर्ति के उद्देश्य में बदलाव आया है या विद्युत की खपत ने आयोग के प्रशुल्क आदेश के अनुसार उस श्रेणी की सीमा को पार कर लिया है या श्रेणी प्रशुल्क आदेश के संशोधन के परिणामस्वरूप बदल गई है, तो लाइसेंसधारी उचित श्रेणी के अंतर्गत उपभोक्ता को स्व—प्रेरणा से पुनः वर्गीकृत करेगा।
- (ii) उपभोक्ता को नोटिस के माध्यम से प्रस्तावित पुनर्वर्गीकरण के बारे में 30 (तीस) दिन की अवधि के साथ आपत्तियां, यदि कोई हो, दर्ज करने के लिए सूचित किया जाएगा ।

- (iii) उपभोक्ता के उत्तर, यदि कोई हो, पर उपयुक्त रूप से विचार करने के बाद लाइसेंसधारी उपभोक्ता को उचित रूप से पुनः वर्गीकृत कर सकता है।
- (iv) बकाया या अतिरिक्त शुल्क गलत वर्गीकरण की वास्तविक अवधि के आधार पर निर्धारित किया जाएगा जो 12 (बारह) महीनों तक की अवधि या लाइसेंसधारी द्वारा या उपभोक्ता के प्रतिष्ठापन के अंतिम निरीक्षण की तारीख से परिकलित अवधि, जो भी कम हो, तक सीमित होगी और उपभोक्ता का खाता उपयुक्त रूप से समायोजित किया जाएगा।

7/h dy pj.k lsrhu pj.k , yVh vkj , yVh ls, pVh en vkj bldsfoyker% ifjorlu%

- (i) एकल चरण से तीन चरण निम्न तनाव (लो टेन्शन) में और निम्न तनाव से उच्च तनाव (हाई टेंशन) में तथा विलोमतः परिवर्तन के लिए सभी आवेदन पर, जैसा मामला हो, विनियमन 11 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
- (ii) उपभोक्ता, लोड में वृद्धि के मामले में, मौजूदा दरों पर अंतरीय जमानत राशि और सेवा लाइन सह विकास शुल्क का भुगतान करेगा, और लाइसेंसधारी, लोड में कमी के मामले में, अतिरिक्त जमानत राशि वापस करेगा।

v/; k; & **IV**

vuqca/k , oa fofo/k çHkkj

18- ∨uça/k%&

- (1) पारस्परिक सहमति से जोड़े गए किसी भी विशेष खंड के साथ आवेदन पत्र को उपभोक्ता और लाइसेंसधारी के बीच एक समझौता माना जाएगाः
 - बशर्ते कि ऐसे खंड (j) विद्युत अधिनियम, 2003 और लागू होने वाले अन्य नियम और विनियम के प्रावधानों का उल्लंघन न करें।
- (2) कनेक्शन जारी करने के समय उपभोक्ता को समझौते की एक हस्ताक्षरित प्रतिलिपि दी जाएगी और दूसरी प्रतिलिपि लाइसेंसधारी द्वारा अपने पास रखी जाएगी।

19- Le>ksrs dh Lekflr% &

- (1) किसी भी अनुबंध का समापन नियम और शर्तों के अधीन होगा, जिसमें उपभोक्ता और लाइसेंसधारी के बीच दर्ज समझौते की कोई विशेष परिस्थिति भी शामिल होगी।
- (2) ऊपर उप–विनियमन (1) में किए गए प्रावधान के अनुसार और समझौते के तहत किसी भी राशि की वसूली / भुगतान कानून के तहत लाइसेंसधारी या उपभोक्ता के अधिकारों के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना समझौते को समाप्त किया जा सकता है:
 - (i) लाइसेंसधारी द्वारा— यदि शुल्क का भुगतान न करने या बकाया भुगतान के लिए अथवा इन विनियमों के तहत जारी किए गए किसी भी दिशानिर्देश का अनुपालन न करने के लिए उपभोक्ता को विद्युत की आपूर्ति 6 (छह) महीनों से अधिक के लिए बंद रहती है, तो उपभोक्ता को 15 (पन्द्रह) दिन की नोटिस अविध के पश्चात समझौते को समाप्त किया जा सकता है।
 - (ii) उपभोक्ता द्वारा।
- (3) उप–विनियमन के तहत अनुबंध समाप्त होने के सभी मामलों में, उप–विनियमन (2) (ii) के तहत समझौते को खत्म करने के सभी मामलों में, लाइसेंसधारी परस्पर स्वीकार्य तिथि पर विशेष मीटर रीडिंग की व्यवस्था करेगा और अंतिम बिल तैयार करेगा। ऐसे बिल को अंतिम बिल के रूप में अंकित किया जाएगा। यह समझौता केवल अंतिम बिल के भृगतान पर समाप्त किया जाएगा।
- (4) अंतिम बिल के भुगतान की प्राप्ति पर, लाइसेंसधारी 'अंतिम बिल' के लिए रसीद जारी करेगा। इस रसीद को 'कोई बकाया नहीं प्रमाणपत्र' माना जाएगा।
- (5) समझौते की समाप्ति पर, लाइसेंसधारी को उपभोक्ता के परिसर से लाइसेंसधारी की सेवा लाइन और अन्य उपकरणों को हटाने का अधिकार होगा।
- (6) अस्थायी वियोजन की अवधि के दौरान, उपभोक्ता लाइसेंसधारी को निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (7) स्थायी डिस्कनेशन के बाद कनेक्शन को दुबारा जोड़ने के लिए किए जाने वाले किसी भी आवेदन को नए कनेक्शन के लिए आवेदन माना जाएगा और सभी बकाया देय राशि, यदि कोई हो, का भुगतान करने के बाद ही उसे संसाधित किया जाएगाः

¿Li "Vhcj .li १ इस विनियमन के प्रयोजन के लिए, स्थायी वियोजन का अर्थ ऐसे मामलों से है, जहां समझौते का समापन हो जाए या ऐसा वियोजन जहां उपभोक्ता को विद्युत की आपूर्ति 6 (छः) महीनों से अधिक की निरंतर अविध के लिए समाप्त की जाती है और लाइसेंसधारी उपभोक्ता के परिसर से अपनी सर्विस लाइन और अन्य उपकरण हटा ले।

अस्थायी वियोजन का अर्थ ऐसे मामलों से है जिनमें उपभोक्ता द्वारा 6 (छह) महीनों की अवधि तक लाइसेंसधारी के बिलों का भुगतान न करने के कारण विद्युत की आपूर्ति बंद कर दी जाती है, अस्थायी वियोजन की अवधि के दौरान लाइसेंसधारी 6 (छह) महीनों की अवधि तक, उपभोक्ता के परिसर से अपनी सेवा लाइन और अन्य उपकरणों को नहीं हटाएगा}।

20- i frHkvfr tek j kf'k%&

(1) आवेदक / उपभोक्ता, स्वीकृत लोड या अनुबंध की मांग के अनुरूप विद्युत की आपूर्ति के लिए, जैसा भी मामला हो, आयोग के आदेशों में अधिसूचित दर और विधि के अनुसार, प्रतिभृति जमा का भूगतान करेगाः

यदि उप-विनियमन (5) और (7) के अधीन, मौजूदा उपभोक्ता के लोड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो उपभोक्ता से कोई अतिरिक्त प्रतिभूति जमा राशि नहीं ली जाएगीः

बशर्ते कि लाइसेंसधारी, 1 एमवीए और इससे अधिक के मांग के अनुबंध के इच्छुक आवेदक से, किसी भी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी किए गए बैंक गारंटी के रूप में प्रतिभृति जमा स्वीकार करेगाः

और बशर्ते कि उपभोक्ता उस अवधि के दौरान जिसमें विद्युत की आपूर्ति का लाभ उठाया जाएगा, ऐसी बैंक गारंटी को जारी रखेगाः

और बशर्ते कि ऐसे मौजूदा उपभोक्ता, अगर चाहें तो प्रतिभूति जमा बैंक गारंटी के रूप में जमा कर सकते हैं और पहले से जमा की गई प्रतिभूति राशि को लाइसेंसधारी द्वारा अगले बिल (बिलों) में 12 समान किश्तों में समायोजित / वापस कर दिया जाएगा।

- (2) जहां विद्युत की आपूर्ति के लिए पूर्व-भुगतान मीटर का इस्तेमाल किया जाता है, वहां विद्युत की आपूर्ति के लिए प्रतिभृति जमा की आवश्यकता नहीं होगी।
- (3) लाइसेंसधारी निर्धारित दर पर और आयोग के आदेशों में अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार उपभोक्ता को प्रतिभूति जमा पर ब्याज का भुगतान करेगाः

और बशर्ते कि बैंक गारंटी के रूप में प्रतिभूति जमा कराने वाले उपभोक्ता को कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

- (4) वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज को आगामी वित्तीय वर्ष के पहले बिलिंगचक्र के बिल में समायोजित किया जाएगा।
- (5) लोड कम करने के मामले में, लाइसेंसधारी अतिरिक्त प्रतिभूति जमा अगले बिलिंगचक्र में जारी विद्युत के बिल में समायोजित करके वापस करेगाः
 - {Li "Vhdj.k" लोड में कमी की तिथि पर उस समय प्रतिभूति जमा की प्रचलित दरों के आधार पर की गई गणना के मुकाबले कम लोड के आधार पर और उपभोक्ता द्वारा जमा की गई वास्तविक प्रतिभूति जमा के बीच के अंतर को अतिरिक्त प्रतिभूति जमा माना जाएगा। यदि अंतर नकारात्मक है, तो उपभोक्ता से कोई अतिरिक्त प्रतिभूति जमा नहीं लिया जाएगा।}
- (6) यदि प्रतिभूति जमा की वापस की जाने वाली राशि विद्युत के बिल से अधिक है, तो शेष प्रतिभूति जमा विद्युत के अगले बिल (बिलों) में समायोजित कर वापस कर दी जाएगी। हालांकि, लाइसेंसधारी प्रतिभूति जमा पर ब्याज की अधिसूचित ब्याज दर पर लाइसेंसधारी के पास बची हुई राशि पर अर्जित ब्याज को भी समायोजित करेगा।
- (7) कनेक्शन के हस्तांतरण के मामले में, पूर्ववर्ती उपभोक्ता के नाम पर जमा प्रतिभूति नए आवेदक के नाम पर स्थानांतरित कर दी जाएगीः
 - और बशर्ते कि, अगर मौजूदा प्रतिभूति जमा कनेक्शन के हस्तांतरण की तारीख पर प्रतिभूति जमा की प्रचलित दर से संबंधित लोड पर आधारित प्रतिभूति जमा की तुलना में कम है, तो नया आवेदक प्रतिभूति जमा की शेष राशि जमा करेगा।
- (8) उपभोक्ता के स्वीकृत भार या अनुबंध की मांग के ऊपर की ओर संशोधन के मामले में, उपभोक्ता अतिरिक्त प्रतिभृति जमा का भूगतान करेगा।
 - {Li "Vhdj.k% उपभोक्ता द्वारा पहले जमा की गई वास्तविक प्रतिभूति जमा राशि और लोड की वृद्धि की तिथि से उस समय प्रचलित प्रतिभूति जमा की दरों के अनुरूप वृद्धि के बाद कुल भार के आधार पर गणना की गई राशि का अंतर वर्दिधत प्रतिभूति जमा की राशि होगी।}
- (9) समझौते की समाप्ति और लाइसेंसधारी को देय सभी देय राशि का निपटान करने के बाद, लाइसेंसधारी, ऐसी समाप्ति की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के भीतर और लाइसेंसधारी को देय सभी देय राशि का निपटान करने

के बाद उपभोक्ता को अर्जित ब्याज सहित प्रतिभूति जमा की शेष राशि डिमांड ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम के माध्यम से वापस कर देगाः

और बशर्ते कि, उपभोक्ता प्रतिभूति जमा से बकाया के निपटारे का विकल्प चून सकता है:

और बशर्ते कि बैंक गारंटी के मामले में, अंतिम बिल के भुगतान के 7 (सात) दिनों के भीतर उपभोक्ता को बैंक गारंटी वापस कर दी जाएगी।

21- I sok ykbu I g fodkl ¼, I, yMh///&

(1) ऐसे मामलों में जहां किसी भी क्षेत्र को विकसित करने के लिए डेवलपर द्वारा प्रायोजित किया जाता है, विकासकर्त्ता द्वारा आयोग के आदेशों में लागू अनुसार निर्दिष्ट ईएचटी प्रणाली, एचटी सिस्टम, एलटी सिस्टम, सिविल वर्क, सर्विस लाइन, स्ट्रीट लाइट, सड़क बहाली प्रभार, और पर्यवेक्षण शुल्क की लागत के भुगतान पर लाइसेंसधारी द्वारा आपूर्ति के बिंदू तक विद्युतीकरण किया जाएगाः

और बशर्ते कि उपकरण के स्थानांतरण के मामले में इस तरह के काम के लिए पूरी लागत का भुगतान विकासकर्त्ता करेगाः

और बशर्ते कि लाइसेंसधारी, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ निर्धारण के नियमों और शर्तों) विनियम, 2017 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार, विकासकर्त्ता से प्राप्त की गई राशि और वास्तव में खर्च की गई लागत और अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, से प्राप्त राशि को समायोजित करेगा।

(2) अगर क्षेत्र का विद्युतीकरण हो चुका है या लाइसेंसधारी द्वारा विद्युतीकरण किया जाने वाला है, तो उप—विनियमन (1) के तहत एक डेवलपर द्वारा विकसित क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर, आवेदक द्वारा आपूर्ति के बिंदु तक ईएचटी सिस्टम, एचटी सिस्टम, एलटी सिस्टम, सिविल वर्क, सर्विस लाइन, सड़क बहाली प्रभार, और आयोग के आदेशों में निर्दिष्ट रूप में निरीक्षण शुल्क इत्यादि के लिए लागू लागत के भृगतान पर नया कनेक्शन जारी किया जाएगाः

और बशर्ते कि, लोड में कमी के मामले में सेवा लाइन और विकास प्रभारों पर शुल्क नहीं लिया जाएगा और न ही वापस किया जाएगाः

और बशर्ते कि, यदि लोड की वृद्धि के मामले में सेवा लाइन वास्तव में बदली गई है, तो जैसा भी मामला हो, विद्युतीकृत क्षेत्रों या गैर विद्युतीकृत क्षेत्रों के लिए मौजूदा दरों के आधार पर सेवा लाइन और विकास प्रभार का अंतर उपभोक्ता द्वारा देय होगाः

¿Li "Vhdj .l% उपभोक्ता द्वारा जमा किए गए सेवा लाइन और विकास प्रभार के सेवा लाइन और विकास प्रभारों की वास्तविक दरों के अनुरूप वृद्धि के बाद कुल भार के आधार पर गणना किया गया अंतर सेवा लाइन और विकास प्रभारों का अंतर होगा।}

यह भी कि समझौते की समाप्ति के मामले में सेवा लाइन सह विकास शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

- (3) सड़क काटने की अनुमित और अन्य आवश्यक मंजूरी आवेदक की ओर से लाइसेंसधारी द्वारा प्राप्त की जाएगी। उसकी लागत आवेदक से ली जाएगी और मांग नोट में उसे अलग से दिखाया जाएगा।
- (4) सेवा लाइन का रखरखाव लाइसेंसधारी द्वारा किया जाएगा

22- fxtM l cLVsku] Vktal Qketjaj l foll ykbu] ehVj vktaj v11; midj.kkardh LFkki uk dsfy, LFkku%&

(1) लाइसेंसधारी से विद्युत की आपूर्ति के लिए आवेदन करने वाले विकासकर्त्ता या आवेदक, एक सुविधाजनक स्थान पर, उपभोक्ता और लाइसेंसधारी के बीच पारस्परिक रूप से सहमति से आयोग के आदेशों में अधिसूचित अपेक्षित आयामों के अनुसार ग्रिड सबस्टेशन, ट्रांसफार्मर, स्विच गियर, मीटर, उपकरण, इत्यादि का निर्माण और स्थापना के लिए स्थान, निशुल्क उपलब्ध कराएंगेः

यदि क्षेत्र में कोई विशिष्ट विकासकर्त्ता नहीं है और विद्यमान वितरण प्रणाली के संवर्धन में लोड की मांग को पूरा करने के लिए ग्रिड सबस्टेशन, ट्रांसफार्मर, स्विच गियर्स आदि की स्थापना की आवश्यकता है, तो वितरण लाइसेंसधारी ऐसे क्षेत्रों में उपलब्ध संभावित स्थान का संकेत करते हुए, इस तरह की आवश्यकता के पंद्रह दिनों के भीतर, स्थान के आवंटन के लिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संपर्क करेगाः

(2) एचटी या ईएचटी नेटवर्क को छोड़कर, लाइसेंसधारी को उपभोक्ताओं के लिए विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के लिए, उनकी सहमति के बिना उपभोक्ता के परिसर में उप–स्टेशन का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं होगाः

और बशर्ते कि अन्य उपभोक्ताओं को विद्युत उपलब्ध कराने के लिए ऐसी संपत्तियों का उपयोग किसी भी तरह से उन उपभोक्ताओं की आपूर्ति को प्रभावित नहीं करेगा, जिनके लिए ऐसी संपत्ति मूल रूप से स्थापित की गई थी।

23- ykbl st/kkjh dsehVj vk\$j vU; midj.kksadsfy, lijf{kr LFkku%&

(1) अपने परिसर में स्थापित मीटर को स्रक्षित रखने की जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी।

- (2) इस प्रयोजन के लिए लाइसेंसधारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति के अलावा किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी कारण से मीटर को छेडा या निकाला नहीं जाएगा।
- (3) किसी भी स्थिति में मीटर पर लगाई गई सील को क्षतिग्रस्त, नष्ट नहीं किया जाएगा या इससे छेड़छाड़ नहीं की जाएगी।
- (4) सेवा लाइन और मीटर को लाइसेंसधारी की संपत्ति माना जाएगा और वे तब तक उसके नियंत्रण में रहेंगे जब तक वे लाइसेंसधारी की वितरण प्रणाली से जुड़े हों।

24- ykbl st/kkjh dh fo|qr ykbu ; k fo|qr l a; a= dks LFkkukarfjr djus dh çfØ; k%&

- (1) भूमि के मालिक या उसके उत्तराधिकारी, जिसने अपने हित में उक्त जमीन पर, नीचे, समूचे, पार, या उस पर मौजूदा विद्युत् लाइन या विद्युत संयंत्र के निर्माण के लिए निर्माण का अधिकार दिया है, वह वास्तविक प्रयोजनों के लिए अपनी जमीन के किसी भी हिस्से में विद्युत लाइन या विद्युत संयंत्र को स्थानांतरित करने के लिए आवेदन कर सकता है:
- (2) विद्युत लाइन या विद्युत संयंत्र को बदलने के लिए आवेदन लाइसेंसधारी को सौंपा जाएगा।
- (3) आवेदन प्राप्त होने पर, लाइसेंसधारी साइट का निरीक्षण करेगा और प्रस्तावित स्थानांतरण की तकनीकी व्यवहार्यता का आकलन करेगा।
- (4) विद्युत लाइन या विद्युत संयंत्र को स्थानांतरित करने का अनुरोध केवल तब ही स्वीकार किया जाएगा, जब:--
 - (i) प्रस्तावित स्थानांतरण तकनीकी रूप से व्यावहारिक है, और
 - (ii) जमीन के मालिक या उसके उत्तराधिकारी अपने हित में विद्युत लाइन या विद्युत संयंत्र को अपनी जमीन के किसी अन्य हिस्से या उसके द्वारा स्वामित्व वाली किसी अन्य भूमि या किसी अधिकार के किसी अन्य व्यवस्थित विकल्प में विद्युत लाइन और विद्युत संयंत्र को स्थानांतरित करने के लिए लिखित में सहमित देता है. और
 - (iii) भूमि के मालिक या उसके उत्तराधिकारी को यदि आवश्यक हो, तो सड़क काटने या रास्ते के अधिकार के लिए आवश्यक अनुमति / अनुमोदन लेनी होगी।
 - (iv) आवेदक इलेक्ट्रिक लाइन या विद्युत संयंत्र को स्थानांतरित करने के लिए लागू होने वाले शुल्क को दे देता है।
- (5) यदि आवेदक द्वारा उप–विनियमन (4) में निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन किया जाता है, तो लाइसेंसधारी विद्युत लाइन या विद्युत संयंत्र को स्थानांतरित करेगा।
- (6) उपभोक्ता के परिसर में मीटर या सेवा लाइन के स्थानांतरण के मामले में, विनियमन 25 में निर्दिष्ट प्रक्रिया लागू होगी।

25- millkkräk dsifjljenehVj; klok ykbu dslFkkukarj.k dh çfØ; k%

- (1) उपभोक्ता मौजूदा परिसर के भीतर या अपनी संपत्ति के भीतर मौजूदा सर्विस लाइन के विचलन या मीटर को बदलने के लिए लाइसेंसधारी से आवेदन करेगा।
- (2) लाइसेंसधारी साइट निरीक्षण आयोजित करेगा।
- (3) एक ही परिसर में मीटर और सेवा लाइन के स्थानांतरण के शुल्क आयोग के आदेशों में अधिसूचित अनुसार होंगे।
- (4) अगर स्थानांतरण के लिए नई सेवा लाइन की आवश्यकता होती है, तो लाइसेंसधारी सेवा लाइन सह विकास शुल्क लगाने का हकदार होगा
- (5) व्यय के भुगतान की तिथि से कार्य पूरा करने के लिए निम्नलिखित समय सारिणी को देखा जाएगाः –

Ø-la	mís;	le; lkj.kh
(i)	मीटर का स्थानांतरण	७ (सात) दिन
(ii)	एलटी सर्विस लाइन का स्थानांतरण	30 (तीस) दिन
(iii)	एचटी सर्विस लाइन का स्थानांतरण	45 (पैंतालीस) दिन

और बशर्ते कि एलटी और एचटी लाइनों के स्थानांतरण के लिए उपरोक्त सारणी की गणना समय—समय पर सड़क काटने की अनुमति, यदि कोई हो जैसे कार्यों के लिए वैधानिक मंजूरी / अनुमति प्राप्त करने में लगने वाले समय को हटा कर की जाएगी।

26- vfrfjäçllkj%

लाइसेंसधारी द्वारा स्थापना, निरीक्षण, विशेष मीटर रीडिंग, दुबारा कनेक्शन आदि के लिए आयोग के आदेशों में अधिसूचित शुल्क लिया जाएगा।

∨/; k; & **V**

ehVfjæ] fcfyæ vkg Hkokrku

ehVfj**x**

27- ehVj dh vko'; drk% &

- (1) जब तक आयोग द्वारा इसके आदेशों या टैरिफ ऑर्डर में अन्यथा अनुमित नहीं दी जाती है, लाइसेंसधारी बिना मीटर के विद्युत की आपूर्ति नहीं करेगाः
 - और बशर्ते कि जहां पर लाइसेंसधारी को खुद या अपने फ्रेंचाइजी के माध्यम से मीटर के बिना विद्युत की आपूर्ति की आवश्यकता हो, आयोग की पूर्व अनुमति लेनी चाहिए।
- (2) आयोग, समय–समय पर, किसी भी मीटर के लिए अतिरिक्त विषषताओं का अनुपालन निर्धारित कर सकता है, जो आयोग और लाइसेंसधारियों द्वारा उनके संबंधित वेबसाइटों पर प्रकाशित किया जाएगा।
- (3) सभी नए मीटर खरीदने के समय, ऐसी खरीद की तिथि पर उप—विनियमन (2) के तहत निर्धारित और लागू होने वाली अतिरिक्त सुविधाओं से युक्त होंगे।
- (4) आयोग मौजूदा मीटर को उपर्युक्त नियम (3) के अनुरूप बनाने के लिए उसे उन्नत / प्रतिस्थापित करने के लिए दिशा–निर्देश जारी कर सकता है।
- (5) लाइसेंसधारी किसी भी हस्तक्षेप का पता लगाने के लिए मीटरिंग उपकरण पर मुहर या अन्य उपयुक्त उपकरण प्रदान करेगा और सभी संबंधित सुरक्षा उपकरणों और मुहरों का रिकॉर्ड रखेगा।
- (6) अगर लाइसेंसधारी एक ही परिसर में विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को आपूर्ति प्रदान करता है तो प्रत्येक श्रेणी की आपूर्ति के लिए अलग–अलग मीटर स्थापित किए जाएंगे।

28- ehVj [kjhnus ds fy, vkond@miHkkDrk dk fodYi%&

(1) एक नए कनेक्शन की मांग के समय, या आयोग के निर्देश के अनुसार मीटर के प्रतिस्थापन के समय, आवेदक अपने लिए खद मीटर की खरीदने के लिए आवेदन पत्र में अपने विकल्प का संकेत देगाः

और बशर्ते कि ऐसे सभी मामलों में जहां आवेदक द्वारा मीटर खरीदा जाता है, लाइसेंसधारी विनियमन 36 (5) के अनुसार आवेदक को मीटर की लागत की प्रतिपूर्ति करेगा और ऐसे मामले में, मीटर लाइसेंसधारी की संपत्ति बन जाएगाः

इसके अतिरिक्त, यदि कोई भी उपभोक्ता नए कनेक्शन के समय या आयोग के निर्देश के अनुसार मीटर के प्रतिस्थापन के समय के अलावा किसी भी स्तर पर अपना खुद का मीटर प्रदान करने का चुनाव करता है, तो उपभोक्ता इस तरह की किसी भी प्रतिपूर्ति के लिए हकदार नहीं होगा और ऐसे सभी मामलों में, उपभोक्ता लाइसेंसधारी की प्रणाली से स्थायी रूप से निकाल दिए जाने के बाद ही अपने द्वारा अपनी संपत्ति के रूप में खरीदे गए मीटर को वापस लेने का हकदार होगा।

(2) लाइसेंसधारी अपनी वेबसाइट पर, लाइसेंसधारी द्वारा अनुमोदित मीटर और संबद्ध उपकरणों के निर्माण और विनिर्देशों की एक अद्यतित सूची उपलब्ध कराएगा।

29- ehVj vk§ I fdW czdjka dh vkinfrZ vk§ LFkki uk% &

- (1) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटर के अधिष्ठापन एवं प्रचालन) विनियम, 2006 के समय-समय पर यथा-संशोधित प्रावधानों के अनुसार जहां भी आवश्यक हो चेक मीटर और स्टैंड-बाई मीटर स्थापित किए जाएंगे।
- (2) उपभोक्ता, वर्तमान ट्रांसफार्मर (सीटी) और संभावित ट्रांसफार्मर (पीटी) आदि सहित मीटर और उससे जुड़े उपकरणों के लिए लाइसेंसधारी द्वारा अनुमोदित किसी डिजाइन का एक बंद करने योग्य और मौसम संरक्षित स्थान या कोष्ठ प्रदान करेगा।
- (3) उपभोक्ता मीटर की स्थापना के लिए प्रवेश बिंदु पर या परिसर से बाहर उपयुक्त और पर्याप्त जगह प्रदान करेगा, ताकि उपभोक्ता के बिना मीटररीडर व लाइसेंसधारी या उनके प्रतिनिधियों के लिए हमेशा पहुंच के योग्य हो और इस प्रयोजन के लिए परिसर खुला रहे या खोला जा सके।
- (4) बहु-मंजिला इमारतों के मामले में, मीटर भूमि तल पर उचित वायु संचार और पर्याप्त रोशनी के साथ लगाया जाएगा।
- (5) मीटर और अन्य संबंधित उपकरणों की स्थापना के लिए आपूर्ति और स्थान का बिंदु उपभोक्ता के परामर्श से तय किया जाएगा ताकि ऐसे स्थान स्थापना, कमीशनिंग, निरीक्षण, रीडिंग, रिकॉर्डिंग और रखरखाव के लिए

आसानी से सुलभ हो सके, परिसर के मालिक या निवासी को कम से कम असुविधा हो या उसके व्यवसाय के लिए गोपनीयता का उल्लंघन न हो।

- (6) सभी एचटी और ईएचटी उपभोक्ता मीटर या मीटरिंग कक्ष के लिए स्वतंत्र प्रवेश प्रदान करेंगे।
- (7) मीटर डिस्प्ले की ऊंचाई और स्थायी कनेक्शन के लिए स्थान ए.सी. विद्युत मीटर के परीक्षण, मूल्यांकन, स्थापना और रखरखाव के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा अधिसूचित मानकों के अनुसार होगा।
- (8) लाइसेंसधारी, नए कनेक्शन जारी करने के लिए अग्रिम नोटिस देने के बाद, आवेदक / उपभोक्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में, निर्दिष्ट समय के भीतर मीटर स्थापित करेगा। उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि भी मुहरों को लगाने या हटाने की गवाही या सील प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के हकदार होंगे।
- (9) लाइसेंसधारी, किसी भी मीटर की स्थापना के समय, आयोग द्वारा अनुमोदित प्रारूप (मीटर विशेष शीट) में मीटर के विवरणों को रिकॉर्ड करेगा।
- (10) लाइसेंसधारी उपभोक्ता को, विशेष रूप से लाइसेंसधारी और उपभोक्ता या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित मीटर के विवरण की एक प्रति देगा और पावती के रूप में एक ऐसी प्रतिलिपि अपने पास रखेगा।
- (11) नए कनेक्शन या प्रतिस्थापन के लिए, जब भी कोई नया मीटर स्थापित होता है तो इसे उपभोक्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थित में मुहरबंद किया जाएगा।
- (12) उक्त उपकरण या उपकरण पर चिपकाए गए सील, नाम की प्लेट और विशेष संख्या या निशान को उपभोक्ता या उसके कर्मचारी या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह से तोड़ा, मिटाया या बदला नहीं जाएगा।
- (13) मीटर की मुहरों का व्यवहार समय—समय पर संशोधित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटर के अधिष्ठापन एवं प्रचालन) विनियम, 2006 के अनुसार किया जाएगा।
- (14) अगर मीटर उपभोक्ता के परिसर में स्थापित किया गया हो तो उपभोक्ता मीटर को सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार होगा।
- (15) उपभोक्ता मीटर के साथ हुई किसी भी गड़बड़ी, दुर्घटना या असामान्यता के बारे में लाइसेंसधारी को तुरंत सचित करेगा।
- (16) मीटर के रखरखाव और उसे हर समय अच्छी कार्यकारी स्थिति में रखना लाइसेंसधारी की जिम्मेदारी होगी।
- (17) स्थायी कनेक्शन के ऐसे सभी मामलों में जहां मीटरिंग इकाई उपभोक्ता के परिसर के बाहर, किसी खंभे या वितरण स्तंभ इत्यादि पर स्थापित होती है, लाइसेंसधारी उपभोक्ता के परिसर में एक प्रदर्शन इकाई प्रदान करेगा और मीटरिंग इकाई की सुरक्षा की जिम्मेदारी लाइसेंसधारी की होगी और प्रदर्शन इकाई को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी उपभोक्ता पर होगी।

30- ehVj dh fjfMax%&

- (1) प्रत्येक मीटर को, जिसमें लाइसेंसधारी द्वारा विद्युत की निजी खपत के लिए मीटर शामिल हैं, प्रत्येक बिलिंग चक्र में नियमित रूप से और विशेष रीडिंग अवसरों पर एक बार पढ़ा / दर्ज किया जाएगा।
- (2) इस प्रयोजन के लिए मीटर को लाइसेंसधारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ही पढ़ा/रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसे आगे "मीटर रीडर" के रूप में संदर्भित किया जाएगा और उपभोक्ता मीटर रीडर को पढ़ने/रिकॉर्ड करने के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करेगा।
- (3) लाइसेंसधारी मीटर रीडर सहित सभी कर्मचारियों को उचित फोटो पहचान पत्र जारी करेगा, जो इसे मीटर रीडिंग के दौरान उपभोक्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को दिखाएगा।
- (4) मीटर रीडर मीटर रीडिंग रिकॉर्ड करने के लिए और मौके पर बिलिंग के लिए हाथ से आयोजित यंत्र, मीटर रीडिंग इंस्ट्रमेंट (एमआरआई) या वायरलेस उपकरण का उपयोग कर सकते हैं।
- (5) यदि बिल एमआरआई डाउनलोड के आधार पर तैयार किए गए हैं या अगर मीटर रीडिंग रिमोट मीटर रीडिंग के आधार पर लिया जाता है और उपभोक्ता ली गई रिडिंग का रिकॉर्ड प्राप्त करना चाहता है, तो उन्हें लाइसेंसधारी द्वारा इस तरह के विवरण दिए जाएंगे।
- (6) यह मीटर रीडर का कर्तव्य होगा कि वह प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी)/अर्थ लिकेज, मीटर पर सुरक्षात्मक मुहरों की स्थिति को जांचे और रिकॉर्ड करे।
- (7) यदि मीटर रीडर या लाइसेंसधारी द्वारा विधिवत रूप से अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, इलेक्ट्रॉनिक मीटर में प्रदान किए गए अर्थ लिकेज के कारण एलईडी सूचक को ऑन की स्थिति में देखता है, और / या मीटरिंग उपकरण पर लगी सुरक्षात्मक सील टूटी पाई जाती है, काम नहीं कर रहा है जैसा कोई दोष दिखाई देता है तो इसे जल्द से जल्द उपभोक्ता को सुचित किया जाएगा, लेकिन अगले बिल के बाद नहीं:

- और बशर्ते कि अगर परिसर में अर्थ लिकेज हो, तो लाइसेंसधारी को वायरिंग की जांच करने और लिकेजको निकालने की सलाह दी जाएगी। उपभोक्ता को एक लिखित सूचना जारी की जाएगी।
- (8) अगर उपभोक्ता को पता चलता है कि अर्थ लिकेज के कारण इलेक्ट्रानिक मीटर में प्रदान किया गया एलईडी सूचक 'ऑन' पाया गया है और / या मीटरिंग उपकरणों पर सुरक्षात्मक सील टूटी पाई गई है, तो वह लाइसेंसधारी को इसके बारे में सूचित करेगाः
 - और बशर्ते कि अगर परिसर में अर्थ लिकेज हो, तो उपभोक्ता के तारों की जाँच की जाएगी और लिकेज को हटा दिया जाएगा।
- (9) लाइसेंसधारी, ऐसी सूचना को प्राप्त करने या जांच की तारीख या मीटर रिडिंग के समय, सील टूटी पाए जाने पर, तीन दिनों के भीतर सील को बदल देगाः
 - और बशर्ते कि लाइसेंसधारी को विद्युत या विद्युत की चोरी या अनिधकृत इस्तेमाल का संदेह होने पर, ऐसे मामले में मीटर से छेड़छाड़ करने के प्रावधानों के अनुसार निपटा जाएगा।
- (10) किसी भी कारण से, विशेष रूप से रिकॉर्ड किए जाने के लिए, बिलिंगचक्र के दौरान मीटर की रिडिंग / रिकॉर्ड नहीं किए जाने के मामले में, लाइसेंसधारी पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुई खपत के आधार पर, जब रीडिंग ली गई थी, एक अनंतिम बिल तैयार करेगाः
 - यदि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान खपत उपलब्ध नहीं है, तो लाइसेंसधारी पिछले तीन बिलिंग चक्रों की औसत खपत या कम अवधि का औसत लेगा, जब रीडिंग ली गई थी।
- (11) यदि लगातार एक से अधिक बिलिंग चक्र के लिए अनंतिम बिल जारी होता है, तो उपभोक्ता लाइसेंसधारी द्वारा प्रत्यक्ष मीटर रीडिंग के अनुसार बिल बनाए जाने तक भुगतान करने से इनकार कर सकता है।
- (12) उप—विनियमन (10) के अनुसार तैयार किए गए अनंतिम बिल के अनुसार भुगतान की गई राशि को बाद के बिलिंगचक्र के दौरान वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर बनाए गए बिल के साथ समायोजित किया जाएगाः बशर्ते कि अगर बाद के बिलिंग चक्र के दौरान वास्तविक मीटर रिडिंग से पहले मीटर दोषपूर्ण पाया जाता है, तो लाइसेंसधारी द्वारा बनाए गए अनंतिम बिल को उस अविध के अंतिम बिल माना जाएगा।
- (13) यदि उपभोक्ता खुद मीटर रीडिंग प्रस्तुत करता है, तो उन बिलिंगचक्रों के बिलिंग को अगले बिलिंगचक्र में उसकी / उनकी रिडिंग के आधार पर समायोजित किया जाएगाः
 - और बशर्ते कि उपभोक्ता मीटर की तस्वीर लेकर पंजीकृत मोबाइल या ई—मेल के माध्यम से मीटर की रीडिंग और मीटर रीडिंग की तारीख भेज सकता है।
- (14) उपभोक्ता, यदि ऐसा चाहता है, तो लाइसेंसधारी से विशेष रिडिंग के लिए अनुरोध कर सकता है, और लाइसेंसधारी आयोग के आदेश में निर्धारित दर के अनुसार, आदेय आधार पर इसकी व्यवस्था करेगा। ऐसी विशेष रिडिंग के लिए शुल्क उपभोक्ता के बिल में शामिल किया जाएगा।

31- ehVj iBu vxE; cukus ds ifj.kke% &

- (1) अगर किसी मीटर की रीडिंग डेट पर मीटर अगम्य है, तो लाइसेंसधारी उपभोक्ता को ऐसे मीटर को सुलभ रखने के लिए तिथि और समय के साथ 7 (सात) दिन पूर्व नोटिस जारी करेगा, जो कि अगले बिलिंगचक्र के लिए मीटर रीडिंग की तारीख और समय को निर्दिष्ट करेगी:
 - और बशर्ते कि उपभोक्ता ऐसी मीटर रीडिंग के लिए लाइसेंसधारी से एक अन्य तारीख और समय तय करने के लिए अनुरोध कर सकता है।
- (2) यदि नोटिस में निर्दिष्ट तिथि या पारस्परिक रूप से सहमत होने पर भी मीटर पहुंच योग्य नहीं है, तो लाइसेंसधारी अगले बिलिंगचक्र के लिए मीटर की रीडिंग की तारीख और समय निर्दिष्ट करने के बाद, ऐसी तारीख और समय पर मीटर सुलभ रखने के लिए उपभोक्ता को 7 (सात) दिन पूर्व दूसरा नोटिस जारी करेगा।
- (3) यदि मीटर नोटिस में निर्दिष्ट तारीख या पारस्परिक रूप से सहमत तारीख पर भी पहुंच योग्य नहीं है, तो लाइसेंसधारी उपभोक्ता को 15 (पन्द्रह) दिनों का स्पष्ट विच्छेदन नोटिस देगाः
 - और बशर्ते कि उपभोक्ता पंजीकृत मोबाइल या ई—मेल के माध्यम से मीटर की रीडिंग और मीटर रीडिंग की तारीख को संकेतित करते हुए मीटर की तस्वीर की भेज सकता है।
- (4) यदि उपभोक्ता इस तरह की नोटिस अवधि के दौरान मीटर रिडिंग के लिए पहुंच प्रदान करने में असफल रहता है, तो लाइसेंसधारी नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद आपूर्ति को वियोजित कर सकता है और आपूर्ति का पुनः कनेक्शन केवल उपभोक्ता द्वारा सभी बकायों का भुगतान करने और रिडिंग लेने के बाद ही प्रभावी होगा।

(5) उपरोक्त उप—िनयमों के प्रावधान ऐसे सभी मामलों में लागू नहीं होंगे, जहां उपभोक्ता द्वारा पूरा भुगतान किया गया है और जिसने कारण बताते हुए रिडिंग के लिए अपने मीटर की अनुपलब्धता के बारे में लाइसेंसधारी को पहले से सूचित करते हुए, इस तरह की अवधि के लिए निर्धारित फिक्सड शुल्क जमा कर दिया है:

बशर्ते कि, ऐसे सभी मामलों में, जब उपभोक्ता द्वारा रीडिंग लेने के लिए मीटर को पहुंच योग्य रखा जाता है, अनुपलब्धता की सूचित अवधि को छोडकर पूरी अवधि के लिए उपभोग को हिसाब में लिया जाएगा।

32- ehVj dk ijh{k.k% &

- (1) लाइसेंसधारी द्वारा मीटर की सामयिक जांचः -
 - मीटर स्थापित करने से पहले मीटर की सटीकता के बारे में खुद को संतुष्ट करना लाइसेंसधारी की जिम्मेदारी होगी, और अगर वह आवश्यक समझे, तो एक मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में उनकी जांच करा सकता है।
 - (ii) जहां उपभोक्ता स्वयं मीटर खरीदने के विकल्प का चयन करता है, लाइसेंसधारी इसे प्राप्त करेगा और यदि वह चाहता है, तो आयोग द्वारा अधिसूचित मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में उसकी जांच की जाएगीः

और बशर्ते कि, आयोग द्वारा अधिसूचित मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला की अनुपस्थिति में, लाइसेंसधारी किसी भी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला में मीटर की जांच की जाएगीः

और आगे यह कि, शर्तों के पूरा होने और विनियमन 11 के तहत प्रक्रिया संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन, ऐसे सभी मामलों में मीटर स्थापित किया जाएगा और मीटर की प्राप्ति की तारीख से अधिकतम 15 (पन्द्रह) दिनों के भीतर सेवा का कनेक्शन दिया जाएगा।

(iii) लाइसेंसधारी उपभोक्ता से कोई कीमत लिए बिना, समय—समय पर किए गए संशोधन सिहत, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटर के अधिष्ठापन एवं प्रचालन) विनियम, 2006 में अधिसूचित अनुसार, समय—समय पर स्थान और निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार निरीक्षण या परीक्षण या दोनों और मीटर के अंशांकन का आयोजन करेगाः

रेलवे, डीएमआरसी	हर छह महीने में कम से कम एक बार
एचटी या ईएचटी मीटर	हर वर्ष कम से कम एक बार
एलटी 3— फेज मीटर	हर पाँच वर्ष में कम से कम एक बार
सिंगल फेज मीटर	हर पाँच वर्ष में कम से कम एक बार
	आईएस 15707: 2006 के अनुसार— एसी विद्युत मीटरों के परीक्षण, मूल्यांकन, स्थापना और रखरखाव की व्यवहार संहिता आईएस 2500 (भाग—I) में निर्दिष्ट अनुसार होगी।

- (iv) उपखंड (iii) में कुछ भी निहित होने के बादजूद, लाइसेंसधारी सार्वजनिक महत्व के संस्थानों जैसे कि अस्पतालों, हवाई अड्डे या निरंतर प्रक्रिया वाले उद्योगों के परिसर में या ऐसे परिसर में, जहां जीवन समर्थन प्रणाली है, स्थापित किये गए मीटर की केवल एक परस्पर सहमत तारीख और समय पर और आपूर्ति के न्यूनतम रुकावट के साथ मीटर के आवधिक परीक्षण की व्यवस्था करेगा।
- (v) जहां भी लागू हो, वर्तमान ट्रांसफार्मर (सीटी) और संभावित ट्रांसफार्मर (पीटी) और जुड़े तारों के कनेक्शन के साथ मीटर का परीक्षण किया जाएगा।

1/2½ fookn ds ekeys e**s**; k miHkkäk ds vu**j**k%k ij ehVj dk ijh{k.k djuk%k

(i) यदि किसी उपभोक्ता, लाइसेंसधारी द्वारा आवधिक परीक्षण के परिणाम पर विवाद करता है या लाइसेंसधारी से मीटर के दुबारा परीक्षण के लिए अनुरोध करता है, तो लाइसेंसधारी अनुरोध प्राप्त करने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, मीटर का परीक्षण करेगाः

और बशर्ते कि आयोग द्वारा अधिकृत एक मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला द्वारा मीटर का परीक्षण साइट पर किया जाएगाः

और बशर्ते कि आयोग द्वारा अधिसूचित मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला के अभाव में, लाइसेंसधारी द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में मीटर का परीक्षण किया जाएगा।

(ii) यदि मीटर को वोल्टेज में उतार—चढ़ाव या ट्रांजिएंट या घटकों की विफलता आदि से खराब या दोषपूर्ण या क्षतिग्रस्त पाया जाता है, तो लाइसेंसधारी द्वारा, उपभोक्ता से परीक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगाः और बशर्ते कि यदि इस तरह के परीक्षण के दौरान, उपभोक्ता के कारण होने वाले कारणों के कारण मीटर सही ढंग से रिकॉर्डिंग नहीं करता या दोषपूर्ण या क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो आयोग के आदेशों में अधिसूचित परीक्षण शुल्क के अनुसार लाइसेंसधारी द्वारा उपभोक्ता के अगले बिल में शुल्क लिया जाएगाः

- (iii) आयोग द्वारा अधिसूचित मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला या लाइसेंसधारी द्वारा अन्य मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला का निर्णय, जैसा भी मामला हो, लाइसेंसधारी और उपभोक्ता पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- (3) लाइसेंसधारी मीटर के परीक्षण की तारीख और समय के बारे में सूचित करते हुए उपभोक्ता को कम—से—कम 3 (तीन) दिन पूर्व नोटिस देगा, तािक उपभोक्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि, यदि ऐसा चाहें, तो मीटर के परीक्षण के दौरान उपस्थित रहें।
- (4) उपभोक्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि, यदि परीक्षण के दौरान उपस्थित हों तो लाइसेंसधारी का प्रतिनिधि आयोग द्वारा अधिसूचित मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला या लाइसेंसधारी की प्रयोगशाला, जैसा भी मामला हो, द्वारा जारी किए गए परीक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर परीक्षण में साक्षी होने का संकेत करें।
- (5) लाइसेंसधारी, लाइसेंसधारी और उपभोक्ता या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित मीटर परीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति उपभोक्ता को देगा, और पावती के रूप में एक ऐसी प्रतिलिपि अपने पास रखेगा।
- (6) लाइसेंसधारी या मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला, जैसा मामला हो सकता है, ऐसे सभी मीटर परीक्षणों का रिकॉर्ड रखती है और जब आवश्यक हो तब आयोग को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।
- (7) यदि परीक्षण के दौरान, मीटर गलत साबित होता है, तो लागू टैरिफ दरों पर सटीकता की सीमा से प्रतिशत त्रुटि के आधार पर, अधिकतम 6 (छः) महीनों के लिए या स्थापना की तारीख से परीक्षण की तिथि से 50% अवधि के लिए या पिछले परीक्षण की तारीख से 50% अवधि, जो भी कम हो, के लिए बिल को संशोधित किया जएगा और इस तरह के संशोधन के कारण अतिरिक्त या कमी को बाद के बिल (लों) में समायोजित किया जाएगा।

1/8% N\$M\RM+fd, x, ehVj dk ijh{k.k%}

- (i) यदि लाइसेंसधारी को पता चलता है कि मीटर से किए गए छेड़छाड़ के कारण विद्युत के अनिधकृत उपयोग और विद्युत की चोरी का मामला है, तो उस प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा अधिसूचित मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में मीटर का परीक्षण किया जाएगाः
 - और बशर्ते कि आयोग द्वारा अधिसूचित मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला के अभाव में, लाइसेंसधारी की प्रयोगशाला को छोडकर किसी भी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला में मीटर का परीक्षण किया जाएगा।
- (ii) लाइसेंसधारी साइट / उपभोक्ता के परिसर से मीटर को निकालेगा और उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में एक पात्र में रख कर इस पर पेपर सील लगाया जाएगा जो दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित होगा। यदि ग्राहक पेपर सील पर हस्ताक्षर करने से इनकार करते हैं, तो उसकी तस्वीर ली जाएगी और वीडियो बनाया जाएगा।
- (iii) लाइसेंसधारी आयोग द्वारा अधिसूचित मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला में मीटर के परीक्षण के लिए एक तारीख और समय निर्धारित करेगा और परीक्षण की तारीख और समय को सूचित करते हुए उपभोक्ता को कम से कम 3 (तीन) दिन पूर्व नोटिस देगा, उपभोक्ता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि, यदि ऐसा चाहें, तो ऐसे परीक्षण के दौरान उपस्थित हो सकते हैं।
- (iv) लाइसेंसधारी मीटर के साथ मोहरबंद पात्र को सुरक्षित रखेगा और अनुसूचित तिथि को परीक्षण के लिए आयोग द्वारा अधिसूचित मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला को सौंप देगा।
- (v) अगर आयोग द्वारा अधिसूचित मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला के परीक्षण के लिए मीटर के साथ मोहरबंद कंटेनर को सौंपने पर, यह पाया जाता है कि कंटेनर की मुहर क्षतिग्रस्त है या उससे छेड़छाड़ हुई है या वह लापता है, ऐसे सभी मामलों में लाइसेंसधारी अपनी लागत पर मीटर को बदलेगा और मीटर से छेड़छाड या संदिग्ध छेड़छाड के कारण उपभोक्ता के खिलाफ आगे कोई कार्यवाही या कार्य नहीं करेगा।
- (vi) आयोग द्वारा अधिसचित मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला निर्धारित समय पर मीटर का परीक्षण करेगी।
- (vii) यदि परीक्षण के परिणामस्वरूप, यह स्थापित किया गया है किः

क. मीटर से छेड़छाड़ नहीं की गई थी तो लाइसेंसधारी मीटर को मुफ्त में बदलेगा और परीक्षण के लिए कोई शुल्क नहीं लेगा, न ही उपभोक्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू करेगा।

ख. यदि मीटर से छेड़छाड़ की गई थी, लाइसेंसधारी कानून के प्रावधानों के अनुसार, विद्युत की चोरी या विद्युत के अनिधकृत उपयोग के मामले में लागू होने वाले नियमों के अनुसार, उपभोक्ता के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगा, जैसा भी मामला हो, और उपभोक्ता से आयोग के आदेशों में अधिसूचित परीक्षण शुल्क और मीटर की लागत वसूल करेगा।

33- pkj h gks x, ehVj &

चोरी हो गए मीटर के बारे में शिकायतों पर लाइसेंसधारी द्वारा केवल तब कार्रवाई की जाएगी, यदि उन्हें पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) की एक प्रति या उपभोक्ता द्वारा पुलिस में दर्ज शिकायत की पावती दी जाती है और ऐसे मामलों में लाइसेंसधारी वहाँ भी जांच करेगा।

34- nkški w kleh Vj@tyk gyvk eh Vj@pkyih gksx, eh Vj dsçfrLFkki u %

- (1) मीटर के दोषपूर्ण होने का संदेह होने या मीटर के जल जाने या चोरी होने की स्थिति में, लाइसेंसधारी इन विनियमों के तहत निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर एक नए मीटर के माध्यम से आपूर्ति को बहाल करेगाः
 - और बशर्ते कि यदि मीटर तुरंत नहीं बदला जा सकता है, तो भविष्य में नुकसान से बचने के लिए साइट पर आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के बाद लाइसेंसधारी इन नियमों के तहत निर्दिष्ट समय अविध के भीतर मीटर के बिना आपूर्ति को पुनर्स्थापित करेगा।
- (2) ऐसे सभी मामलों में, जहां बिना मीटर के आपूर्ति बहाल की जाती है, लाइसेंसधारी उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि को लिखित रूप में उसकी स्वीकृति देगा, जिस पर वह अपना पूरा नाम, आईडी कार्ड / कर्मचारी संख्या हस्ताक्षर दर्शाएगाः
 - और बशर्ते कि, जहां लाइसेंसधारी द्वारा मीटर के बिना आपूर्ति बहाल कर दी गई हो, मीटर का प्रतिस्थापन लंबित होने पर, मीटर के बिना आपूर्ति की अवधि के लिए विद्युत की चोरी का मामला दर्ज नहीं होगा और संदिग्ध दोषपूर्ण मीटर के प्रतिस्थापन के लिए उपभोक्ता की शिकायत या जला हुआ मीटर या मीटर की चोरी की सूचना को, इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त माना जाएगा।
- (3) लाइसेंसधारी और उपभोक्ता, जैसा भी मामला हो, भविष्य में ऐसे नुकसान से बचने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करेंगे।
- (4) निरीक्षण या परीक्षण के परिणामस्वरूप यदि यह स्थापित किया गया है कि लाइसेंसधारी के कारण वोल्टेज में उतार—चढ़ाव, ट्रांजिएंट आदि जैसे तकनीकी कारणों से मीटर दोषपूर्ण या क्षतिग्रस्त हो गया या जल गया है, तो मीटर और / या उसके संबंधित उपकरण के प्रतिस्थापन की लागत, जैसा कि मामला हो, लाइसेंसधारी द्वारा वहन किया जाएगा।
- (5) यदि यह स्थापित किया गया है कि उपभोक्ता की स्थापना में दोष, उपभोक्ता द्वारा अनिधकृत कनेक्शन जैसे उपभोक्ता की वजह से मीटर में खराबी या क्षतिग्रस्त हुई या वह जल गया था, तो मीटर तथा/अथवा इसके संबंधित उपकरण के प्रतिस्थापन की लागत, जैसा भी मामला हो, उपभोक्ता द्वारा वहन की जाएगी:
 - और बशर्ते कि, उपभोक्ता अपने मीटर तथा/अथवा संबद्ध उपकरण, जैसा कि मामला हो सकता है, लाइसेंसधारी को प्रदान कर सकता है।
- (6) चोरी किए गए मीटर के मामले में, मीटर तथा / अथवा संबंधित उपकरणों के प्रतिस्थापन की लागत का, जैसा भी मामला हो, उपभोक्ता या लाइसेंसधारी जो भी मीटर को सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार है, उसके द्वारा वहन किया जाएगा।
 - {Li "Vhdj.k% मीटर तथा/अथवा संबद्ध उपकरण के प्रतिस्थापन का मतलब उस उपकरण से होगा जिसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है न कि पूरी व्यवस्था से।}

35- Fkkod ea ehVj ds çfrLFkki u%

- (1) जहां आयोग के निर्देश मीटरों को थोक में बदला जाना है, ऐसी स्थिति में लाइसेंसधारी इस तरह के प्रतिस्थापन का कारण बताते हुए कम से कम चार दैनिक समाचार पत्रों में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी भाषा में कम से कम 3 (तीन) दिन अग्रिम में सार्वजनिक नोटिस जारी करेगा।
- (2) लाइसेंसधारी ऐसे मीटरों के प्रतिस्थापन के लिए तारीखों की क्षेत्रवार अनुसूची देगा।

36- ehVj dh ykxr‰

- (1) लाइसेंसधारी को नए कनेक्शन को सक्रिय करने के लिए आवश्यक मीटर की खरीद के लिए आयोग से सैद्धांतिक अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।
- (2) यदि मीटर को आयोग के निर्देशों पर प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है, तो किसी भी कारण से, लाइसेंसधारी मीटर की खरीद के लिए आयोग से पूर्व अनुमोदन लेंगे।
- (3) यदि खरीदे गए मीटरों की खेप में दोष, वितरण प्रणाली में ट्रांजिएंट, अनिधकृत उपयोग के लिए गलत बुकिंग या विद्युत की चोरी के मामले आदि किसी भी कारण से अपने उपयोगी जीवन से पहले मीटर को प्रतिस्थापित किया जाए, तो लाइसेंसधारी मीटर की लागत का वहन करेगा और वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- (4) यदि मीटर के जलने, विद्युत का अनिधकृत उपयोग, विद्युत की चोरी आदि जैसे उपभोक्ता की ओर से होने वाले कारणों की वजह से मीटर को अपने उपयोगी जीवन से पहले बदला जाता है, तो उपभोक्ता को पिछले वित्त वर्ष के दौरान लाइसेंसधारी द्वारा प्राप्त प्रत्येक प्रकार के मीटर की औसत लागत के आधार पर आयोग द्वारा अनुमोदित मीटर की लागत का वहन करना होगा।
- (5) यदि नए कनेक्शन को जारी करने या आयोग के निर्देशों के अनुसार आवेदक / उपभोक्ता द्वारा मीटर खरीदे जाते हैं, तो लाइसेंसधारी विद्युत के बिल (बिलों) में मीटर की लागत की प्रतिपूर्ति करेगाः
 - और बशर्ते कि (i) आवेदक / उपभोक्ता द्वारा खरीदे गए मीटर की वास्तविक लागत या (ii) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान लाइसेंसधारी द्वारा खरीदे गए मीटर की औसत के आधार पर मीटर की लागत से कम की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- (6) लाइसेंसधारी विस्तृत गणना के साथ अपनी वेबसाइट पर विभिन्न प्रकार के मीटर के लिए लागू लागत प्रदर्शित करेगा और आयोग को इसकी जानकारी देगा।

37- i & kb'k ds fy, ubl çks| kfxfd; ka dks vi ukuk% &

- (1) लाइसेंसधारी, आयोग की मंजूरी के साथ मीटरिंग में उचित संचार प्रणाली के माध्यम से प्री—पेमेंट मीटर, टाइम ऑफ द डे मीटर (टीओडी), स्मार्ट मीटर और ऑटोमेटिक रिमोट मीटर रीडिंग सिस्टम, आदि नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए एक योजना तैयार करेगा।
- (2) इस तरह के मीटर समय—समय पर संशोधित, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटर के अधिष्ठापन एवं प्रचालन) विनियम, 2006 द्वारा अधिसूचित तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप होंगेः

और बशर्ते कि, लाइसेंसधारी, आयोग से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, सेवा कनेक्शन समझौते में विशेष मीटरिंग सिस्टम के अनुरूप आवश्यक विशेष शर्तें शामिल कर सकता है:

और बशर्ते कि, जब विद्युत की आपूर्ति के लिए प्री-पेमेंट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है, विद्युत शुल्क के लिए प्रतिभूति जमा नहीं ली जाएगी और उपभोक्ता पूर्व भुगतान के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित रूप में छूट के लिए पात्र होंगे।

fcy cukuk

38- I kekU:

- (1) विनियम 30 के तहत प्रदान किए गए प्रावधानों को छोड़कर, लाइसेंसधारी, प्रत्येक बिलिंगचक्र के लिए वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर बिल तैयार करेगा जिसमें निजी उपभोग के लिए लाइसेंसधारी के परिसर में स्थापित मीटर शामिल हैं और उपभोक्ता को बिल दिया जाएगाः
 - यह कि, नए कनेक्शन या मीटर के प्रतिस्थापन के मामले में, पहले दो बिलिंगचक्रों के लिए कोई अनंतिम बिल जारी नहीं किया जाएगा।
- (2) जब तक लाइसेंसधारी और उपभोक्ता के बीच एक अलग अवधि के लिए बिल तैयार करने के लिए कोई विशिष्ट समझौता न हो और इसमें आयोग के आदेशों में अधिसूचित सभी विवरण शामिल हों, लाइसेंसधारी बिल के चक्र के अनुसार सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए बिल बनाएगाः
 - अगर लाइसेंसधारी और उपभोक्ता के बीच कोई विशिष्ट समझौता नहीं किया गया है, तो बिलिंगचक्र न्यूनतम 30 (तीस) दिन और अधिकतम 35 (तीस) दिनों के लिए होगा।
 - नए कनेक्शन के मामले में, बिलिंगचक्र कनेक्शन को ऊर्जित करने की तारीख से उस बिलिंगचक्र के अंतिम दिन तक होगा और विच्छेदन के मामले में बिलिंगचक्र, बिलिंगचक्र के पहले दिन से विच्छेदन की तारीख तक की अवधि को संदर्भित करेगा।
- (3) लाइसेंसधारी अपनी वेबसाइट पर बिलिंगचक्र के जिलावार/मंडल वार विभाजन के विवरण को अपलोड करेगा।
- (4) लाइसेंसधारी बिल के उत्पादन के दिन अपनी वेबसाइट पर बिल को अपलोड करेगा और उपभोक्ता को बिल जारी करने और उसके भुगतान की तारीख को एसएमएस या ईमेल के माध्यम से सूचित करेगा, जैसा कि मामला हो।
- (5) ग्राहक के पास हार्ड कॉपी या ई—मेल जैसे इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से बिल प्राप्त करने का विकल्प होगा। इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से बिल प्राप्त करने का विकल्प चुनने वाले उपभोक्ता को उस के लिए पंजीकरण कराना होगाः

वितरण लाइसेंसधारी उपभोक्ता द्वारा पंजीकरण की तारीख से 3 (तीन) बिलिंगचक्रों की लगातार अवधि के लिए हार्ड कॉपी और ई—मेल जैसे इलेक्ट्रॉनिक मोड दोनों में बिल वितरित करेगाः

और बशर्ते कि लगातार 3 (तीन) बिलिंगचक्रों के बाद, लाइसेंसधारी बिल की हार्ड कॉपी की डिलीवरी को रोक सकता है।

- (6) बिल के भुगतान के लिए बिल उत्पादन और देय तिथि के बीच 15 (पन्द्रह) दिनों का स्पष्ट अंतराल होगाः
- (7) लाइसेंसधारी द्वारा अपनी वेबसाइट पर सभी उपभोक्ताओं के लिए अंतिम 12 (बारह) महीनों का बिलिंग विवरण और भुगतान प्राप्त करने का विवरण उपलब्ध कराया जाएगा।
- (8) विनियम 30 के तहत प्रदान किए गए प्रावधान को छोड़कर, यदि लाइसेंसधारी द्वारा किसी खंड में एक से अधिक बिलिंगचक्र की लगातार अवधि के लिए एक बिल बनाया गया है:
 - (i) उपभोक्ता बिलिंगचक्र की संख्या के आधार पर जिसके लिए बिल बनाया गया है, समान मासिक किश्तों में भृगतान करने का हकदार होगा। इसका बिल में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा।
 - (ii) ऐसे बिलों पर देर से भुगतान का अधिभार नहीं लगाया जाएगा, जिसमें किश्तें भी शामिल हैं।
- (9) मूल बिल की प्राप्ति के मामले में उपभोक्ता किसी भी लाइसेंसधारी के कार्यालय से बिल की दूसरी प्रतिलिपि नि:शुल्क प्राप्त करने का हकदार होगा। हालांकि, उसी बिल की बाद कोई भी प्रतिलिपि उपभोक्ता द्वारा आयोग के आदेशों में अधिसूचित शुल्क के भुगतान पर प्राप्त की जा सकती है।
- (10) प्री—पेड मीटरिंग के मामले में, लाइसेंसधारी महीने के अंत के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर उपभोक्ता को मासिक आधार पर एक विवरण जारी करेगा।
- (11) प्री—पेड मीटरिंग के मामले में, लाइसेंसधारी, उपभोक्ता को लागू टैरिफ ऑर्डर में अधिसूचित रूप में छूट प्रदान करेगा।

39- nkski w k2; k {kfrxiLr ehVj ds ekeys es fcy cukuk%&

(1) अनंतिम बिलिंग को छोड़कर, उपभोक्ता को पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान दर्ज वास्तविक औसत उपभोग के आधार पर बिल भेजा जाएगाः

यदि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान दर्ज वास्तविक खपत उपलब्ध नहीं है या आंशिक रूप से उपलब्ध नहीं है, तो बिलिंग के उद्देश्य के लिए अस्थायी बिलिंग को छोड़कर मीटर के दोषपूर्ण होने या ऐसा होने की रिपोर्ट करने की तारीख से तत्काल पहले के पिछले 6 (छह) बिलिंग चक्रों की वास्तविक औसत खपत का उपयोग किया जाएगाः

यदि पिछले 6 (छह) महीनों की वास्तविक औसत खपत उपलब्ध नहीं है या आंशिक रूप से उपलब्ध नहीं है, तो बिलिंग के उद्देश्य के लिए नए मीटर की स्थापना के बाद अनंतिम बिलिंग को छोड़कर अगले 3 (तीन) बिलिंगचक्रों की औसत खपत का उपयोग किया जाएगा।

- (2) उप–विनियमन (1) के अनुसार, मीटर की स्थापना या परीक्षण की तारीख से मीटर को प्रतिस्थापित किए जाने की तारीख से 50% की अवधि के औसत उपभोग के आधार पर जो भी कम होता है, शूल्क लगाया जाएगाः
 - और बशर्ते कि प्रभारों की अधिकतम अवधि 6 (छः) महीनों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
 - और बशर्ते कि उपभोक्ता द्वारा पहले भुगतान की गई राशि, मीटर के दोषपूर्ण या क्षतिग्रस्त होने की अविध के लिए, इस बिल में समायोजित की जाएगी।
- (3) ऊपर के उप–विनियम छेड़छाड़ किए गए मीटर के मामले में लागू नहीं होंगे, उसके लिए कानून के प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी।

40- tys gq ehVj ds ekeys ea fcy cukuk% &

(1) उस अवधि के लिए जिसमें मीटर की रीडिंग नहीं ली गई थी, विद्युत शुल्क का बिल अस्थायी बिलिंग को छोडकर, पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान दर्ज वास्तविक औसत उपभोग के आधार पर भेजा जाएगाः

यदि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान दर्ज वास्तविक खपत उपलब्ध नहीं है या आंशिक रूप से उपलब्ध नहीं है, तो बिलिंग के उद्देश्य के लिए अस्थायी बिलिंग को छोड़कर, मीटर के दोषपूर्ण या क्षतिग्रस्त होने या उसके दोषपूर्ण होने की रिपोर्ट करने की तारीख से पहले के पिछले 6 (छह) बिलिंगचक्रों की अवधि के वास्तविक औसत मीटर खपत का उपयोग किया जाएगाः

और बशर्ते कि यदि पिछले 6 (छः) महीनों की वास्तविक औसत खपत उपलब्ध नहीं है या आंशिक रूप से उपलब्ध नहीं है, तो बिलिंगके उद्देश्य के लिए नए मीटर की स्थापना के बाद अनंतिम बिलिंगको छोड़कर, अगले 3 (तीन) बिलिंग चक्रों की औसत खपत का उपयोग किया जाएगा ।

(2) उपरोक्त उप–विनियमन विद्युत की छेड़छाड़ या अनाधिकृत अमूर्त के कारण जले मीटर के मामले में लागू नहीं होगा, जिसके लिए कानून के प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई शुरू हो जाएगी।

41- pkj h fd, x, ehVj ds ekeys ea fcy cukuk% &

उस अवधि के लिए जब मीटर की रीडिंग नहीं हुई थी, अस्थायी बिलिंग को छोड़कर, पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान दर्ज वास्तविक औसत उपभोग के आधार पर बिल भेजा जाएगाः

और बशर्ते कि, यदि पिछले वर्ष की इसी अविध के दौरान दर्ज वास्तविक खपत या तो उपलब्ध नहीं है या आंशिक रूप से उपलब्ध नहीं है, तो बिलिंग के उद्देश्य के लिए मीटर के खराब या दोषपूर्ण होने या उसकी रिपोर्ट की तारीख से पहले के, अस्थायी बिल को छोड़कर, पिछले 6 (छः) बिलिंग चक्रों की वास्तविक औसत खपत का उपयोग किया जाएगाः

और बशर्त कि, यदि पिछले 6 (छः) महीनों की वास्तविक औसत खपत या तो उपलब्ध नहीं है या आंशिक रूप से उपलब्ध नहीं है, तो बिलिंग के उद्देश्य के लिए नए मीटर की स्थापना के बाद अनंतिम बिलिंग को छोड़कर, अगले 3 (तीन) बिलिंग चक्रों के लिए औसत खपत का उपयोग किया जाएगा।

42- cdk, dh ol nyh% &

- (1) लाइसेंसधारी बिल बनाए जाने की तारीख तक मांग नोट के मामले में नियमित रूप से बिल में सभी मूल्यांकन बिल, ब्याज या देर से भूगतान अधिभार सहित सभी बकाया राशियों का अलग से संकेत करेगा।
- (2) यदि एक उपभोक्ता के लिए अलग मांग नोट के माध्यम से, मूल्यांकन बिल आदि बनाया जाता है और वह बकाया रहता है, तो उसे अगले दो बिलिंग चक्रों के नियमित बिल में शामिल किया जाएगा और यह प्रत्येक बिल में परिलक्षित होगा।
 - और बशर्ते कि यदि बकाया राशि बिल में निरंतर वसूली योग्य रूप में प्रतिबिंबित नहीं होती है, तो लाइसेंसधारी बकाया राशि का दावा करने या उसे ठीक करने के अपने अधिकार को खो देगा।
- (3) लाइसेंसधारी जिस तिथि से बकाया हो, उस अवधि के लिए देरी से भुगतान के लिए लागू दरों पर, उपभोक्ता से बकाया शुल्क या देर से भुगतान के शुल्क के साथ बकाया राशि, जैसा भी मामला हो सकता है, वसूलने का हकदार होगा।
- (4) अधिनियम की धारा 56 (2) के अधीन, बिल या डिमांड नोटिस में बताई गई तारीख से यदि बकाया राशि या देर से भुगतान के अधिभार के साथ बकाया राशि, जैसा भी मामला हो सकता है, लाइसेंसधारी उपभोक्ता को संबंधित नोटिस देने के बाद विद्युत की आपूर्ति बंद कर सकता है और संबंधित कानूनी प्रावधानों के अनुसार बकाए की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू कर सकता है।

Hkoxrku

43- miHkkäk }kjk Lo; a enV; kadu ij Hkoxrku% &

- (1) बिल प्राप्ति न होने के मामले में, उपभोक्ता ने जो बिल प्राप्त नहीं किया है उसके लिए खुद—निर्धारित बिल जमा कर सकता है:
 - और बशर्ते कि ऐसा स्व-मूल्यांकित विद्युत शुल्क अंतिम बिलिंगचक्र पर आधारित शुल्क से कम नहीं होगा।
- (2) उपभोक्ता द्वारा किए गए भूगतान को अगले बिल में समायोजित किया जाएगा।

44- mi Hkkäk }kjk vunekfur fcykni dk vfxæ Hknxrku%&

यदि कोई उपभोक्ता बिलों का अग्रिम भुगतान करने का इरादा रखता है, तो लाइसेंसधारी उसे स्वीकार करेगा और भुगतान की गई राशि को बाद के बिलों में विद्युत और अन्य शुल्कों के लिए समायोजित किया जाएगा।

45- fookfnr fcy% &

- (1) विनियमन 72 के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकार के अधीन, बिल की सटीकता के संबंध में कोई भी शिकायत उपभोक्ता द्वारा लिखित में लाइसेंसधारी द्वारा बिल जारी करने के लिए नियुक्त अधिकारी को दी जाएगी:
 - और बशर्ते कि शिकायत के लंबित समाधान तक, उपभोक्ता पिछले 3 (तीन) महीने के निरंतर निर्विवादित बिलों की औसत खपत के आधार पर राशि का भुगतान करेगाः
 - और बशर्ते कि बरामद राशि, अंतिम समायोजन या शिकायत के समाधान के अधीन होगी।
- (2) बिल की शुद्धता के संबंध में किसी भी उपभोक्ता की शिकायत पर, लाइसेंसधारी के नामित अधिकारी तुरंत एक समीक्षा करेगाः
 - यदि कोई अतिरिक्त जानकारी आवश्यक है, तो उसे उपभोक्ता से प्राप्त किया जाएगा।

- (3) अगर समीक्षा से यह पता चलता है कि बिल गलत है, तो लाइसेंसधारी के नामित अधिकारी सभी आवश्यक विवरणों के साथ, शिकायत की प्राप्ति या उप—विनियमन (2) के तहत अतिरिक्त जानकारी, जो भी बाद में हो, के 7 (सात) दिनों के भीतर, उपभोक्ता के खाते को उचित रूप से समायोजित करें:
 - बशर्ते कि यदि किसी वित्तीय वर्ष में दूसरी बार गलत बिल जारी किया गया है, तो उपभोक्ता विनियमन की अनुसूची—I में विनिर्दिष्ट अनुसार प्रभावित उपभोक्ता मुआवजा प्राप्त करने का हकदार होगा और लाइसेंसधारी उसका भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (4) उपभोक्ता को संशोधित बिल की राशि के भुगतान के लिए 15 (पन्द्रह) दिन का समय दिया जाएगा और यदि नियत तारीख पर या उससे पहले संशोधित भुगतान किया गया है तो उससे देर से भुगतान का कोई अधिभार नहीं लिया जाएगा।
- (5) अगर शिकायत को गलत पाया गया, तो उपभोक्ता को तुरंत सूचित किया जाएगा और ऐसी सूचना के 7 (सात) दिनों के भीतर या मूल बिल के अनुसार नियत तारीख, जो भी बाद में हो, मूल बिल के अनुसार शेष राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाएगा, यदि भुगतान की ऐसी नियत तारीख के बाद भुगतान किया जाता है, या इसमें असफल रहने पर उपभोक्ता शेष राशि पर देर से भुगतान अधिभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

46- foyfor Hkorkuka ds fy, fcy vký 'kd/d dk Hkorku% &

- (1) उपभोक्ता लाइसेंसधारी को निर्दिष्ट नियत तारीख पर या उससे पहले बिल की पूरी राशि का भुगतान करेगा, जिसके लिए लाइसेंसधारी रसीद जारी करेगा।
- (2) विनियमन 45 (5) के अधीन, अगर उपभोक्ता बिल की रकम को नियत तारीख या उससे पहले प्रेषित करने में विफल रहता है, तो लाइसेंसधारी को आयोग के आदेश में लागू दर से, बिल की बकाया राशि पर देर से भूगतान अधिभार प्राप्त करने का अधिकार होगा।
- (3) वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा उपभोक्ताओं से भुगतान प्राप्त करने में होने वाली देरी के दिनों की संख्या के लिए देर से भुगतान अधिभार का आनुपातिक शुल्क लिया जाएगा। देर से भुगतान अधिभार के लिए किसी भी भुगतान का समायोजन अगले बिल में किया जाएगा।
- (4) यदि उपभोक्ता नियत तारीख के भीतर राशि प्रेषित करने में विफल रहता है, तो लाइसेंसधारी विनियमों में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार आपूर्ति को बंद कर सकता है।
 - और बशर्ते कि लाइसेंसधारी उप–विनियमन (2) में निर्दिष्ट के अनुसार उपभोक्ता को बिल में निर्दिष्ट नियत तारीख से तीस दिनों की विस्तारित अवधि के भीतर देर से भुगतान अधिभार का बिल प्रेषित करने की अनुमति दे सकता है।

1/5½ Hkoxrku dk çdkj %&

- (i) उपभोक्ता आयोग द्वारा अपने दर आदेश में अधिसूचित भुगतान की किसी भी विधि के अनुसार बिल की राशि का भुगतान करेगा।
- (ii) लाइसेंसधारी उपयुक्त व्यवस्था करेगा ताकि उपभोक्ता को डाक या कूरियर द्वारा किसी भी नामित संग्रह कार्यालयों पर चेक या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा या लाइसेंसधारी द्वारा नामित स्थानों, नामित बैंकों आदि में रखे गए ड्रॉप बॉक्स में डालने और बैंक हस्तांतरण, ऑनलाइन भुगतान, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और 'कहीं से भी भुगतान प्रणाली' आदि के माध्यम से बिल जमा करने में सक्षम किया जा सके।
- (6) लाइसेंसधारी आवश्यक सुविधाओं के साथ उपयुक्त स्थानों पर दल संग्रह केंद्रों सिहत पर्याप्त संख्या में संग्रह केंद्र स्थापित करेगा और जहां तक संभव हो, विरष्ठ नागरिकों, महिलाओं और अलग—अलग विकलांग व्यक्तियों के लिए अलग—अलग संग्रह खिड़की बनाएगा।
- (7) लाइसेंसधारी चेक मशीन स्वीकार करने वाले बॉक्स स्थापित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगा।
- (8) बिल के भुगतान के लिए निर्धारित तिथि को रविवार या सार्वजनिक अवकाश होने पर, किसी भी देर से भुगतान अधिभार के बिना अगले कार्य दिवस पर भुगतान स्वीकार किया जाएगा।

47- fcy ds Hkokrku dh jl hn%

- (1) लाइसेंसधारी बिल के प्रत्येक भूगतान के लिए उपभोक्ता को रसीद देगा।
- (2) नकद में प्राप्त कोई भुगतान को इसकी प्राप्ति की तारीख पर उपभोक्ता के खाते में जमा किया जाएगा।
- (3) मनी ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट या नामित संग्रह कार्यालयों में चेक द्वारा बिल का भुगतान करने के मामले में, लाइसेंसधारी उसकी प्राप्ति की तारीख को उसे उपभोक्ता के खाते में जमा कर देगाः

और बशर्ते कि यदि उपभोक्ता द्वारा जारी किए गए चेक को संग्रह के लिए प्रस्तुति पर अस्वीकार कर दिया जाता है, तो उपभोक्ता नए चेक के माध्यम से भुगतान करने का हकदार होगा और लाइसेंसधारी उसकी प्राप्ति की तारीख पर उपभोक्ता के खाते में उसे जमा कर देगाः

और बशर्ते कि, लौटाए गए चेक के प्रत्येक मामले के लिए, लाइसेंसधारी, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 और ऐसे अन्य कानूनों के तहत मामला शुरू करने के लिए लाइसेंसधारी के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उपभोक्ता से आयोग के आदेश में अधिसूचित राशि जमा करवाएगाः

यह भी बताया गया है कि यदि उपभोक्ता द्वारा दिया गया चेक बारह महीने की लगातार अवधि में दूसरी बार अमान्य हो जाता है, तो अगले छह बिलिंग चक्रों का भुगतान केवल डिमांड ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक मोड से प्राप्त किया जाएगा।

- (4) बैंक द्वारा या ऑन—लाइन हस्तांतरण अथवा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से ऑन—लाइन भुगतान या उपभोक्ता के स्थायी अनुदेश पर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा से बैंक द्वारा प्रेषण के मामले में, प्राप्त राशि को लाइसेंसधारी द्वारा ऐसी प्राप्ति के दिन उपभोक्ता के खाते में जमा किया जाएगा।
- (5) सभी मामलों में, व्यक्तिगत भुगतान सहित, भुगतान को अगले बिल में स्वीकार किया जाएगा

48- çkir jkf'k dk vuqdıyu%&

उपभोक्ता द्वारा किए गए सभी भुगतान प्राथमिकता के निम्नलिखित क्रम में समायोजित किए जाएंगेः

- (1) विद्युत शुल्क का बकाया और विद्युत शुल्क / कर के संबंधित बकाया।
- (2) वर्तमान विद्युत शुल्क और संबंधित वर्तमान विद्युत शुल्क / कर
- (3) विविध शुल्क
- (4) देर से भुगतान अधिभार

49- çkj filkd likoxrku dsfy, fall di lifo/kk vkji çkil kgu% &

लाइसेंसधारी, आयोग के पूर्व अनुमोदन के साथ, उपभोक्ताओं द्वारा बिलों के भुगतान के लिए किश्त की सुविधा, प्रारंभिक भुगतान के लिए प्रोत्साहन, इलेक्ट्रॉनिक मोड आदि के माध्यम से भुगतान सहित एक योजना तैयार और कार्यान्वित कर सकता है।

V/; k; & VIfMLduD'ku rFkk fj duD'ku

50- fMLduD'ku dsvk/kkj &

लाइसेंसधारी निम्नलिखित किसी एक अथवा अधिक आधारों के सिवाय किसी उपभोक्ता को विद्युत की आपूर्ति डिस्कनेक्ट नहीं करेगा:-

- (1) यदि उपभोक्ता नोटिस में अनुबद्ध अवधि के भीतर लाइसेंसधारी को देय भुगतानों की अदायगी में चूक करता हैं।
- (2) यदि उपभोक्ता विद्युत की चोरी में लिप्त पाया जाए।
- (3) यदि उपभोक्ता इस अधिनियम की धारा 163 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए अपने परिसरों या भूमि में प्रविष्टि के लिए किसी लाइसेंसधारी या लाइसेंसधारी द्वारा विधिवत प्राधिकृत किसी व्यक्ति को अनुमति देने से मना करता।
- (4) यदि लाइसेंसधारी को उपभोक्ता की सहमित से ऐसा करने का हक हो।
- (5) विनियम 8 के अनुसार अनुमेय सीमाओं के भीतर हार्मोनिक्स जनरेट करने के लिए कारगर कदम उठाने की अनुपालन में उपभोक्ता की विफलता पर।
- (6) विनियम 31 के अनुसार मीटर को सुलभ कराने में उपभोक्ता की विफलता पर।
- (7) यदि लाइसेंसधारी ऐसे किसी अधिदेश को जारी करने में सक्षम, किसी विधायी प्राधिकारी के आदेशानुसार ऐसा करने के लिए अधिदेशित हो।
- (8) यदि उपभोक्ता को विद्युत की आपूर्ति विनियमों के किन्हीं प्रावधानों के अनुसार डिस्कनेक्ट किए जाने के अधीन हो।

51- fMLduD'ku dh i fof/k

(1) इन विनियमों में अन्यथा यथा उपलब्ध की रक्षा करते हुए लाइसेंसधारी किसी उपभोक्ता को डिस्कनेक्शन के आधारों के बारे में उपभोक्ता को सूचित करने के लिए कम से कम 15 स्पष्ट दिनों, इन पंद्रह स्पष्ट दिनों को सर्व करने की तारीख से समझा जाएगा तथा उसे लिखित डिस्कनेक्शन नोटिस दिए बिना उसकी विद्युत आपूर्ति डिस्कनेक्ट नहीं करेगा।

परन्तु विद्युत की चोरी का पता लगने के मामले में, विद्युत की आपूर्ति इस अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (1ए) में दिए गए अनुसार तुरन्त डिस्कनेक्ट की जाएगी:—

परन्तु निम्नलिखित मामलों में भी डिस्कनेक्शन किया जा सकता है:-

- (i) विनियम 50(1) लाइसेंसधारी नोटिस अवधि के समाप्त होने पर भी विद्युत की आपमर्ति डिस्कनेक्ट कर सकता है।
- (ii) विनियम 50(5), विनियम 8 के प्रावधान लागू होंगे।
- (iii) विनियम 50(6) विनियम 31 के प्रावधान लागू होंगे।
- (iv) विनियम 50(7) विधायी प्राधिकरण के आदेश के प्रावधान लागू होंगे।
- (2) केवल जब आपूर्ति डिस्कनेक्ट की जाएगी यदि नोटिस में यथा विनिर्दिष्ट डिस्कनेक्शन के आधार नोटिस की अवधि में नहीं हटाए जाते हैं या संशोधित नहीं किए जाते हैं।
- (3) विनियम 50(1), 50(4), 50(5), 50(6), 50(7) के अंतर्गत आपूर्ति बैंक अवकाश दिवसों या 12 बजे अपराह्न के उपरान्त डिस्कनेक्ट नहीं की जाएगी।

52- vuf/k—r fjduD'ku I s jksdFkke:-

- (1) उपभोक्ता लाइसेंसधारी की प्रणाली से या अन्य किसी उपभोक्ता के जीवंत कनेक्शन से अप्राधिकृत रूप से अपनी आपूर्ति रिकनेक्ट नहीं करेगा।
- (2) यदि उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से लाइसेंसधारी की प्रणाली से अप्राधिकृत कनेक्शन में लिप्त पाया जाता है, तो लाइसेंसधारी इस अधिनियम की धारा 138 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई प्रारंभ कर सकता है।
- (3) यदि उपभोक्ता अन्य किसी उपभोक्ता की आपूर्ति से अप्राधिकृत रिकनेक्शन में लिप्त पाया जाता है तो लाइसेंस धारी ऐसे उपभोक्ता जिसने विद्युत की आपूर्ति उपलब्ध कराई है, के खिलाफ विद्युत के अप्राधिकृत उपयोग के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई कर सकता है:-

परन्तु डिस्कनेक्ट किए गए कनेक्शन के लम्बित भुगतान ऐसे कनेक्शन की अनुमित देने वाले उपभोक्ता के एकाउन्ट में ट्रांसफर किए जाएंगे।

53- milkkäk ds vunjkyk ij fn, duD'ku %-

(1) यदि उपभोक्ता चाहता है कि उसकी विद्युत आपूर्ति डिस्कनेक्ट की जाए तो उसे आयोग के आदेश में निर्धारित फार्मेट में या आयोग द्वारा समय समय पर यथा अनुमोदित फार्मेट में लाइसेंसधारी को कम से कम 5 दिन पूर्व आवेदन करना होगा:—

बशर्ते कि लाइसेंसधारी अल्पावधि का नोटिस स्वीकार करे।

- (2) लाइसेंसधारी को विशेष रीडिंग लेनी होगी तथा विनिर्दिष्ट तारीख को आपूर्ति डिस्कनेक्ट करेगा।
- (3) लाइसेंसधारी डिस्कनेक्शन की तारीख से 5 दिवसों के भीतर प्रतिभूति जमा राशि के समायोजन के उपरान्त ऐसे बिलों, यदि कोई हो, की तारीख तक की सभी बकाया राशियों सहित अन्तिम बिल तैयार करेगा।

- (4) भुगतान के प्राप्त होने पर लाइसेंसधारी इस पर अन्तिम बिलों मोहर वाली रसीद जारी करेगा। यह रसीद 'नो ड्यूज प्रमाणपत्र' समझी जाएगी। परंतु यह भुगतान निर्धारित तिथि में आनलाइन किया जाता है, लाइसेंसधारी उपमोक्ता को आनलाइन 'नो ड्यूज प्रमाणपत्र' जारी करेगा।
- (5) यदि भुगतान निर्धारित तारीख में नहीं किया जाता है तो उपभोक्ता को केवल लाइसेंसधारी के काउन्टर पर विलम्बित अदायगी अधिकार, यदि कोई हो, के साथ अदायगी करनी अपेक्षित होगी।
- (6) यदि उपभोक्ता को लाइसेंसधारी द्वारा राशि लौटायी जानी है तो लाइसेंसधारी अन्तिम बिल के साथ नो ड्यूज प्रमाण पत्र जारी करेगा तथा डिमांड ड्राफ्ट या इलेक्ट्रानिक निकासी प्रणाली के माध्यम से 15 दिन के भीतर ऐसे डिस्कनेक्शन की तारीख तक प्रोद्भत ब्याज सहित शेष प्रतिभृति जमा राशि लौटाएगा।
- (7) अतः लाइसेंसधारी को बिलिंग की इस तारीख से पूर्व की किसी अवधि के लिए कोई प्रभार उगाहने का कोई अधिकार नहीं होगा।

54- fjduD'ku%

(1) किसी अस्थाई डिस्कनेक्शन के मामले में, लाइसेंसधारी विगत ड्यूज तथा प्रयोज्य प्रभार, यदि कोई हो तथा अपेक्षित औपचारिकताओं के पूरा होने की अदायगी के 24 घण्टे के भीतर उपभोक्ता संस्थापना को विद्युत आपूर्ति बहाल करेगा:—

परन्तु लाइसेंसधारी डिस्कनेक्शन नोटिस में उपभोक्ता को फिर से कनेक्शन के लिए सभी लागू प्रभारों को सुचित करेगा।

इससे आगे यह भी शर्त है कि यदि कोई उपभोक्ता देश से बाहर चला जाता है और विलेखीकृत साक्ष्य उपलब्ध कराता है, लाइसेंसधारी रिकनेक्शन प्रभार नहीं लगाएगा।

- (2) कनेक्शन के स्थाई रूप से कट जाने पर पुनः कनेक्शन के लिए पिछला बकाया तथा लागू शुल्क अदा करना होगा; यदि आवश्यक हो तो तथा नए कनेक्शन के लिए सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करना होगा।
- (3) या तो गलती से या बिना किसी नोटिस के लाइसेंसधारी द्वारा आपूर्ति के डिस्कनेक्शन के मामले में आपूर्ति का रिकनेक्शन बिना किसी प्रभार के लगाए, जिसमें रिकनेक्शन प्रवाह भी शामिल है ऐसे डिस्कनेक्शन के समय से 24 घण्टे में लगाया जाएगा।

$\sqrt{\ }$ k; & **VII** $\sqrt{\ }$ kf/k—r mi ; kx] pkgh rFkk $\sqrt{\ }$ vfu; ferrk, a

55- I kekU; %-

- (1) लाइसेंसधारी इस अधिनियम के भाग 12, 14 15 विनियमों तथा आयोग के आदेशों की प्रविधि में निर्धारित प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसरण में उपभोक्ता द्वारा वचनबद्ध विद्युत के अप्राधिकृत उपयोग, चोरी तथा अन्य अनियमिताओं के खिलाफ कार्यवाहियां प्रारंभ करेगा।
- (2) लाइसेंसधारी अधिनियम की धारा 126 के अंतर्गत निर्धारण अधिकारियों की सूची, इस अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारियों तथा इस अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (1ए) के अंतर्गत आपूर्ति डिस्कनेक्ट करने के लिए आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा तथा अपने स्थानीय कार्यालयों में प्रमुख स्थलों पर ऐसी सूची लगाएगा।
- (3) लाइसेंसधारी सभी निर्धारण अधिकारियों तथा प्राधिकृत अधिकारियों को विशिष्ट रूप से उनका पदनाम तथा उनके प्राधिकार का विवरण दर्शाते हुए उन्हें फोटो पहचान पत्र जारी करेगा।
- (4) परिसरों के निरीक्षण के दौरान, सभी मामलों में, निर्धारण अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी जैसा भी मामला हो, परिसरों का निरीक्षण कार्य सम्पन्न होने तक सम्पूर्ण कार्यवाहियों का वीडियोग्राफ बनाएगाः
 - बशर्ते वीडियोग्राफ में उपभोक्ता फोटो विजिटिंग कार्ड, निरीक्षण रिपोर्ट के हस्ताक्षर, कुर्की ज्ञापन आदि पर हस्ताक्षर की उपभोक्ता द्वारा स्वीकारोक्तियां इन्कार शामिल होगा।
- (5) लाइसेंसधारी इस अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 के अंतर्गत बुक किए गए सभी मामलों का रखरखाव तथा रिकोर्ड मासिक आधार पर आयोग को प्रस्तुत करेगा।

- (6) यदि कोई उपभोक्ता अप्राधिकृत उपयोग में तथा विद्युत की चोरी में लिप्त हुआ पाया जाता है तो उपभोक्ता को विद्युत की चोरी में बुक किया जाएगा।
- (7) यदि विद्युत का अप्राधिकृत उपयोग अन्तिम रूप से संस्थापित किया जाता है तो, लाइसेंस जारी निरीक्षण की तारीख से उपभोक्ता की आपूर्ति की श्रेणी बदलेगा तथा सामान्य प्रयोजन शुल्क के अनुसार बिल दिया जाएगा।

vf/kfu; e dh /kkjk 126 dsvUrxir fo | qr dk vi kf/k—r mi; ksx

56 fu/kk/j.k vf/kakjh }kjk ifjl jkarFkk fo|qr l 1LFkki ukvkadk fujh{k.k%

(1) निर्धारण अधिकारी या तो स्व प्रेरणा से या विद्युत की अप्राधिकृत उपयोग से संबंधित सूचना की प्राप्ति पर किन्हीं परिसरों का शीघ्र ही निरीक्षण करेगा:—

परन्तु निर्धारण अधिकारी निरीक्षण करने के लिए लाइसेंसधारी के कर्मचारियों की सहायता प्राप्त कर सकता है।

- (2) निर्धारण अधिकारी विनियमन 55(3) के अन्तगर्त जारी फोटो आईकार्ड तथा अपने फोटो वाला विजिटिंग कार्ड साथ ले जाएगा।
- (3) फोटो आईकार्ड दिखाया जाएगा तथा अपने फोटो वाला विजिटिंग कार्ड परिसरों में प्रविष्टि से पूर्व उपभोक्ता को सौंपा जाएगा।
- (4) निर्धारण अधिकारी अन विनियमों के अन्तर्गत प्रावधानों के अनुसार निरीक्षण / साइट रिपोर्ट तैयार करेगा।
- (5) विद्युत के अप्राधिकृत उपयोग का कोई मामला निम्नलिखित मामलों में लाइसेंसधारी द्वारा बुक नहीं किया जाएगा:-
 - (i) जहां उपभोक्ता उच्चतर शुल्क श्रेणी के लिए विद्युत प्रभार अदा करता रहा है परंतु कमतर शुल्क श्रेणी के लिए विद्युत का उपयोग किया है।
 - (ii) जहां उपभोक्ता शुल्क की समान श्रेणी के भीतर स्वीकृत भार या संविदा मांग, जैसा भी मामला हो, से अधिक विद्युत का उपयोग कर रहा है, तथा
 - (iii) जहां आपूर्ति की श्रेणी में स्वप्रेरणा से परिर्वतन लाइसेंसधारी पर निर्भर होगा।

57. fu/kklj.k vf/kdkjh }kjk fjiksVl dh r\$kjh%-

- (1) विद्युत के अप्राधिकृत उपयोग का पता लगाने के संबंध में मूल्यांकनकर्ता अधिकारी आयोग के आदेशों में यथानिर्धारित तरीके से स्थल पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा।
- (2) छेड़छाड़ किए गए मीटर आदि जैसे सभी सामग्री साक्ष्यों तथा प्रलेखीकृत साक्ष्य, जो निरीक्षण के दौरान पाए गए मामले के संगत हों, कुर्की ज्ञापन के अन्तगर्त जब्त किए जाएंगे तथा उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में सील किए जाएंगे तथा परिसरों की फोटो ग्राफी और वीडियोग्राफी की रिकार्डिंग के साथ एक सबूत के तौर पर रखा जाएगा।
- (3) कुर्की के गवाहों के नाम व पते तथा तारीख, समय और स्थान सहित कुर्क सामग्री का विस्तृत ब्योरा कवर के बाहर रिकार्ड किया जाएगा तथा समस्त गवाहों के हस्ताक्षर सीलिंग प्वाइन्टों पर लगाए जाएंगे:--

परन्तु यदि गवाह ने हस्ताक्षर करने से इन्कार किया हो तो इसे रिपोर्ट में रिकार्ड किया जाएगा तथा वीडियोग्राफ में प्रग्रहित किया जाएगा।

- (4) निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर की जाएगी तथा इसकी एक प्रति उपयुक्त प्राप्ति के तहत तुरन्त स्थल पर ही उपभोक्ता अथवा उसके प्रतिनिधि को सौंपा जाएगा। स्थल पर मौजूद अन्य व्यक्ति भी निरीक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करेंगे।
- (5) यदि स्थल पर उपभोक्ता या उसका प्रतिनिधि रिपोर्ट की प्रति की प्राप्ति रसीद देने से तथा स्वीकार करने से मना करता है तो रिपोर्ट की प्रति किसी सुस्पष्ट स्थल पर या परिसरों के बाहर चिपकाया जाएगा तथा फोटोग्राफ और

रिकार्ड किया गया वीडियो लिया जाएगा। इस रिपोर्ट की दूसरी प्रति निरीक्षण के दिन या उसके अगले दिन इलेक्ट्रानिक रूप से या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के तहत उपभोक्ता को भेजी जाएगी।

(6) निरीक्षण रिपोर्ट विनियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आगामी कार्रवाई के आधार पर बनाई जाएगी।

58- fo | gr dk vikf/k—r mi; ksx dsekeys I sfui Vusdh i fof/k ¼; ny nb21/%—

1/11/2 vuflre eW; kadu rFkk ukfVI %-

यदि निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर तथा अन्य सामग्रियों के आधार पर निर्धारण अधिकारी निष्कर्ष निकालता है कि यह विद्युत के अप्राधिकृत उपयोग के मामले में प्रथम दृष्टया मामला है, वह:—

(i) अपने विवेक के आधार पर अनिन्तम मूल्यांकन करेगा जो दी गई परिस्थितियों में पर्याप्त है तथा सभी उपलब्ध साक्ष्य और रिकार्डों पर आधारित है। ऐसा करते हुए निर्धारण अधिकारी इस अधिनियम की धारा 126 की उप धारा (6) के साथ पठित उपधारा (5) में निर्धारित प्रावधान के अनुसार विद्युत के अप्राधिकृत उपयोग द्वारा लाभप्राप्त व्यक्ति द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि की गणना की जाएगी।

बशर्ते यदि विद्युत के अप्राधिकृत उपयोग की अवधि निष्कर्षतः संस्थापित की जा सकती है, मूल्यांकन पूरी अवधि का किया जाएगा जिसमें अप्राधिकृत उपयोग किया गया है तथा यदि ऐसे अप्राधिकृत उपयोग की अवधि का पता नहीं है या निष्कर्षतः संस्थापित नहीं की जा सकती तो मूल्यांकन की अवधि निरीक्षण की तारीख से पूर्व के 12 माहों तक सीमित किया जाएगाः—

परन्तु विद्युत के अप्राधिकृत उपयोग की अवधि निम्नलिखित कारकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा।

- (क) निरीक्षण की तारीख से आपूर्ति की शुरुआत की तारीख से वास्तविक अवधि,
- (ख) मीटरिंग प्रणाली के घटक के प्रतिस्थापन की तारीख से वास्तविक अवधि जिसमें साक्ष्य का निरीक्षण की तारीख से पता लगाया जाता है,
- (ग) निरीक्षण की तारीख को निर्धारण अधिकारी द्वारा संस्थापना की पूर्ववर्ती जांच करने की तारीख से वास्तविक अवधि,
- (घ) ऊर्जा मीटर मैमोरी में रिकार्ड किए गए साक्ष्य, जहां कहीं उपलब्ध हों।
- (ड़) आरोपी व्यक्ति द्वारा विश्वास किए जाने वाले दस्तावेज पर आधारित
- (ii) निरीक्षण की तारीख अथवा मीटर जांच करने की रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से सात दिनों के भीतर, जो भी बाद में हो, यदि आवश्यक हो, निरीक्षण की वीडियोग्राफी तथा अनन्तिम मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ उपभोक्ता का एक नोटिस सर्व करें, कारण देते हुए जिसके लिए विद्युत के अप्राधिकृत उपयोग का कोई मामला उसके खिलाफ शुरु किया जा रहा है। नोटिस में समय, तारीख तथा स्थान स्पष्ट गोचर दोनों चाहिए, जिस पर उत्तर दिया जाना है तथा उस व्यक्ति का पदनाम भी दिया जाना चाहिए।

½½ vufUre eN/; kadu ds l kFk ukfVl ds f[kykQ vki fŸk

उपभोक्ता जिसे मूल्यांकन के अनन्तिम बिल के साथ नोटिस किया गया है, नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 7 दिनों के भीतर, मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष आपत्तियां, यदि कोई हों, दर्ज करा सकता है।

1/3½ 0; fäxr l wokb/ 1/&

- (i) निर्धारण अधिकारी उपभोक्ता की आपत्तियों के दर्ज होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर उपभोक्ता या उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि के साथ व्यक्तिगत सुनवाई का प्रबंध करेगा।
- (ii) उपभोक्ता के अनुरोध पर, भावी तिथि पर सुनवाई का प्रबंध किया जा सकता है परन्तु उपभोक्ता द्वारा आपत्तियां दर्ज करने की तिथि से 10 दिनों के बाद नहीं।

1/4½ vflre en/; kadu vkns k/-

- (i) निर्धारण अधिकारी ऐसे व्यक्ति द्वारा भुगतान योग्य विद्युत प्रभारों के अनन्तिम मूल्यांकन के आदेश की सेवा की तारीख से 30(तीस) दिनों के भीतर अन्तिम मूल्यांकन आदेश पारित करेगा,
- (ii) मूल्यांकन का अन्तिम आदेश स्पष्ट रूप से दर्शाएगा कि विद्युत के अप्राधिकृत उपयोग का मामला संस्थापित है या नहीं। ऐसे आदेश में मौखिक या लिखित निरीक्षण रिपोर्ट, उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुतियों तथा उसके स्वीकार अथवा अस्वीकार के कारणों के सार को रखा जाएगा।
- (iii) यदि विद्युत का अप्राधिकृत उपयोग संस्थापित नहीं किया जाता है, मूल्यांकन कर्ता अधिकारी इस मामले को तुरन्त छोड़ कर मूल्यांकन आदेश पास करेगा तथा आगामी उच्च अधिकारी को एक प्रति भेजते हुए उपभोक्ता को अवगत कराया जाएगा।
- (iv) यदि विद्युत के अप्राधिकृत उपयोग का मामला पाया जाता है, निर्धारण अधिकारी इस अधिनियम की धारा 126 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (5) में निहित प्रावधानों के अनुसार विद्युत प्रभारी का मूल्यांकन करेगा तथा अधिनियम की धारा 126 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अन्तिम मूल्यांकन आदेश पारित करेगा।
- (v) अन्तिम आदेश में ऊर्जा का मूल्यांकन विनियमों के परिशिष्ट—1 में निर्धारित फार्मूले के अनुसार किया जाएगा:—

परन्तु यदि विद्युत का अप्राधिकृत उपयोग शुल्क श्रेणी के गलत उपयोग या जिसके लिए विद्युत की आपूर्ति प्राधिकृत की गई थी, उसके बजाए परिसरों या क्षेत्रों के लिए किया गया है, तो निर्धारण अधिकारी मूल्यांकन अविध के लिए मीटर में रिकार्ड के अनुसार ऊर्जा का मूल्यांकन करेगा।

- (vi) मूल्यांकन बिल बनाते समय, लाइसेंसधारी मूल्यांकन बिल की अवधि हेतु उपभोक्ता द्वारा पहले से दी गई राशि के लिए उपभोक्ता को श्रेय देगा।
- (vii) अन्तिम मूल्यांकन आदेश स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा कि यह आदेश इस अधिनियम की धारा 127 की उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुसार उक्त आदेश को सर्व करने के 30 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी (नाम, पदनाम तथा पते का उल्लेख किया जाए) के समक्ष उपभोक्ता द्वारा अपील की जा सकती है।

1/5½ vflire eN/; kadu vknsk i j vk/kkfjr fcÇyx vk§ Hkaxrku

- (i) लाइसेंसधारी मूल्यांकन अधिकारी द्वारा जारी अन्तिम मूल्यांकन आदेश के अनुसार विद्युत के अप्राधिकृत उपयोग के प्रभारों के लिए उपभोक्ता को बिल भेजेगा।
- (ii) यह बिल सेवा की तारीख से 30 दिनों के भीतर उपभोक्ता द्वारा देय होगा। लाइसेंसधारी मूल्यांकित राशि के भुगतान की अन्तिम तारीख को बढ़ा सकता है या प्रत्येक 6 माह में प्रति वर्ष चक्रवृद्धि 16% की दर पर 30 दिन से अधिक बढ़ी हुई अविध के लिए भुगतान की गई राशि पर ब्याज के भुगतान के अध्ययीन किस्तों में भुगतान की अनुमित दे सकता है।
- (iii) उपभोक्ता बिल स्वीकार करेगा तथा निर्धारित समय के भीतर मूल्यांकन की गई राशि जमा करेगा तथा उप विनियमन (5) (2) के अनुसार अथवा अधिनियम तथा विनियमों के अनुसरण में अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष इसके खिलाफ अपील कर सकता है।

59- bl vf/kfu; e dh /kkjk 127 dsvUrxir vihyh; i kf/kdkjh dsl e{k vihy

(1) यदि उपभोक्ता निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी अन्तिम मूल्यांकन आदेश से असंतुष्ट हो तो वह इस अधिनियम की धारा 127 की उपधारा (2) के तहत यथाविनिर्दिष्ट मूल्यांकित राशि की आधी राशि जमा करने के बाद ऐसे आदेश के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के लिए आयोग के आदेशों में यथाविनिर्दिष्ट रूप तथा तरीके से इस अधिनियम की धारा 127 के अन्तर्गत अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दर्ज करा सकता है

बशर्ते यदि यह राशि पक्षों की सहमति से पारित हो जाती है तो निर्धारण अधिकारी के अन्तिम मूल्यांकन आदेश के खिलाफ अपीलीय प्राधिकारी को कोई अपील नहीं की जाएगी।

- (2) अपीलीय प्राधिकारी प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर तथा पक्षों की सुनवाई के उपरान्त उचित स्पीकिंग आदेश पास करेगा तथा निर्धारण अधिकारी और अपीलकर्ता को आदेश की एक प्रति भेजेगा।
- (3) अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पास आदेश अन्तिम होगा।
- (4) यदि अपीलीय प्राधिकारी समझता है कि विद्युत का अनाधिकृत उपयोग का कोई मामला नहीं बनता है तो आगे कोई कार्रवाई शुरु नहीं की जाएगी अथवा इस संबंध में लाइसेंसधारी द्वारा कोई कार्रवाई जारी नहीं रखी जाएगी तथा अपीलकर्ता द्वारा जमा की गई राशि, लौटाए जाने तक 16 प्रतिशत की दर पर प्रत्येक 6 माह में जोड़े गए चक्रवृद्धि ब्याज सहित लौटाई जाएगी।
- (5) यदि अपीलकर्ता प्राधिकारी समझता है कि विद्युत के अनधिकृत उपयोग का कोई मामला बनता है, तो लाइसेंसधारी अपीलीय प्राधिकारी द्वारा जारी अन्तिम आदेश के अनुसार विद्युत के अनधिकृत उपयोग के प्रभार के लिए उपभोक्ता को संशोधित बिल भेजेगा।
- (6) अपीलीय प्राधिकारी द्वारा जारी अन्तिम आदेश पर आधारित तैयार बिल, सेवा की तारीख से 30 दिनों के भीतर उपभोक्ता द्वारा भुगतान करना होगा। लाइसेंसधारी मूल्यांकित राशि के भुगतान की अन्तिम तारीख को बढ़ा सकता है या इस अधिनियम की धारा 127 की उपधारा (6) के अनुसार प्रत्येक 6 माह में जोड़े गए प्रतिवार्षिक 16 प्रतिशत ब्याज दर पर 30 दिनों से अधिक की बढ़ी हुई अवधि के लिए अदेय राशि पर ब्याज के भुगतान के अध्ययीन किस्तों में भुगतान की अनुमित दे सकता है।
- (7) यदि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित देय राशि अपील दर्ज करने के समय पर उपभोक्ता द्वारा पहले जमा राशि से कम है, अधिक राशि लाइसेंसधारी द्वारा तीस दिनों के भीतर लौटाई जाएगी;

परन्तु यदि लाइसेंसधारी द्वारा लौटाई जाने वाली राशि में विलम्ब किया जाता है तो उस विलम्ब समय के लिए, उपभोक्ता को 16 प्रतिशत की दर से प्रत्येक 6 माह में जोड़े गए चकवृद्धि ब्याज सहित लौटाई जाएगी।

vf/kfu; e dh /kkj k 135 dsværxær fo | er dh pkj h

60- ikf/k-r vf/kdkjh }kjk ifjl jkarFkk fo | gr l 1LFkki ukvkadk fujh{k.k%

(1) प्राधिकृत अधिकारी या तो विद्युत की चोरी के संबंध में स्वप्रेरणा से या सूचना की प्राप्ति पर किन्हीं परिसरों का शीघातिशीघ निरीक्षण करेगा।

परन्तु प्राधिकृत अधिकारी निरीक्षण आयोजित करने के लिए लाइसेंसधारी के कर्मचारियों को सहायता उपलब्ध करा सकता है।

- (2) प्राधिकृत अधिकारी विनियम, 55(3) के अन्तर्गत जारी अपना फोटो तथा फोटो पहचान पत्र वाला विजिटिंग कार्ड साथ रखेगा।
- (3) फोटो आईडी दिखाना होगा तथा अपने फोटो वाला विजिटिंग कार्ड उपभोक्ता अथवा परिसरों में प्रवेश से पूर्व परिसर के स्वामी को सौंपना होगा।
- (4) अप्राधिकृत अधिकारी इन विनियमों के अन्तर्गत प्रावधानों के अनुसार निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करेगा।

61- ikf/k-r vf/kdkjh }kjk fjiksVZ dh r\$ kjh%&

- (1) विद्युत की चोरी का पता लगाने के लिए, प्राधिकृत अधिकारी आयोग के आदेशों में यथानिर्धारित तरीके से स्थल पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा।
- (2) छेड़छाड़ किए गए मीटर जैसे सभी सामग्री वाले साक्ष्य, टेम्पर्ड मीटर सील तथा ऊर्जा के अवैध पृथक्करण के लिए प्रयुक्त कृत्रिम साधन और प्रलेखीकृत साक्ष्य आदि जो मामले के प्रासंगिक हैं तथा निरीक्षण के दौरान पाए गए है, कुर्की ज्ञापन के तहत कुर्क किया जाएगा तथा उपमोक्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थितियों में सील किया जाएगा तथा परिसरों की फोटो ग्राफी और वीडियोरिकार्डिंग के साथ सबुत के रूप में रखा जाएगा।

(3) कुर्की के गवाहों के नाम तथा पते और कुर्की की तारीख समय व स्थान सहित जब्त सामग्री का विस्तृत ब्योरा कवर के बाहर रिकार्ड किया जाएगा तथा सभी गवाहों के हस्ताक्षर सीलिंग प्वाइन्टों पर चिपकाए जाएंगे:—

परन्तु यदि गवाह हस्ताक्षर करने से इन्कार करता है तो इसे रिपोर्ट में रिकार्ड किया जाएगा तथा वीडियोग्राफी में प्रग्रहित किया जाएगा।

- (4) निरीक्षण रिपोर्ट प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर की जाएगी तथा दूसरी उचित रसीद की प्राप्ति के तहत तुरन्त स्थल पर उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि को सौंपी जाएगी। स्थल पर मौजूद अन्य व्यक्ति भी निरीक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।
- (5) यदि स्थल पर उपभोक्ता या उसका प्रतिनिधि रिपोर्ट की प्रति की प्राप्ति देने या उसे स्वीकार करने से इंकार करता है तो रिपोर्ट की प्रति परिसरों के अन्दर या बाहर सुस्पष्ट स्थान पर चिपकाई जाएगी तथा उसका फोटो या रिकार्ड की गई वीडियो रखी जाएगी।
- (6) निरीक्षण रिपोर्ट विनियमों में विहित प्रावधानों के अनुसार आगे कार्रवाई का आधार बनेगी।

62- fo | or dh pkgih dsvfHk; ksx dh i fof/k

- (1) इस अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत विद्युत की चोरी का मुद्दा या केवल उन मामलों में शुरु किया जाएगा जहां बेईमानी का इरादा प्रासंगिक तथ्यों, रिकार्डों और मामले के अन्य साक्ष्य स्रस्पष्ट हैं।
- (2) यदि विद्युत चोरी करने के पर्याप्त साक्ष्य पाए जाते हैं तो प्राधिकृत अधिकारी इस अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (2) के अंतर्गत एक कुर्की ज्ञापन के अन्तर्गत परिसरों से तारों / केबल्स, मीटर, सर्विस लाइन, आदि सहित सभी सामग्री साक्ष्य जब्त तथा सील करेगा।
- (3) उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति इस अधिनियम की धारा 135 की उपधारा(1)(ए) के अंतर्गत तथा चोरी का पता लगते ही तुरन्त आयोग द्वारा इस उद्देश्य के लिए यथाप्राधिकृत लाईसेंसधारी ऐसे अधिकारी आपूर्ति कर्ता द्वारा काट दी जाएगी। बशर्ते कि ऐसा अधिकारी ऐसे डिस्कनेक्शन के समय से 24 घण्टे के भीतर इस अपराध के होने के स्थल के कार्यक्षेत्र में आने वाले पुलिस थाने में लिखित में शिकायत करें:

इसके अलावा यह भी है कि ऐसा अधिकारी ऐसे डिस्कनेक्शन के 2 दिनों के भीतर निरीक्षण की वीडियोग्राफी की प्रति के साथ विनियम 64 के अन्तर्गत पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत की प्रति, स्पीकिंग आदेश की प्रति भी उपभोक्ता को भेजेगा।

- (4) केवल मीटर पर लगी सीलों के गुम होने या मीटर की ग्लास विंडो टूटने पर चोरी का कोई मामला दर्ज नहीं किया जाएगा, जब तक बेईमानी का इरादा उपभोक्ता के उपभोग के तरीके या अन्य किसी साक्ष्य द्वारा सम्पुष्टि नहीं की जाती है।
- (5) उपभोक्ता या उसके कर्मचारी या उसकी ओर से कार्य करने वाले अन्य किसी व्यक्ति द्वारा रिमोट कन्ट्रोल, हाईवाल्टेज इन्जेक्शन सिहत बाह्य तरीकों के सहारे से उपभोग की गई ऊर्जा के सही रिजस्ट्रेशन में बाधा डालना भी विद्युत की चोरी मानी जाएगी, जिसे इस आयोग द्वारा अधिसूचित प्रत्यायित प्रयोगशाला में या आयोग द्वारा प्राधिकृत एजेंसी में मीटर द्वारा लिए गए डेटा के विश्लेषण तथा मीटर की जांच के तहत संस्थापित किया जा सकता है।

63- fo | or dh pksj h dk eN/; kadu fcy

- (1) निर्धारण अधिकारी विनियमों के परिशिष्ट 1 में यथा अधिसूचित विद्युत की चोरी की ऊर्जा का मूल्यांकन करेगा।
- (2) चोरी की गई विद्युत के मूल्यांकन की अवधि विद्युत की चोरी का पता लगने की तारीख या चोरी की सही अवधि पता लग जाता तो जो भी पहले हो, से पूर्व के 12 माहों की अवधि होगी:— बशर्ते कि विद्युत की चोरी की अवधि का निम्नलिखित घटकों पर आधारित मूल्यांकन किया जाए:—
 - (i) आपूर्ति के प्रारंभ होने की तारीख से निरीक्षण की तारीख तक की वास्तविक अवधि

- (ii) मीटरिंग पद्धित जिसमें साक्ष्य पाया जाता है, के घटक के प्रतिस्थापन की तारीख से निरीक्षण की तारीख तक वास्तिवक अविध होगी
- (iii) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संस्थापना की पूर्व जांचों की तारीख से निरीक्षण की अवधि तक वास्तविक अवधि होगी
- (iv) ऊर्जा मीटर मैमोरी में रिकार्ड डेटा, जहां कहीं उपलब्ध हों।
- (v) आरोपी व्यक्ति द्वारा अवलम्ब दस्तावेज पर आधारित
- (3) मूल्यांकन बिल लागू शुल्क के अनुसार दर से दुगुना तैयार किया जाएगा
- (4) मूल्यांकन बिल बनाते समय लाइसेंसधारी मूल्यांकन बिल की अवधि के लिए विद्युत की यूनिटों हेतु उपभोक्ता द्वारा पहले से भुगतान को दर्शाएगा
- (5) मूल्यांकन आदेश उपभोक्ता को या स्थान या परिसरों के स्थायी या प्रभारी को, जैसा भी मामला हो, आपूर्ति के डिस्कनेक्शन के 7 दिनों के भीतर या ऐसे व्यक्ति के अनुरोध की प्राप्ति की तारीख से 2 दिनों के भीतर जो भी पहले हो, भेजे जाएंगे

64- I fnX/k pkg h%-

(1) ऐसे सभी मामलों जहां निरीक्षण पर चोरी नहीं पाई गई हो परन्तु उपभोग पद्धति के आधार पर आशंका हो प्राधिकृत अधिकारी किसी कुर्की ज्ञापन के तहत पुराने मीटर को हटा सकता है तथा उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में इसे सील कर सकता है जिस पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर होंगे तथा एक नए मीटर के साथ उपभोक्ता की विद्युत की आपूर्ति दी जाएगी।

बशर्ते कि विगत 1 वर्ष की उपभोग पद्धति ज्यादातर समान हो तथा मूल्यांकित उपभोग के 75 प्रतिशत से कम न हो, कोई आगामी कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी तथा इस निर्णय से 3दिनों में उपभोक्ता को अवगत कराया जाएगा

परन्तु यदि उपभोग की पद्धति उक्त के अनुसार एक समान हो मौजूदा मीटर आगे जांच के लिए नहीं भेजा जाएगा।

- (2) मीटर के विनियम 32 के उप विनियम 8 के अनुसार जांच की जाएगी।
- (3) निर्धारण अधिकारी निरीक्षण रिपोर्ट उपभोग पद्धित मीटर जांच के परिणामों के आधार पर निष्कर्ष निकालता है कि विद्युत की चोरी का मामला प्रथम दृष्टया है, विनियम 62 और विनियम 63 में यथा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:—

बशर्ते कि मूल्यांकन अधिकारी मीटर जांच रिपोर्ट के 7दिनों के भीतर विद्युत की चोरी के मामले का सबूत देने वाला कोई स्पीकिंग आदेश पारित करें।

65. bl vf/kfu; e dh /kkjk 152 dsvUrxir vijk/k dk l a kstu

इस अधिनियम की धारा 152 के अन्तर्गत अपराध की कम्पाउंडिंग केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार अथवा इस प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (कम्पाउंडिंग अधिकारी) द्वारा विधिवत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी।

66- fo|r dh pkijh dks/; ku eqij [krsgq, fMLduD'ku dh xbZvki VEr dksfQj | spkywdjuk

- (1) लाइसेंसधारी उपभोक्ता द्वारा भुगतान की गई राशि के 48 घंटे के अन्दर परिसरों में विद्युत की आपूर्ति फिर से चालू करेगा।
 - (i) विनियम 63 के अनुसरण में मुल्यांकित अथवा
 - (ii) लोक अदालत सहित किसी अदालत द्वारा राशि जमा की जाने की अनुमति दी गई
- (2) यदि मूल्यांकित राशि किसी आवेदन जो मौजूदा उपभोक्ता नहीं है द्वारा जमा की जाती है तो परिसरों को आपूर्ति की जाएगी और इसे नए कनेक्शन के मामले के रूप में माना जाएगा।

(3) विद्युत की आपूर्ति फिर से चालू करना इस अधिनियम की धारा 135 के अनुसार मौजूदा उपभोक्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाहियों को शुरु करने के लिए लाइसेंसधारी का अधिकार बिना किसी पूर्वधारणा के होगा।

67- NMANKM+fd, x, ehVj dk Lo¶PNd izdVhdj.k

- (1) यदि कोई उपभोक्ता आगे आता है और स्वैच्छिक रूप से मीटर तथा/अथवा सीलों की टेम्परिंग की उद्घोषणा करता है, लाइसेंसधारी तुरन्त एक नए मीटर से छेड़छाड़ किए गए मीटर को बदलेगा:-
 - परन्तु छेड़छाड़ किए गए मीटर के स्वैच्छिक प्रकटीकरण की उपभोक्ता को केवल एक बार अनुमति दी जाएगी।
- (2) निर्धारण अधिकारी विनियमों के परिशिष्ट 1 में यथासूचित विद्युत की चोरी की ऊर्जा का मूल्यांकन करेगा।
- (3) मूल्यांकन बिल उद्घोषणा की तारीख से गणना की गई विगत 6माहों की अवधि के लिए लागू शुल्क के अनुसार दर का दुगुना बनाया जाएगा।
- (4) मूल्यांकन बिल बनाते समय, लाइसेंसधारी मूल्यांकन बिल की अविध के लिए उपभोक्ता द्वारा विद्युत की युनिटों के लिए पहले से अदा की गई राशि को उपभोक्ता को क्रेडिट देगा।
- (5) छेड़छाड़ किए गए मीटर की उद्घोषणा की तारीख मीटर के प्रतिस्थापन की तारीख तक की अवधि के लिए ऊर्जा बिल खराब मीटरों की प्रविधि के अनुसार परिगणना की जाएगी।
- (6) यदि कोई उपभोक्ता स्वैच्छिक रूप से छेड़छाड़ किए गए मीटर की घोषणा करता है तथा मूल्यांकन बिल अदा करता है तो लाइसेंसधारी विशेष अदालत नहीं जाएगा या अन्य कोई कार्रवाई नहीं करेगा। परन्तु यदि उपभोक्ता 30दिनों के भीतर मूल्यांकन बिल का भुगतान करने में विफल रहता है लाइसेंसधारी इसे विनियम 62 के अन्तगर्त चोरी का मामला समझेगा तथा तदानुसार कार्रवाई करेगा।

√/; k; & **VIII** f'kdk; r fuokj.k i fØ; k

68- I kekU; %&

- (1) लाइसेंसधारी द्वारा विद्युत कनेक्शन जारी करना, विद्युत धारा नहीं होना / विद्युत आपूर्ति विफलता, वोल्टेज उतार—चढ़ाव, लोड शेडिंग, निर्धारित कटौतियां, मापन, बिलिंग के सांथ संबंधित और अन्य शिकायतें विनियमावली में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार निवारित की जाएंगी।
- (2) प्रत्येक लाइसेंसधारी "उपभोक्ता शिकायतों के निवारण हेतु पद्धित की नियम—पुस्तिका (मैनुअल) / उपभोक्ता चार्टर / शिकायत चार्टर" जिसको एतद्पश्चात "नियम—पुस्तिका" (मैनुअल) कहा गया है, इन विनियमों के लागू होने की तिथि से तीन माह के भीतर तैयार करना होगा तथा आयोग में स्वीकृति हेत् प्रस्तुत करना होगा।
- (3) मैनुअल में उपभोक्ताओं को प्रभावित करने वाली जानकारी होगी, जिसमें शिकायत दर्ज करवाने हेतु चैनल्स, कार्मिक, कार्यालयों, हेल्पलाइन नम्बरों का विवरण, शिकायत निवारण की प्रक्रिया इत्यादि संबंधी जानकारी सम्मिलित है।
- (4) मैनुअल अंग्रेजी और हिन्दी भाषाओं में तैयार किया जाएगा तथा उपभोक्ताओं के संदर्भ हेतु प्रत्येक कार्यालय में उपलब्ध होगा और इसकी वेबसाइट से डाउनलोड किया सकेगा।
- (5) लाइसेंसधारी शिकायत दर्ज करवाने के लिए विभिन्न क्रियाविधियां (मोड्स) स्थापित करेगा, जैसेकि कॉल सेन्टर, वेबसाइट, एसएमएस, लाइसेंसधारी का ऐप्लीकेशन सर्वर अथवा अन्य कोई क्रियाविधि (मोड) जो लाइसेंसधारी द्वारा उपयुक्त पाया जाता है अथवा आयोग द्वारा अधिसूचित किया जाता है।

69- f'kdk; r ntl djokus grq i fØ; k%&

(1) उपभोक्ता अथवा आवेदक अपनी शिकायत लाइसेंसधारी के केन्द्रीयकृत कॉल सेन्टर/क्षेत्रीय शिकायत केन्द्र/जिला कायालयों में अथवा टेलीफोन या वेबसाइट या एसएमएस या ऐप्लीकेशन सर्वर पर डाक द्वारा दर्ज करवा सकता है।

- (2) सभी प्राप्त शिकायतें उनकी शिकायत प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से आगे बढ़ाई जाएंगी।
- (3) एक विशिष्ट शिकायत संख्या जनित की जाएगी तथा शिकायत प्राप्त होने पर अतिशीघ्र शिकायतकर्ता को सूचित की जाएगी :
 - बशर्ते कि शिकायत डाक द्वारा प्राप्त होने की स्थिति उसकी सूचना शिकायत प्राप्त होने की तिथि से 3 (तीन) दिन के भीतर दी जाएगी।
- (4) इन केन्द्रों के सम्पर्क नम्बर विद्युत बिल पर मुद्रित किए जाएंगे, सभी बिल वसूली केन्द्रों पर प्रदर्शित किए जाएंगे तथा लाइसेंसधारी की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे।
- (5) उपभोक्ता अथवा आवेदक का नाम, पता, सीए नम्बर अथवा पंजीबद्ध टेलीफोन नम्बर का ब्यौरा तथा शिकायत का संक्षिप्त विवरण देना होगा।
- (6) लाइसेंसधारी किसी भी मोड से प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों का 7 (सात) वर्ष तक की अवधि का रिकार्ड रखेगा।
- (7) शिकायत के निवारण के बाद, शिकायतकर्ता को उसका जवाब भेजा जाएगा।

70- fo | gr /kkj k ugha gkus@fo | gr vki grz fo Qyrk | scalkh f'kdk; r ds fuokj . k gsrq i fØ; k%&

- (1) यदि केन्द्रीयकृत कॉल सेन्टर को शिकायतकर्ता की विद्युत आपूर्ति में खराबी का कारण पता है, तो शिकायतकर्ता को उस कारण की जानकारी तथा विद्युत आपूर्ति बहाली में लगने वाले अपेक्षित समय की सूचना दी जाएगी।
- (2) तथापि, ऐसी शिकायत दर्ज की जाएगी तथा विशिष्ट शिकायत नम्बर जारी किया जाएगा।
- (3) केन्द्रीयकृत कॉल सेन्टर द्वारा शिकायत संबंधित शिकायत केन्द्र भेजी जाएगी।
- (4) शिकायत का समाधान इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट समयसीमाओ के अनुसार किया जाएगा।
- (5) उपभोक्ताओं को अनुसूचित विद्युत कटौतियों के विवरण की सूचना आयोग के आदेशों में अधिसूचित ढंग से दी जाएगी।
- (6) लाइसेंसधारी समस्त अनुसूचित विद्युत कटौतियों तथा गैर—अनुसूचित विद्युत कटौतियों और प्रत्येक विद्युत कटौती से प्रभावित होने वाले उपभोक्ताओं का अलग—अलग रिकार्ड रखेगा।
- (7) यदि लाइसेंसधारी निर्धारित समयसीमा के भीतर विद्युत आपूर्ति बहाल करने में असफल रहता है, तो प्रभावित उपभोक्ताओं को उसकी क्षतिपूर्ति का भुगतान विनियमावली की अनुसूची—1 में विनिर्दिष्ट अनुसार किया जाएगा।

71- de@vf/kd ok\\Vst | \text{ralkh f'kdk; r ds fuokj.k grq i f\O; k\\&

- (1) केन्द्रीयकृत कॉल सेन्टर द्वारा शिकायत संबंधित शिकायत केन्द्र भेजी जाएगी।
- (2) शिकायत का समाधान इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट समयसीमाओं के अनुसार किया जाएगाः बशर्ते यदि शिकायत के समाधान के लिए वितरण लाइन, ट्रांसफार्मर्स इत्यादि अपग्रेड किए जाने की जरूरत है तो लाइसेंसधारी उपयुक्त कदम उठाएगा।

72- Qkje rFkk yksdiky }kjk f'kdk; rkj dk fuokj.k%&

- (1) लाइसेंसधारी द्वारा उपभोक्ता की शिकायतों का समुचित निवारण नहीं किए जाने की स्थिति में, उपभोक्ता दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण हेतु फोरम के गठन और लोकपाल की नियुक्ति हेतु दिशानिर्देश) विनियमावली, 2003, समय—समय पर संशोधित, के अनुसार, जैसी भी स्थिति है, अपनी शिकायत फोरम अथवा लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।
- (2) लाइसेंसधारी, शिकायतों के संबंध में सूचना देते समय उपभोक्ता को लाइसेंसधारी के निर्णय के विरूद्ध फोरम में आवेदन करने के उसके अधिकार और इसके अतिरिक्त लोकपाल के समक्ष अपील करने के अधिकार की लिखित सूचना देगा।
- (3) लाइसेंसधारी द्वारा फोरम और लोकपाल का पता एवं सम्पर्क नम्बर विद्युत बिल पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

v/; k; & \mathbf{IX} fu"i knu ds xkj \mathbf{fVr} vk \mathbf{j} I exz ekud

73- fu"i knu ds xkj fVr ekud&

अनुसूची—1 में विनिर्दिष्ट मानक, सेवा के न्यूनतम मानक के रूप में, निष्पादन के गारंटित मानक होंगे, जो लाइसेंसधारी को पूरे करने होगे तथा अनुसूची—2 में विनिर्दिष्ट मानक निष्पादन के समग्र मानक होंगे, जिनको लाइसेंसधारी द्वारा अपने दायित्व निर्वहन में पूरा करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा।

74- {kfri fir? fu/kk/j . k%&

- (1) लाइसेंसधारी प्रभावित उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा, यदि वह विनियमावली की अनुसूची—1 में विनिर्दिष्ट गारंटित निष्पादन मानक पूरा करने में असफल रहता है:
 - बशर्ते यदि इन विनियमों की अनुसूची—1 में विनिर्दिष्ट नहीं किए गए किसी अन्य विनियम के प्रावधान के उल्लंघन हेतु क्षतिपूर्ति का दावा आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।
- (2) लाइसेंसधारी द्वारा भुगतान की गई क्षतिपूर्ति राशि लाइसेंसधारी की वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) में वसूल करने की अनुमति नहीं होगी।

75- n**a**M%&

- (1) आयोग मामले के आधार पर दंड लागू कर सकता है :
 - (i) निष्पादन के समग्र मानकों हेत् किसी लक्ष्य को पूरा नहीं करने के लिए
 - (ii) इन विनियमों के किसी प्रावधान अथवा आयोग द्वारा जारी किसी निर्देश / सलाह / आदेश का उल्लंघन करने के लिए।
- (2) लाइसेंसधारी द्वारा भुगतान की गई क्षतिपूर्ति राशि लाइसेंसधारी की वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) में वसूल करने की अनुमति नहीं होगी।

76- {kfrinfr?jkf'k dsfu/kklj.k vklj Hkokrku gsrqifØ;k%&

- (1) लाइसेंसधारी क्षतिपूर्ति हेतु दावो के निपटान के लिए उपभोक्ताओं को अपने कार्यालयों / पदनामित अधिकारियों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराएगा।
- (2) कोई भी व्यक्ति जो यहां विनिर्दिष्ट निष्पादन के मानकों की पूर्ति में लाइसेंसधारी की विफलता से प्रभावित होता है तथा क्षतिपूर्ति की मांग करना चाहता है, अपना मांगदावा संबंधित लाइसेंसधारी के पास निष्पादन के मानकों की पूर्ति में लाइसेंसधारी की विफलता से प्रभावित होने की तिथि से अधिकतम 60 (साठ) दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगाः
 - बशर्ते कि लाइसेंसधारी द्वारा प्रभावित व्यक्ति(यों) को क्षतिपूर्ति भुगतान उसके द्वारा मांगदावा प्रस्तुत किए जाने की तिथि से अधिकतम 90 (नब्बे) दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा।
- (3) यदि विद्युत आपूर्ति की असफलता से एक उपभोक्ता प्रभावित हो रहा है, तो ऐसे मामले में क्षतिपूर्ति के मांगदावा के प्रयोजन हेतु चूक की गणना उपभोक्ता द्वारा शिकायत दर्ज करवाने के समय से की जाएगी।
- (4) यदि विद्युत आपूर्ति की असफलता से एक से अधिक उपभोक्ता प्रभावित हो रहे हैं, तो ऐसे मामले में क्षतिपूर्ति के मांगदावा के प्रयोजन हेतु चूक की गणना पहले उपभोक्ता द्वारा शिकायत दर्ज करवाने के समय से की जाएगी।
- (5) यदि लाइसेंसधारी क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करने से इनकार करता है, लाइसेंसधारी को अपनी कार्यवाही का औचित्य स्पष्ट करते हुए, उसका कारण लिखित रूप में दर्ज करना होगा तथा उसकी सूचना उपभोक्ता को भेजनी होगी।
- (6) यदि लाइसेंसधारी क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करने से इनकार करता है अथवा प्रभावित व्यक्ति अपनी शिकायत का समाधान नहीं होने से पीड़ित है, तो पीड़ित व्यक्ति ऐसी क्षतिपूर्ति के लिए शिकायत के समाधान हेतु संबंधित फोरम जा सकता है।
- (7) यदि पीड़ित व्यक्ति फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो प्रभावित उपभोक्ता लोकपाल के पास जा सकता है।
- (8) यदि फोरम अथवा लोकपाल, जैसा भी मामला है, द्वारा क्षतिपूर्ति हेतु मांगदावा स्वीकार किया जाता है, तो कानून की सम्यक् प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात, क्षतिपूर्ति का निर्धारण इन विनियमों की अनुसूची –1 के अनुसार किया जाएगाः
 - बशर्ते कि फोरम अथवा लोकपाल, क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त, क्षतिपूर्ति सर्वप्रथम देय होने की तिथि से गणित अविध के लिए बैंक दर पर ब्याज देने का निर्णय भी कर सकता है :

बशर्ते इसके अतिरिक्त यह भी कि क्षतिपूर्ति फोरम अथवा लोकपाल, जैसा भी मामला है, द्वारा निर्देश जारी करने की तिथि से अधिकतम 90 (नब्बे) दिनों के भीतर देय होगी।

(9) क्षतिपूर्ति के सभी भुगतान विद्युत आपूर्ति हेतु चालू तथा / अथवा भावी बिलों में समायोजन द्वारा किए जाएंगे : बशर्ते कि लाइसेंसधारी गैर उपभोक्ता आवेदक को क्षतिपूर्ति का भुगतान नकद को छोड़कर आयोग द्वारा स्वीकृत अन्य किसी भी विधि से कर सकता है।

77- fu"i knu ds ekudka ds fo"k; ea tkudkjh%&

- (1) लाइसेंसधारी, निष्पादन के गारंटित मानकों के लिए, आयोग को प्रत्येक माह हेतु एक रिपोर्ट तथा समेकित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें निम्नलिखित जानकारी दी जाएगी :
 - (i) लाइसेंसधारी द्वारा, अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट मानकों के संदर्भ में हासिल किए गए निष्पादन के स्तर, आयोग के आदेशों में निर्धारित प्रारूप में;
 - (ii) उन मामलों की संख्या, जिनमें इन विनियमों के अधीन क्षतिपूर्ति देय थी, तथा क्षतिपूर्ति हेतु देय कुल राशि और लाइसेंसधारी द्वारा किया गया भुगतान, आयोग के आदेशों में निर्धारित प्रारूप में ;
 - (iii) लाइसेंसधारी के विरुद्ध निष्पादन के गारंटित मानकों की पूर्ति में विफलता हेतु उपभोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए मांगदावों की संख्या तथा लाइसेंसधारी द्वारा की गई कार्यवाही, ऐसे दावों के संबंध में भुगतान में विलम्ब अथवा भुगतान नहीं किए जाने के कारणो सहित ;
 - (iv) लाइसेंसधारी द्वारा गारंटित मानकों द्वारा आवृत्त क्षेत्रों में निष्पादन सुधार हेतु किए गए उपाय तथा आगामी वर्ष हेतु निष्पादन में सुधार के लक्ष्य ; और
 - (v) विद्युत के अनिधकृत उपयोग तथा विद्युत की चोरी के तहत दर्ज किए गए मामलों की स्थिति।
- (2) उपरोक्त खंड (1) के अनुसार मासिक रिपोर्ट, माह की समाप्ति के 15 (पंद्रह) दिन के भीतर आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी तथा खंड (1) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 (तीस) दिन के भीतर आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी
- (3) लाइसेंसधारी आयोग के समक्ष, प्रत्येक तिमाही हेतु प्रारूप के अनुसार रिपोर्ट में तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु समेकित वार्षिक रिपोर्ट में निष्पादन के समग्र मानकों के संबंध में निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध कराएगा :
 - (i) अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट मानकों के संदर्भ में हासिल किए गए निष्पादन का स्तर, आयोग के आदेशों में निर्धारित प्रारूप में ;
 - (ii) लाइसेंसधारी द्वारा निष्पादन के समग्र मानकों द्वारा आवृत्त क्षेत्रों में निष्पादन सुधार हेतु किए गए उपाय तथा आगामी वर्ष हेतु निष्पादन में सुधार के लक्ष्य ; और
- (4) उपरोक्त खंड (3) के अनुसार तिमाही रिपोर्ट, तिमाही की समाप्ति के 15 (पंद्रह) दिन के भीतर आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी तथा खंड (3) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 (तीस) दिन के भीतर आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी
- (5) आयोग, इसके द्वारा उपयुक्त विचारित अंतरालों पर, इन विनियमों के अधीन लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत की गई तथा जो इस अधिनियम के असंगत नहीं है, कोई भी जानकारी अथवा उसका अंश प्रकाशित कर सकता है।

√/; k; & **X**fofo/k

78- mi HkkDrkvka dks ukfVI %&

- (1) लाइसेंसधारी द्वारा उपभोक्ता को इन विनियमों के अधीन जारी किया गया नोटिस, जिसमें इस अधिनियम के अधीन नोटिस सम्मिलित है, लाइसेंसधारी द्वारा विधिवत जारी किया गया नोटिस माना जाएगा यदि यहः
 - (i) पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा प्रेषिती के सही डाक पते पर भेजा गया है, अथवा
 - (ii) उपभोक्ता द्वारा लाइसेंसधारी को अधिसूचित पते पर निवास कर रहे व्यक्ति को उसकी हस्ताक्षरित प्राप्ति स्वीकृति के बाद दस्ती सुपुर्द किया गया है, अथवा
 - (iii) यदि परिसर में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है, जिसको यह नोटिस सुपुर्द किया जा सके अथवा यदि व्यक्ति नोटिस लेने से मना कर रहा है, परिसर के किसी सुप्रकट भाग में चस्पा किया गया है तथा उसकी फोटोग्राफी की गई है, अथवा
 - (iv) इलेक्ट्रॉनिक विधि से जैसेकि पंजीकृत ई—मेल पते पर भेजा गया है :बशर्ते यह कि लाइसेंसधारी द्वारा उपभोक्ता को एसएमएस द्वारा भी सूचित किया जाएगा।

- (2) यहां ऊपर विनिर्दिष्ट को छोड़कर, निम्नलिखित तिथि किसी नोटिस की तिथि मानी जाएगी:
 - (i) यदि पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया है भेजने की तिथि से सात (7) दिन अथवा
 - (ii) यदि दस्ती सुपुर्द किया गया है प्राप्त करने की तिथि अथवा
 - (iii) यदि परिसर के सुप्रकट भाग में चस्पा किया गया है चस्पा करने की तिथि
 - (iv) यदि इलेक्ट्रॉनिक विधि से भेजा गया है भेजने के 24 घंटे बाद की तिथि।
- (3) यह प्रमाण दर्शाने की जिम्मेदारी लाइसेंसधारी की होगी कि आदेश / नोटिस जारी किया जा चुका है।

79- milkknOrk dslaLFkkiu ij n@kNuk%&

- (1) यदि कोई वैद्युत दुर्घटना; घातक, गंभीर या गौण, उपभोक्ता के संस्थापन के भीतर घटित होती है अथवा उसके संस्थापन में आने वाली सर्विस लाइन से घटित होती है, उपभोक्ता आपूर्ति तत्काल बंद करेगा तथा उस मामले की रिपोर्ट लाइसेंसधारी को देगा, जो तत्काल वैद्युत निरीक्षक को सूचित करेगा।
- (2) उपभोक्ता के संस्थापन में अथवा इससे संबंधित किसी उपकरण में ऊर्जा की कोई खराबी अथवा लीकेज पाई जाती है, उसको तत्काल वियोजित कर दिया जाएगा।
- (3) लाइसेंसधारी उपभोक्ता और वैद्युत निरीक्षक को एक साथ सूचना देकर, खराबी दूर होने तक आपूर्ति बंद कर सकता है।
- (4) लाइसेंसधारी द्वारा उपभोक्ता की आपूर्ति वैद्युत निरीक्षक को सूचना देकर ही दोबारा चालू की जाएगी।

80- ekax i {k i zca/ku%&

उपभोक्ता के कर्तव्यों में विद्युत की बर्बादी तथा उसका अकुशल उपयोग रोकना और मांग पक्ष प्रबंधन के लिए लाइसेंसधारी द्वारा आरंभ किए गए कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु लाइसेंसधारी को आवश्यक सहयोग प्रदान करना शामिल होगा।

81- fnYyh fo | r fofu; ked vk; kx ¼uohus, ÅtkI grq uW ehVfjxk½ fofu; e] 2014 ds v/khu vkoRr vkond@mi HkkDrk¼

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (नवीनेय ऊर्जा हेतु नेट मीटरिंग) विनियम, 2014 और उसके संशोधनों में दी गई किसी भी प्रतिकूल व्यवस्था के बावजूद आवेदक / उपभोक्ता दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति संहिता एवं निष्पादन मानक) विनियमावली, 2017 के प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

82- fnYyh fo|r fofu; ked vk; kx %epr vfHkxe ds fucU/ku , oa 'kr% fofu; e] 2005 ds v/khu vkoRr vkond@mi HkkDrk%

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (मुक्त अभिगम के निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2005 और उसके संशोधनों, जिनमें तदधीन किए गए आदेश सम्मिलित हैं, में दी गई किसी भी प्रतिकूल व्यवस्था के बावजूद आवेदक / उपभोक्ता दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति संहिता एवं निष्पादन मानक) विनियम, 2017 के प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

83- NW%

- (1) इस विनियम में विनिर्दिष्ट निष्पादन मानक दैवी आपदा काल में जैसेकि युद्ध, विद्रोह, नागरिक अशान्ति, दंगा, बाढ़, चक्रवात, आकाशीय वजाघात, भूकम्प, तालाबंदी, अग्निकांड, तोड़फोड़, अवरोध इत्यादि लाइसेंसधारी के संस्थानों और गतिविधियों को प्रभावित करने वाली घटनाओं के दौरान निलम्बित रहेंगे।
- (2) इस विनियम में विनिर्दिष्ट निष्पादन मानक का पालन नहीं किया जाना उल्लंघन नहीं माना जाएगा तथा वितरण लाइसेंसधारी को कोई क्षतिपूर्ति भुगतान नहीं करना होगा, यदि ऐसा उल्लंघन राज्य पारेषण उपयोगिता तथा / अथवा केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता, ग्रिड फेल होने, पारेषण लाइसेंसधारी के नेटवर्क में खराबी अथवा राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा दिए गए अनुदेश अथवा ऐसे किसी अन्य कारण से उत्पन्न हुआ है, जिस पर वितरण लाइसेंसधारी का कोई तार्किक नियंत्रण नहीं है।

84- vknsk vk§ i) fr funkk tkjh djuk%&

अधिनियम और इन विनियमों के प्रावधानों के अधीन, आयोग समय समय पर, इन विनियमों के कार्यान्वयन तथा विभिन्न विषयों, जिनके संबंध में इस विनियमावली द्वारा आयोग को निदेश देने की शक्ति प्रदान की गई है, तथा उससे जुड़े अथवा अनुषंगी मामलो पर अपनाई जाने हेत् प्रक्रिया के संबंध में आदेश तथा पद्धति निर्देश जारी कर सकता है।

85- NiN nsus dh'kfDr rFkk dfBukb; ka nij djus dh'kfDr%&

(1) आयोग, जन हित में और लिखित रूप में दिए गए कारणों के साथ, इन विनियमों के किसी प्रावधान से छूट प्रदान कर सकता है। (2) यदि इन विनियमों के प्रावधानों के कार्यान्वयन में कोई कितनाई उत्पन्न होती है, आयोग, किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा, ऐसे प्रावधान कर सकता है, जो अधिनियम के प्रावधानों के असंगत नहीं हैं, जो कितनाइयां दूर करने के प्रयोजन हेतु आवश्यक अथवा इष्टकर प्रतीत होता है।

86- vk; kx dh vfrfjDr fufgr 'kfDr%&

इन विनियमों में दी गई कोई भी व्यवस्था ऐसी कोई प्रक्रिया अपनाने के संबंध में आयोग की निहित शिक्तयों को सीमित अथवा अन्य प्रकार से प्रभावित नहीं करेगी, जो इन विनियमों के किसी प्रावधान के साथ मेल नहीं खाती है, यदि आयोग, मामले अथवा मामलों की श्रेणी की विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत तथा लिखित रूप में दर्ज किए गए कारणों के साथ, इन विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया से अलग हटना आवश्यक अथवा इष्टकर समझता है।

87- I alkkyku dh 'kfDr%&

आयोग, किसी भी समय पर तथा ऐसी शर्तों पर जो इसके द्वारा उपयुक्त विचारित की जाती हैं, इन विनियमों के किसी भी प्रावधान में संशोधन/किंचित परिवर्तन/सुधार कर सकता है अथवा इन विनियमों में किसी त्रुटि या दोष दूर कर सकता है। इस संबंध में कोई भी संशोधन/किंचित परिवर्तन/सुधार आदेश में, टंकण संबंधी त्रुटि सुधार को छोड़कर, संशोधन का कारण लिखित रूप में स्पष्ट निदर्शित किया जाएगा।

88- fujflr vkj futkr

- (1) इन विनियमों में अन्य रूप में दी गई व्यवस्था को छोड़कर, आयोग द्वारा एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम निरस्त किए जाते हैं :
 - (i) दिल्ली विद्युत प्रदाय संहिता एवं अनुपालन मानक विनियम, 2007
 - (ii) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (अपील प्राधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु प्रक्रिया) विनियम, 2005.
- (2) इस निरसन के बावजूद, इन निरस्त विनियमों के अधीन किया गया कोई कार्य अथवा की गई कार्यवाही अथवा की गई अथवा आरंभ की गई अभिप्रेत कार्यवाही, अधिनियम के असंगत नहीं होने की सीमा तक इस विनियमावली के अधीन की गई मान्य होगी।

सुरेंद्रा इड्पघंटी, सचिव

vuq uph&1 fu"i knu ds xkj fVr ekud vk§ pnd ds ekeys en mi HkkDrkvkn dks {kfrinfr

~			T 5111 1 11 67 11	
Ø-	l ∞k {k≔	ekud	[kjkch dh vof/k dh	ekud ds mYy&ku dh fLFkfr e s
l a			x.kuk	[kjkch dh ∨of/k grqmiHkkDrk
				dksns, {kfrifirl
1/11/2	1/21/2	1/31/2	1/41/2	<i>1</i> /5½
1-	duD'ku tgkadkbluWoo	dilloo/kilu visf{krug	gha gS	
	विद्युतीकृत क्षेत्रों में कनेक्शन	विनियम ११ के	ऐसे मामलों में जहां कोई	उपभोक्ता द्वारा जमा किए गए मांग
	जारी करना	अनुसार	आरओडब्ल्यू अथवा रोड़	प्रभार की 1.5 प्रतिशत, चूक के
			कटिंग की अनुमति अपेक्षित	प्रत्येक दिन के लिए
			नहीं है, आवेदन की	
			स्वीकृति से 8वें दिन से	
			अथवा ऐसे मामलों में जहां	
			आरओडब्ल्यू अथवा रोड	
			कटिंग की अनुमति अपेक्षित	
			है, आवेदन की स्वीकृति से	
			15वें दिन से	
2-	duD'ku tgkauWodllao			
(i)	विद्युतीकृत क्षेत्रों में कनेक्शन	विनियम ११ के	मांग नोट के विरूद्ध पूर्ण	
	जारी करना (जहां लाइन	अनुसार	भुगतान की प्राप्ति की	
	का विस्तार पांच खंभों तक		तिथि से 16वें दिन से	
	अपेक्षित है)			
(ii)	विद्युतीकृत क्षेत्रों में कनेक्शन	विनियम 11 के	मांग नोट के विरूद्ध पूर्ण	
	जारी करना (जहां लाइन	अनुसार	भुगतान की प्राप्ति की	

				_
	का विस्तार अथवा वितरण		तिथि से 2 माह पश्चात	उपभोक्ता द्वारा जमा किए गए मांग
	रूपांतरण क्षमता, जहां			प्रभार की 1.5 प्रतिशत, चूक के
	ट्रांसफार्मर का शीर्ष भार			प्रत्येक दिन के लिए
	इसकी अंकित क्षमता के 90			
	प्रतिशत तक पहुंच चुका है)			
(iii)	विद्युतीकृत क्षेत्रों में कनेक्शन		मांग नोट के विरूद्ध पूर्ण	
	जारी करना (जहां नया	अनुसार	भुगतान की प्राप्ति की	
	वितरण ट्रांसफार्मर अपेक्षित		तिथि से 4 माह पश्चात	
	है)			
(iv)	विद्युतीकृत क्षेत्रों में कनेक्शन		मांग नोट के विरूद्ध पूर्ण	
	जारी करना (जहां विद्यमान	अनुसार	भुगतान की प्राप्ति की	
	11 केवी नेटवर्क का संवर्धन		तिथि से 6 माह पश्चात	
	अपेक्षित है)			
(v)	विद्युतीकृत क्षेत्रों में कनेक्शन		C	
	जारी करना (जहां विद्यमान	अनुसार	भुगतान की प्राप्ति की	
	66/33 केवी ग्रिड		तिथि से 8 माह पश्चात	
	सब–स्टेशन का संवर्धन			
2	अपेक्षित है)	 		
3-	x§&fo qrhÑr {ks=ksesad			
(i)	गैर–विद्युतीकृत क्षेत्रों में कनेक्शन जारी करना (जहां		मांग नोट के विरूद्ध पूर्ण भुगतान की प्राप्ति की तिथि	
	किनक्शन जारा करना (जहाँ निकटस्थ विद्यमान नेटवर्क	अनुसार	से ४ माह पश्चात	। गइ साथ का 1 प्रांतशत, चूक क । प्रत्येक दिन के लिए
	से कनेक्शन संभव है)		त 4 नाह परपात	प्रतिकारिक विभाग
(;;)	भ कनक्शन समय ह) गैर–विद्युतीकृत क्षेत्रों / नयी	विनियम ११ के	मांग नोट के विरूद्ध पूर्ण	
(ii)	परियोजनाओं में कनेक्शन		भुगतान की प्राप्ति की तिथि	
	जारी करना (जहां नया	. <u>બ</u> પુસાર	से 12 माह पश्चात	
	नेटवर्क स्थापित किया जाना		रा 12 गाँठ परपारा	
	है अथवा ग्रिड स्टेशन			
	स्थापित करने की जरूरत			
	है)			
4.	यदि मांग नोट के संबंध में			उपभोक्ता द्वारा जमा मांग प्रभार की
	भुगतान की प्राप्ति के बाद			1.5 प्रतिशत, चूक के प्रत्येक दिन
	कनेक्शन देने से इनकार			हेतु, मांग नोट के अनुसार भुगतान
	किया जाता है			की गई राशि से अधिक नहीं होने
				की शर्त के साथ।
				चूक की गणना भुगतान प्राप्त होने
				की तिथि से की जाएगी।
5	लूप के माध्यम से ऊर्जित	विनियम 11 के		रू. 500/— प्रति स्वीकृत/संविदा
	कनेक्शन	अनुसार		मांग किलोवाट
6	नाम का अंतरण	आवदेन स्वीकार	C/	रु. 100 प्रति चूक दिवस
		किए जाने अथवा	अगले दिन से	
		बकाया चुकाए		
		जाने, जो भी		
		उत्तरवर्ती है, के दो		
		बिलिंग चक्रों के		
		भीतर		
7	भार कम करना	आवदेन स्वीकार किए	•	रु. 100 प्रति चूक दिवस
		जाने के दस दिन के	के 11वं दिन से	
		भीतर, अगली बिलिंग से प्रभावी होगा		
		त्र प्रभावा हागा		

8	यदि कम करने संबंधी	31 मई, तक	_	रु. 500 प्रति वाद
	नोटिस, यदि कोई है, नहीं			
	भेजा गया है			
9	संवर्ग का परिवर्तन	विनियम 17(5) के	आवेदन प्राप्ति के 8वे दिन	रु. 100 प्रति चूक दिवस
		अनुसार	से	
10-	fcfyax			
(i)	बिल की गई राशि में त्रुटि	वित्तीय वर्ष में	वित्तीय वर्ष में दूसरा तथा	बिल की गई अधिक राशि की
		केवल एक बिल	अनुवर्ती गलत बिल	10 प्रतिशत
11-	ehVj laca/kh f'kdk; ra			
(i)	खराब मीटर बदलना	मीटर खराब होने	मीटर खराब होने की	रु. 50 प्रति चूक दिवस
		की घोषणा के पंद्रह	घोषणा के 16वें दिन से	
		दिन के भीतर		
12-	लाइसेंसधारी द्वारा अनुरक्षित	बहत्तर घंटे में दोष	उपभोक्ता द्वारा शिकायत	रु. 75 प्रति चूक दिवस
	स्ट्रीट लाइट में खराबी	सुधार	करने के समय से 72 घंटे	
			बाद	
13-	okYVst dk mrkj&p< k o			
(i)	स्थानिक समस्या	चार घंटे में समाधान	उपभोक्ता द्वारा शिकायत	रु. 50 प्रति चूक दिवस
			करने के समय से 4 घंटे	
			बाद	
(ii)	ट्रांसफार्मर की टैप सेटिंग	चौबीस घंटे में	उपभोक्ता द्वारा शिकायत	रु. 25 प्रति चूक दिवस
		समाधान	करने के समय से 24 घंटे	
			बाद	
(iii)	वितरण	पंद्रह दिन में	उपभोक्ता द्वारा शिकायत	रु. 100 प्रति चूक दिवस
	लाइन / ट्रांसफार्मर /	समाधान	करने के समय से 15 दिन	
	कैपेसिटर की मरम्मत		बाद	
(iv)	एचटी / एलटी सिस्टम का	नब्बे दिन में	उपभोक्ता द्वारा शिकायत	
	संस्थापन एवं समुन्नयन	समाधान	करने के समय से 90 दिन	
			बाद	
				1

14- fo | or vki fir? Osy gksuk

(क) 20 किलोवाट तक के स्वीकृत भार या संविदा मांग के उपभोक्ता के लिए विद्युत आपूर्ति फेल होने के संबंध में क्षतिपूर्ति, बहाली तथा देय क्षतिपूर्ति हेतु मानक :

Ø- la	sk {ks=	fo qr vkiqfrlcgkyh dsfy mu {ks=kq@mi foHkktu gr dqy rduhdh ,oaokf.kfT; uqdlku ga		u girq tgka	pud dh vof/k dh x.kuk	ekud ds mYy&ku dh fLFkfr es [kjkch dh vof/k ds fy, miHkkDrk dks ns {kfri¶r?
		10 प्रतिशत तक	10 प्रतिशत से अधिक तथा 20 प्रतिशत तक	20 प्रतिशत से अधिक		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	निरंतर विद्युत आपूर्ति		चार घंटे	छह घंटे के	पहले उपभोक्ता	रु. 10 स्वीकृत भार अथवा
	विफलता जिससे कम	के भीतर	के भीतर	भीतर	द्वारा की गई	संविदा मांग, यथा स्थिति, का
	वोल्टेज आपूर्ति से				शिकायत के समय	प्रति किलोवाट प्रति घंटा,
	जुड़ा व्यक्तिगत				से, स्थिति के	अधिकतम रु. 200 प्रति घंटा
	उपभोक्ता तथा 100				अनुसार, कालम	प्रति उपभोक्ता
	उपभोक्ता तक का				(3), (4), (5) में दी	

	JE DEEHI GAZETTE . EATRAORDINART TART III]					
	समूह प्रभावित हो रहा है, उन मामलों को छोड़कर जहां वितरण ट्रांसफार्मर बदला जाना है				गई अवधि समाप्त होने पर	
(ii)	निरंतर विद्युत आपूर्ति विफलता जिससे कम वोल्टेज आपूर्ति से जुड़ा 100 से अधिक उपभोक्ता का समूह प्रभावित हो रहा है, उन मामलों को छोड़कर जहां वितरण ट्रांसफार्मर बदला जाना है	दो घंटे के भीतर	तीन घंटे के भीतर	चार घंटे के भीतर	पहले उपभोक्ता द्वारा की गई शिकायत के समय से, स्थिति के अनुसार, कालम (3), (4), (5) में दी गई अवधि समाप्त होने पर	प्रति किलोवाट प्रति घंटा, अधिकतम रु. २०० प्रति घंटा
(iii)	निरंतर विद्युत आपूर्ति विफलता, जहां वितरण ट्रांसफार्मर बदला जाना है	छह घंटे के	भीतर		पहले उपभोक्ता द्वारा की गई शिकायत के समय से छह घंटे की अवधि समाप्त होने पर	प्रति किलोवाट प्रति घंटा, अधिकतम रु. २०० प्रति घंटा
(iv)	निरंतर विद्युत आपूर्ति विफलता जिससे उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली (एचवीडीएस) से जुड़े तथा उपरोक्त (i) एवं (ii) के तहत नहीं आने वाले उपभोक्ता प्रभावित हो रहे हैं	तीन घंटे के भीतर		पहले उपभोक्ता द्वारा की गई शिकायत के समय से तीन घंटे की अवधि समाप्त होने पर	रु. 10 स्वीकृत भार अथवा संविदा मांग, यथा स्थिति, का प्रति किलोवाट प्रति घंटा, अधिकतम रु. 200 प्रति घंटा प्रति उपभोक्ता	
(v)	निरंतर अनुसूचित विद्युत कटौतियां	12 घंटे के भीतर अथवा सायं 6 बजे तक विद्युति आपूर्ति बहाली		होने के अनुसूचित समय से 12 घंटे की अवधि समाप्त होने अथवा उस दिन के सायं 6 बजे से, जो भी पूर्वतर है	अधिकतम रु. 200 प्रति घंटा प्रति उपभोक्ता	
(vi)	जला अथवा चोरी हुआ मीटर बदला जाना	अस्थायी मी बहाली तीन	बाईपास कर टर लगाने द्वा घंटे के भीत	रा आपूर्ति	उपभोक्ता द्वारा की गई शिकायत के समय से तीन घंटे की अवधि समाप्त होने पर उपभोक्ता द्वारा की	रु. 10 स्वीकृत भार अथवा संविदा मांग, यथा स्थिति, का प्रति किलोवाट प्रति घंटा, अधिकतम रु. 200 प्रति घंटा प्रति उपभोक्ता रु. 50 प्रति चूक दिवस
	VIII	חופל נוויו	વિગ પ⁄ નાલી	. વપલા ખાડુના	र्पनावता द्वारा का गई शिकायत के समय से तीन दिन की अवधि समाप्त होने पर	. v. उठ प्राता भूमर विषय

- (ख) 20 किलोवाट से अधिक स्वीकृत भार अथवा संविदा मांग धारक कोई भी उपभोक्ता, जो उपरोक्तानुसार विद्युत आपूर्ति विफलता से प्रभावित हुआ है, क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु आयोग के पास जा सकता है।
- (ग) लाइसेंसधारी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष हेतु जोन / सब—डिवीजन संबंधी सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक नुकसान वर्ष के 15 अप्रैल तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा।
- (घ) उन उपभोक्ताओं का विद्युत आपूर्ति विफलता से संबंधित कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा, जिनकी तरफ पूर्ववर्ती बिलिंग चक्र की राशि बकाया है अथवा जो विगत दो वर्ष के दौरान विद्युत चोरी के सिद्धदोषी हैं अथवा अंतिम रूप से विद्युत के अनधिकृत उपयोग के दोषी पाए गए हैं।

uk\v :

- मानक के उल्लंघन की स्थिति में उपभोक्ता हेतु क्षितिपूर्ति के निर्धारण के प्रयोजन हेतु, चूक की अविध हेतु मानक से आगे दिनो की गणना कलैण्डर दिवसों के अनुसार की जाएगी।
- (ii) जहां देय क्षतिपूर्ति चूक के आधार पर दिनों में विनिर्दिष्ट की गई है तथा चूक दिन का एक अंश है, क्षतिपूर्ति पूरे दिन के लिए देय होगी।

∨ud µph&II

fu"i knu ds I exz ekud

- 1- fo|r vki frl dh foQyrk : लाइसेंसधारी अनुसूची—I के अधीन निर्धारित समय सीमाओं के भीतर सुधारी गई विद्युत आपूर्ति विफलता का प्रतिशत न्यूनतम 95 प्रतिशत रखेगा।
- 2- vul lipr dVlsfr; ka % लोड-शेडिंग को छोड़कर, अनुसूचित कटौतियों के कारण विद्युत आपूर्ति में अवरोध की सूचना अग्रिम में देनी होगी तथा यह किसी भी हालत में एक दिन में 12 घंटे से अधिक नहीं होगी, लाइसेंसधारी को आपूर्ति की बहाली सायं 6.00 बजे से पहले सुनिश्चित करनी होगी। लाइसेंसधारी को निष्पादन के ये दोनो मानक कुल मामलों के 95 प्रतिशत में हासिल करने होंगे।

3- fo'ol uh; rk l updkad

- (1) लाइसेंसधारी अपनी वितरण प्रणाली की विश्वसनीयता की गणना रिपोर्ट की जा रही अवधि के दौरान होने वाले अवरोधों की संख्या और अवधि के आधार पर करेगा, जिसके लिए निम्नलिखित आंकड़ों का उपयोग किया जाएगा:
 - (i) i l kkylı vkylı r vojkyk ckj Eckj rk l podkad ¼, l , vkb/l, Qvkb/l/ जिसका अर्थ रिपोर्ट की जा रही अवधि के दौरान होने वाली अवरोधों की प्रति उपभोक्ता औसत बारम्बारता है, जो अवरोध का सामना करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या को उपभोक्ताओं की कुल संख्या से विभाजित करने द्वारा निर्धारित की जाती है;
 - (ii) i l kkyh vkyl r vojkyk vof/k l polkad ¼, l , vkbMhvkb½ जिसका अर्थ रिपोर्ट की जा रही अविध के दौरान होने वाली अवरोधों की प्रति उपभोक्ता औसत अविध है, जो उपभोक्ताओं द्वारा सामना किए अवरोधों की कुल अविध (मिनटों में) को उपभोक्ताओं की कुल संख्या से विभाजित करने द्वारा निर्धारित की जाती है ; तथा
 - (iii) mi HkkOrk vkl r vojklk vof/k l podkad ll h, vkbMhvkbl/ जिसका अर्थ रिपोर्ट की जा रही अविध के दौरान, अवरोधों का सामना करने वाले उपभोक्ताओं के संबंध में अवरोधों की औसत अविध है, जो उपभोक्ताओं द्वारा सामना किए अवरोधों की कुल अविध (मिनटों में) को अवरोध का सामना करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या से विभाजित करने द्वारा अथवा समीकरण : सीएआईडीआई = एसआईडीआई / एसएआईएफआई के उपयोग द्वारा निर्धारित की जाती है।

- (2) लाइसेंसधारी उपरोक्त आंकडों की गणना करते समय, निम्न प्रकार के अवरोधों पर विचार नहीं करेगाः
 - (i) अनुसूचित कटौतियां ;
 - (ii) क्षणिक कटौतियां जो पांच मिनट से अधिक अवधि की नहीं हैं ;
 - (iii) ग्रिड फेल होने के कारण कटौतियां ;
 - (iv) दैवी आपदा खंड में वर्णित कारणों से होने वाली कटौतियां
- (3) fo'ol uh; rk l updkadka dh x.kuk fof/k
 - (i) प्रणाली औसत अवरोध अविध सूचकांक (एसएआईडीआई) = यह प्रति उपभोक्ता औसत अवरोध अविध है। SAIDI = Σ ri x Ni/Nt
 - (ii) प्रणाली औसत अवरोध बारम्बारता सूचकांक (एसएआईएफआई) = यह प्रति उपभोक्ता औसत अवरोध बारम्बारता है।

SAIFI = $\Sigma Ni / Nt$

जहां ;

i = अवरोध की घटना ;

ri = अवरोध की प्रत्येक घटना हेतु बहाली समय ;

Ni = रिपोर्ट की जा रही अवधि के दौरान अवरोध पीड़ित उपभोक्ताओं की संख्या ; तथा

Nt = लाइसेंसधारी के उपभोक्ताओं की कुल संख्या

- (iii) उपभोक्ता औसत अवरोध अवधि सूचकांक (सीएआईडीआई) यह अवरोधों का सामना करने वाले उपभोक्ताओं के संबंध में अवरोधों की औसत अवधि है। सीएआईडीआई = एसआईडीआई/एसएआईएफआई।
- (4) लाइसेंसधारी इन आंकड़ों का लक्ष्य स्तर वार्षिक रूप से, एआरआर प्रस्तुत करते समय करेगा। आयोग तदनुसार ये आंकड़े अधिसूचित करेगा।
- 4. Ckj Eckj rk oflkll; : लाइसेंसधारी अन्य नेटवर्क घटकों के साथ जैसेकि राज्य पारेषण उपयोगिता, राज्य भार प्रेषण केन्द्र, वितरण लाइसेंसधारीगण तथा अन्य पारेषण लाइसेंसधारीों के साथ समन्वय स्थापित करेगा ताकि आपूर्ति की आवृत्ति भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (समय समय पर संशोधित) के अनुरूप सुनिश्चित की जा सके।
- 5. Oký Vst V l ryu: लाइसेंसधारी आपूर्ति आरंभ के स्थल / बिंदु पर वोल्टेज असंतुलन 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होना सुनिश्चित करेगा। वोल्टेज असंतुलन की गणना आयोग द्वारा पृथकतः अधिसूचित ढंग से की जाएगी। लाइसेंसधारी को वितरण ट्रांसफार्मर स्तर पर वोल्टेज अनुमत्य सीमा से पार जाने पर आयोग के समक्ष विस्तृत विवरण युक्त अपवाद रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
- 6. fcfyx xyfr; la: लाइसेंसधारी उपभोक्ता शिकायत के आधार पर सुधार हेतु अपेक्षित बिलों का प्रतिशत कुल जारी किए गए बिलों के 0.2 प्रतिशत से अधिक नहीं होना स्निश्चित करेगा।
- 7. OS r nrkWuk, : लाइसेंसधारी कोई वैद्युत दुर्घटना नहीं होनी सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। किसी अवधि की तुलना में वैद्युत दुर्घटनाओं की संख्या में कमी या वृद्धि भी लाइसेंसधारी के निष्पादन का सूचक होगी।

lexz fu"iknu ekudka dk l kjkå k fuEukud kj g\$%

I xok {ks=	fu"i knu dk l exz ekud
fo qr vki qrl foQyrk	प्राप्त की गई कॉल्स की कम से कम 95 प्रतिशत निर्धारित समय सीमाओं के भीतर
	सुधारी जानी चाहिए
vu) fipr dVk/rh	कम से कम 95 प्रतिशत मामले समय सीमा के भीतर सुलझाए जाने चाहिए
ykbl 1 /kkjh }kjk vujf{kr LVtiV ykbV en	कम से कम 90 प्रतिशत मामले निर्धारित समय सीमा के भीतर सुलझाए जाने चाहिए

[kj kch	
fo'ol uh; rk l updkad	
एसएआईएफआई	
एसएआईडीआई	आयोग द्वारा लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तावित लक्ष्यों के आधार पर निर्धारित किया
सीएआईडीआई	जाएगा।
vkoʻfkr fHkUurk	आपूर्ति आवृत्ति आईईजीसी के अनुसार सीमा के भीतर रखें
okš/Vst vI rgyu	आपूर्ति आरंभ के स्थल / बिंदु पर अधिकतम 3 प्रतिशत
ifr'kr fcfyak xyfr; ka	0.2 प्रतिशत से अधिक नहीं

ifjf'k"V & 1

fo|qr pkight vFkok fo|qr ds vuf/kÑr mi; ksx ds ekeys esa Åtk1 fu/kkijj.k gsrq l ⊫

(1) निर्धारण के प्रयोजन हेतु, निरीक्षण की तिथि को संयोजित भार की गणना निम्नानुसार की जाएगी:--

"संयोजित भार" का अर्थ उपभोक्ता के परिसर में समस्त उपकरणों हेतु विनिर्माता की ऊर्जा खपत दर का कुल योग है, जो एकसाथ उपयोग में लाई जा सकती हैं। इसमें अतिरिक्त प्लग, सॉकेट का भार, अग्निशमन के लिए विशेष रूप से संस्थापित भार शामिल नहीं किया जाएगा। विद्यमान ऋतु के अनुसार (01 अप्रैल से 30 सितम्बर तक ठंडा करने और 01 अक्टूबर से 31 मार्च तक गर्म करने के उपयोग हेतु)।

(2) ऊर्जा का निर्धारण निम्नलिखित सूत्र के आधार पर किया जाएगा :

निर्धारित यूनिट = $L \times D \times H \times F$, जहां

- (i) L निरीक्षण की तिथि को संयोजित भार (लागू टैरिफ के अनुसार किलोवाट अथवा केवीए में) है
- (ii) D निर्धारण अवधि हेतु दिनों की संख्या है
- (iii) H आपूर्ति उपयोग घंटा प्रति दिवस है, जिसकी गणना उपयोग के भिन्न संवर्गों हेतु निम्नानुसार की जाएगी :

क)	एकल पारी उद्योग (दिन/रात मात्र)	10 घंटे
ख)	अ–सतत (नॉन–कंटीन्यूअस) प्रोसेस उद्योग (दिन और रात)	20 घंटे
ग)	सतत (कंटीन्यूअस) प्रोसेस उद्योग	24 घंटे
ម)	गैर–घरेलू (सामान्य) रेस्टोरेन्टों सहित	11 घंटे
ङ)	होटल, अस्पताल, नर्सिंग होम्स, गेस्ट हाउसेज, पेट्रोल पम्प	20 घंटे
च)	घरेलू	8 घंटे
छ)	कृषि	10 घंटे
ज)	अस्थायी कनेक्शन	12 घंटे
झ	कोई अन्य संवर्ग जो ऊपर वर्णित नहीं है	12 घंटे

(iv) F भार घटक है, जिसकी गणना उपयोग के भिन्न संवर्गों हेतु निम्नानुसार की जाएगी :

क)	औद्योगिक	60 प्रतिशत
ख)	गैर-घरेलू	60 प्रतिशत
ग)	घरेलू	40 प्रतिशत
ध)	कृषि	50 प्रतिशत
룡)	सीधी चोरी	100 प्रतिशत
च)	अस्थायी कनेक्शन	100 प्रतिशत
छ)	कोई अन्य संवर्ग जो ऊपर वर्णित नहीं है	60 प्रतिशत

(3) प्रामाणिक घरेलू उपयोग के मामलों में निर्धारण के प्रयोजन हेतु घंटों की गणना घरेलू वाटर पम्प, माइक्रोवेव ओवन, वाशिंग मशीन तथा गौण घरेलू उपकरणों के लिए 100 प्रतिशत भार घटक पर एक घंटा प्रति दिन से अधिक पर नहीं की जाएगी।

स्रेंद्रा इड्पघंटी, सचिव

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION NOTIFICATION

Delhi, the 17th August, 2017

Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code and Performance Standards) Regulations, 2017

No. F. 17(85)/Engg./DERC/15-16/5109/999.— In exercise of the powers conferred by Section 46, 50 read with Section 57, Section 181 of the Electricity Act, 2003 (Act 36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf and after previous publication, the Delhi Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations, namely Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code and Performance Standards) Regulations, 2017.

CHAPTER - I

GENERAL

1. Short title, extent and commencement:-

- (1) These Regulations may be called "Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code and Performance Standards) Regulations, 2017".
- (2) These Regulations shall be applicable to all the Distribution Licensees including Deemed Licensees and all consumers in the National Capital Territory of Delhi.
- (3) These Regulations shall come into force from 1.9.2017.

2. **Definitions:-**

In these Regulations, unless the context otherwise requires:-

- (1) "Act" means the Electricity Act, 2003, as amended from time to time;
- (2) "Accredited laboratory" means a laboratory accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL);

- (3) "Agreement" means an agreement, with its grammatical variations and cognate expressions, entered into by a Licensee and/or its predecessors and its consumer including any commercial arrangement for supply of electricity;
- (4) "Apparatus" means electrical apparatus; and includes all machines, fittings, accessories and appliances connected to the Electrical Distribution System;
- (5) "Appellate Authority" means the authority prescribed by Government of National Capital Territory of Delhi under sub-section (1) of Section 127 of the Act;
- (6) "Applicant" means an owner or occupier of any premises who files an application with a Licensee, in accordance with the provisions of the Act, the rules, the regulations and the Order made there under, for purposes such as:
 - (i) supply of electricity including temporary connection;
 - (ii) increase or reduction in sanctioned load or contract demand;
 - (iii) change of category;
 - (iv) issues related to billing or change of particulars related to connection;
 - (v) disconnection or reconnection of supply;
 - (vi) termination of agreement or for other services, etc.
- (7) "Application" means an application complete in all respects in the appropriate format along with all requisite documents;
- (8) "Area of Supply" means the geographic area within which Licensee is, for the time being, authorized by his license to supply electrical energy;
- (9) "Assessing Officer" means an officer of a State Government or Board or Licensee, as the case may be, designated as such by Government of National Capital Territory of Delhi, under Section 126 of the Act;
- (10) "Authorized Officer" means an officer of the Licensee or supplier, as the case may be, designated as Authorized Officer by the Government of National Capital Territory of Delhi under sub-section (2) of Section 135 of the Act;
- (11) "Authority" means the Central Electricity Authority (CEA) as referred to in sub-section (1) of Section 70 of the Act;
- (12) "Average Power Factor" means the ratio of kWh (kilo Watt Hour) to the kVAh (kilo Volt Ampere Hour) registered during a specific period;
- (13) **"Bank rate"** means the base rate or Marginal Cost of Fund based Lending Rate (MCLR) or any other benchmark rate as notified by the State Bank of India;
- (14) "Bill date" means the date on which the bill is prepared by the distribution Licensee;
- (15) "Billing cycle" or "Billing period" means the period as approved by the Commission for which regular electricity bills are to be prepared by the Licensee for different categories of consumers;
- (16) "Billing demand" means highest of the following:-

- the contract demand or the sanctioned demand wherever contract demand has not been provided in the supply agreement.
- (ii) the maximum demand indicated by the meter during the billing cycle.
- (17) "Calendar year" means the period from the first day of January of a Gregorian calendar year to the thirty first day of December, of the same year;
- (18) "CEA (Measures Relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010" means the CEA (Measures Relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010 as amended from time to time and Indian Electricity Rules, 1956 to the extent saved by the Act or any other relevant Regulations/Rules made there under;
- (19) "Commission" means the Delhi Electricity Regulatory Commission as referred to in sub-section (1) of Section 82 of the Act;
- (20) "Consumer" means any person defined as such in the Act;
- (21) "Contract demand" means the demand in kW or kVA (kilo watt or kilo Volt Ampere) as provided in the agreement, which shall not be less than 60% of the sanctioned load and for which the Licensee makes specific commitment to supply subject to the governing terms and conditions;
- (22) "Correct Meter" means a meter, which shall at least have features, accuracy class, standards and specifications as per CEA (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006 as amended from time to time;
- (23) "Day(s)" for any period specified by day(s) means as working days, unless notified otherwise;
- (24) "Developer" means any person who undertakes development of an area (including electrification on their own or through a Licensee) including public land development agencies (like Delhi Development Authority, Municipal Corporation(s) of Delhi, New Delhi Municipal Council, Delhi State Industrial & Infrastructure Development Corporation Ltd., Delhi Urban Shelter Improvement Board, WAKF Board etc.), private developer, private colonizers, builders, Cooperative Group Housing societies, group housing societies, co-operatives, associations etc., within the area of supply of the distribution Licensee including any residential-cum-commercial complex approved by an appropriate authority;
- (25) "Distributing Main" refers to the portion of any main with which a service line is or is intended to be immediately connected;
- (26) "Distribution System" means the system of wires and associated facilities used for distribution/supply of electricity between the delivery points on the transmission lines or the generating station connection and the point of supply;
- (27) **"Electrical Inspector"** means a person appointed as such by the Government of National Capital Territory of Delhi under sub-section (1) of Section 162 of the Act and also includes the Chief Electrical Inspector;
- (28) "Energy charges" means the charges levied as per the provisions of the Tariff Order issued by the Commission from time to time for energy consumed by the consumer in kWh or kVAh (kilo Watt Hour or kilo Volt Ampere Hour), as the case may be, in any billing cycle or billing period;
- (29) "Electrified Area" means all areas other than those specified as unelectrified areas;
- (30) **"Financial year"** means the period beginning from the first day of April in a Gregorian calendar year and ending with the thirty first day of March of the next year;

- (31) **"Fixed Charges"** for a billing cycle or billing period means the charge levied as per the provisions of the Tariff Order issued by the Commission from time to time;
- (32) "Force Majeure" means the occurrence of any event/circumstances which are beyond the control of a Licensee which could not have been reasonably foreseen by the Licensee and which has the effect of preventing/delaying due performance of any obligation by the Licensee;
- (33) **"Forum"** means the Consumer Grievance Redressal Forum (CGRF) established under sub-section (5) of Section 42 of the Act;
- (34) **"Franchisee"** means a person authorized by a distribution Licensee to distribute electricity on its behalf in a particular area within his area of supply;
- (35) "Harmonics" means a component of a periodic wave having frequency that is an integral multiple of the fundamental power line frequency of 50 Hz, causing distortion to pure sinusoidal waveform of voltage or current;
- (36) "IEEE Standard" relates to the technical standards issued from time to time by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), United States of America;
- (37) "Late Payment Surcharge (LPSC)" means the monetary charge levied as per provisions of the Tariff Orders, on a consumer, for the period of delay in payment of its bills beyond due date;
- (38) "Licensed Electrical Contractor (LEC)" means a contractor licensed by the Government of National Capital Territory of Delhi in accordance with the provisions of Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010 as amended from time to time;
- (39) "Licensee" or "Distribution Licensee" means a person who has been granted a license under Section 14 of the Act to operate and maintain a distribution system for supplying electricity to the consumers in his area of supply and includes a deemed Licensee;
- (40) "Maximum Demand (MD)" means the highest average load measured in kVA or kW at the point of supply of a consumer during a consecutive period of thirty minutes or such other consecutive period as may be notified by the Commission during a billing cycle;
- (41) "Meter" means a correct meter suitable for measuring, indicating and recording consumption of electricity, maximum demand, any other parameter or any other information related with electrical system, as may be specified by the Authority or notified by the Commission and shall include, wherever applicable, other equipment such as Current Transformer (CT), Voltage Transformer (VT) or Capacitor Voltage Transformer (CVT) necessary for such purpose and shall include net meter;
 - **Explanation:** It shall also include any seal or sealing arrangement and other measures/ attributes provided by the Licensee for securing reliability and for preventing theft/ unauthorised use of electricity.
- (42) "Net meter" means an appropriate meter capable of recording both import & export of electricity or a pair of meters one each for recording the net import and net export of electricity as the case may be;
- (43) "Ombudsman" means electricity Ombudsman as appointed under sub-section (6) of Section 42 of the
- (44) "Premises" means land, building or structure or part or combination thereof which includes immovable properties, in respect of which separate meter has been installed or required to be installed by Licensee for supply of electricity;

- (45) "Point of Supply" means the point at the outgoing terminals of Licensee's meter/ up-to consumer's cutout/ switchgear installed in the premises of the consumer:
 - Provided that in case of high tension and extra high tension consumers, point of supply means the point at the outgoing terminals of the Licensee's metering cubicle placed before such consumer's apparatus;
- (46) "Rural area" means the area covered by gram Panchayats, including major and minor panchayats or the village and areas not notified as urbanised by Government of National Capital Territory of Delhi;
- (47) "Sanctioned load" means the load in kW or kVA (kilo Watt or Kilo Volt Amp) which the Licensee has agreed to supply from time to time as per the governing terms and conditions and shall be subject to relevant orders of the Commission, as may be issued from time to time;
- (48) "Service-line" means any electric supply-line through which electricity is or intended to be, supplied:
 - to a single consumer either from a distributing main or immediately from the Licensee's premises;
 - (ii) from a distributing main to a group of consumers on the same premises or on contiguous premises supplied from the same point of the distributing main.
- (49) "Tariff Order" means the Tariff Order issued by the Commission applicable to the relevant period;
- (50) "Theft of electricity" means theft of electricity as per Section 135 of the Act;
- (51) "**Urban areas**" means all areas other than rural areas;
- (52) "Unauthorized Use of Electricity" means usage of electricity as per Section 126 of the Act;
- (53) "Unelectrified area" shall mean any area or part thereof which does not have any distribution system to cater to the demand for electricity for that area;

3. Interpretations:-

- (1) These Regulations shall be interpreted and implemented in a manner not inconsistent with the provisions of the Act and the Rules and Regulations made thereunder.
- (2) Unless the context otherwise requires, words or expressions occurring in these Regulations and not defined herein but defined in the Act or CEA (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006 or CEA (Measures Relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010 or Tariff Order, shall bear the same meaning as ascribed therein and in absence thereof, the meaning as commonly understood in the Electricity Supply Industry.
- (3) The forms and formats to be filled as per requirement of these Regulations shall be as notified in the Commission's Orders.

CHAPTER - II

SYSTEM, SAFETY, STANDARDS AND CATEGORIZATION OF SUPPLY

4. System of Supply:-

- (1) The declared frequency of the alternating current (AC) shall be 50 Hz. The Licensee shall maintain the frequency within the frequency band as may be notified by the Authority from time to time.
- (2) The voltage levels for supply shall be as under:-

- (i) Low Tension (LT)
 - (a) Single Phase: 230 volts between phase and neutral.
 - (b) Three Phase: 400 volts between phases.
- (ii) High Tension (HT) Three Phase: 11 kV between phases
- (iii) Extra High Tension (EHT) Three Phase: 33kV or 66kV between phases.
- (3) The Licensee shall design, install, maintain and operate a distribution system in conjunction with the transmission system.
- (4) The voltage at the point of supply shall remain within the limits as specified hereunder:
 - (i) In the case of low tension, \pm 6%.
 - (ii) In the case of high tension, +6% to -9%.
 - (iii) In the case of extra high tension, + 10% to -12.5%.

5. Safety of electrical installations:-

- (1) The Licensee and the consumer shall, in every respect, comply with the provisions of the Central Electricity Authority (Measures Relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010, as amended from time to time.
- (2) At the time of testing of installation, if the Licensee's representative finds that there is a defect in the consumer's wiring, the Licensee shall serve a written notice to the consumer to make such modifications as are necessary to render the installation safe.
- (3) The connection shall be energized only on removal of the defects.

6. Classification and Categorization of Supply:-

- (1) The classification of supply shall be as notified in the Commission's Orders.
- (2) Categorization of supply to various consumers shall be in accordance with the applicable tariff order of Commission for that period:

Provided that no additional category other than those approved by the Commission shall be created by the Licensee.

7. Wiring in the premises of the consumer:-

- (1) The work of wiring at the premises of the consumer shall conform to the standards notified in Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010 and amendments thereof.
- (2) All multi-storeyed buildings, having a height of more than 15 meters from ground level, shall also comply with Clause 36 of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010 and amendments thereof.
- (3) Wiring shall be tested as per provisions of Clause 31 of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010 and amendments thereof.

- (4) The material used for wiring shall comply with or be superior to the standards laid down by the Bureau of Indian Standards. The consumer shall be solely responsible for the installation of electrical wiring within its premises as per relevant Rules/Regulations.
- (5) All consumers, irrespective of the sanctioned load, shall install a suitable device for earth leakage protection within the time period as may be notified by the Commission:

Provided that no new connection shall be energised, unless a suitable earth leakage protection device has been installed.

8. Harmonics dumping:-

(1) It shall be obligatory for all the consumers to restrict the harmonics dumped by them to the levels as may be notified by the Authority:

Provided that IEEE Standard (STD 519-1992) shall be applicable, till such time the Standards are notified by the Authority.

- (2) If the Licensee detects that the consumer's electrical system is generating harmonics above the permissible limits, the Licensee may require the consumer to take appropriate measures to control harmonics of his installation in accordance with sub regulation (1) above, within six months.
- (3) The Consumer shall inform the Licensee about the measures taken to control harmonics and the Licensee shall inspect within 2 (two) days of getting information, failing which it shall be presumed that the consumer has taken effective measures and have complied with the provisions of this Regulation.
- (4) The Licensee shall inform the consumer about the results of inspection on the spot and if the harmonics are within permissible limits, no further action shall be taken.
- (5) Failure to comply with the permissible limits of Harmonics after inspection as in sub-regulation (3) above may attract penal charges, as may be notified by the Commission from time to time:

Provided that, if after the inspection as in Sub Regulation (3), in the opinion of the Licensee, the high harmonics dumping by a consumer is detrimental to other consumers or to the distribution system, the Licensee may, under intimation to the Commission, disconnect supply of such erring consumer, after giving notice under Regulation 51(1), and as and when the consumer informs the Licensee about any further measures taken to control harmonics, the Licensee shall make re-inspection within 2 (two) days, and if the results of harmonics during such re-inspection are found within the permissible limits, the supply shall be reconnected within 24 hours from the time of such re-inspection.

9. Distribution of electricity through franchisee:-

(1) A Licensee may undertake distribution of electricity in a designated area within its area of supply, through a franchisee as per the provisions of the Act:

Provided that a franchisee appointed by the distribution licensee cannot further sub-appoint a franchisee/sub-franchisee to undertake distribution of electricity.

- (2) Notwithstanding the above, the distribution Licensee shall be solely responsible to the consumer for all matters relating to the distribution of electricity through such franchisee.
- (3) The franchisee shall, on behalf of the Licensee, perform such duties and functions as are assigned to him by the Licensee about distribution of electricity in the designated area.

CHAPTER - III

NEW AND EXISTING CONNECTIONS

10. New and Existing Connections:-

(1) General:-

- The Licensee shall upload all the forms and formats prescribed under these Regulations on its website.
- (ii) The Licensee shall make appropriate arrangements for filing and accepting the application by the applicant both in hard copy as well as online.
- (iii) The applicant may file the application either online or in hard copy:

Provided that where the hard copy of application is submitted by hand, the Licensee shall verify the application on the spot and if found in order, acknowledge through dated receipt, and if found deficient, issue a written note regarding shortcomings in the application:

Provided further that where application is sent by registered post or speed post at correct postal address, the deficiency if any, shall be sent to the applicant within 2(two) days of receipt of application through registered post or speed post at correct postal address or on registered mobile number through SMS:

Provided also that where the application is submitted online, a system generated acknowledgement shall be issued forthwith and in case of any deficiency same shall be intimated to the applicant within 2 (two) days of the receipt of the application on registered mobile number through SMS or registered e-mail address, as the case may be.

(iv) The Licensee shall prominently display consumer related information at its website and all its offices:

Provided that no other document or the charges, which have not been listed, shall be required from the applicant.

- (v)On the request of applicant, an independent electric connection shall be given to the owner/lawful occupant on each floor of the premises.
- (vi) Wherever, one dwelling unit has been sub-divided and separate kitchen as well as separate entry is available, second electric connection may be given to the lawful occupant.
- (vii) The electricity bill shall be only for electricity supply to the premises occupied by the consumer and shall not be treated as having rights or titles over the premises.

(2) Proof of identity of the applicant:-

Any of the following documents shall be accepted as proof of identity:-

- (i) electoral identity card;
- (ii) passport;
- (iii) driving license;
- (iv) ration card having photograph;
- (v) Aadhar card;

- (vi) PAN card;
- (vii) photo identity card issued by any Government agency;
- (viii) If the applicant is an organization, certificate of incorporation/ registration issued by the Registrar and proof of authorization /resolution of Board for authorizing the person.

(3) Proof of ownership or occupancy of the premises:-

Any of the following documents shall be accepted as the proof of ownership or occupancy of premises:-

- (i) certified copy of title deed;
- (ii) certified copy of registered conveyance deed;
- (iii) General Power of Attorney (GPA);
- (iv) allotment letter/possession letter;
- (v) valid lease agreement alongwith undertaking that the lease agreement has been signed by the owner or his authorized representative;
- (vi) rent receipt not earlier than 3 (three) months alongwith undertaking that the rent receipt has been signed by the owner or his authorized representative;
- (vii) mutation certificate issued by a Government body such as Local Revenue Authorities or Municipal Corporation or land owning agencies like DDA/L&DO;
- (viii) sub-division agreement;
- (ix) For bonafide consumers residing in JJ clusters or in other areas with no specific municipal address, the licensee may accept either ration card or electoral identity card mandatorily having the same address as a proof of occupancy of the premises.

(4) Sub-divided Property:-

- (i) Where property/premises have been legitimately sub-divided, the owner/occupier of the respective portion of such sub-divided property shall be entitled to obtain independent connection in his name.
- (ii) The Licensee shall provide the connection, to the applicant of respective portion of the legitimately sub-divided property, on payment of outstanding dues on pro-rata basis for that portion, based on the area of such sub-division or as mentioned in sub-division agreement, and the Licensee shall not deny connection to such applicant on the ground that dues on the other portion(s) of such premises have not been paid, nor shall the Licensee demand record of last paid bills of other portion(s) from such applicant(s).

(5) Reconstruction of Existing Property:-

In case of complete demolition and reconstruction of the premises or the building following shall apply:

- (i) Supply of electricity from existing connection shall not be allowed to be used and same shall have to be essentially surrendered by the owner/occupier/developer of the premises.
- (ii) Meter and service line shall be removed, and the agreement shall stand terminated only after realizing all dues payable to the Licensee and thereafter the security deposit of the consumer shall be duly returned by the Licensee as per the Regulations.
- (iii) The owner, occupier, developer of the premises, as the case may be, shall apply for temporary connection and the Licensee shall give such temporary connection subject to Regulation 16:

Provided that temporary connection in all such cases shall be given only after the outstanding dues, if any, for such premises, are fully cleared.

- (iv) Such reconstructed premises or building shall be treated as new premises and the consumer shall be required to apply afresh for a new connection as per these regulations.
- (v) Any new connection to such reconstructed premises shall be given only after the outstanding dues attributed to the premises are duly paid by the applicant:

Provided that in case such reconstructed building is occupied by multiple owners, the treatment for new connection(s) to such multiple owners in the reconstructed building shall be given as if the property is sub-divided as in Regulation 10(4).

(6) Renovation of the Existing Property:-

Subject to Regulation 10 (5), renovation of the existing property being used by the domestic consumer for their own use shall be considered under domestic category connection on fulfillment of following conditions:

- (i) The consumer shall give advance notice to the Licensee;
- (ii) An undertaking to be given by the consumer to the effect that alteration/addition is as per the prevailing Building Bye-Laws;

11. New Electricity Connection:-

The Licensee shall process the application for new connection, within the time frame as specified in these Regulations

(1) Submission of application along with all documents:-

(i) The Applicant shall make application for new connection to the Licensee in the form notified in the Commission's Orders:

Provided that a non-refundable registration cum processing fee as notified in the Commission's Orders shall be levied on the applicant applying connection at Extra High Tension or High Tension voltage level.

- (ii) The applicant can also make application for new connection online on the website of Licensee:
 - Provided that the applications for new connection for 50 kVA and above, unless any other lower value as may be notified by the Commission from time to time, shall be submitted through online system only.
- (iii) If the Applicant wishes to provide his own meter of approved specifications, he shall explicitly inform the same to the Licensee at the time of making the application.
- (iv) The Licensee shall indicate all the deficiencies in the application form to the applicant in one go only and shall not raise any new deficiency subsequently.
- (v) In case the Licensee fails to intimate the applicant about any deficiencies in his application on the spot or within the stipulated 2 (two) days in case of online application, as the case may be, the application shall be deemed to have been accepted by the Licensee on the date of receipt of the application.

- (vi) In case the applicant fails to remove such defects or fails to inform the Licensee about removal of deficiencies within 30 (thirty) days from the date of receipt of intimation of deficiencies, the application shall stand lapsed and the applicant will have to apply afresh.
- (vii) The application shall be considered to be accepted only on removal of deficiencies as indicated under this Regulation.

(2) Field Inspection:-

- (i) In case the application form is complete, the Licensee shall, at the time of receipt of application form, stipulate a date and time for inspection of applicant's premises in mutual consultation with the applicant, giving a written acknowledgement.
- (ii) The date of inspection shall be scheduled within 2 (two) days from the date of acceptance of the application:

Provided that if the applicant wishes to have a different date and time for field inspection, which is beyond the stipulated date & time, the excess time taken by the applicant shall neither be considered for computation of total time taken for release of connection nor for the purpose of compensation:

Provided further that if the applicant wishes, he can get the inspection scheduled on a holiday for the Licensee, on payment of an inspection fee as notified in the Commission's Orders.

- (iii) The Licensee shall conduct field inspection of the premises in the presence of the applicant or his representative on the appointed date and time.
- (iv) The Licensee shall not sanction the load, if upon inspection, the Licensee finds that;
 - a. the information as furnished in the application is at variance to the actual position, or
 - b. the installation is defective or
 - c. the energisation would be in violation of any provision of the Act, Electricity Rules, Regulations or any other requirement, if so specified or prescribed by the Commission or Authority under any of their Regulations or Orders.
- (v) The Licensee shall give intimation to the applicant on the spot in writing about the defects/deficiencies, if any, observed during the field inspection.
- (vi) The applicant shall ensure that all defects/deficiencies are removed within 30 (thirty) days from receipt of intimation of defects/ deficiencies.
- (vii) On receipt of information from the applicant about removal of defects/deficiencies, the Licensee shall intimate the applicant about date for re-inspection of the premises of the applicant which shall not be later than 2 (two) days of receipt of information from the applicant about removal of defects/deficiencies.
- (VIII) In case the applicant fails to remove such defects/deficiencies or fails to inform the Licensee about removal of defects/deficiencies within 30 days from the date of receipt of intimation of defects/deficiencies, the application shall stand lapsed and the applicant will have to apply afresh:

Provided that the Licensee may grant additional time to the applicant for completion of works, in case the applicant submits a written request for the same, within 30 (thirty) days from the date of receipt of intimation of defects/deficiencies.

(ix) In case the Licensee fails to carry out field inspection/re-inspection within 2 (two) days from the date of acceptance of application or from the date of receipt of intimation of removal of site defects/deficiencies, the load applied for connection shall be deemed to have been sanctioned after 2 (two) days from the date of acceptance of the application or the date of receipt of information for removal of defects/deficiencies, as the case may be.

(3) Load Sanction and Demand Note:-

- (i) Save as otherwise provided in the Act or these Regulations, the Licensee shall sanction the load as requested by the applicant.
- (ii) The Licensee shall raise the demand note to the applicant, within 2 (two) days of the field inspection subject to rectification of defects/deficiencies, for applicable charges, giving its breakup under the heads such as Service Line cum Development (SLD) charges, Security deposit, security towards pre-payment meter, road restoration charges, reconnection charges, etc. after giving due adjustment for the registration cum processing fee collected, if any, at the time of submission of the application:

Provided that in cases where consumer contribution is required for augmentation of network, the demand note shall be raised by the licensee within 10 (ten) days of the field inspection.

- (iii) The applicant shall make payment within 2 (two) days of the receipt of the demand note.
- (iv) In case the applicant finds difficulty in making the payment within 2(two) days, the applicant may request the Licensee, in writing, for an extension of time for a maximum period of 15 (fifteen) days.
- (v) The Licensee shall be under obligation to energise the connection on receipt of full payment against the demand note subject to the condition that the time extended under sub-regulation (iv) above shall not be counted in working out the total time taken for energisation of connection by Licensee nor the consumer shall be entitled to seek any compensation for such extended period.

(4) Energisation of Connection:-

- (i) Where connection is to be provided from existing distribution system in electrified areas:
 - a. In cases where road cutting permission or right of way is not required, the Licensee shall energize the connection within 1(one) day from the date of receipt of full payment.
 - b. In cases where road cutting permission or right of way is required, the Licensee shall energize the connection within 9(nine) days from the date of receipt of full payment:
 - Provided that if delay in road cutting permission or right of way is beyond 2(two) days from the date of submission of request by the distribution licensee, such delay shall not be counted in working out the total time taken for energisation of connection by Licensee nor the consumer shall be entitled to seek any compensation for such period.
 - c. The total time for providing connection from existing distribution system shall not exceed the time schedule specified under these Regulations.
 - d. For the purpose of illustration, the total time taken for release of connection in electrified area from the existing distribution system, where there is no deficiency in the application or during field inspection, shall be as under:

Sl. No.	Description	Time period
(i)	Acceptance of Application	Zero date
(ii)	Field Inspection	Within 2 days of Acceptance of Application

(iii)	Load Sanction and demand note	Within 2 days of Field Inspection
(iv)	Payment of demand note	Within 2 days of raising demand note
(v)	Release of connection, where no RoW or road cutting permission is required	Within 1 day of receipt of payment
(vi)	Total time for release of connection where no RoW or road cutting permission is required	Within 7 days of acceptance of application
	Total time for release of connection where RoW or road cutting permission is required	Within 15 days of acceptance of application

(ii) Connection where system augmentation is required in electrified areas:-

- a. The Licensee shall not deny new connection as long as the peak load including the load capacity of the new connection on the applicable distribution transformer falls within and up to 90% of the rated capacity of the transformer.
- b. The Licensee shall take appropriate action for augmentation of the capacity, as soon as the peak load on the existing applicable distribution transformer(s) reaches about 70% of its rated capacity.
- c. Subject to sub-clause (a) above, if giving of new connection requires augmentation of distribution system, the Licensee shall inform the applicant about the approximate time frame by which the applied load can be energized. Such time frame shall not exceed the time schedule specified as under:

(i)	Electrified Areas (where extension of line upto five poles is required)	Within 15 days from the date of receipt of full payment against demand note.
(ii)	Electrified Areas (Where extension of lines or augmentation of Distribution Transformation capacity, where peak load of transformer has reached 90% of its rated capacity)	Within 2 months from the date of receipt of full payment against demand note.
(iii)	Electrified Areas (Where new Distribution Transformer is required)	Within 4 months from the date of receipt of payment against demand note
(iv)	Electrified Areas (Where existing 11 KV network needs to be augmented)	Within 6 months from the date of receipt of payment against demand note
(v)	Electrified Areas (Where existing 66/33 kV grid sub-station needs to be augmented)	Within 8 months from the date of receipt of payment against demand note

Provided that the Licensee may approach the Commission for extension of time specified in specific cases, where magnitude of electrification works is such that it requires more time, duly furnishing the details in support of such request for extension.

(iii) Connection in Un-electrified areas:-

a. The licensee shall upload the updated details of un-electrified areas as on 31st March of every year alongwith the geographical map clearly indicating the boundaries of such areas under its licensed area of supply by the end of April of that year:

Provided that the Licensee for the first time shall upload the details of un-electrified areas as on 31.7.2017 alongwith the geographical map clearly indicating the boundaries of such areas under its licensed area of supply:

Provided further that the details of un-electrified areas as on 31.7.2017 shall be uploaded by the Licensee on its website by 31.8.2017 and shall remain on its website unless reviewed by the Commission.

- b. The Licensee shall submit in the Business Plan, details of un-electrified areas under its area of supply and proposal for its electrification during the control period.
- c. The Licensee shall submit alongwith the filing of tariff petition, the detailed plan for electrification of these areas duly taking into account the number of pending applications for service connections, potential for load growth etc.
- d. The Licensee shall ensure that all relevant laws of the land are complied with.
- e. The Licensee shall complete the electrification of un-electrified areas and release the connection within the time schedule specified as under:

(i)	Where connection from nearby existing network is possible	Within 4 months from the date of receipt of approval from the Commission, wherever required, subject to:
		(i) receipt of service line cum development charges under Regulation 21 from the developer or the applicant as the case may be; and
		(ii) availability of right of way & land, wherever required.
(ii)	Where new network is to be laid or grid station needs to be established	Within 12 months from the date of receipt of approval from the Commission, wherever required, subject to:
		(i) receipt of service line cum development charges under Regulation 21 from the developer or the applicant as the case may be; and
		(ii) availability of right of way & land, wherever required.

Provided that on request of the licensee, the Commission may allow extension of time for electrification works in specific cases, based on the justification and the details furnished by the Licensee:

Provided further that once electrification of such area is completed, the timelines for energisation of connection shall be in accordance with the provisions of these Regulations for energisation of connection in electrified areas.

(iv) All connections to be energized using bus-bars:-

- a. If more than one connection in a premises/complex are energized using a single service line or a cable, all such connections shall be energized using the bus-bars only without looping with other meters.
- b. Any existing connection, provided through loop connections, energized prior to 18th April, 2007 (date of notification of Delhi Electricity Supply Code and Performance Standards Regulations, 2007), shall be rectified and re-energized using bus-bars within 6 (six) months from the date of applicability of these Regulations.

- c. The consumer shall have the right to check / verify that the neutral of its meter is connected directly from the bus bar and not in any other manner.
- d. Subject to Sub-Clause (b) above, if it is found that the consumer's meter is energized through neutral looping and not directly from the bus bar, the Licensee shall be liable to pay compensation as specified in Schedule-I of the Regulations.

(v) Compensation for delay in energizing connection:-

- a. In case the Licensee fails to provide the connection to an applicant within the prescribed time lines, the Licensee shall be liable to pay the applicant, compensation as specified in Schedule-I of the Regulations.
- b. For determination of compensation, the time taken for release of connection shall not be considered on account of the following:-
 - If at any stage, additional time period is sought by the applicant for reasons to be recorded in writing; or
 - (ii) If the same is on account of reasons such as right of way, acquisition of land, delay in permission for road cutting etc., or occurrence of any force majeure event, over which Licensee has no control and the reasons for the delay are communicated to the applicant within the period specified for energisation; or
 - (iii) If additional time is allowed by the Commission for completion of work.
- c. In case the Licensee fails to provide connection to an applicant after raising a demand note, the Licensee shall pay the applicant, compensation as per Schedule-I of the Regulations:

Provided that the Licensee shall also refund the amount deposited by the applicant against the demand note along with interest as applicable in case of Security Deposit, within 30 (thirty) days from the date load is not sanctioned:

Provided further that if the connection could not be provided after issuance of the demand note for the reasons attributable to the applicant, no compensation shall be payable and the Licensee shall refund the amount deposited by the applicant against the demand note.

(vi) Electricity Connection based on occupancy as per Regulation 10 (3)(v & vi):-

a. The Licensee shall provide the electricity connection to such applicant only through prepayment meter by charging a refundable security also as notified in the Commission's Orders towards pre-payment meter:

Provided that if the load demanded by the applicant is more than 45kW, the Licensee may provide the connection through post-paid meter:

- b. The electricity connection shall be valid during the currency of said lease agreement or mutually extended period of lease by the occupier and the owner.
- The Licensee shall disconnect the electricity connection on expiry of lease agreement, unless extended.
- d. In case the proof of occupancy is rent receipt along with undertaking that the rent receipt is signed by the owner or his authorized representative, the electricity connection shall be disconnected on the request of the owner or his authorized representative:

Provided that notice of at least one month period shall be given by the owner or his authorized representative to the Licensee and the occupier.

e. At the time of disconnection, if the pre-payment meter is not defective/damaged, the Licensee shall refund the security collected towards pre-payment meter alongwith the balance within 7 (seven) days of disconnection through demand draft or electronic clearance system.

12. Single point supply:

- (1) The Licensee shall, if so requested, give single point supply, to the premises with multiple consumers/beneficiaries such as:
 - (i) Multi-storey buildings.

- (ii) Residential complex developed by any developer.
- (iii) Residential-cum-commercial complex developed by a developer and approved by an appropriate authority
- (iv) Group Housing Societies
- (v) Commercial or Industrial Complex.
- (vi) Residential Complex constructed by any employer for his employees:
 - Provided that the provisions of this Regulation shall not in any way affect the right of a person residing/occupying any part/unit in such premises, sold or leased by the developer, to demand supply of electricity directly from the Licensee of the area.
- (2) Supply shall be provided by the developer or registered association to the individual beneficiaries and for common service by installing separate meters.
- (3) The developer or registered association shall collect the charges as per applicable Tariff Order and the cost of energy from individual beneficiaries and shall remit the charges for the entire electricity availed at such single point of supply as per the bill within such time as indicated in the bill.
- (4) The tariff charged from individual beneficiaries shall be as per applicable tariff for relevant category as notified in Tariff Order.
- (5) Providing of connection to individual beneficiaries in such premises with multiple consumers and sharing of expenses of consumption of electricity as per the above provisions shall not be construed as unauthorized extension of supply or resale of energy.
- (6) The maintenance of internal distribution network and providing services to individual beneficiaries shall be the responsibility of the developer or registered association, as the case may be.

(**Explanation:** - Registered Association means the Residents Welfare Association or any other similar body registered with Registrar, Co-operatives Societies, Delhi/ Societies Act, 1860 which deals with the management of various common facilities/services within the complex.)

13. Conversion of single point connection to individual connection:

- (1) The concerned developer or registered association opting for Conversion of Single Point Connection to Individual Connection shall submit to the Licensee, a certified copy of the resolution regarding the surrender of existing Single Point Delivery connection. In such cases, the procedure specified for full conversion at Regulation 14 shall apply.
- (2) In case, applications are received by the Licensee from individual consumers for direct supply of electricity, the Licensee shall undertake a joint survey with the concerned developer or registered association within 15 (fifteen) days of the date of receipt of the first application for direct supply. During the survey, the Licensee shall explore the possibility of additional applicants who may like to opt for direct supply through a written consent for proper planning and to provide the supply.
- (3) In case, after conducting joint survey, it is found that the number of members of the society, opting for direct supply from Licensee is 2/3rd or more of the total number of members of the society, the complete society shall be converted for taking direct supply, and the procedure specified for full conversion at Regulation 14 shall apply.
- (4) In case, after conducting joint survey, it is found that the number of members of the society opting for direct supply is less than 2/3rd of the total number of members of the society, the procedure specified for partial conversion at Regulation 15 shall apply.
- (5) Notwithstanding the above, no further applications for direct supply of power shall be entertained from such members who did not opt for direct supply during the joint survey mentioned as above, for the next 5 (five) years from the date of energisation of other applicants,. This condition shall be clearly mentioned in the survey form.
- (6) The Licensee shall seek and the developer or the registered association, as the case may be, shall provide the list of all the beneficiary members of the single point connection.
- (7) The developer or the registered association shall provide access to the premises to the Licensee or its authorized representatives for the purpose of any activity related to conversion of single point connection

into individual connection and other services such as maintenance, inspection of the network, reading of the meters etc.

14. Procedure for full conversion of single point connection into individual connection:-

(1) The concerned developer or registered association shall submit to the Licensee, certified copy of the resolution regarding the surrender of existing Single Point Delivery connection:

Provided that, in case of full conversion based on the result of joint survey under Regulation 13 (3), same shall be deemed to be resolution regarding the surrender of existing Single Point Delivery connection.

- (2) Any connection which has been converted from single point delivery to individual connection, shall not be entitled to revert back to single point connection thereafter.
- (3) All members of the society opting for direct supply shall submit an application for direct supply of electricity individually from the Licensee in accordance with the terms and conditions specified in these Regulations. In case, application is not received from any of the member of the society, the supply to that member shall remain disconnected.
- (4) The concerned developer or registered association shall apply for separate connection for common services. If the concerned developer or registered association has already taken a separate connection for common services, the same connection can be continued.
- (5) The Licensee shall not be required to provide the arrangement for standby supply such as Diesel Generator (DG) set. The developer or registered association shall arrange for separate network for stand by supply such as DG set, if required. Any source of standby supply shall be allowed only beyond the meter/MCB of each applicant with suitable arrangement of changeover switch.
- (6) The Licensee shall inspect the existing distribution system such as transformers, allied equipments, and meters etc. of the society.
- (7) The developer or registered association shall provide the adequate space, if required, at a convenient place for installing the transformers, allied equipments, as may be required, at no cost to the Licensee.
- (8) The Licensee shall enter into an agreement with the developer or registered association for taking over of existing distribution assets without any monetary compensation.
- (9) In order to avoid duplication of the distribution system and as far as possible, the Licensee shall take over the existing distribution system from the concerned developer or registered association, within 60 days of the receipt of the certified copy of the resolution or completion of joint survey, as the case may be, regarding surrender of existing single point delivery connection, without giving any monetary compensation to the developer or registered association, and the distribution system shall, thereafter, be owned, operated and maintained by the Licensee. Handing Over and Taking Over of the equipment shall be properly documented.
- (10) The cost of the existing distribution system taken over by the Licensee shall be deemed to be the notional funding required from developer or registered association under Regulation 21 (1):
 - Provided that if the value of the assets taken over by Licensee is available in the balance sheet of concerned developer or registered association, the value of such assets may be taken for computation of additional Repair & Maintenance based on the methodology determined by the Commission:
 - Provided further that if no such data is available, the Licensee may compute the notional value of the taken over assets from concerned developer or registered association based on the cost data book issued by the Commission.
- (11) The Licensee shall start installing their meters which shall be completed within two months of the receipt of the certified copy of the resolution or completion of joint survey, as the case may be, regarding surrender of existing single point delivery connection.
- (12) At the time of installation of meter by the Licensee, the concerned developer or registered association, along with the individual consumer shall note the reading of the old meter as well as the initial reading of the new meter.

- (13) The Licensee shall start its billing from 1st day of the month subsequent to expiry of two months period from taking over of the distribution network. During this period of two months before 1st day of the month, the concerned developer or registered association shall raise the bill based on the respective readings of their meters and the meters installed by the Licensee, as the case may be.
- (14) The Licensee on the day of start of its billing shall jointly record the initial reading of the meter with the concerned developer or registered association and the consumer or his representative.
- (15) The Licensee shall augment the system, if required within four months of receipt of the certified copy of the resolution regarding surrender of existing single point delivery connection and such additional expenditure, including the cost of road fill/restoration, removable of malba, building of new Sub-station etc. within the society, shall be dealt as applicable for any other augmentation scheme:

Provided that the Licensee may approach the Commission for extension of time specified in specific cases, where magnitude of augmentation works is such that it requires more time, duly furnishing the justification in support of such request for extension.

- (16) The Licensee shall refund the security deposit of the surrendered Single Point Delivery connection within three months from the date of taking over the system.
- (17) Each member of the society shall pay required security deposit to the Licensee at the time of conversion.

15. Procedure for partial conversion of single point connection into individual connection:-

In case the number of members of the society opting for direct supply from Licensee after conducting joint survey are less than $2/3^{rd}$ of the total members of the society, the following shall apply:-

- (1) The member(s) opting for direct supply shall obtain the No Objection Certificate from the developer or registered association for taking direct supply from the Licensee.
- (2) Such member(s) shall provide the consent of concerned developer or registered association for providing the adequate space at a convenient place for installing the transformers, allied equipments and meters, if required, at no cost to the Licensee.
- (3) 50% cost required for providing connection shall be borne by the applicants in the ratio of the sanctioned load of such applicants.
- (4) Security deposit at the time of conversion shall be payable by the applicant(s).

16. Temporary Connection:-

(1) The Licensee shall give temporary connection for short-term requirements such as marriages, religious functions, construction activities, exhibitions, cultural functions, etc. in places where the distributing main of the Licensee are in existence:

Provided that where the distributing main is not available, the temporary supply shall be given subject to electrification of area under Regulation 11(4) (ii) and 11(4) (iii):

Provided further that temporary connection will be given only in the cases of low tension and high tension categories.

- (2) The applicant shall make request for temporary connection in the format prescribed in the Commission's Orders
- (3) The Licensee shall inform the applicant for obtaining No Objection Certificate or the permission from concerned authorities such as Electrical Inspector or local authority etc, if required, in providing temporary connection.
- (4) The applicant shall give a declaration, that requisite No Objection Certificate (NOC) or permit, if required for the activity for which connection is applied for, is available:

Provided that in case Licensee comes to know that any permit or NOC is withdrawn by the competent authority after energisation of connection, the supply shall be disconnected forthwith under intimation to the consumer and shall be reconnected only after the permit or NOC is restored.

- (5) The Licensee shall conduct the inspection within 2 (two) days of receipt of application and shall examine the technical feasibility of the connection applied for from their distribution mains and the installation of the applicant.
- (6) In case the connection is not found technically feasible, the Licensee shall intimate to the applicant in writing within 3 (three) days of receipt of application giving reason for the same:
 - Provided that no connection up to 20 kW shall be rejected only on technical grounds, where three phase distribution network is available, and upto 10kW, where only single phase distribution network is available.
- (7) If it is found in the inspection by the Licensee that there are defects or deficiencies in the installation of the applicant, the Licensee shall intimate the applicant on the spot in writing, under acknowledgment, about the defects or deficiencies in the installation.
- (8) The applicant, after rectification of the defects or deficiencies, shall intimate the fact to the Licensee in writing and the Licensee shall again inspect within 2 (two) days of receipt of intimation of rectification of the defects.
- (9) If the connection is found feasible, the Licensee shall within 3 (three) days of inspection or re-inspection, as the case may be, sanction the load and raise a demand note at the rate notified in the Commission's Orders for the following charges:
 - (i) one time non-refundable charge for consumables, non-retrieval of equipment, etc.
 - (ii) refundable security towards pre-payment meter
 - (iii) Security deposit towards supply of electricity where connection is provided through post-paid meter:

Provided that in such cases the security deposit shall be assessed for a period of twice of the days applied for temporary connection or a period of two months whichever is lower at the applicable tariff, considering the usage of the load for 18 hours in a day.

- (10) The applicant shall make the payment within 2 (two) days of receipt of demand note failing which the sanction shall stand lapsed.
- (11) After receipt of payment of applicable charges, the Licensee shall energise the connection in accordance with the date indicated in the application.
- (12) Temporary connection shall be granted for a period of maximum 1 (one) year at a time, which, if required, may be further extended.
- (13) Temporary connection shall be granted using pre-payment meters only:
 - Provided that if the load demanded by the applicant is more than 45kW, the Licensee may provide the temporary connection through post-paid meter.
- (14) For extension of the period of temporary connection, the consumer shall apply to the Licensee in writing at least 1 (one) day before the date of expiry of temporary connection.
- (15) The Licensee may grant extension, if possible on receipt of the written request and payment of applicable electricity charges.
- (16) The applicant may get the date of availing temporary connection postponed to a date not later than one month from the date of original sanction, by applying to the Licensee at least 5 (five) days before the originally sanctioned date of commencement of supply. However, no further postponement beyond one month shall be permissible. In case the temporary connection is not availed within such postponed period, the application shall stand cancelled and any payment, towards non-refundable charges shall be forfeited.
- (17) The grant of temporary connection shall not create a right in favour of the applicant for claiming a permanent connection.
- (18) Temporary connection shall be terminated on expiry of period of temporary connection or as extended and the Licensee shall finalize the bill on the basis of energy consumption and refund the balance including the security deposit, if any and security towards pre-payment meter in case pre-payment meter is not defective/damaged, within 7 (seven) days through demand draft or electronic clearance system.

17. Existing connections:-

Transfer of connection

- (i) If any applicant wants transfer of connection due to any reason such as change of consumer's name due to change in ownership or occupancy of property, transfer to legal heir, etc. he shall apply to the Licensee in the prescribed format as notified in the Commission's Orders.
- (ii) Any deficiency in the application shall be intimated in writing. The application shall be accepted only on removal of such deficiencies.
- (iii) The request for transfer of connection shall not be accepted unless all recoverable dues in respect of the concerned connection are fully paid:

Provided that once connection is transferred, no dues / arrears shall be recovered from the new consumer.

- (iv) The change of applicant's name shall be effected within two billing cycles, after acceptance of application or clearing of dues whichever is later.
- (v) If the change of applicant's name is not effected within two billing cycles, the consumer shall be entitled to seek and the Licensee shall be liable to pay the compensation as specified in Schedule-I of the Regulations.

(2) Load Enhancement on the request of consumer:-

- (i) The applicant shall apply for load enhancement in the format notified in the Commission's Orders.
- (ii) The procedure as laid down in Regulation 11 for release of electricity connection shall be followed.
- (iii) If the effective date of load enhancement falls between the billing cycles, the Licensee shall raise the bill on pro-rata basis during that billing cycle.

(3) Load Reduction on the request of consumer:-

- (i) The Application for load reduction shall be accepted only after six months from original energisation for connections up to 100 KW, and 1 (one) year from original energisation for connections above 100 KW. Subsequent application for load reduction shall be accepted once in six-months or after lock-in period of 6 (six) months pursuant to Regulation 17(4)(vii), as the case may be.
- (ii) The applicant shall apply for load reduction to the Licensee in the format prescribed in the Commission's Orders.
- (iii) The Licensee, after verification, shall sanction the reduced load within 10 (ten) days from the date of acceptance of such application.
- (iv) The load reduction shall be reflected from next billing cycle.
- (v) If the effective date of load reduction falls between the billing cycles, the Licensee shall raise the bill on pro-rata basis during that billing cycle.
- (vi) The reduction of load shall be limited to the highest of average of any 4 (four) consecutive months maximum demand readings of last 12 (twelve) months.
- (vii) If the load reduction is not sanctioned within the said period, the consumer shall be entitled to seek and the Licensee shall be liable to pay the compensation as specified in Schedule-I of the Regulations.

(4) Review of sanctioned load/contract demand by the Licensee:-

(i) For revision of sanctioned load or contract demand as the case may be, the Licensee shall take the highest of average of Maximum Demand readings recorded as per billing cycle covering any four consecutive calendar months in the preceding financial year i.e. from 1st April to 31st March, rounded off to the lower integer as described in the illustration:

Provided that the period for billing cycle shall not exceed the period specified in these Regulations:

Provided further that the minimum sanctioned load shall be 1kW.

Illustration (a):-

- Sanctioned load in preceding financial year : 4kW

- Highest of Average of MD readings : > 4kW and < 5 kW

- Rounding off for revised sanctioned load : 4 kW

Illustration (b): -

- Sanctioned load in preceding financial year : 4kW

- Highest of Average of MD readings :> 6kW and < 7 kW

- Rounding off for revised sanctioned load : 6 kW

Illustration (c): -

- Sanctioned load in preceding financial year : 4kW

- Highest of Average of MD readings :> 3kW and < 4 kW

- Rounding off for revised sanctioned load : 3 kW

- (ii) If the computed revised load pursuant to sub-clause (i) above exceeds the sanctioned load or contract demand as the case may be, the Licensee shall issue a separate notice to the consumer about the proposed increase in sanctioned load or contract demand. The notice shall contain the details of the exact readings in the consecutive billing cycle(s) taken into consideration along with details of enhanced security deposit and the differential Service Line cum Development (SLD) charges in case of change of service line, if any, for such increase in sanctioned load or the contract demand, as the case may be, in accordance with the Act to be deposited by the consumer within 30 (thirty) days from the date of receipt of notice.
- (iii) In case of domestic category consumers, if the computed load pursuant to sub-clause (i) above is less than the sanctioned load or contract demand as the case may be of the consumer, the Licensee shall seek the consent of the consumer for load reduction through a separate notice to the consumer, giving details and information that his maximum demand is less than the sanctioned load or contract demand:

Provided that for domestic category consumers, having the sanctioned load upto 5kW in the last billing cycle of preceding financial year, if no communication is received from them within expiry of 30 (thirty) days from the date of the receipt of notice, the load shall be reduced automatically; and for domestic consumers having sanctioned load more than 5kW in the last billing cycle of preceding financial year, the load shall be reduced only on receipt of consent from the consumer.

- (iv) A separate notice for upward or downward revision of sanctioned load or contract demand as the case may be, shall be issued by 31st May of the financial year. No notice for upward revision shall be issued thereafter during the year.
- (v) In case a notice for downward revision pursuant to sub clause (iv) is not issued by 31st May, the Licensee shall pay compensation to the affected consumer as specified in Schedule I of the Regulations, without prejudice to the right of consumer to reduce the load which shall be effective as per sub clause (vi) below.
- (vi) The upward or downward revision of sanctioned load or contract demand as the case may be, shall be done once in a financial year and shall be made effective from 1st July of the financial year.
- (vii) If the load is enhanced by the Licensee pursuant to sub-clause (ii), the request for any load reduction shall be entertained only after expiry of 6 (six) months from the date of enhancement of load

(5) Change of category on the request of consumer:-

- The applicant shall apply for change of category in the format prescribed in the Commission's Orders.
- (ii) The Licensee shall conduct site inspection to verify within 7 (seven) days from the receipt of application and shall record the meter reading at the time of inspection.
- (iii) If on inspection, the request of the consumer for change of category is found genuine, change of category shall be made effective from the date of inspection and the same shall be reflected in next billing cycle.
- (iv) Arrear or excess charges shall be determined based on the actual period of earlier classification based on documentary evidence provided by the Licensee or the consumer as the case may be, limited to a period of 12 (twelve) months and the account of the consumer shall be suitably adjusted.
- (v) In case change to such category is not permitted under any law in force, the Licensee shall inform the consumer within 7(seven) days from the date of application.

(vi) If the category is not changed within the said period, the consumer shall be entitled to seek and the Licensee shall be liable to pay the compensation as specified in Schedule-I of the Regulations.

(6) Suo-motu reclassification of consumer category by the Licensee:-

- (i) If it is found that a consumer has been wrongly classified in a particular category or the purpose of supply as mentioned in the agreement has changed or the consumption of power has exceeded the limit of that category as per the tariff order of the Commission or the category has changed consequent to a revision of tariff order, the Licensee shall suo-motu reclassify the consumer under appropriate category.
- (ii) The consumer shall be informed of the proposed reclassification through a notice with a notice period of 30 (thirty) days to file objections, if any.
- (iii) The Licensee after due consideration of the reply of the consumer, if any, may reclassify the consumer appropriately.
- (iv) Arrear or excess charges shall be determined based on the actual period of wrong classification limited to a period of 12 (twelve) months or a period from the date of last inspection of the installation of the consumer by the Licensee whichever is shorter and the account of the consumer shall be suitably adjusted.

(7) Conversion from single phase to three phase LT and from LT to HT; and vice-versa:

- (i) All applications for change from single phase to three phase Low Tension and from Low Tension to High Tension; and vice-versa, as the case may be, shall be dealt as per the procedure laid down at Regulation 11.
- (ii) The consumer shall, in case of increase in load, pay the differential security deposit and Service Line-cum-Development charges at the prevailing rates, and the Licensee shall, in case of decrease in load, refund the excess security deposit.

CHAPTER - IV

AGREEMENT AND MISCELLANEOUS CHARGES

18. Agreement:-

- (1) The application form along with any special clauses added with mutual consent shall be treated as an agreement between the consumer and the Licensee:
 - Provided that such clause(s) shall not contravene the provisions of the Electricity Act, 2003 and other Rules and Regulations in force.
- (2) A signed copy of the agreement shall be given to the consumer at the time of release of connection and the other copy shall be retained by the Licensee.

19. Termination of Agreement:-

- (1) Termination of any Agreement shall be subject to the terms and conditions, including any special conditions of the agreement, entered into between the consumer and the Licensee.
- (2) Save as provided in sub-regulation (1) above and without prejudice to the rights of the Licensee or of the consumer under the Act for recovery/payment of any amount due under the Agreement, the Agreement may be terminated:
 - (i) by the Licensee, if the power supply to a consumer remains disconnected for a continuous period of more than 6 (six) months for non-payment of charges or dues or non-compliance of any direction issued under these Regulations, after giving a 15 (fifteen) days notice period to the consumer.
 - (ii) by the consumer.
- (3) In all cases of termination of Agreement under sub-regulation (2) (ii), the Licensee shall arrange for special meter reading, at a mutually acceptable date and prepare final bill. Such bill shall be stamped as final bill. The agreement shall be terminated only on payment of final bill.
- (4) On receipt of the payment of the final bill, the Licensee shall issue receipt with 'Final Bill' stamped on it. This receipt shall be treated as 'No dues certificate'.
- (5) On termination of the agreement, the Licensee shall be entitled to remove the service line and other equipment of the Licensee from the premises of the consumer.

- (6) During the period of temporary disconnection, the consumer shall be liable to pay the fixed charges to the Licensee.
- (7) Any application for revival of the connection after permanent disconnection shall be treated as an application for new connection and would be processed only after clearance of all outstanding dues applicable, if any:

Explanation:- For the purpose of this Regulation, permanent disconnection shall mean, a case of Termination of agreement or where power supply to a consumer remains disconnected for a continuous period of more than 6 (six) months and the Licensee shall be entitled to remove the service line and other equipment of the Licensee from the premises of consumer.

Temporary disconnection shall mean when the premises of a consumer has been disconnected due to non-payment of bills of the Licensee up to a period of 6 (six) months and during period of Temporary Disconnection, the Licensee shall not remove its service line and other equipment upto a period of 6 (six) months}.

20. Security Deposit:-

(1) Applicant/ consumer shall pay security deposit towards supply of electricity corresponding to the sanctioned load or contract demand as the case may be, as per the rates and mode notified in the Commission's Orders:

Provided that subject to sub-regulation (5) & (7), if there is no change in the load of the existing consumer, no additional security deposit shall be charged from the consumer:

Provided further that the Licensee shall accept the security deposit in the form of Bank Guarantee issued by any scheduled bank, from the interested applicant having contract demand of 1MVA and above:

Provided also that the consumer shall keep such Bank Guarantee alive throughout the period during which supply of electricity is availed:

Provided also that such existing consumers, if so desire, may furnish security deposit in the form of bank guarantee and the amount of security already deposited shall be adjusted/refunded by the Licensee in 12 equal installments in the bill(s).

- (2) Where pre-payment meters are used to supply power, security deposit for supply of electricity shall not be collected.
- (3) The Licensee shall pay to the consumer interest on the security deposit at the rate and as per the procedure notified in the Commission's Orders:

Provided that no interest shall be paid to the consumer who has furnished security deposit in the form of bank guarantee.

- (4) The interest accrued during the year shall be adjusted in the bill for the first billing cycle of the ensuing financial year.
- (5) In cases of load reduction, the Licensee shall refund the excess security deposit by adjusting the same in energy bill issued in next billing cycle:

{Explanation: The excess security deposit shall be the difference of the security deposit computed based on reduced load corresponding to prevailing rates of security deposit on the date of load reduction and the actual security deposited by the consumer. In case the difference is negative, no additional security deposit shall be taken from the consumer.}

- (6) In case the refund of security deposit is in excess of the energy bill, the security deposit shall be refunded in the next energy bill(s). However, the Licensee shall also adjust the interest accrued on the amount left with Licensee at the interest rate notified for interest on security deposit.
- (7) In case of transfer of connection, the security deposit in the name of preceding consumer shall stand transferred in the name of new applicant:

Provided that if the existing security deposit is less than the security deposit computed based on the load corresponding to prevailing rates of security deposit on the date of transfer of connection, the new applicant shall remit the balance security deposit.

(8) In case of upward revision of sanctioned load or contract demand of consumer, the consumer shall remit the enhanced security deposit.

Explanation: The enhanced security deposit shall be the difference of the security deposit computed based on total load after enhancement corresponding to prevailing rates of security deposit on the date of load enhancement and the actual security deposited by the consumer.}

(9) On termination of the agreement and after settlement of all the dues payable to the Licensee, the Licensee shall refund to the consumer the balance security deposit along with accrued interest up to the date of such termination within 15 (fifteen) days after the settlement of all dues payable to the Licensee through demand draft or electronic clearance system:

Provided that the consumer may opt for settlement of outstanding dues against the security deposit:

Provided further that in case of Bank Guarantee, Bank Guarantee shall be returned to the consumer within 7 (seven) days of payment of final bill.

21. Service-Line-cum Development (SLD):-

(1) Such cases where any area to be developed is sponsored by a developer, the electrification shall be carried out by the Licensee on payment of the applicable cost upto the point of supply by the developer towards EHT system, HT system, LT system, civil work, service line, street lights, road restoration charges, and supervision charges, as specified in the Commission's Orders:

Provided that in case of shifting of equipment, the developer shall pay entire cost to be incurred for such work:

Provided further that the Licensee shall reconcile the amount received from the developer and the cost actually incurred and refund the excess amount, if any, as per procedure specified in Delhi Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for determination of Tariff) Regulations, 2017.

(2) In case the area is electrified or to be electrified by the Licensee, the new connection shall be released on payment of applicable cost up to the point of supply towards EHT system, HT system, LT system, civil work, service line, road restoration charges, and supervision charges as specified in the Commission's Orders, by the applicant except those covered under areas developed by a developer under sub-regulation (1) above:

Provided that the service line cum development charges shall neither be charged nor be refunded in case of load reduction:

Provided further that if service line is actually changed in case of enhancement of load, the differential Service Line-cum-Development Charges shall be payable by the consumer based on the prevailing rates for electrified areas or un-electrified areas as the case may be:

{Explanation: The differential Service-Line-cum Development Charges shall be the difference of the Service Line cum Development Charges computed based on total load after enhancement corresponding to prevailing rates of Service Line cum Development Charges and the actual Service Line-cum-Development Charges deposited by the consumer.}

Provided also that service line cum development charges shall not be refundable in case of termination of agreement.

- (3) Road cutting permission and other necessary clearances shall be obtained by the Licensee on behalf of the applicant. The cost of the same shall be charged to the applicant and shall be shown separately in the demand note.
- (4) The service line shall be maintained by the Licensee.

22. Space for installation of grid substation, transformers, service line, meter and other equipment:-

(1) The developer or the applicant applying for supply of electricity from the Licensee shall provide free of charge, the applicable space of requisite dimensions as notified in the Commission's Orders, at a convenient location, as may be mutually agreed between the consumer and the Licensee, for erection and installation of grid substations, transformers, switch gear, meter, equipment, etc.:

Provided that if there is no specific developer in an area and the augmentation of the existing distribution system requires the space for installation of grid substations, transformers, switch gears, etc. to meet out the load demand, the distribution licensee shall approach the Government of National Capital Territory of Delhi, within fifteen days of such requirement, for allotment of space, indicating the probable space available in such areas:

(2) Except for HT or EHT networks, the Licensee shall have no right to utilize the sub-station in the consumer's premises, without his consent, for the supply of electrical energy to other consumers:

Provided that the utilization of such assets for providing electricity to other consumers shall not in any manner affect the supply to the consumers for which such assets were originally installed.

23. The safe custody of the meter and other equipment of the Licensee:-

- (1) It shall be the responsibility of the consumer to keep the meter installed within its premises in safe custody.
- (2) The meter shall, on no account be handled or removed by any person other than a person authorized by the Licensee for this purpose.
- (3) Seals fixed on the meters shall on no account be tampered with, damaged or destroyed.
- (4) The service line and meter shall be deemed to be the property of the Licensee and shall remain under his control so long as they are connected to the distribution system of the Licensee.

24. Procedure for shifting electric line or electrical plant of the Licensee.-

- (1) The owner of the land or his successor in interest, who has given right of way for the construction of an existing electric line or electrical plant over, under, along, across, in or upon the said land, may apply for shifting the electric line or electrical plant to any other portion of his land for genuine purposes:
- (2) The application for shifting the electric line or electrical plant shall be submitted to the Licensee.
- (3) On receipt of the application, the Licensee shall inspect the site and assess the technical feasibility of the proposed shifting.
- (4) The request for shifting an electric line or electrical plant shall be granted only if:-
 - (i) the proposed shifting is technically feasible. and
 - (ii) the owner of the land or his successor in interest gives consent in writing to shift the electric line or electrical plant to any other portion of his land or to any other land owned by him or any alternate right of way to be arranged by him for shifting the electric line and the electrical plant and
 - (iii) the owner of the land or his successor in interest shall take necessary permission/approval for road cutting or right of way, if required.
 - (iv) the applicant remits the applicable charges required for shifting the electric line or electrical plant.
- (5) The Licensee shall shift the electric line or electrical plant, if the conditions specified in sub-regulation (4) are complied with by the applicant.
- (6) In case of shifting of meter or service line within the premises of the consumer, the procedure specified in the Regulation 25 shall apply.

25. Procedure for shifting of meter or service line within the premises of the consumer:-

- (1) The consumer shall apply to the Licensee for shifting the meter within the existing premises or for deviation of existing service line within his property.
- (2) The Licensee shall conduct the site inspection.
- (3) The charges for shifting of meter and service line for the connection on the same premises shall be as notified in the Commission's Orders.
- (4) If shifting requires new service line, the Licensee shall be entitled to levy the Service Line cum Development charges.
- (5) The following time schedule shall be observed for completing the works from the date of payment of expenditure:-

Sl. No.	Purpose	Time Schedule
(i)	shifting of meter	7 (seven) days
(ii)	shifting of LT service line	30 (thirty) days
(iii)	shifting of HT service line	45 (forty five) days

Provided that the above timelines for shifting of LT & HT lines shall be computed after deducting the time taken for obtaining statutory clearances/permission such as road cutting permission, if any.

26. Additional Charges:

The charges for installation, inspection, special meter reading, reconnection etc. shall be charged by the Licensee as notified in the Commission's Orders.

CHAPTER - V

METERING, BILLING AND PAYMENT

Metering

27. Requirement of meters:-

(1) The Licensee shall not supply electricity without a meter, unless otherwise permitted by the Commission in its Orders or Tariff Orders:

Provided that where the distribution Licensee at its own or through its franchisee requires the supply of electricity without a meter, shall take the prior approval of the Commission.

- (2) The Commission may, from time to time, prescribe meters to comply with any additional features, which shall be published by the Commission and the Licensees on their respective websites.
- (3) All new meters, at the time of procurement, shall have the additional features as may be prescribed and applicable under sub-regulation (2) above, on the date of such procurement.
- (4) The Commission may issue directions for up gradation/ replacement of the existing meters so as to make them compliant to sub-regulation (3) above.
- (5) The Licensee shall provide seals or other appropriate devices on the metering equipment to detect any interference and shall maintain a record of all relevant security devices and seals.
- (6) If supply is provided by the Licensee to different categories of consumers in the same premises, separate meters shall be installed for each category of supply.

28. Option of the applicant/consumer to purchase the meter:-

(1) At the time of seeking a new connection, or at the time of replacement of a meter pursuant to Commission's direction, the applicant shall indicate his option in the application form to procure the meter on his own:

Provided that in all such cases where the meter is procured by the applicant, the Licensee shall reimburse the cost of meter to the applicant as per Regulation 36 (5) and in such case, the meter shall become property of the Licensee:

Provided further that, if any consumer elects to provide his own meter at any stage other than at the time of new connection or at the time of replacement of a meter pursuant to Commission's direction, the consumer shall not be entitled to any such reimbursement and in all such cases, the consumer shall be entitled to take back the meter purchased by him as his asset only after it is permanently removed from the system of the Licensee.

(2) The Licensee shall make available on its website, an updated list of makes and specifications of meters and associated equipment, as approved by the Licensee.

29. Supply and installation of meters and circuit breakers:-

- (1) Check meters and stand-by meters shall be installed wherever necessary in accordance with the provisions in the Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006, as amended from time to time.
- (2) The consumer shall provide a lockable and weather proof compartment or enclosure of a design approved by the Licensee to house the meter and associated equipment including Current Transformer (CT) and Potential Transformer (PT) etc.

- (3) The consumer shall provide suitable and adequate space for installation of the meter, either at entry point or outside the premises, in such a manner that it is always accessible to the Licensee or his representatives without the need of meter reader to get the premises unlocked or opened for this purpose.
- (4) In the case of multi-storey buildings, the meters shall be fixed on the ground floor having proper ventilation and adequate illumination.
- (5) The point of supply and the location for installation of meter and other associated equipment shall be decided in consultation with the consumer so that such locations are easily accessible for their installation, commissioning, inspection, reading, recording and maintenance, with minimal inconvenience or infringement upon privacy to the owner or occupier of the premises or to his business.
- (6) All HT and EHT consumers shall provide independent entry to the meter or metering cubicle.
- (7) The height of meter display and location for permanent connection shall be as per the standards notified by the 'Bureau of Indian Standards (BIS) for testing, evaluation, installation and maintenance of A.C. electricity meters Code of practice'.
- (8) The Licensee shall install the meter, within the time specified for release of new connection, in the presence of the applicant/consumer or his authorized representative after giving advance notice. The consumer or his representative shall also be entitled to witness the sealing or removing of seals and sign on the sealing certificate.
- (9) At the time of installation of any meter, the Licensee shall record the particulars of the meters in a format (meter particular sheet) approved by the Commission.
- (10) The Licensee shall give, a copy of the meter particular sheet, duly signed by the Licensee and the consumer or their authorized representatives, and retain one such copy as acknowledgment.
- (11) Whenever a new meter is installed, either for a new connection or for replacement, it shall be sealed in the presence of the consumer or his authorized representative.
- (12) The seal, name plates and distinguishing numbers or marks affixed on the said equipment or apparatus shall not in any way be broken, erased or altered by the consumer or his employee or any person acting on his behalf.
- (13) Treatment of meter seals shall be in accordance with the Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006, as amended from time to time.
- (14) The consumer shall be responsible for safe custody of meter, if the same is installed within the premises of the consumer.
- (15) The consumer shall promptly intimate the Licensee about any fault, accident or abnormality noticed with the meter.
- (16) It shall be the responsibility of the Licensee to maintain the meter and keep it in good working condition at all times.
- (17) In all such cases of permanent connection where the metering unit is installed on any structure such as a pole or a distribution pillar etc., outside the premises of the consumer, the Licensee shall provide a display unit at the premises of the consumer and the responsibility of safe custody of the metering unit shall rest with the Licensee and safe custody of display unit shall rest with the consumer.

30. Reading of meters:-

- (1) All meters, including meters for self consumption of electricity by the Licensee shall be read/recorded regularly once in every billing cycle and on special reading occasions.
- (2) The meter shall be read/recorded only by the person duly authorized by the Licensee for this purpose, hereinafter referred to as "meter reader" and the consumer shall extend all facilities to read/record the meter, to the meter reader.
- (3) The Licensee shall issue proper photo identity cards to all staff including the meter reader, who shall carry the same, and show it to the consumer or his authorized representative during the course of meter reading.

- (4) The meter reader may use hand held instruments, meter reading instrument (MRI) or wireless equipment for recording meter readings and for generation of bills on the spot.
- (5) If bills are prepared on the basis of MRI downloads or if meter reading is taken on the basis of remote meter reading and the consumer wishes to have a record of the reading taken, he shall be given such details by the Licensee.
- (6) It shall be the duty of the meter reader, to check and record the condition of light emitting diode (LED)/earth leakage, protective seals on the meter.
- (7) In case the meter reader or any other person duly authorized by the Licensee, observes any visible defect such as LED indicator for earth leakage provided in the electronic meters is found to be 'ON' and/or protective seal on the metering equipment has been broken, display not working, the same shall be informed to the consumer at the earliest, but not later than the next bill:
 - Provided that if there is earth leakage in the premises, the Licensee shall advise the consumer to get the wiring checked and leakage removed. A written notice shall be issued to the consumer.
- (8) In case the consumer discovers that LED indicator for earth leakage provided in the electronic meters is found to be 'ON' and/or protective seal on the metering equipment has been broken, he shall inform the Licensee about the same:
 - Provided that if there is earth leakage in the premises, the consumer shall get the wiring checked and leakage removed.
- (9) The Licensee shall, on receiving such intimation or on discovery based on the date of inspection or meter reading that the seal has been broken, replace the seal within three days:
 - Provided that if the Licensee suspects a case of unauthorised use of electricity or theft of electricity, the matter shall be dealt as per provisions of tampered meter.
- (10) In case, for any reason, to be specifically recorded, the meter is not read/recorded during a billing cycle, the Licensee shall prepare a provisional bill based on the consumption during the corresponding period in the previous year when readings were taken:
 - Provided that if the consumption during the corresponding period in the previous year is not available, the Licensee shall take average consumption of preceding three billing cycles or the lesser period when readings were taken.
- (11) If the provisional billing continues for more than one consecutive billing cycle, the consumer may refuse to pay the payment until bill is raised by the licensee as per actual meter reading.
- (12) The amount paid as per the provisional bill as prepared in sub-regulation (10) above shall be adjusted against the bill raised on the basis of actual meter reading during subsequent billing cycles:
 - Provided that in case meter is found to be defective before taking actual meter reading during subsequent billing cycle, the provisional bill raised by the Licensee shall be considered as final bill for that period.
- (13) If the consumer furnishes the meter reading(s) himself, the billing for that billing cycles(s) shall be done based on that/those reading(s) subject to adjustment in next billing cycle:
 - Provided that the consumer shall send the picture of the meter indicating the meter reading and date of meter reading through registered mobile or through e-mail.
- (14) The consumer, if so desire, may request the Licensee to take a special reading, and the Licensee shall arrange the same on chargeable basis, as per the rates prescribed in the Commission's Order. The charges for such special reading shall be included in the consumer's bill.

31. Consequence of making the meter inaccessible for reading:-

(1) If the meter is rendered inaccessible on any meter reading date, the Licensee shall issue a 7 (seven) days prior notice to the consumer, specifying the date and time of the meter reading for the next billing cycle, to keep the meter accessible on such date and the time:

Provided that the consumer may request the Licensee to fix another date and time for such meter reading.

- (2) If meter is not made accessible even on the date specified in the notice or as mutually agreed, the Licensee shall issue a second 7 (seven) days prior notice to the consumer, specifying the date and time of the meter reading for the next billing cycle, to keep the meter accessible on such date and the time.
- (3) If meter is not made accessible even on the date specified in the notice or as mutually agreed, the Licensee shall serve 15 (fifteen) days clear disconnection notice to the consumer:

Provided that the consumer may send the picture of the meter indicating the meter reading and date of meter reading through registered mobile or through e-mail.

- (4) If the consumer fails to provide access for the meter reading even during such notice period, the Licensee may disconnect the supply after expiry of the notice period and reconnection of supply shall be effected only after taking the reading and payment of all the dues by the consumer.
- (5) The provisions of the above sub-regulations shall not apply in all such cases where the consumer whose payment is up to date and has given an advance intimation to the Licensee of the inaccessibility of his meter for reading, specifying the reason, and has also deposited fixed charges for such period in advance:

Provided that, in all such cases, as and when the meter is made accessible by the consumer for taking the meter reading, the entire consumption shall be taken as if the consumption was for the period excluding the intimated period of inaccessibility.

32. Testing of meter:-

(1) Periodical Testing of meters by the Licensee:-

- It shall be the responsibility of the Licensee to satisfy itself regarding the accuracy of the meter before it is installed and, if he feels so necessary, shall get them tested in an accredited laboratory.
- (ii) Wherever the consumer opts to procure the meter, the Licensee shall receive it and, if he so desires, get it tested in an accredited laboratory notified by the Commission:

Provided that in the absence of an accredited laboratory notified by the Commission, the meter shall be tested in any accredited laboratory other than that of the Licensee:

Provided further that, subject to fulfillment of conditions and completion of procedural requirements under Regulation 11, in all such cases the meter shall be installed and service connection be given within a maximum of 15 (fifteen) days from the date of receipt of meter.

(iii) The Licensee shall, at no cost to the consumer, conduct periodical inspection or testing or both and calibration of the meters, as notified in the Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006, as amended from time to time, at site, and as per the following schedule:

Railways, DMRC	At-least once in every six months	
HT or EHT meters	At-least once in every year	
LT 3-phase meters	At-least once in every five years	
single phase meters	At-least once in every five years as per IS 15707: 2006- Testing, Evaluation, Installation and Maintenance of ac electricity meters-code of practice based on sampling plan as specified in IS 2500(Part-I)	

(iv) Notwithstanding anything contained in sub clause (iii), the Licensee shall arrange the periodical testing of meters in the institutions of public importance such as hospitals, airports, or in the premises of continuous process industries or in the premises where life support systems are installed, only on a mutually agreed date and time and with the minimum interruption of supply.

(v) Wherever applicable, Current Transformer (CT) and Potential Transformer (PT) and the associated wiring connections shall also be tested along with meters.

(2) Testing of the meter in case of dispute or on the request of consumer:-

(i) If a consumer either disputes the result of periodical testing by the Licensee or requests the Licensee for testing of meter, the Licensee shall, arrange testing of the meter, within 15 (fifteen) days of receiving the request:

Provided that the meter shall be tested at site by an accredited laboratory notified by the Commission:

Provided further that in the absence of an accredited laboratory notified by the Commission, the meter shall be tested in any accredited laboratory other than that of the Licensee.

(ii) If the meter is found to be recording incorrectly or defective or damaged due to technical reasons such as voltage fluctuation or transients or component failure etc., attributable to the Licensee, the testing fee shall not be charged to the consumer:

Provided that, if during such testing, the meter is found to be recording correctly or defective or damaged due to reasons attributable to the consumer, the testing fee as notified in the Commission's Orders shall be charged to the consumer by the Licensee in the subsequent bill:

- (iii) The decision of the accredited laboratory notified by the Commission or accredited laboratory other than that of the Licensee as the case may be, shall be final and binding on the Licensee and the consumer.
- (3) The Licensee shall, give at-least 3 (three) days prior notice to the consumer, intimating the date, time of testing of the meter so that the consumer or his authorized representative, if so desires, can be present during such testing of meter.
- (4) The consumer or his authorized representative, if so present during testing and the representative of the Licensee shall affix signature on the test report issued by the accredited laboratory notified by the Commission or the Licensee's laboratory, as the case may be, as a token of having witnessed the testing.
- (5) The Licensee shall give, a copy of the meter test report, duly signed by the Licensee and the consumer or their authorized representatives, and retain one such copy as acknowledgment.
- (6) The Licensee or accredited laboratory, as the case may be, shall keep record of all such meter tests and submit a report to the Commission whenever required.
- (7) In case, during testing, the meter is found to be inaccurate, revision of bill on the basis of percentage error from the limits of accuracy, at applicable tariff rates, shall be done for a maximum period of 6 (six) months or 50% of the period from the date of installation of the meter prior to date of testing or 50% of the period from date of last testing, whichever is shorter and the excess or deficit charges on account of such revision shall be adjusted in the subsequent bill(s).

(8) Testing of tampered meter:-

(i) If the Licensee suspects a case of unauthorised use of electricity and theft of electricity through a tampered meter, the meter shall be tested in an accredited laboratory notified by the Commission for that purpose:

Provided further that in the absence of an accredited laboratory notified by the Commission, the meter shall be tested in any accredited laboratory other than that of the Licensee.

- (ii) The Licensee shall remove the meter from site/consumer's premises and seal it in the presence of the consumer or his representative in a container affixing thereon paper seals which shall be signed by both the parties. In case the consumer refuses to sign the paper seal, the same shall be photographed and videographed.
- (iii) The Licensee shall schedule a date and time for the testing of meters with the accredited laboratory notified by the Commission and shall give at-least 3 (three) days prior notice to the consumer, intimating the date and time of testing so that the consumer or his authorized representative, if so desires, can be present during such testing.
- (iv) The Licensee shall keep the sealed container with the meter under safe and secure custody, and hand over the same to the accredited laboratory notified by the Commission for testing on the scheduled date.
- (v) f at the time of handing over the sealed container with the meter for testing to the accredited laboratory notified by the Commission, it is found that the seal of the container is damaged or tampered or missing, in all such cases the licensee shall replace the meter at its own cost and shall not carry out any further proceedings or actions against the consumer on account of tampering or suspected tampering of the meter.
- (vi) The accredited laboratory notified by the Commission shall test the meter on the scheduled date.
- (vii) If as a result of testing, it is established that:
 - a. the meter was not tampered, the licensee shall replace the meter free of charge, and it shall neither charge any fee for testing, nor initiate any action against the consumer.
 - b. the meter was tampered, the licensee shall initiate action against the consumer, as per the provisions of the Act and applicable regulations for theft of electricity or unauthorized use of electricity, as the case may be, and shall also recover the cost of meter and the testing fee as notified in the Commission's Orders from the consumer.

33. Stolen Meter:-

Complaints regarding stolen meters shall be entertained by the Licensee only if they are accompanied by a copy of the First Information Report (FIR) or the acknowledgement of the complaint lodged by the consumer with police and in such cases, the Licensee shall also conduct an inquiry thereto.

34. Replacement of Defective Meters/Burnt Meters/Stolen Meters:-

- (1) In the event of suspected defective meter or burnt meter or stolen meter, the Licensee shall restore supply through a new meter within the time period specified under these Regulations:
 - Provided that, if meter cannot be replaced immediately, the Licensee shall restore the supply without meter within the time period specified under these Regulations after ensuring that necessary preventive action at site is taken to avoid future loss.
- (2) In all such cases, where supply is restored without a meter, the Licensee shall give the same in writing to the consumer or his representative, indicating his full name, ID Card / Employee number with signature:
 - Provided that pending replacement of the meter, wherever the supply has been restored without a meter by the Licensee, a case of theft of electricity shall not be booked for the period of supply without the meter, and Consumer's complaint for replacement of suspected defective meter or burnt meter or stolen meter, shall be considered sufficient for this purpose.

- (3) The Licensee and the consumer, as the case may be, shall take necessary corrective action to avoid such damage in future.
- (4) If as a result of inspection or testing it is established that the meter has become defective or damaged or burnt due to technical reasons such as voltage fluctuation, transients etc. attributable to the Licensee, the cost of replacement of the meter and/or its associated equipment, as the case may be, shall be borne by the Licensee.
- (5) If it is established that the meter was rendered defective or damaged or burnt due to reasons attributable to the consumer, such as defect in installation of the consumer, connection of unauthorized load etc., by the consumer, the cost of replacement of the meter and/or its associated equipment, as the case may be, shall be borne by the consumer:
 - Provided that the consumer may provide his own meter and/or associated equipment, as the case may be, to the Licensee.
- (6) In case of stolen meter, the cost of replacement of meter and/or associated equipment, as the case may be, shall be borne by the consumer or the Licensee, whosoever is responsible for safe custody of meter.

Explanation: Replacement of meter and/ or associated equipment shall mean the equipment which is required to be replaced and not the complete arrangement.}

35. Replacement of Meters in Bulk:-

- (1) In case where meters are to be replaced in bulk on the direction of the Commission, the Licensee shall issue a public notice in at least four daily newspapers in Hindi, English, Urdu and Punjabi language at least 3 (three) days in advance, indicating the reasons for such replacement.
- (2) The Licensee shall indicate the area wise schedule of dates for replacement of such meters.

36. Cost of Meters:-

- (1) The Licensee shall not require in-principle approval of the Commission to procure the meters required for energizing new connection.
- (2) If the meters are required to be replaced on the directions of the Commission, for any reason whatsoever, the Licensee shall take prior approval of the Commission to procure the meters.
- (3) If meters are replaced before its useful life due to any reason attributable to the Licensee such as defect in procured lot, transients in distribution system, wrong booking of cases for unauthorized use or theft of electricity etc., the Licensee shall bear the cost of the meters and shall not be allowed in the Annual Revenue Requirement (ARR).
- (4) If meters are replaced before its useful life due to any reasons attributable to the consumer such as burnt meter, unauthorized use of electricity, theft of electricity etc., the consumer shall bear the cost of the meter as approved by the Commission based on average cost of each type of meter, procured by the Licensee during the preceding financial year.
- (5) If the meters are procured by the applicant/consumer for release of new connection or pursuant to the Commission's directions, the Licensee shall reimburse the cost of meter in the energy bill (s):
 - Provided that the cost of meters to be reimbursed shall be lower of (i) actual cost of meter procured by the applicant/consumer or (ii) average cost of meter procured by the Licensee, during the preceding financial year.
- (6) The Licensee shall display the cost applicable for different types of meters on its website with detailed computation and intimate the same to the Commission.

37. Adoption of new technologies for metering:-

- (1) The Licensee shall prepare a plan for adoption of new technologies in metering such as pre-payment meters, time of the day meters (ToD), smart meters and automatic remote meter reading system through appropriate communication system, etc. and implement the same with the approval of the Commission.
- (2) Such meters shall conform to the technical requirements as notified by the Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006, as amended from time to time:

Provided that, the Licensee may, after obtaining approval from the Commission, include in the service connection agreement, the necessary special conditions to suit the special metering system:

Provided further that when pre-payment meters are used to supply power, security for electricity charge shall not be collected and that the consumers shall be eligible for a rebate as approved by the Commission for making the pre-payment.

Billing

38. General:

(1) Save and except as provided under Regulation 30, the Licensee shall prepare the bill for every billing cycle based on actual meter readings including the meters installed on the premises of Licensee for self consumption and the bill shall be delivered to the consumer:

Provided that in case of energisation of new connection or replacement of meter, no provisional bill shall be issued for first two billing cycles.

(2) The Licensee shall raise the bill for all categories of consumers as per the billing cycle, unless there is specific agreement between the Licensee and the consumer for generation of bills for a different period and shall contain all the details notified in the Commission's Orders:

Provided that if there is no specific agreement between the Licensee and the consumer, the billing cycle shall be for minimum 30 (thirty) days and maximum 35 (thirty five) days.

Provided further that in case of new connection, billing cycle shall refer to the period from the date of energisation of connection to last day of that billing cycle and in case of disconnection, billing cycle shall refer to the period from the first day of the billing cycle of disconnection to the date of disconnection.

- (3) The Licensee shall upload the details of the billing cycle district wise/division wise on its website.
- (4) The Licensee shall upload the bill on its website on the day of bill generation and inform the consumer about issuance of the bill and its payment due date via SMS or email, as the case may be.
- (5) The consumer shall have an option to receive the bill either in hard copy or through electronic mode such as e-mail. The consumer opting for receiving bill through electronic mode shall register for the same:
 - Provided that the distribution licensee shall deliver the bill both in hard copy and in electronic mode such as email for a consecutive period of 3 (three) billing cycles from the date of registration by the consumer:
 - Provided further that after a consecutive period of 3 (three) billing cycles, the Licensee may stop the delivery of hard copy of the bill.
- (6) There shall be a gap of clear 15 (fifteen) days between the date of bill generation and due date for payment of the bill:
- (7) The billing details of last 12 (twelve) months alongwith payment receipt details for all consumers shall be made available by the Licensee on its website.
- (8) Save and except as provided under Regulation 30, in case if a bill is raised by the Licensee for a consecutive period of more than one billing cycle at a stretch:
 - (i) The consumer shall be entitled to make the payment in equal monthly installments based on the number of billing cycles for which bill is raised. This shall be clearly stated in the bill.

- (ii) No late payment surcharge shall be levied on such bills, including the installments thereof.
- (9) In case of non-receipt of original bill, the consumer shall be entitled to get a duplicate copy of the bill from the office of the Licensee without any cost. However, any subsequent copy of the same bill may be obtained by the consumer on payment of a fee as notified in the Commission's Orders.
- (10) In case of pre-paid metering, the Licensee shall issue a statement on monthly basis to the consumer within 15 (fifteen) days of the end of the month.
- (11) In case of pre- paid metering, the Licensee shall pay a rebate to the consumer as notified in the applicable Tariff Order.

39. Billing in case of defective or damaged meter:-

(1) The consumer shall be billed on the basis of actual average consumption recorded during the corresponding period in the preceding year, excluding the provisional billing:

Provided that if actual consumption recorded during the corresponding period in the preceding year is either not available or partially available, the actual average consumption of past 6 (six) billing cycles immediately preceding the date of meter being detected or reported defective, excluding the provisional billing, shall be used for billing purpose:

Provided further that if the actual average consumption of past 6 (six) months is either not available or partially available, the average consumption for the next 3 (three) billing cycles excluding provisional billing after the installation of new meter shall be used for billing purpose.

(2) Charges based on the average consumption as per sub-regulation (1), shall be levied for the period of installation of meter or 50% of the period from the date of last testing till the date when the meter was replaced, whichever is less:

Provided that the maximum period for the charges shall not exceed 6 (six) months.

Provided further that the amount already paid by the consumer, for the period meter remained defective or damaged, shall be adjusted in this bill.

(3) The above sub-regulations shall not be applicable in the case of a tampered meter for which appropriate action under the provisions of the Act shall be initiated by the Licensee.

40. Billing in case of burnt meter:-

(1) The electricity charges for the period for which meter was not read, shall be billed on the basis of actual average consumption recorded during the corresponding period in the preceding year, excluding the provisional billing:

Provided that if actual consumption recorded during the corresponding period in the preceding year is either not available or partially available, the actual average consumption of past 6 (six) billing cycles immediately preceding the date of meter being detected or reported defective, excluding the provisional billing, shall be used for billing purpose:

Provided further that if the actual average consumption of past 6 (six) months is either not available or partially available, the average consumption for the next 3 (three) billing cycles excluding provisional billing after the installation of new meter shall be used for billing purpose.

(2) The above sub-regulation shall not be applicable in the case of a burnt meter due to tampering or unauthorized abstraction of electricity, for which appropriate action under the provisions of the Act shall be initiated by the Licensee.

41. Billing in case of stolen meter:-

The electricity charges for the period for which meter was not read, shall be billed on the basis of actual average consumption recorded during the corresponding period in the preceding year, excluding the provisional billing:

Provided that if actual consumption recorded during the corresponding period in the preceding year is either not available or partially available, the actual average consumption of past 6 (six) billing cycles immediately preceding the date of meter being detected or reported defective, excluding the provisional billing, shall be used for billing purpose:

Provided further that if the actual average consumption of past 6 (six) months is either not available or partially available, the average consumption for the next 3 (three) billing cycles excluding provisional billing after the installation of new meter shall be used for billing purpose.

42. Recovery of Arrears:-

- (1) The Licensee shall indicate all outstanding amounts whatsoever on account of demand note, assessment bills, interest or Late Payment Surcharge, as the case may be, till the date of bill raised etc. separately as arrear in the regular bill.
- (2) If a demand is raised on the consumer through a separate demand note, assessment bills etc. and the same remains unpaid, shall be included in the regular bill within next two billing cycles and the same shall be continued to be reflected in each bill unless paid.
 - Provided that if the outstanding dues are not reflected continuously as recoverable in the bill, the Licensee shall forfeit its right to claim or recover the outstanding dues.
- (3) The Licensee shall be entitled to recover arrears of charges or any other amount due from the consumer along with interest or Late Payment Surcharge, as the case may be, at the rates applicable for delayed payments from the date on which such payments became due.
- (4) Subject to Section 56 (2) of the Act, if the consumer fails to remit the amount of arrears with interest or Late Payment Surcharge, as the case may be, by the due date indicated in the bill or in the demand notice, the Licensee may disconnect the supply of electricity after giving notice and initiate proceedings for the recovery of the arrears in accordance with the relevant legal provisions.

PAYMENT

43. Payment on self assessment by the consumer:-

- (1) In case of non-receipt of bill, the consumer may deposit self assessed bill, for the period for which bill has not been received:
 - Provided that such self assessed electricity charges shall not be less than the charge based on last billing cycle.
- (2) The payment so made by the consumer shall be adjusted in the next bill.

44. Advance payment of anticipated bills by consumer:-

If a consumer intends to make advance payment of bills, the Licensee shall accept the same and the amount so paid shall be adjusted towards energy and other charges in the subsequent bill(s).

45. Disputed bills:-

- (1) Subject to rights of the consumer under Regulation 72, any complaint with regard to the accuracy of the bill shall be made by the consumer in writing to the officer designated by the Licensee to issue the bill:
 - Provided that pending resolution of the complaint, the consumer shall pay the amount based on average consumption of last 3 (three) consecutive undisputed bills:
 - Provided further that the amount so recovered shall be subject to final adjustment or resolution of complaint.
- (2) On a complaint by any consumer regarding the correctness of a bill, the designated officer of the Licensee shall immediately carry out a review:
 - Provided that if any additional information is required from the consumer, the same shall be obtained.

- (3) If the review establishes that the bill is incorrect, the designated officer of the Licensee shall issue a revised bill with all necessary particulars, within 7(seven) days of receipt of complaint or additional information under sub- regulation (2), whichever is later, and appropriately adjust the account of the consumer:
 - Provided that if the incorrect bill is issued for a second time in a financial year, the consumer shall be entitled to seek and the Licensee shall be liable to pay compensation to the affected consumer as specified in Schedule-I of the Regulations.
- (4) The consumer shall be given clear 15 (fifteen) days time for payment of the amount as per the corrected bill and he shall not be charged any late payment surcharge if the payment is made on or before the revised due date.
- (5) If the complaint was found to be incorrect, the consumer shall immediately be notified and directed to make the balance payment as per the original bill, within 7 (seven) days of such intimation or the due date as per the original bill, whichever is later, failing which the consumer shall be liable to pay late payment surcharge on the balance amount if the payment is made after such due date of payment.

46. Payment of bills and charges for delayed payments:-

- (1) The consumer shall pay to the Licensee the full amount of the bill on or before the due date indicated therein, for which the Licensee shall issue a receipt.
- (2) Subject to Regulation 45 (5), if the consumer fails to remit the bill amount on or before the due date, the Licensee shall be entitled to recover Late Payment Surcharge on the outstanding amount of the bill at the rates notified by the Commission in applicable Tariff Order.
- (3) The Late Payment Surcharge shall be charged proportional to the number of days of delay in receiving payment from consumers by the distribution Licensees. Any adjustment on account of Late Payment Surcharge shall be done in the next bill.
- (4) If the consumer fails to remit the amount within due date, the Licensee may disconnect the supply in accordance with the procedure specified in the Regulations.
 - Provided that the licensee may permit the consumer to remit the amount of the bill with Late Payment Surcharge as specified in the sub-regulation (2) above within an extended period of thirty days from the due date specified in the bill.

(5) Mode of Payment:-

- The consumer shall pay the amount of the bill in accordance with any mode of payment as notified by the Commission in its Tariff Order.
- (ii) The Licensee shall make suitable arrangements so as to enable the consumer to make payment of bills by cheque or demand draft at any of the designated collection offices by post or courier, depositing them in the drop boxes to be maintained by the Licensee at designated locations, designated banks etc. and through bank transfer, on-line payment, debit card, credit card and 'anywhere payment system' etc.
- (6) The Licensee shall establish sufficient number of collection centers, including mobile collection centers, at suitable locations with necessary facilities and provide as far as possible, separate collection counters for senior citizens, women and differently abled persons.
- (7) The Licensee shall make necessary arrangements for installing drop box accepting cheque machine.
- (8) Where the due date indicated for payment of the bill falls on a Sunday or a public holiday, the payment shall be accepted on the next working day, without any late payment surcharge.

47. Receipt for the payment of the bill:-

- (1) The Licensee shall give Receipt to the consumer for every payment of bill.
- (2) Any payment received in cash shall be credited to the account of the consumer on the date of such receipt.

(3) In case of payment of the bill by money order, demand draft or by cheque at designated collection offices, the Licensee shall give credit to the account of the consumer on and from the date of its receipt:

Provided that if the cheque issued by the consumer is dishonoured on presentation for collection, the consumer shall be entitled to make payment through fresh cheque and the Licensee shall give credit to the account of the consumer on the date of its realization:

Provided further that for each case of dishonoured cheque, the Licensee shall without prejudice to the right of the Licensee to initiate a case under Negotiable Instrument Act, 1881 and such other laws, charge a sum as notified in the Commission's Order from the consumer:

Provided also that, if a payment by the consumer through cheque gets dishonoured for the second time in a consecutive period of twelve months, the payment for next six billing cycles, shall be received only by Demand Draft or electronic mode.

- (4) In the case of payment by on-line transfer through bank or by on-line payment using credit card or debit card or by remittance by bank on the standing instruction of the consumer or by any such electronic clearing service, the amount received by the Licensee shall be credited to the account of the consumer on the very same day of such receipt.
- (5) In all cases, including the payment in person, the payments shall be acknowledged in the next bill.

48. Appropriation of the amount received:-

All payments made by the consumer shall be adjusted in the following order of priority:-

- (1) Arrears of electricity charges and corresponding arrears of electricity duty/ tax.
- (2) Current electricity charges and corresponding current electricity duty/tax.
- (3) Miscellaneous charges.
- (4) Late payment surcharge.

49. Installment facility and incentive for early payment:-

The Licensee may, with prior approval of the Commission, formulate and implement a scheme including installment facility, incentive for early payment, payment through electronic mode etc. for payment of bills by the consumers.

CHAPTER - VI

DISCONNECTION AND RECONNECTION

50. Grounds for disconnection:-

The Licensee shall not disconnect the supply of electricity to any consumer except on any one or more of the following grounds:-

- (1) If the consumer defaults in payment of the dues payable to the Licensee within the period stipulated in the notice.
- (2) If the consumer is found to have indulged in theft of electricity.
- (3) If the consumer refuses to allow a licensee or any person duly authorized by the licensee to enter his premises or land in pursuance of the provisions of sub-section (1) or sub-section (2) of Section 163 of the Act.
- (4) If the Licensee is entitled to do so under an agreement with the consumer.
- (5) Failure of consumer to comply for taking effective steps for generating harmonics within permissible limits as per Regulation 8.
- (6) Failure of consumer to make meter accessible as per Regulation 31.

- (7) If the Licensee is mandated to do so by an order of a legal authority, competent to issue such a mandate.
- (8) If the supply of electricity to the consumer is liable to be disconnected as per any of the provisions of the Regulations.

51. Procedure for Disconnection:-

(1) Save as provided otherwise in these Regulations, the Licensee shall not disconnect electricity supply to any consumer without issuing him a disconnection notice, in writing, giving him at least 15 (fifteen) clear days, to be reckoned from the date of serving the same, intimating the consumer about the grounds for disconnection:

Provided that in the case of detection of theft of electricity, the supply of electricity shall be disconnected immediately as provided in subsection (1A) of Section 135 of the Act:

Provided further that in the case of disconnection under:

- (i) Regulation 50 (1), the Licensee may disconnect the supply of electricity on expiry of the notice period.
- (ii) Regulation 50(5), the provisions of Regulation 8 shall be applicable.
- (iii) Regulation 50(6), the provisions of Regulation 31 shall be applicable.
- (iv) Regulation 50(7), the provisions of the Order of the Legal authority shall be applicable.
- (2) The supply shall be disconnected only if the grounds of the disconnection as specified in the notice are not removed or rectified within the notice period.
- (3) The supply under Regulation 50(1), 50(4), 50(5), 50(6), 50(7) shall not be disconnected on bank holidays or after 12 noon.

52. Prevention from Unauthorized Reconnection:-

- (1) The consumer shall not reconnect its supply unauthorizedly from the system of the Licensee or from the live connection of any other consumer.
- (2) In case the consumer indulges in unauthorized reconnection from the system of the Licensee directly, the Licensee may initiate action as per provisions of Section 138 of the Act.
- (3) In case the consumer indulges in unauthorized reconnection from the supply of any other consumer, the Licensee may initiate action as per provisions of unauthorized use of electricity against such consumer who has provided the supply:

Provided that the pending dues of disconnected connection shall be transferred to the account of consumer allowing such connection.

53. Disconnection on Consumer's request:-

(1) In case consumer desires his supply to be disconnected, he shall apply at least 5 (five) days in advance to the Licensee in the format prescribed in the Commission's Order or as approved by the Commission from time to time:

Provided that the Licensee may accept a notice of shorter period.

- (2) The Licensee shall carryout a special reading and shall disconnect the supply on the specified date.
- (3) The Licensee shall prepare final bill after adjustment of security deposit within 5 (five) days from the date of disconnection including all arrears up to the date of such billing, if any.
- (4) Upon receipt of payment, the Licensee shall issue receipt with 'Final Bill' stamped on it. This receipt shall be treated as 'No Dues Certificate':

Provided that if the payment is made online, within the due date, the Licensee shall issue no dues certificate to the consumer online.

- (5) If the payment is not made, within the due date, the consumer shall be required to make the payment along with late payment surcharge, if any, at the counter of the Licensee only.
- (6) In case the amount is to be refunded by the Licensee to the consumer, the Licensee shall issue no dues certificate along with the final bill and shall refund the balance security deposit alongwith accrued interest upto the date of such disconnection within 15 (fifteen) days through demand draft or electronic clearance system.
- (7) Thereafter, the Licensee shall not have any right to recover any charge(s) whatsoever for any period prior to this date of billing.

54. Reconnection:-

(1) In cases of a temporary disconnection, the Licensee shall reconnect the supply of electricity to consumer's installation within 24 hours of payment of past dues and all applicable charges, if any and completion of requisite formalities:

Provided that the Licensee shall intimate all applicable charges for reconnection to the consumer in the disconnection notice:

Provided further that if a consumer has moved out of the country and provides the documentary evidence, the Licensee shall not levy the reconnection charges.

- (2) In case of a permanent disconnection, reconnection shall be made on payment of past dues and all applicable charges, if any and completion of formalities as required for a new connection.
- (3) In case of disconnection of supply by the Licensee either erroneously or without notice, the reconnection of supply shall be made within 24 hrs from the time of such disconnection, without levy of any charges, including reconnection charges.

CHAPTER - VII

UNAUTHORISED USE, THEFT AND OTHER IRREGULARITIES

55. General:-

- (1) The Licensee shall undertake proceedings against unauthorized use of electricity, theft and other irregularities committed by the consumer in accordance with the relevant provisions as laid down in Part XII, XIV, XV of the Act, the Regulations and the procedure in Commission's Orders.
- (2) The Licensee shall publish on its website, the list of the Assessing officers under section 126 of the Act, the Authorized officers under sub-section (2) of section 135 of the Act and the officers authorized by the Commission to disconnect supply under sub-section (1A) of Section 135 of the Act and shall display such list at prominent locations in its local offices.
- (3) The Licensee shall issue photo identity cards to all the Assessing officers and Authorized officers specifically indicating their designation and details of authorisation.
- (4) During the inspection of premises, in all cases, the assessing officer or the authorized officer as the case may be, shall cause to videograph the entire proceedings, till the completion of inspection at the premises:

Provided that the videograph shall include acceptance or denial by the consumer of photo visiting card, signing of inspection report, signing of seizure memo etc.

- (5) The Licensee shall maintain and submit record of all cases booked under Section 126 of the Act and Section 135 of the Act to the Commission on monthly basis.
- (6) If a consumer is found indulging in unauthorized use and also in theft of electricity, the consumer shall be booked under theft of electricity.
- (7) In case the unauthorized use of electricity is finally established, the Licensee shall change the category of supply of the consumer from the date of inspection and shall raise the bill as per normal applicable tariff.

Unauthorized Use of Electricity under Section 126 of the Act

56. Inspections of the premises and electrical installations by Assessing Officer:-

- (1) The Assessing officer shall promptly conduct inspection of any premises either suo-moto or on receipt of information regarding unauthorized use of electricity thereat:
 - Provided that the Assessing officer may avail the assistance of employees of the Licensee for conducting inspection.
- (2) The Assessing officer shall carry his visiting card bearing his photograph and photo identity card issued under Regulation 55(3).
- (3) Photo ID shall be shown and the visiting card bearing his photograph shall be handed over to the consumer before entering the premises.
- (4) The Assessing officer shall prepare an inspection/site report as per the provisions under these Regulations.
- (5) No case of unauthorized use of Electricity shall be booked by the Licensee in the following cases:
 - (i) where consumer has been paying electricity charges for higher tariff category but using electricity for lower tariff category;
 - (ii) where the consumer is drawing power more than the sanctioned load or contract demand as the case may be within the same category of tariff; and
 - (iii) where it is incumbent upon the Licensee to suo-motu change the category of supply.

57. Preparation of Report by Assessing officer:-

- (1) In the event of detection of unauthorized use of electricity, the Assessing officer shall prepare a detailed Report at site, in the manner as prescribed in the Commission's Orders.
- (2) All the material evidences such as tampered meter, etc. and the documentary evidence, which are relevant to the case found during the inspection, shall be seized under a seizure memo and sealed in the presence of the consumer or his representative and be kept as a proof along with photography and video recording of the premises.
- (3) A detailed description of the material seized, including date, time and place and name & address of witnesses to the seizure shall be recorded on the exterior of the cover and signatures of all witnesses shall be affixed on the sealing points:
 - Provided that if the witness refused to sign, the same shall be recorded in the report and captured in the videograph.
- (4) The Inspection Report shall be signed by the Assessing officer and a copy of the same shall be handed over to the consumer or his representative at the site immediately under proper acknowledgement. The other persons present at site may also sign the inspection report.
- (5) If consumer or his representative at site refuses to acknowledge and/or accept the copy of the report, a copy of the report shall be pasted at a conspicuous place in or outside the premises and photographed and video recorded. Another copy of the same report shall be sent to the consumer under Registered Post or Speed Post or electronically on the same day or on the next day of the inspection.
- (6) The Inspection report shall form the basis for further action as per the provisions contained in Regulations.

58. Procedure for dealing the case of Unauthorized Use of Electricity (UUE):-

(1) Provisional assessment and Notice:-

If the Assessing officer on the basis of Inspection Report and other materials comes to the conclusion that it is prima facie a case of unauthorised use of electricity, he shall:

(i) make provisional assessment based on the best of his judgement which is reasonable in the given circumstances and is based on all the available evidence and records. While doing so the Assessing officer shall compute the amount payable by the person benefited by the unauthorized use of electricity as per provision laid down in sub-section (5) read with sub-section (6) of Section 126 of the Act:

Provided that if the period of unauthorized use of electricity can be conclusively established, the assessment shall be done for the entire period for which the unauthorized use was taking place and if the period of such unauthorized use is not known or cannot be conclusively established, the period of assessment shall be limited to 12 (twelve) months immediately preceding the date of inspection:

Provided further that period of unauthorized use of electricity shall be assessed based on the following factors:-

- a. actual period from the date of commencement of supply to the date of inspection;
- b. actual period from the date of replacement of component of metering system in which the evidence is detected to the date of inspection;
- c. actual period from the date of preceding checking of installation by the assessing officer to date of inspection;
- d. data recorded in the energy meter memory wherever available;
- e. based on the document being relied upon by the accused person.
- (ii) Serve a notice along-with a provisional assessment bill and copy of videography of inspection, within 7 (seven) days from the date of inspection or date of receipt of meter testing report, if required, whichever is later, to the consumer giving reasons as to why a case of unauthorised use of electricity is being initiated against him. The notice should clearly state the time, date and place at which the reply has to be submitted and the designation of the person to whom it should be addressed.

(2) Objection against notice along-with provisional assessment:-

The consumer, on whom notice along-with a provisional bill of assessment has been served, may file objections, if any, before the Assessing officer, within 7 (seven) days from the date of receipt of notice.

(3) **Personal Hearing:-**

- (i) The Assessing officer shall arrange a personal hearing with the consumer or his authorized representative within 7 (seven) days from the date of filing of consumer's objections.
- (ii) At the request of the consumer, the hearing may be arranged for a future date but not later than 10 (ten) days from the date of filing of the objections by the consumer.

(4) Final assessment Order:-

- (i) The Assessing officer shall pass a final assessment order within 30 (thirty) days from the date of service of the order of provisional assessment of the electricity charges payable by such person.
- (ii) The final order of assessment shall clearly show as to whether the case of unauthorized use of electricity is established or not. Such Order shall contain the brief of inspection report, submissions, oral or written, made by consumer and reasons for acceptance or rejections of the same.
- (iii) If no unauthorized use of electricity is established, the Assessing officer shall pass an Assessment Order dropping the case immediately and the consumer shall be informed accordingly with a copy to the next higher officer.
- (iv) In case the unauthorized use of electricity is established, the Assessing officer shall assess the electricity charges as per provisions contained in sub-section (5) read with sub-section (6) of the Section 126 of the Act and shall pass the final Assessment Order under sub-section (3) of Section 126 of the Act.

- (v) The assessment of energy in the final order shall be made as per the formula prescribed in Appendix-I to the Regulations:
 - Provided that if unauthorized use of electricity is on account of wrong usage of tariff category or for the premises or areas other than for which supply of electricity was authorised, the Assessing officer shall take assessment of energy as recorded in the meter for the period of assessment.
- (vi) While making the assessment bill, the Licensee shall give credit to the consumer for the amount already paid by the consumer for the period of the assessment bill.
- (vii) The Final Assessment Order, shall clearly mention that the Order is appealable by the consumer before the Appellate Authority (name, designation and address to be mentioned) within 30 (thirty) days of serving the said order as per provisions of sub-section (1) of Section 127 of the Act.

(5) Billing & payment based on final assessment Order:-

- (i) The Licensee shall serve the bill to the consumer for charges of unauthorized use of electricity as per the final assessment order issued by the Assessing Officer.
- (ii) The bill shall be payable by the consumer within 30 (thirty) days from the date of service. The Licensee may extend the last date of payment of the assessed amount or allow the payment in installments subject to payment of interest on the unpaid amount for the extended period beyond 30 (thirty) days at the rate of 16 (sixteen) percent per annum compounded every 6 (six) months.
- (iii) The consumer shall accept the bill and deposit the assessed amount within the time lines and manner as per sub-regulation (5) (ii) or prefer an appeal against it before the Appellate Authority in accordance with the Act and the Regulations.

59. Appeal before Appellate Authority under Section 127 of the Act:-

- (1) If the consumer is aggrieved by the final assessment order issued by the Assessing officer, he may after depositing half of the assessed amount as specified under sub-section (2) of Section 127 of the Act, file an appeal before the Appellate Authority under Section 127 of the Act, within 30 (thirty) days from the date of issuance of such order, in the form and manner as prescribed in Commission's Orders:
 - Provided that no appeal shall lie to the appellate authority against the final assessment order of the Assessing officer, if same is passed with the consent of the parties.
- (2) The Appellate Authority, based on the evidence and the facts presented and after hearing the parties shall pass an appropriate speaking order and send a copy of the order to the Assessing officer and the appellant.
- (3) The order passed by the Appellate Authority shall be final.
- (4) In case the Appellate Authority holds that no case of unauthorized use of electricity is established, no further proceedings shall be initiated or continued by the Licensee in this regard and the amount deposited by the appellant shall be refunded along with interest at the rate of 16 (sixteen) percent per annum compounded every 6 (six) months for the period from the date of deposit till the amount is refunded.
- (5) In case the Appellate Authority holds that a case of unauthorized use of electricity is established, the Licensee shall serve the revised bill to the consumer for charges of unauthorized use of electricity as per the final order issued by the Appellate Authority.
- (6) The bill so prepared based on the final order issued by the Appellate Authority shall be payable by the consumer within 30 (thirty) days from the date of service. The Licensee may extend the last date of payment of the assessed amount or allow the payment in installments subject to payment of interest on the unpaid amount for the extended period beyond 30 (thirty) days at the rate of 16 (sixteen) percent per annum compounded every 6 (six) months as per sub-section (6) of Section 127 of the Act.
- (7) In case the amount payable as determined by the Appellate Authority is less than the amount already deposited by the consumer at the time of filing the appeal, the excess amount shall be refunded by the Licensee within 30 (thirty) days:

Provided that if the refund is delayed by the Licensee, interest at the rate of 16 (sixteen) percent per annum compounded every 6 (six) months shall be paid for the delayed period.

Theft of Electricity under Section 135 of the Act

60. Inspections of the premises and electrical installations by Authorized officer:-

- (1) The Authorized officer shall promptly conduct inspection of any premises either suo-moto or on receipt of information regarding theft of electricity:
 - Provided that the Authorized officer may avail the assistance of employees of the Licensee for conducting inspection.
- (2) The Authorized officer shall carry his visiting card bearing his photograph and photo identity card issued under Regulation 55(3).
- (3) Photo ID shall be shown and visiting card bearing his photograph shall be handed over to the consumer or the occupier of the premises before entering the premises and take the acknowledgment.
- (4) The Authorized officer shall prepare an inspection report as per the provisions under these Regulations.

61. Preparation of Report by Authorized officer:-

- (1) In the event of detection of theft of electricity, the Authorized officer shall prepare a detailed Report at site, in the manner as prescribed in the Commission's Orders.
- (2) All the material evidences such as tampered meter, tampered meter seal and artificial means used for illegal abstraction of energy and the documentary evidences etc., which are relevant to the case and found during the inspection, shall be seized under a seizure memo and sealed in the presence of the consumer or his authorized representative and be kept as a proof along with photography and video recording of the premises.
- (3) A detailed description of the material seized, including date, time and place and name & address of witnesses to the seizure shall be recorded on the exterior of the cover and signatures of all witnesses shall be affixed on the sealing points:
 - Provided that if the witness refuses to sign, the same shall be recorded in the report and captured in the videography.
- (4) The inspection Report shall be signed by the Authorized officer and a copy of the same shall be handed over to the consumer or his representative at the site immediately under proper acknowledgement. The other persons present at site may also sign the inspection report.
- (5) If consumer or his representative at site refuses to acknowledge and accept the copy of the report, a copy of the report shall be pasted at a conspicuous place in or outside the premises and photographed and/or video recorded. Another copy of the same report shall be sent to the consumer under Registered Post or Speed Post or electronically on the same day or on the next day of the inspection.
- (6) The inspection report shall form the basis for further action as per the provisions contained in Regulations.

62. Procedure for prosecution for Theft of Electricity:-

- (1) The prosecution for theft of electricity under section 135 of the Act shall be initiated only in the cases where dishonest intention is evident from the relevant facts, records and other evidence of the case.
- (2) In case sufficient evidence is found to establish theft of electricity, the Authorized officer under subsection (2) of Section 135 of the Act shall seize and seal all material evidence including wires/cables, meter, service line etc., from the premises under a seizure Memo.
- (3) The supply of the consumer shall be disconnected immediately on detection of theft only by such officer of the Licensee or supplier as authorised for the purpose by the Commission, under sub–section (1A) of Section 135 of the Act:
 - Provided that such officer shall lodge a complaint in writing in Police Station having jurisdiction over

the site of occurrence of the offence within twenty four hours from time of such disconnection:

Provided further that such officer shall also send to the consumer a copy of complaint lodged in Police Station, copy of speaking order under Regulation 64 along with a copy of videography of inspection within 2 (two) days of such disconnection.

- (4) No case for theft shall be booked only on account of missing of the seals on the meter or on account of breakage of glass window of the meter, unless dishonest intention is corroborated by consumption pattern of consumer or any other evidence.
- (5) Interference with the accurate registration of energy consumed by resorting to external methods involving remote control, high voltage injection etc., committed by the consumer or his employee or any other person acting on his behalf, shall also constitute theft of electricity which may be established by analysis of metering data and by testing of the meter in an accredited laboratory notified by the Commission or by the agency authorized by the Commission in this regard.

63. Assessment Bill for theft of electricity:-

- (1) The Assessing officer shall assess the energy for theft of electricity as notified in the Appendix I to the Regulations.
- (2) The period of assessment for theft of electricity shall be for a period of 12 (twelve) months preceding the date of detection of theft of electricity or the exact period of theft if determined, whichever is less:

 Provided further that period of theft of electricity shall be assessed based on the following factors:-
 - (i) actual period from the date of commencement of supply to the date of inspection;
 - (ii) actual period from the date of replacement of component of metering system in which the evidence is detected to the date of inspection;
 - (iii) actual period from the date of preceding checking of installation by authorized officer to date of inspection;
 - (iv) data recorded in the energy meter memory wherever available.
 - (v) based on the document being relied upon by the accused person.
- (3) The assessment bill shall be prepared on two times the rate as per applicable tariff.
- (4) While making the assessment bill, the Licensee shall give credit to the consumer for the electricity units already paid by the consumer for the period of the assessment bill.
- (5) The assessment order shall be served upon the consumer or the person in occupation or possession or in charge of the place or premises, as the case may be, within 7 (seven) days of disconnection of supply or within 2 (two) days from the date of receipt of request of such person, whichever is earlier.

64. Suspected Theft:-

(1) In all such cases where theft cannot be established on inspection but the theft is suspected based on the consumption pattern, etc., the Authorized officer may remove the old meter under a seizure memo and seal it in the presence of the consumer or his representative which shall be signed by both the parties, and shall restore the supply to the consumer with a new meter:

Provided that if the consumption pattern for last 1 (one) year is reasonably uniform and is not less than 75% of the assessed consumption, no further proceedings shall be taken and the decision shall be communicated to the consumer within 3 (three) days:

Provided further that if the consumption pattern is uniform as above, the existing meter shall not be sent for any further testing.

- (2) The meter shall be tested as per sub-regulation (8) of Regulation 32.
- (3) If the Assessing officer, on the basis of Inspection Report, consumption pattern, results of meter testing, comes to conclusion that it is prima facie a case of theft of electricity, procedure as specified in the Regulation 62 & Regulation 63 shall be followed:

Provided that the Assessing officer shall pass a Speaking Order substantiating the case of theft of electricity within 7 (seven) days of meter testing report.

65. Compounding of the offence under section 152 of the Act:-

The compounding of offence under section 152 of the Act shall be done only by the Government of National Capital Territory of Delhi or by an officer duly authorized by the Government of National Capital Territory of Delhi (compounding officer) for this purpose.

66. Restoration of supply disconnected on account of theft of electricity:-

- (1) The Licensee shall restore supply of electricity to the premises within 48 hours of payment by the consumer of amount
 - (i) assessed in accordance with Regulation 63 or
 - (ii) allowed to be deposited by any court including the Lok Adalat.
- (2) If the assessed amount is deposited by an applicant who is not an existing consumer, the supply to the premises will be released treating it as a case of a new connection.
- (3) The restoration of supply of electricity shall be without prejudice to the right of the Licensee to initiate the criminal proceedings against the existing consumer as per Section 135 of the Act.

67. Voluntary disclosure of tampered meter:-

- (1) In case a consumer comes forward and voluntarily declares tampering of meter and/or seals, the Licensee shall immediately replace the tampered meter with a new meter:
 - Provided that voluntarily disclosure of tampered meter shall be allowed only once to a consumer.
- (2) The Assessing officer shall assess the energy for theft of electricity as notified in the Appendix I to the Regulations.
- (3) The assessment bill shall be prepared on two times the rate as per applicable tariff for the period of last 6 (six) months reckoned from the date of declaration.
- (4) While making the assessment bill, the Licensee shall give credit to the consumer for the electricity units already paid by the consumer for the period of the assessment bill.
- (5) The energy bill for the period from the date of declaration of tampered meter to the date of replacement of meter shall be calculated as per the procedure for defective meters.
- (6) The Licensee shall not move the Special Court or initiate any other action if a consumer voluntarily declares the tampered meter and pays the assessment bill:

Provided that if the consumer fails to pay the assessment bill within 30 (thirty) days, the Licensee shall treat it as a theft case under Regulation 62 and proceed accordingly.

CHAPTER - VIII COMPLAINT HANDLING PROCEDURE

68. General:-

(1) Complaints regarding release of electricity connection, no current/failure of power supply, voltage fluctuation, load shedding, scheduled outages, metering, billing and other complaints shall be addressed by the Licensee as per the procedure specified in the Regulations.

- (2) Every Licensee shall prepare the "Manual of Practice for Handling Consumer Complaints/Consumer Charter/Complaint Charter", herein after referred to as "Manual" within three months from the date of applicability of these regulations, and submit the same to the Commission for approval.
- (3) The Manual shall contain information which may affect the consumers, including information related to channels of complaint registration, details of personnel, offices, helpline nos., process of handling complaints etc.
- (4) The Manual shall be prepared in English and Hindi languages and shall be available for reference of consumers at every office of the Licensee and downloadable from its website.
- (5) The Licensee shall establish various modes for lodging complaints such as call centre, website, SMS, application server of the Licensee or any other mode as may be found fit by the Licensee or notified by the Commission.

69. Procedure for lodging complaint:-

- (1) The consumer or applicant can lodge complaint at Centralized Call Centre/Complaint Centre at zones/district offices of the Licensee or on telephone or website or SMS or application server of the Licensee or through post.
- (2) All complaints received shall be routed through their complaint management system.
- (3) A unique complaint number shall be generated and intimated to the complainant immediately on receipt of such complaint:
 - Provided that in case complaint is received through post, the same shall be intimated within 3 (three) days from the date of receipt.
- (4) The contact numbers of these centers shall be printed on the electricity bill, displayed at the Bill Collection centers and uploaded on the Licensee's website.
- (5) The consumer or applicant shall give the details of name, address, CA number or registered telephone number, and brief nature of the complaint.
- (6) The Licensee shall keep a record of all complaints received through any mode for a period of 7 (seven) years.
- (7) After redressal of the complaint, a reply shall be communicated to the complainant.

70. Procedure for redressal of complaint on no current/failure of power supply:-

- (1) In case the Centralized Call Center is aware about the reason of power failure of the complainant, the complainant shall be informed about the reason and the approximate time required for restoration of power supply.
- (2) However, such complaint shall be registered and a unique complaint number shall be issued.
- (3) The Centralized Call Center shall forward the complaint to the concerned Complaint Center.
- (4) The complaint shall be resolved within the timelines as specified under these Regulations.
- (5) The details of scheduled Power Outages shall be informed to the consumers in the manner notified in the Commission's Orders.
- (6) The Licensee shall keep a record of all scheduled power outages and unscheduled power outages separately and the extent of consumers affected by each power outage.
- (7) If the Licensee fails to restore the supply within the specified timelines, compensation shall be paid to the affected consumers as specified in Schedule-I of the Regulations.

71. Procedure for redressal of complaint on low/high voltage:-

- (1) The Centralized Call Center shall forward the complaint to the concerned Complaint Center.
- (2) The complaint shall be resolved within the timelines as specified under these Regulations:

Provided that the resolution of the complaint requires up-gradation in the distribution line, transformers, etc. the Licensee shall take the appropriate steps.

72. Redressal of Grievances by Forum and Ombudsman:-

- (1) In case, the grievances of the consumer are not addressed properly by the Licensee, the consumer may approach the Forum or the Ombudsman as the case may be as per Delhi Electricity Regulatory Commission (Guidelines for establishment of Forum for redressal of grievances of the consumers and Ombudsman) Regulations, 2003 as amended from time to time.
- (2) While communicating the decision on the grievances, the Licensee shall advise the consumer in writing about his right to prefer an application against the decision of the Licensee before the Forum and further to prefer appeal before the Ombudsman.
- (3) The address and contact number of the Forum and Ombudsman shall be made available on the electricity bill by the Licensee.

CHAPTER - IX

GUARANTEED AND OVERALL STANDARDS OF PERFORMANCE

73. Guaranteed standards of performance:-

The Standards specified in the Schedule - I shall be the Guaranteed Standards of Performance, being the minimum standards of service that a Licensee shall achieve, and the Standards specified in the Schedule-II shall be the Overall Standards of Performance which the Licensee shall seek to achieve in the discharge of his obligations as a Licensee.

74. **Determination of Compensation:**

- (1) The Licensee shall be liable to pay compensation to the affected consumers, in case of his failure to meet the Guaranteed Standards of Performance as specified in Schedule I of the Regulations:
 - Provided that the claim for compensation for violation of provisions of any other Regulations not specified in Schedule-I of these Regulations may be filed before the Commission.
- (2) The compensation paid by the Licensee shall not be allowed to be recovered in the Annual Revenue Requirement (ARR) of the Licensee...

75. Penalty:-

- (1) The Commission may impose penalty, on case to case basis:
 - (i) for non-achievement of any target for overall standards of performance
 - (ii) for violation of any of the provisions of these Regulations or any of the directions/advice/orders issued by the Commission.
- (2) The penalty paid by the Licensee shall not be allowed to be recovered in the Annual Revenue Requirement (ARR) of the Licensee.

76. Procedure for Determination and payment of compensation amount:-

- (1) The Licensee shall provide information to consumers with regard to its offices/ designated officers to settle claims for compensation.
- (2) Any person who is affected by the failure of the Licensee to meet the standards of performance specified herein and who seeks to claim compensation shall file his claim, with such a Licensee within a maximum period of 60 (sixty) days from the time such a person is affected by such failure of the Licensee to meet the standards of performance:
 - Provided that the Licensee shall compensate the affected person(s) within a maximum period of 90 (ninety) days from the date of filing his claim.

- (3) In case failure of power supply is affecting one consumer, the default for the purpose of claiming compensation in such case shall be considered from the time the consumer has made the complaint.
- (4) In case failure of power supply is affecting more than one consumer, the default for the purpose of claiming compensation in such case shall be considered from the time first consumer has made the complaint.
- (5) In case the Licensee refuses to pay the compensation, the Licensee shall record the reasons in writing, giving due justification for their action and communicate the same to the consumer.
- (6) In case the Licensee refuses to pay the compensation or if the affected person is aggrieved by non-redressal of his grievances, the aggrieved person can approach the respective Forum for redressal of grievances to seek such compensation.
- (7) If the aggrieved person is not satisfied with the decision of the Forum, the affected consumer may approach the Ombudsman.
- (8) If the claim for compensation is upheld by the Forum or Ombudsman, as the case may be, after following due process of Law, the compensation shall be determined in accordance with the Schedule-I of these Regulations:
 - Provided that the Forum or the Ombudsman may in addition to the compensation, award interest at the bank rate for the period from date when the compensation became first due:
 - Provided further that the compensation shall be payable but not later than 90 (ninety) days from the date of a direction issued by the Forum or by the Ombudsman, as the case may be.
- (9) All payments of compensation shall be made by way of adjustment against current and/or future bills for supply of electricity:
 - Provided that the compensation is paid to the applicant who is not consumer, the Licensee shall compensate by any mode of payment approved by the Commission other than cash.

77. Information on Standards of Performance:-

- (1) For Guaranteed Standards of Performance, Licensee shall furnish to the Commission, in a report for every month and in a consolidated annual report, the following information:
 - (i) The levels of performance achieved by the Licensee with reference to the standards specified in Schedule I as per the formats prescribed in Commission's Orders;
 - (ii) The number of cases in which compensation were payable under these Regulations, and the aggregate amount of the compensation payable and paid by the Licensee as per the formats prescribed in the Commission's Orders;
 - (iii) The number of claims made by consumers against the Licensee for failure to meet the Guaranteed Standards of Performance and the action taken by the Licensee including the reasons as to delay in payment, or non-payment of compensation for such claims;
 - (iv) The measures taken by the Licensee to improve performance in the areas covered by Guaranteed Standards and Licensee's targets of improved performance for the ensuing year; and
 - (v) Status of number of cases booked under unauthorized use of electricity and theft of electricity.
- (2) The monthly report under clause (1) above, shall be furnished to the Commission within 15 (fifteen) days of the close of the month and the annual report under the clause (1) shall be furnished to the Commission within 30 (thirty) days of the close of the financial year.
- (3) The Licensee shall furnish to the Commission, in a report as per the formats for every quarter and in a consolidated annual report for each financial year, the following information as to the Overall Standards of Performance:
 - (i) The level of performance achieved with reference to those specified in Schedule II as per the format prescribed in the Commission's Orders; and

- (ii) The measures taken by the Licensee to improve performance in the areas covered by Overall Standards and Licensee's targets of improved performance for the ensuing year.
- (1) The Quarterly report under clause (3) shall be furnished to the Commission within 15 (fifteen) days of the close of the quarter and the annual report under the said clause (3) shall be furnished to the Commission within 30 (thirty) days of the close of the financial year.
- (2) The Commission may, as it deems fit and at such intervals, publish any information or part thereof, as furnished by the Licensee under these Regulations and not inconsistent with the Act.

CHAPTER - X

MISCELLANEOUS

78. Notice to the Consumer:-

- (1) Any order/ notice to the consumer by the Licensee under these regulations, including the notice under the Act shall be deemed to be duly served by the Licensee if it is:
 - (i) Sent by registered post or speed post at the correct postal address of the addressee, or
 - (ii) Delivered by hand to the person residing at the address notified to the Licensee by the consumer after obtaining signed acknowledgment receipt, or
 - (iii) Affixed at a conspicuous part of such premises and photographed in case there is no person to whom the same can or person is refusing to accept the notice, with reasonable diligence, be delivered, or
 - (iv) Sent through electronic mode such as on the registered e-mail address:
 - Provided that the consumer shall also be informed by the Licensee through SMS.
 - Except as otherwise specified herein above, the date of any notice shall be deemed to be the date:
 - (i) if sent by registered post or speed post seven (7) days from the date of posting. or
 - (ii) if delivered personally the date of receipt or
 - (iii) if affixed at conspicuous part of such premises the date of such affixing.
 - (iv) If sent through electronic mode- date after 24 hours of sending.
- (3) The responsibility of showing the proof that order/notice has been issued shall be of the Licensee.

79. Accident at the installation of the consumer:-

- (1) If any electrical accident; fatal, serious or minor, occurs within the installation of the consumer or from the service line to his installation, the consumer shall immediately switch off the supply and report the matter to the Licensee who shall inform the Electrical Inspector forthwith.
- (2) In the event of any defect or leakage of energy being detected in the installation of the consumer or in any apparatus connected to it, the same shall be disconnected forthwith.
- (3) The Licensee may disconnect the supply until the defects are rectified, giving simultaneous intimation to the consumer and the Electrical Inspector.
- (4) The installation of the consumer shall be reconnected by the Licensee only under intimation to the Electrical Inspector.

80. Demand Side Management:-

It shall be the duty of the consumer to stop wastage and inefficient use of electricity and to extend necessary cooperation to the Licensee in implementation of the programme that may be launched by the Licensee for demand side management.

81. Applicants/Consumers covered under Delhi Electricity Regulatory Commission (Net Metering for Renewable Energy) Regulations, 2014:-

Notwithstanding anything to the contrary contained in Delhi Electricity Regulatory Commission (Net Metering for Renewable Energy) Regulations, 2014 and amendments thereof, the applicant/consumer shall be governed by the provisions of Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code and Performance Standards) Regulations, 2017.

82. Applicants/Consumers covered under Delhi Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Open Access) Regulations, 2005:-

Notwithstanding anything to the contrary contained in Delhi Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Open Access) Regulations, 2005 and amendments thereof including the Orders made thereunder, the applicant/consumer shall be governed by the provisions of Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code and Performance Standards) Regulations, 2017.

83. Exemption:-

- (1) The standards of performance specified in this Regulation shall remain suspended during Force Majeure conditions such as war, mutiny, civil commotion, riot, flood, cyclone, lightning, earthquake, lockout, fire, sabotage, blockade etc., affecting the Licensee's installations and activities.
- (2) Non-compliance of a standard contained in this Regulation shall not be treated as a violation, and the distribution licensee shall not be required to pay any compensation to affected consumer(s), if such violation is caused due to State Transmission Utility and/or Central Transmission Utility, grid failure, a fault on the Transmission Licensee's network or on account of instructions given by State Load Dispatch Center, or any other reason, over which the distribution licensee has no reasonable control.

84. Issue of Order(s) and Practice Directions:-

Subject to the provision of the Act and these Regulations, the Commission may from time to time, issue Order(s) and Practice directions in regard to the implementation of these Regulations and procedure to be followed on various matters, which the Commission has been empowered by these Regulations to direct, and matters incidental or ancillary thereto.

85. Power of relaxation and power to remove difficulties:-

- (1) The Commission may, in public interest and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Regulations.
- (2) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these regulations, the Commission may, by any general or special order, make such provisions, not inconsistent with the provisions of the Act, which appears to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulties.

86. Saving of Inherent Powers of the Commission:

Nothing contained in these Regulations shall limit or otherwise affect the inherent powers of the Commission from adopting a procedure, which is at variance with any of the provisions of these Regulations, if the Commission, in view of the special circumstances of the matter or class of matters and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient to depart from the procedure specified in these Regulations.

87. Power to Amend:-

The Commission may, at any time and on such terms as it may think fit, amend, alter or modify any provision of these Regulations or remove any error or defect in these Regulations. Any amendment/ alteration/modification Order in this regard except for rectification of a typographical error will clearly indicate reasons for amendment in writing.

SCHEDULE-I

88. Repeal and Savings

- (1) Save as otherwise provided in these Regulations, the following Regulations issued by the Commission are hereby repealed:
 - (i) Delhi Electricity Supply Code & Performance Standards Regulations, 2007.
 - (ii) Delhi Electricity Regulatory Commission (Procedure for Filing Appeal before the Appellate Authority) Regulations, 2005.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or action taken or purported to have been taken, or proceedings initiated under such repealed Regulations, shall be deemed to have been taken under these Regulations to the extent that same were not inconsistent with the Act.

SURENDRA EDUPGHANTI, Secy.

GUARANTEED STANDARDS OF PERFORMANCE AND COMPENSATION TO CONSUMERS IN CASE OF DEFAULT

Sl. No.	Service Area	Standard	Computation of period of default	Compensation payable to consumer for the period of default in case of violation of standard
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Connection where no	Network augmentation	is required	
	Release of connection in electrified areas	As per Regulation 11	From 8 th day from the acceptance of application in case where no RoW or road cutting permission is required or From 15 th day from the acceptance of application in case where RoW or road cutting permission is required, as the case may be.	1.5% of the demand charges deposited by consumer for each day of default.
2.	Connection where Net	work augmentation is	required	
(i)	Release of connection in Electrified Areas (where extension of line upto five poles is required)	As per Regulation 11	From 16 th day from the date of receipt of full payment against demand note.	
(ii)	Release of connection in Electrified Areas (Where extension of lines or augmentation of Distribution Transformation capacity, where peak load of transformer has reached 90% of its rated capacity)	As per Regulation 11	After 2 months from the date of receipt of full payment against demand note.	1.5% of the demand charges deposited by consumer for each day of default
(iii)	Release of connection in Electrified Areas (Where new Distribution Transformer is required)	As per Regulation 11	After 4 months from the date of receipt of payment against demand note	

(iv)	Release of connection in Electrified Areas (Where existing 11 kV network needs to	As per Regulation 11	After 6 months from the date of receipt of payment against demand note	
	be augmented)			
(v)	Release of connection in Electrified Areas (Where existing 66/33 kV grid sub- station needs to be	As per Regulation 11	After 8 months from the date of receipt of payment against demand note	
2	augmented)	4 *0° 1 Å		
3.	Connection in Un-elec		AC 4 d C d 1 .	10/ 0.1
(i)	Release of connection in Un-Electrified Areas (Where connection from nearby existing network is possible)	As per Regulation 11	After 4 months from the date of receipt of payment against demand note.	1% of the amount deposited by developer/applicants per day of default.
(ii)	Release of connection in Un-Electrified Areas/ Green Field Projects (Where new network is to be laid or grid station needs to be established)	As per Regulation 11	After 12 months from the date of receipt of payment against demand note.	
4.	In case connection is denied after receipt of payment against demand note	-	-	1.5% of the demand charges deposited by consumer for each day of default subject to maximum of the amount paid as per demand note. Default to be computed from the date of receipt of payment
5.	Connection energized through loop	As per Regulation 11	-	Rs. 500 per kW of sanctioned/ contract demand
6.	Transfer of name	Within two billing cycles of acceptance of application or clearing of dues whichever is later	From the next day of issuance of second bill.	Rs. 100 for each day of default.
7.	Load reduction	Within ten days of acceptance of application, shall be effective from next billing cycle	From the 11 th day of acceptance of application	Rs. 100 for each day of default
8.	If notice for downward revision if any is not sent	By 31 st May	-	Rs. 500 for each case
9.	Change of category	As per Regulation 17 (5)	From the 8 th day of receipt of application	Rs. 100 for each day of default
10.	Billing			
(i)	Error in billed amount	Only one bill in a Financial Year	Second and subsequent incorrect bill in a financial year	10% of excess amount billed
11.	Meter complaints		a.	
(i)	Replacement of defective meter	Within fifteen days declaring meter defection		Rs.50 for each day of default

12.	Faults in Street light maintained by	Rectification win	After lapse of 72 hours from the time consumer	Rs. 75 for each day of default
12	Licensee		has made the complaint	
13.	Voltage fluctuation			
(i)	Local problem	1		Rs. 50 for each day of default
(ii)	Tap setting of transformer	Resolution within twenty four hours	After lapse of 24 hours from the time consumer has made the complaint	Rs. 25 for each day of default
(iii)	Repair of distribution line/ transformer/ fifteen days capacitor Resolution within		After 15 days from the time consumer has made the complaint	Rs. 100 for each day of default
(iv)	Installation and Upgradation of HT / LT System	Resolution within ninety days	After 90 days from the time consumer has made the complaint	

14. Power Supply Failure

(a) Compensation for power supply failure, standard for restoration and compensation payable for a consumer of sanctioned load or contract demand upto 20kW:

Sl. No.	Service Area	Standard for restoration of power supply for the Zone/ Subdivision having AT&C losses Upto More More		Computation of period of default	Compensation payable to the consumer for the period of default in case of violation of	
		10%	than 10% and Upto 20%	than 20%		standard
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	Continuous power failure affecting individual consumer and group of consumer upto 100 connected at Low voltage supply, excluding the failure where distribution transformer requires replacement.	Within three hours	Within four hours	Within six hours	After lapse of period as specified in column (3), (4), (5) as the case may be from the time 1 st consumer has made the complaint.	Rs. 10 per kW per hour of sanctioned load or contract demand, as the case may be, subject to maximum of Rs.200 per hour per consumer.
(ii)	Continuous power failure affecting more than 100 consumers connected at Low voltage supply excluding the failure where distribution transformer requires replacement.	Within two hours	Within three hours	Within four hours	After lapse of period as specified in column (3), (4), (5) as the case may be from the time 1 st consumer has made the complaint.	Rs. 10 per kW per hour of sanctioned load or contract demand, as the case may be, subject to maximum of Rs.200 per hour per consumer.
(iii)	Continuous power supply failure requiring replacement of distribution transformer.	Within six	hours		After lapse of 6 hours from the time consumer has made the complaint.	Rs. 10 per kW per hour of sanctioned load or contract demand, as the case may be, subject to maximum of Rs.200 per hour per consumer.

(iv)	Continuous power failure affecting consumers connected through High Voltage Distribution System (HVDS) and not covered under (i) & (ii) above	Within three hours	After lapse of 3 hours from the time consumer has made the complaint.	Rs. 10 per kW per hour of sanctioned load or contract demand, as the case may be, subject to maximum of Rs.200 per hour per consumer.
(v)	Continuous scheduled power outages	Within 12 hours or restoration of power supply by 6PM	From the lapse of 12 hours from the scheduled start of maintenance or after 6PM of the day whichever is earlier.	Rs. 10 per kW per hour of sanctioned load or contract demand, as the case may be, subject to maximum of Rs.200 per hour per consumer.
(vi)	Replacement of burnt meter or stolen meter	Restoration of supply within three hours either by bypassing the burnt meter or by installing temporary meter.	After lapse of 3 hours from the time consumer has made the complaint	Rs. 10 per kW per hour of sanctioned load or contract demand, as the case may be, subject to maximum of Rs.200 per hour per consumer.
(vii)		Meter to be replaced within three days	After lapse of 3 days from the time consumer has made the complaint	Rs.50 for each day of default

- (b) Any consumer having sanctioned load or contract demand above 20kW, affected continuously by the power supply failure as above, may approach the Commission for determination of the compensation.
- (c) The Licensee shall upload on its website the AT&C losses for the zone / sub-division for the preceding financial year by 15th of April of the year.
- (d) Any claim arising on account of power failure shall not be admissible for those consumers who have outstanding dues upto preceding billing cycle, or have been, during last two years, convicted for theft of electricity or finally assessed for Unauthorised Use of Electricity.

Note:

- (i) For the purpose of determination of compensation to the consumer in case of violation of standard, the days beyond the standard for period of default shall be taken as calendar days.
- (ii) Where the compensation payable has been specified based on default in days and the default is part of the day, the compensation shall be payable for the whole day.

SCHEDULE-II

Overall Standards of Performance

- 1. **Power Supply Failure:** The Licensee shall maintain the percentage of Power Supply Failures rectified within the time limits prescribed under Schedule-I to total calls received not less than 95%.
- 2. **Scheduled outages:** Interruption in power supply due to scheduled outages, other than the load-shedding, has to be notified in advance and shall not exceed twelve hours in a day and in each such event, the Licensee has to ensure that the supply is restored by 6:00PM. The Licensee shall achieve both of these standards of performance in at least 95% of the cases.

3. Reliability Indices

- (1) The Licensee shall calculate the reliability of its distribution system on the basis of number and duration of sustained interruptions in a reporting period, using the following indices:
 - (i) **System Average Interruption Frequency Index (SAIFI)** which means the average frequency of sustained interruptions per consumer occurring during the reporting period, determined by dividing number of consumers who have experienced a sustained interruption by the total number of consumers.
 - (ii) System Average Interruption Duration Index (SAIDI) which means the average duration of sustained interruptions per consumer occurring during the reporting period, determined by dividing the sum of all sustained consumer interruptions durations, in minutes, by the total number of consumers; and
 - (iii) Customer Average Interruption Duration Index (CAIDI) which means the average interruption duration of sustained interruptions for those consumers who experienced interruptions during the reporting period, determined by dividing the sum of all sustained consumer interruption durations, in minutes, by the total number of interrupted consumers for the reporting period, or by using the equation: CAIDI = SAIDI / SAIFI;
- (2) The Licensee while calculating the above indices, shall not take into account the following types of interruptions:
 - (i) Scheduled outages;
 - (ii) Momentary outages of a duration not more than five minutes;
 - (iii) Outages due to the failure of the grid;
 - (iv) Outages due to the reasons described in Force Majeure conditions.

(3) Method of computing Reliability Indices

(i) System Average Interruption Duration Index (SAIDI) = It is average duration of sustained interruptions per consumer.
 SAIDI=∑ ri x Ni / Nt

(ii) System Average Interruption Frequency Index (SAIFI) = It is average frequency of sustained interruptions per consumer.SAIFI =∑Ni / Nt

Where;

i = an interruption event;

ri = restoration time for each interruption event;

Ni= number of consumers who have experienced a sustained interruption during the reporting period; and

Nt = total number of consumers of Licensee

- (iii) Customer Average Interruption Duration Index (CAIDI) = It is average interruption duration of sustained interruptions for those consumers who had experienced interruptions. CAIDI = SAIDI/SAIFI.
- (4) The Licensee shall propose the target level of these indices annually while submitting ARR. The Commission would accordingly notify these indices.
- 4. **Frequency variations:** The Licensee shall achieve coordination with other network constituents such as State Transmission Utility, State Load Dispatch Center, distribution Licensees and other transmission Licensees in an endeavor to maintain the supply frequency as per the Indian Electricity Grid Code as amended from time to time.
- 5. **Voltage Imbalance:** The Licensee shall ensure that the voltage Imbalance does not exceed 3% at the point of commencement of supply. Voltage Imbalance shall be computed in a manner to be notified by the Commission separately. The Licensee shall submit an exception report to the Commission giving details of the instances when the voltage was beyond the permissible limit at the distribution transformer level.
- 6. **Billing mistakes:** The Licensee shall maintain the percentage of bills requiring modifications based on consumer complaints to the total number of bills issued, not greater than 0.2%.

7. **Electrical accidents:**

The Licensee shall endeavour to avoid any electrical accident. Increase or decrease in number of electrical accidents compared over a period of time will also be an indicator of the Licensee's performance.

The Summary of Overall performance standards is as follows:

Service area	Overall Standard of Performance
Power Supply Failure	At least 95% calls received should be rectified within prescribed time limits
Scheduled outage	At least 95% of cases resolved within time limit
Faults in Street Light maintained by Licensee	At least 90% cases should be complied within prescribed time limits
Reliability Indices	
SAIFI	
SAIDI	To be laid down by the Commission based on the targets proposed by the Licensees.
CAIDI	
Frequency variations	To maintain supply frequency within range as per IEGC.
Voltage Imbalance	Maximum of 3% at point of commencement of supply
Percentage billing mistakes	Shall not exceed 0.2%

Appendix-I

Formula for assessment of energy in case of unauthorized use of electricity or theft of electricity

 For the purpose of assessment, connected load on the date of inspection, shall be computed as under:-

"Connected load" means aggregate of the manufacture's rating of all energy consuming devices in the consumer's premises, which can be simultaneously used. This shall not include the load of spare plug, sockets, load exclusively installed for firefighting purposes. Only heating or cooling apparatus shall be taken into account as per prevailing season (1st April to 30th September for cooling use and 1st October to 31st March for heating use).

(2) Assessment of energy shall be done based on the following formula:

Units assessed = $L \times D \times H \times F$, where

- (i) L is the connected load (in kW or kVA as per applicable tariff) on the date of inspection.
- (ii) D is number of days for assessment period.
- (iii) H is use of supply hours per day, which shall be taken for different categories of use as below:

a)	Single shift industry (day / night only)	10 hrs.
b)	Non-continuous process industry (day and	20 hrs.
	night)	
c)	Continuous process industry	24 hrs.
d)	Non-domestic (general) including restaurants	11 hrs.
e)	Hotels, hospitals, nursing homes, guest houses,	20 hrs.
	petrol pumps	
f)	Domestic	8 hrs.
g)	Agriculture	10 hrs.
h)	Temporary Connections	12 hrs.
i)	Any other category not mentioned above	13 hrs.

(iv) F is load factor, which shall be taken for different categories of use as below:

a)	industrial	60%
b)	non-domestic	60%
c)	domestic	40%
d)	agriculture	50%
e)	direct theft	100%
f)	temporary connections	100%
i)	Any other category not mentioned above	60%

(3) The hours for the purpose of assessment in the cases of bonafide domestic use shall not be considered more than one hour per day on 100% load factor for domestic water pump, microwave oven, washing machines and petty domestic appliances.

SURENDRA EDUPGHANTI, Secy.